पंचदश माला, खंड 14, अंक 21

गुरूवार, 9 दिसम्बर, 2010
18 अग्रहायण, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खण्ड 14 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

प्रमेश कुमार शर्मा
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/14/21/2010 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 14, छठा सत्र 2010/1932 (शक)]

अंक 21, गुरूवार, 9 दिसम्बर, 2010/18 अग्रहायण, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
मंगोलिया से संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 440	2-58
अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060	58-337
सभा पटल पर रखे गए पत्र	338-347
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	347
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
44वां प्रतिवेदन	348
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वीरभद्र सिंह	348
(दो) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी समिति के 212वें और 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पवन कुमार बंसल	349
(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डॉ. सी.पी. जोशी	349

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित माना गया।

विषय **कॉलम**

(चार) (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री श्रीकांत जेना 350

(ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री श्रीकांत जेना 351

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

12वां और 13वां प्रतिवेदन 351

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भारत-खाड़ी क्षेत्र से वापस ली गई एयर इंडिया की उड़ानों को फिर से चालू किए जाने तथा दिल्ली-बंगलुरू उड़ान को केरल के कालीकट तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 352

(दो) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मार्क-II हैंडपंप लगाए जाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर 'कमांडो' 353

(तीन) आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काजीपेट में रेल वैगन फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला 353

(चार) पेयजल परियोजनाओं के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाए जाने तथा संसद सदस्यों द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय सिंह 354

विषय		कॉलम
(पांच)	केरल में मछुआरों के लिए कैरोसिन तेल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री चार्ल्स डिएस	355
(छह)	उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और बाराबंकी जिलों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. निर्मल खत्री	355
(सात)	झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिले में वन आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुदर्शन भगत	356
(आठ)	देश में खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री राकेश सिंह	356
(नौ)	उत्तर प्रदेश में बलिया जिला स्थित को-ऑपरेटिव सोसायटी से किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नीरज शेखर	357
(दस)	आर्थिक रूप से निर्धन परिवार की लड़कियों को नि:शुल्क उच्चतर और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती अश्वमेध देवी	357
(ग्यारह)	तमिलनाडु में वर्षा और बाढ़ प्रभावित लोगों के शीघ्र पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री आर. थामराईसेलवन	358
(बारह)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल किए गए अस्पतालों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी.आर. बालू	358
(तेरह)	बिहार के सीवान जिले में पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ओम प्रकाश यादव	360

विषय	**कॉलम**

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 361–362

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 361–378

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 379–380

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 379–382

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरूवार, 9 दिसम्बर, 2010/18 अग्रहायण, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

मंगोलिया से संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल के चेयरमैन, महामहिम श्री डैमडीनजीन डेमबेरेल और मंगोलिया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूं।

शिष्टमंडल के सदस्य 8 दिसम्बर, 2010 को भारत पहुंचे तथा इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से मंगोलिया के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सरकार और मित्र जनता का अभिनंदन करते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री मनसुखलाल दिलीपकुमार गांधी, श्री पी. कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह प्रश्नकाल है। प्रश्न संख्या 421 – श्री सुरेश कुमार शेटकर।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी जगह वापिस चले जाइए और प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : वे पत्र दिखा रहे हैं। वे पत्र नहीं दिखा सकते*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी जगह वापस चले जाइए और प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तेल डिपुओं में आग

***421. श्री सुरेश कुमार शेटकर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न यूनिटों/डिपुओं में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) ऐसी घटनाएं होने के मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई थी;

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) यदि हां, तो इस पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरन, सार्वजनिक वर्ष की तेल कंपनियों के डिपुओं में ग्यारह (11) अग्नि दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। जबकि कुछ घटनाएं मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपीएस) का पालन नहीं करने और रखरखाव/हाउसकीपिंग से संबद्ध मुद्दों के कारण हुई थीं अन्य ''दुर्घटनाएं'' पर्याप्त सावधानियां बरतने के बावजूद हुई थी। सामान्यतया सभी घटनाओं की संबंधित तेल कंपनियों द्वारा जांच की जाती है और बड़ी दुर्घटनाओं वाले चुनिंदा मामलों में जांच तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा गठित किसी समिति द्वारा की जाती है। संबंधित तेल कंपनियां, रखरखाव, वर्तमान एसओपीज को अद्यतन बनाने, स्थल विशिष्ट एसओपीज तैयार करने और हाउसकीपिंग से संबद्ध सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करती हैं और इनका सत्यापन ओआईएसडी द्वारा बाद के निरीक्षणों/लेखा परीक्षणों के दौरान किया जाता है। मामलों के ब्यौरे दुर्घटना होने के कारण और अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

दिनांक 29.10.2009 को जयपुर तेल डिपु में हुई अग्नि दुर्घटना के बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित स्वतंत्र जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों में तेल डिपुओं में समग्र सुधार करने और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के उपाय सम्मिलित हैं। इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और समयबद्ध ढंग से उनके अनुपालन पर निगरानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समिति द्वारा की जा रही है।

विवरण

तेल डिपुओं में वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं का विवरण

वर्ष: 2008-09

क्र. सं.	दिनांक	कंपनी	स्थान	कारण	जांच	अनुवर्ती कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	30.06.2008	आईओसीएल	जालन्धर	शार्ट सर्किट अर्थात् खराब अनुरक्षण के कारण मोम के गोदाम में आग	आईओसीएल द्वारा आंतरिक जांच	अनुरक्षण प्रक्रिया को मजबूत बना दिया गया है।
2.	01.02.2009	एचपीसीएल	चेन्नै	इंडक्शन हीट सीलिंग मशीन की संभावित ओवर हीटिंग के कारण ल्यूब मिश्रण संयंत्र में आग **कारण:** मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन न करना	एचपीसीएल द्वारा आंतरिक जांच	अनुरक्षण एवं सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया को मजबूत बना दिया गया है।
वर्ष: 2009-10						
1.	09.05.2009	बीपीसीएल	कानपुर डिपो	डिपो की चाहर दीवार के बाहर घास में लगी आग डिपो के भीतर रेलवे साइडिंग क्षेत्र की घास तक फैल गई	बीपीसीएल द्वारा आंतरिक जांच आईओसीएल	कंपनी ने हाउस कीपिंग को सुधारने के लिए उपाय हैं। कंपनियों को हैमर ब्लाइंड वाल्व

1	2	3	4	5	6	7
2.	12.07.2009	आईओसीएल	कांडला एफएसटी	हैमर ब्लाइंड ओ रिंग से नापथा का रिसाव और वाष्प बनने के कारण आग **कारण:** खराब अनुरक्षण एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन न करना	द्वारा आंतरिक जांच	का प्रयोग बंद करने की सलाह दी गई और उन्हें बदलने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया है। इस बीच अनुरक्षण प्रक्रियाएं और सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है।
3.	29.10.2009	आईओसीएल	पीओएल डिपो, सांगानेर, जयपुर	हैमर ब्लाइंड वाल्व के गलत संचालन के कारण आग अपुष्ट वाष्प विस्फोट से सभी टैंकरों में एकसाथ आग लगी **कारण:** खराब अनुरक्षण एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन न करना	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आंतरिक जांच	सरकार ने जांच समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, ओआईएसडी द्वारा 16 मानकों को संशोधित किया गया है। ओआईएसडी भारत तथा विदेश में विभिन्न घटनाओं से प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा सीखों से अधिक मानकों के विकास तथा उनके अद्यतन की प्रक्रिया में है।
4.	31.12.2009	बीपीसीएल	कटिहार डिपो	स्थिर प्रभार के कारण एमएस को टीटी पर लोडिंग करते समय लीकेज से आग **कारण:** खराब अनुरक्षण एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन न करना	बीपीसीएल द्वारा आंतरिक जांच तथा डिपो बंद करना	असुरक्षित सुविधा के कारण डिपो बन्द।
5.	17.03.2010	बीपीसीएल	बकानिया डिपो	फलैंज जौएंट को खोलने से एमएस की चोरी के कारण टीटी गैन्ट्री में कार्यालय समय के बाद आग लगी	ओआईएसडी द्वारा जांच	कंपनी को पर्यवेक्षण बढ़ाने की सलाह दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7
				कारण: ऐसे कार्य के परिणामों को जाने बिना गलत तरीकों द्वारा उत्पाद को जानबूझ कर चोरी का प्रयास।		
वर्ष: 2010-11 (चालू वर्ष)						
1.	07.04.2010	एचपीसीएल	मथुरा रेलवे साइडिंग	ओवरहैड लाईन से चिंगारी के कारण रेलवे साईडिंग की सूखी घास पर आग लगी।	एचपीसीएल द्वारा आंतरिक जांच	इंडस्ट्री रेलवे साईडिंग पर कम्पनी द्वारा हाउसकीपिंग में सुधार कर दिया गया है।
2.	15.04.2010	आईओसीएल	पानीपत पीओएल टर्मिनल	इलैक्ट्रिकल शार्ट सर्किट के कारण पानीपत टर्मिनल पर इंजी. स्टोर में आग **कारण:** खराब अनुरक्षण	आईओसीएल द्वारा आंतरिक जांच	अनुरक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत कर दिया गया है।
3.	30.05.2010	आईओसीएल	भिलाई डिपो	डिपो के टीटी लोडिंग बे पर टीटी केबिन में आग **कारण:** टीटी का खराब अनुरक्षण तथा असुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया	आईओसीएल द्वारा आंतरिक जांच	मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के पालन के लिए कम्पनी ने पर्यवेक्षण बढ़ा दी है।
4.	10.06.2010	आईओसीएल	कानपुर	रेलवे साईडिंग पर विभिन्न उत्पाद अर्थात् स्विच लोडिंग करते समय रेलवे साईडिंग पर आग **कारण:** अनुरक्षित प्रक्रियाएं तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन न करना।	ओआईएसडी द्वारा जांच	दिल्ली-कोलकत्ता के मुख्य व्यस्त रेलवे ट्रैक के निकट होने से सामान्य जीवन को खतरा होने के कारण ओआईएसडी ने कम्पनी को सभी प्रचालनों के लिए रेलवे साईडिंग बन्द करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

विमान किरायों का विनियमन

***422. श्री अंजनकुमार एम. यादव :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक महीने में घरेलू विमान किराये में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) इस मामले की जांच कर रहा है तथा इसने प्रचालन लागत में कोई वृद्धि न होने के बावजूद अत्यधिक किराया वसूलने के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए सभी विमानन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डीजीसीए यात्रियों की अत्यधिक आवाजाही के समय घरेलू विमान यात्रा की मांग-आपूर्ति की स्थिति का अध्ययन कर रहा है जिसके कारण इतना अधिक विमान किराया लिया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) विशेषकर यात्रियों की अत्यधिक आवाजाही के समय में किराये में अनावश्यक वृद्धि का स्थायी समाधान खोजने के लिए डीजीसीए द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) त्यौहारों के मौसम के दौरान और नवंबर, 2010 के मध्य में कुछ घरेलू सेक्टरों पर विमान किराये बढ़े हुए थे।

(ग) से (घ) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को दिनांक 17 नवम्बर, 2010 को एक पत्र और 19 नवंबर, 2010 को हवाई परिवहन परिपत्र जारी किया है जिसमें वायुयान नियम 135 के उपनियम (1) के अंतर्गत नवंबर, 2010 के महीने के लिए विभिन्न किराया श्रेणियों में पूरे नेटवर्क पर स्थापित मार्ग-वार टैरिफ का ब्यौरा 10 दिसंबर, 2010 तक और इसके बाद नियमित रूप से मासिक आधार पर मांगा गया है।

(ङ) और (च) महानिदेशालय किरायों पर बाजार शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर ऐसे अध्ययन कराता है।

(छ) महानिदेशालय ने इसका समाधान पाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

(i) टैरिफ के प्रकाशन में पारदर्शिता बरतने के लिए 19 नवंबर, 2010 को हवाई परिवहन परिपत्र (एटीसी) 2/2010 जारी किया गया है।

(ii) उपरोक्त परिपत्र का अनुपालन कराने के लिए एयरलाइनों से बातचीत की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एयरलाइनें अधिक किराये वसूल न करें।

(iii) विमान किरायों पर आवधिक और नियमित रूप से नजर रखने के लिए हाल ही में एक टैरिफ विश्लेषण ईकाई गठित की गई है।

[अनुवाद]

ग्राम न्यायालय

***423. श्री बाल कुमार पटेल :**
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मामलों के तेजी से निपटान हेतु पूरे देश में और अधिक दिल्ली अदालतों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन न्यायालयों की स्थापना करने हेतु निर्धारित वित्तपोषण पद्धति क्या है;

(ग) अब तक देश में कितने ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना को सुकर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है;

(च) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों का तेजी से निपटान करने हेतु उन्हें एकमुश्त जिला न्यायालयों से ग्राम न्यायालयों में भेजने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से देश में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार ने तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालय आयोजित करके न्यायालय के कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए का उपबंध भी सम्मिलित है। इस प्रयोजन के लिए 2010-15 की अवधि के दौरान, राज्यों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, नागरिकों को उनके दहलीज पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए निचले स्तर

पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय प्राप्त करने के अवसरों से किसी नागरिक को वंचित न किया जाए, अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम, 2 अक्तूबर, 2009 को प्रवृत्त हो गया है और वह राज्य सरकारों को, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के अनुसार मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए समर्थ करता है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 144 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित ग्राम की न्यायालयों की संख्या	कार्यरत ग्राम न्यायालयों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	89	40
2.	राजस्थान	45	0
3.	उड़ीसा	1	1
4.	महाराष्ट्र	9	6
	योग	144	47

(घ) मूल रूप से यह परिकल्पित किया गया था कि देश में लगभग 5067 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। जबकि ऐसे अधिकांश राज्यों ने, जिन पर ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का विस्तार है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का समर्थन किया है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने ग्राम न्यायालयों को पहले ही अधिसूचित और प्रचालित कर दिया है, तथापि, कुछ राज्यों ने अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने विभिन्न कारणों से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस नहीं की है।

(ङ) ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् ग्राम न्यायालयों की स्थापना करें। ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने हेतु राज्यों की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार, ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए 18.00 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की दर से, और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील बनाने में अंतर्वलित आवर्ती लागत की पूर्ति के लिए 3.20 लाख प्रतिवर्ष प्रति ग्राम न्यायालय की दर से, राज्यों को सहायता प्रदान को सहायता प्रदान करती है।

(च) और (छ) ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार, यथास्थिति, जिला न्यायालय का सेशन न्यायालय, उस तारीख से, जो उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाए, अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी सिविल या आपराधिक मामलों को ऐसे मामलों का विचारण करने या उनका निपटान करने के लिए सक्षम ग्राम न्यायालयों को स्थानांतरित कर सकेगा।

पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

***424. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) पूर्वोत्तर विशेषकर असम की बराक घाटी में पेट्रोलियम पदोर्थों का उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी ने हाल ही में घाटी में अपनी परियोजनाओं को रोक दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार ने परियोजनाओं को ऑयल इंडिया लिमिटेड को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) असम की बराक घाटी में (कच्छार फार्वर्ड बेस, सिल्चर), ओएनजीसी आदमटिल्ला और बनासकांडी क्षेत्रों से मुख्यतया प्राकृतिक गैस (बहुत कम संघनन के साथ) और बदरपुर क्षेत्र से कच्चे तेल की थोड़ी मात्रा का उत्पादन कर रही है।

(ख) ओएनजीसी द्वारा बराक घाटी में 2007-10 के दौरान किए गए कुल कच्चे तेल (संघनन सहित) और प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमश: 0.0005 एमएमटी और 114 एमएमएससीएम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ओएनजीसी की बराक घाटी परियोजना को बन्द करने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। वर्तमान स्थिति के अनुसार, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

***425. श्री मधु कोड़ा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने की किसी योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: ''अर्थात् (i) तीन प्रमुख घटकों अर्थात् मेगा फूड पार्क, शीत शृंखला एवं बूचड़खानों का आधुनिकीकरण समेत अवसंरचना विकास स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (v) संस्थान सुदृढ़ीकरा स्कीम; और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम। स्कीम के अंतर्गत सहायता केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की इकाइयों तथा व्यक्तियों समेत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए उपलब्ध है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने और विद्यमान यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विस्तार के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिवि कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपये अथवा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

(ग) सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जनजातीय लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक मानव संसाधन विकास स्कीम है। जो निम्नलिखित घटकों के साथ जनजातीय क्षेत्रों समेत देश में कार्यान्वित की जा रही है:–

पहला घटक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम है तथा इसके उद्देश्य परियोजना निर्माण तथा प्रबंधन की मूल जानकारी उपलब्ध कराना है जिसमें प्रशिक्षुओं को प्रेरित करने तथा बिजनेस वेंचर शुरू करने एवं प्रबंधन करने के लिए उनमें विश्वास पैदा करने के अलावा, प्रौद्योगिकी, विपणन एवं लाभप्रदता शामिल हैं। केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन, राष्ट्र स्तरीय संस्थान, व्यावसायिक संस्थान, राज्य स्तरीय परामर्शी संगठन, उद्योग संगठन, गैर-सरकारी संगठन पात्र संगठन हैं। मंत्रालय प्रति ईडीपी 2.00 लाख रुपए की 100% सहायता प्रदान करता है और अनुदान क्रमश: 50%, 25% और 25% की तीन किस्तों में जारी किया जाता है।

दूसरा घटक खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र (एफपीटीसी) है और इसके उद्देश्य स्थानीय रूप से उगाई गई कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हुए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अल्पसंख्यक उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हुए ऐसे उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों पर ''हैंडस-ऑन'' अनुभव उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास तथा खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का अंतरण करना है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के संगठन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्कूल एवं कॉलेज, आईटीआईज़, गैर-सरकारी संगठन तथा सहकारी संगठन पात्र संगठन हैं। निर्धारित पूंजी लागतों के लिए 4.00 लाख रुपए और चल बीज पूंजी एकल उत्पादन लाइन केंद्र (प्रसंस्करण कार्यकलापों के किसी एक समूह के लिए) के रूप में 2.00 लाख रुपए और निर्धारित पूंजी लागतों के लिए 11.00 लाख रुपए और चल बीज पूंजी एकल उत्पाद लाइन केंद्र (प्रसंस्करण कार्यकलापों के एक से अधिक समूहों के लिए) के रूप में 4.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

तीसरा घटक नए ईडीपी प्रशिक्षुओं को विशिष्टीकृत प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे सीएफटीआरआई/डीएफआरएल/अन्य कोई प्रतिष्ठित राज्य/राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान/भारत

सरकार/राज्य सरकार के कॉलेज में प्रशिक्षण देना है जो आवधिक अंतरालों के बाद उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सहित अपनी निजी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने की अग्रणी अवस्था में हैं। सहायता की मात्रा प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी जो प्रति 10 कार्यदिवसों के लिए 20 प्रशिक्षुओं हेतु प्रति प्रशिक्षण कार्सक्रम अधिकतम 1,00,000/- रुपए होगी।

(घ) यह स्कीम जारी है।

कपास का आयात एवं निर्यात

***426. श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से कपास का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कपास का आयात भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या कपास का निर्यात करते समय कपास की घरेलू मांग को ध्यान में रखा गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 कपास वर्षों (अक्तूबर-सितंबर) के लिए कपास निर्यात के देश-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले 3 कपास वर्षों (अक्तूबर-सितंबर) के लिए कपास आयात के देश-वार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) 370.5 लाख गांठों की कुल आपूर्ति की तुलना में कपास की घरेलू मांग (कपास मौसम 2010-11 के लिए) 266 लाख गांठ आंकी गई हैं। घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए निर्यात योग्य अधिशेष 55 लाख गांठ अभिज्ञात की गई हैं।

तद्नुसार, सरकार ने कपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए हैं:-

(i) कपास निर्यात संविदाओं का पंजीकरण 1 अक्तूबर, 2010 से शुरू होगा।

(ii) वास्तविक निर्यात 1 नवम्बर, 2010 से शुरू होंगे।

(iii) निर्यात योग्य अधिशेष के रूप में 55 लाख गांठ अभिज्ञात की गई हैं।

(iv) निर्यात योग्य अधिशेष का पंजीकरण होने के बाद कोई पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

विवरण-I

2007-08 से 2009-10 तक देश-वार निर्यात की गई मात्रा

2007-08

देश	मात्रा गांठ में
1	2
चीन पीआरपी	41,35,730
पाकिस्तान आईआर	16,69,980
इंडोनेशिया	5,13,600
बंगलादेश पीआर	4,12,171
वियतनाम सोक रिप	2,60,083
थाइलैंड	2,21,731
ताइवान	1,87,833
तुर्की	1,44,890
हांगकांग	1,29,430
मलेशिया	80,170
मॉरिशस	65,833

1	2
नेपाल	39,923
सिंगापुर	27,537
इटली	16,124
जापान	16,738
जर्मनी	12,259
फिलीपींस	8,362
बेल्जियम	10,322
बहरीन आईएस	6,899
संयुक्त अरब अमीरात	6,807
कोरिया आरपी	6,296
चिली	2,911
लाटविया	2,847
यूएसए	2,602
मैक्सिको	2,288
श्रीलंका डीएसआर	1,938
हंगरी	1,665
पुर्तगाल	1,622
फ्रांस	1,532
चेक रिप	1,435
ग्रीस	1,108
अन्य	8,57,252
कुल	88,49,918

2008-09

देश	मात्रा गांठ में
बंगलादेश	11,50,967
चीन	11,08,037
पाकिस्तान	4,75,825
इंडोनेशिया	1,35,496
हांगकांग	1,07,383
वियतनाम	92,522
थाइलैंड	85,361
ताईवान	84,497
तुर्की	63,486
सिंगापुर	51,299
इटली	18,836
जापान	18,149
कोरिया रिपब्लिक	16,194
मलेशिया	14,879
यूनाइटेड किंगडम	10,085
बहरीन	5,882
स्विटजरलैंड	5,596
जर्मनी	5,124
दुबई	3,401
यूएई	3,221
फ्रांस	1,304
अन्य	42,456
कुल	35,00,000

2009-10

देश*	मात्रा गांठ में
बंगलादेश	11,46,476
चीन	38,32,993
पाकिस्तान	7,23,198
इंडोनेशिया	3,24,804
हांगकांग	42,457
वियतनाम	45,453
थाइलैंड	24,177
ताईवान	30,099
तुर्की	46,137
सिंगापुर	8,017
इटली	3,449
कोरिया रिपब्लिक	1,601
मलेशिया	12,380
बहरीन	1,868
अन्य	11,38,891
कुल	73,82,000
कुल योग	83,00,000

*वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार 19.4.2010 को देश-वार उपलब्ध आंकड़े प्रत्येक 170 किग्रा. की 73.82 लाख गांठ हैं। देश का कुल निर्यात 83.00 लाख गांठ हैं। 9.18 लाख गांठों की शेष मात्रा के लिए देश-वार ब्यौरा डीजीसीआईएस, कोलकाता, जो दिनांक 21.5.2010 के अनुसार कच्ची कपास के निर्यात को प्रतिबंधित निर्यात नीति के तहत रखा गया है, से शिपमेंट की मॉनिटरिंग करता है, के पास उपलब्ध है।

विवरण-II

5201 कपास का वर्ष-वार आयात
कपास, अकार्डेड अथवा बिना कोम्बड

(मात्रा गांठ में)

देश	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
आर्जेंटीना	551.348	1367.698	0
आस्ट्रेलिया	6103.92	7756.224	5072.796
आस्ट्रिया	141.462	0	0
बंगलादेश	3.48	0	0
बेल्जियम	0	0	0
बेनिन	1738.492	9275.128	0
ब्राजील	270.048	341.62	0
बुर्किनाफासो	18137.586	28036.33	116
कैमरुन	3003.994	4230.114	3118.428
कनाडा	0	2851.512	0
चाड	695.71	11092.558	4886.152
चीन पी आरपी	5828.652	1420.826	282.17
कोट डी इवोरी	4322.044	5535.172	0
इजिप्ट ए आरपी	156382.674	25454.46	26717.468
इथोपियां	573.852	0	0
फ्रांस	0	787.35	594.326
घाना	0	0	1740
ग्रीस	3543.974	21879.746	0

1	2	3	4
गुआना	146.044	0	0
इंडोनेशिया	302.702	443.7	111.476
इरान	5581.804	0	0
इजरायल	6818.538	6744.182	3478.782
इटली	188.674	553.958	201.26
जापान	0	0	0
कजाकिस्तान	0	1462.934	0
कोरिया आरपी	0	5742.87	0
मलेशिया	0	1450.638	0
माली	6194.226	10899.882	6710.89
मोजाम्बिक	0	1474.65	0
न्यूजीलैंड	0	0	0
नाइजीरिया	854.804	2237.292	1159.652
नार्वे	0	0	0
पाकिस्तान	25246.356	5671.356	4807.968
सेनेगल	9625.68	1158.202	1089.298
सिंगापुर	0	1721.034	0
दक्षिण अफ्रीका	914.544	3542.64	0
स्पेन	0	131.312	1537.754
श्रीलंका	0	0	140.244
सूडान	12158.018	1308.132	8021.342
स्विटजरलैंड	4093.988	0	0
तजाकिस्तान	1615.648	0	0
तंजानिया रिप	12019.804	81090.032	14600.92
थाइलैंड	0	0	. 0
टोगो	0	0	279.85
तुर्की	1171.484	105.444	0
तुर्केमिनिस्तान	10530.074	3615.488	2899.652
संयुक्त अरब अमीरात	102.602	0	3008.808
यूके	0	0	0.29
यूएसए	131411.876	290624.892	62366.008
युगांडा	7519.352	8281.24	0
यूक्रेन	0	288.608	0
अविनिर्दिष्ट	0	301.078	0
उजबेकिस्तान	30564.492	31985.55	2191.472
जाम्बिया	3328.33	2610.754	0
जिम्मबावे	0	17760.354	2962.872
कुल	471686.276	601234.96	158095.878

स्रोत : भारतीय विदेश व्यापार, डीजीसीआईएस, कोलकाता के मासिक आंकड़े।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल परिवहन क्षेत्र

***427. श्री वैजयंत पांडा :**
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ऑटो हबो, चल स्टॉक विनिर्माण इकाइयों,

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं हाई स्पीड ट्रेन कोरिडोर्स के लिये निवेश आकर्षित करने हेतु अनेक नीतियां बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन नीतियों के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने निजी मालभाड़ा टर्मिनल नीति शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति के घटक एवं उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा की गई पहल से ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उसकी भागीदारी किस सीमा तक बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में वृद्धि होगी?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) ऑटोमोबाइल के परिवहन में रेलों के मॉडल शेयर में वृद्धि करने और ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के साथ अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने ऑटोमोबाइल और सहायक हब का विकास करने और ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटरों के लिए योजनाए आरंभ की हैं। ऑटोमोबाइल और सहायक हब का विकास करने के लिए प्रमुख उत्पादन एवं खपत केन्द्रों में दस स्थलों की पहचान की गई है। पायलट परियोजना के तहत ऐसे पहले हब को शालीमार में चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, रेलइंजनों, सवारीडिब्बों मालडिब्बों और इसके सहायक उपस्करों, धुरों इत्यादि के लिए विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने के लिए पीपीपी/जेवी/विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत कई पहलकदमियां शुरू की गई हैं। उच्च गति वाले गालियारों के मामले में उल्लेखनीय है कि इस समय, यह कार्य पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन को तैयार करने के चरण पर है। मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना के संबंध में नीति बनाई जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। डोर-टु-डोर सेवाओं, हाई रेटिड फिनिस्ड ट्रैफिक को सड़क से रेल की ओर लाने और अंतिम उपयोगकत्ताओं को कुशल और किफायती लॉजिस्टिक्स सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी निवेश के जरिये फ्रेट टर्मिनल के नेटवर्क का द्रुत विकास करने के लिए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल पर नीति पहले ही जारी कर दी गई है। यह योजना, विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का सृजन करने और उनके द्वारा भारतीय रेलवे के मार्केट शेयर में वृद्धि करने के लिए प्रमुख लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं की भागीदारी से टर्मिनलों पर यातायात प्रबंधन को सुकर बनाएगी।

(ङ) ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में सबसे तेजी से विकसित हो रहे सेक्टरों में से एक है। ऑटोमोबाइल यातायात के परिवहन में भारतीय रेलवे के मॉडल शेयर में वृद्धि और ऑटोमोबाइल यातायात के लिए संग्रहण और वितरण केन्द्र उपलब्ध कराने के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (एएफटीओ) और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के जरिये रेल शीर्षों के निकट ऑटोमोबाइल हब विकसित करने के लिए योजनाएं आरंभ की हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा मुआवजा

***428. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :**
श्री मनसुखभाई डी. वसवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी तेल उपक्रमों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भूमि अर्जन तथा उसके बदले मुआवजा देने की एक समान नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने उन लोगों को रोजगार देने की नीति वापस ले ली है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण अपनी भूमि सं वंचित हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में एक समान नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क), (ख) और (ङ) तेल और गैस (पाइपलाइनों से भिन्न) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अर्जित भूमि के लिए भू-स्वामियों को मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में निहित प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है। जहां तक तेल और गैस क्षेत्र के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं का संबंध है, भूमि में प्रयोक्ता का अधिकार (आरओयू), पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 (पी एंड एमपी अधिनियम, 1962) के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। ये अधिनियम व्यापक विधिक रूपरेखा मुहैया कराते हैं जिनके तहत परियोजनाओं के लिए भूमि,

भू-स्वामियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा के साथ अर्जित की जाती है। भूमि में आरओयू प्राप्त करने के लिए भू-स्वामियों को देय मुआवजा पी एंड एमपी अधिनियम, 1962 की धारा 10 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से निर्धारित मुआवजे की राशि सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाती है। सक्षम प्राधिकारी, बदले में पी एंड एमपी अधिनियम, 1962 की धारा 11(3) के तहत यथा उपबंधित मुआवजे के हकदार व्यक्ति को मुआवजा देता है।

(ग) और (घ) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने लोक उद्यम विभाग द्वारा भू-अर्जन और पुनर्वास पहलू पर जारी दिनांक 3.2.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15/13/84-बीपीई(सी) के अनुसार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण जो लोग अपनी भूमि से वंचित हो जाते हैं, उनको रोजगार मुहैया कराने की नीति समाप्त कर दी है।

लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि

***429. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या लौह अयस्क की मूल्य वृद्धि से लघु एवं मध्यम इस्पात उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकर को एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्कों के मूल्यों में उक्त वृद्धि करने के बावजूद इस्पात संयंत्रों हेतु आवश्यक लौह अयस्कों की आपूर्ति नहीं किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(च) लघु एवं मध्यम इस्पात संयंत्रों की उनकी आवश्यकता के अनुसार लौह अयस्क की आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा कया कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। बल्कि एनएमडीसी लिमिटेड ने अपने लौह अयस्क की घरेलू कीमतों को वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही में दूसरी तिमाही की कीमतों की तुलना में लगभग 5% कम किया है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) लौह अयस्क नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार ने तो इसकी कीमतों और न ही अलग-अलग इस्पात कंपनियों के लिए इसके आबंटन/आपूर्ति को नियंत्रित करती है। एनएमडीसी के अतिरिक्त, देश में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लौह अयस्क के कई उत्पादक मौजूद हैं विभिन्न इस्पात यूनिटों को लौह अयस्क की आपूर्ति एनएमडीसी और अन्य लौह अयस्क उत्पादकों के साथ उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था पर निर्भर करती है।

शीतागार

***430. श्री रमाशंकर राजभर :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त शीतागार सुविधाओं के अभाव में बड़ी मात्रा में सब्जियां एवं फल खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नये शीतागारों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो नेय शीतागारों के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जी, हां। देश में कृषि और बागवानी उत्पादों की हानियों के बारे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कृषि खाद्य वस्तुओं, खंडित खेती, कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, पर्याप्त फसलोत्तर अवसंरचना जैसे शीत शृंखला सुविधाओं, परिवहन, समुचित भंडारण सुविधाओं आदि की कमी के कारण फसल कटाई के पश्चात् विाान्न संचालन स्तरों पर कुल मिलाकर 30% से 35% अर्थात् लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बरबादी का नुकसान लगाया गया। बर्बादी के कारण होने वाली हानियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को

बढ़ावा देकर, फसलोत्तर अवसंरचना को मजबूत करके एवं आपूर्ति श्रृंखला के अंतराल को पूरा करके कम की जा सकती है।

प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षमता दोनों का लाभ लेने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विजन, 2015 दस्तावेज को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें 2015 तक शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर में 6% से 20% मूल्यवृद्धि में 20% से 35% और वैश्विक खाद्य व्यापार के हिस्से में 1.5% से 3% तक वृद्धि करके प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कृषि कारोबार - विजन, रणनीति एवं कार्ययोजना को प्रोत्साहन देने के लिए एक समेकित रणनीति भी सरकार ने अनुमोदित की है।

इस अवस्था में सब्जियों की बर्बादी रोकने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, परन्तु ऐसी बर्बादी रोकने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास हेतु विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन उपायों हेतु अपनी विभिन्न स्कीमो के माध्यम से बर्बादी को कम करने, मूल्य वृद्धि करने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली प्रसंस्करण सुविधाओं समेत खाद्य संबंधी अवसंरचना के सृजन को सुगम बनाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) देश में शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार विभिन्न योजना स्कीमें चला रही है जिनके अंतर्गत शीतागारों/शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शीत श्रृंखला अवसंरचना विकास हेतु सार्वजनिक/निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 11वीं योजना के दौरान शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक योजना स्कीम है। इस स्कीम में संयंत्र तथा मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई हैं इन पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्तर को दूर करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे छँटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा जैविक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी के लिए मूल्यवृद्धि की स्थापना करना है।

कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत शीतागार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं।

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से 6000/- रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से 5000 मीट्रिक टन प्रति परियोजना की अधिकतम भंडारण क्षमता और 32000/- रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से 5000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत की 40% की दर से तथा पर्वतीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 55% की दर से शीतागारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए राज्य बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

कृषि मंत्रालय भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचबी) के माध्यम से शीत भंडारों को निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु 6000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से 5000 मीट्रिक टन प्रति परियोजना की अधिकतम भंडारण क्षमता तथा 5000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता हेतु 32000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से सीए भंडारण हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना पूंजी लागत की 40% की दर से और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 55% की दर से बैक एंडेड पूंजीगत निवेश सब्सिडी भी उपलब्ध कराता है।

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा) के माध्यम से विशिष्टीकृत शीतागार सुविधाओं जैसे सीए/एमए शीतागारों, डीप फ्रीजर्स आदि की स्थापना के लिए प्रत्येक लाभभोगी को लागत की 25% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 31.12.2007 तक कुल शीत भंडारण क्षमता 23.33 मिलियन मिट्रिक टन थी जिसे सरकार द्वारा की गई पहलों के चलते 31.12.2009 तक बढ़ाकर 24.45 मिलियन मीट्रिक टन किया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे में हरित प्रयास

***431. श्री खगेन दास :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार नयी पीढ़ी के विद्युत एवं डीजल इंजन चलाने, बायोडीजल का प्रयोग करने आदि सहित अनेक हरित प्रयासों की शुरूआत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इंजनों का विनिर्माण देश में ही किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन हरित प्रयासों के माध्यम से क्या-क्या लाभ होने की आशा है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपायों में सहयोग करने के लिए भारतीय रेलों द्वारा उठाए गए कदमों में रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग फीचर वाले विद्युत रेल इंजनों और मल्टिपल यूनिट्स (ईएमयू) को लगाना, डीजल रेल इंजनों और मल्टिपल यूनिटों (डीएमयू) में बायो-डीजल तथा संघनित प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल की संभावना का पता लगाना, सौर तथा वायु ऊर्जा का इस्तेमाल करना, इनर्जी इंटेंसिव इंकैन्डेसेंट लैम्पों का कम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैम्पों (सीएफएल) में प्रतिस्थापन, पम्पों के आटोमेशन द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपाय, अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य भारों को अलग करना तथा इनर्जी एफिसियेंट मेटल हैलाइड और टी-5 फ्लूरोसेंट लाइटों का उपयोग करना शामिल है।

(ग) और (घ) चितरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) और सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका) में नई पीढ़ी के क्रमश: 6000 हॉर्स पॉवर (एचपी) इंजनों और रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग फीचर वाले ईएमयू का विनिर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्च अश्व शक्ति के ऊर्जा कुशल विद्युत इंजनों के विनिर्माण के लिए नई सुविधा की भी योजना बनाई गई है।

(ङ) ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए संपूर्ण प्रयास में भारतीय रेलवे के भागीदारी का महत्वपूर्ण लाभ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कमी के कारण ऊर्जा और ईंधन खपत में कमी तथा कार्बन क्रेडिट का अर्जन अन्य सहायक लाभ हैं।

विमानपत्तनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण

***432. श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के कार्य में लक्ष्यों/निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय विमानपत्तनों की प्रस्तावित नवीकरण योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण द्वारा आस्थगित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) चिन्हित किये गये विमानपत्तनों के नाम क्या हैं; और

(च) इन विमानपत्तनों की नवीकरण योजना कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सामान्यत: विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण का कार्य निर्धारित समय-सारणी के अनुसार चल रहा है। तथापि, चंडीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, इम्फाल, दीमापुर, रांची, रायपुर और इंदौर हवाईअड्डों की परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित से अधिक समय (टाइम ओवर रन) हुआ है। कोलकाता और चेन्नई के बड़ी परियोजनाओं के संबंध में पूरा होने की मूल तिथि से 4 से 6 महीने अधिक समय (टाइम ओवर रन) लगने की संभावना है।

(ख) विभिन्न हवाईअड्डों पर पूरे हो चुके कार्यों और चल रहे कार्यों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपरोक्त (ग) के उत्तर के दृष्टिगत लागू नहीं होता।

विवरण–I

पूरे हो चुके कार्यों की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम
1	2
	उत्तर क्षेत्र
	देहरादून
1.	रनवे का निर्माण
2.	कंट्रोल ऑवर सहित तकनीकी ब्लॉक का निर्माण
3.	नये टर्मिनल भवन एवं संबंधित कार्यों का निर्माण
	कांगड़ा
1.	रनवे, एप्रन का निर्माण, टैक्सी वे, टर्मिनल भवन इत्यादि का विस्तार
	जयपुर
1.	नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल कंप्लेक्स का निर्माण
2.	नये एप्रन और टैक्सी वे का निर्माण
	खजुराहो
1.	रनवे का 7500 तक विस्तार
2.	नये एप्रन और टैक्सी वे का निर्माण
	कुल्लू
1.	नये टर्मिनल भवन एवं पेवमेंट कार्यों का निर्माण
	लखनऊ
1.	टैक्सी ट्रेक का पुनसतहीकरण एवं एप्रन, आइसोलेशन वे का विस्तार
2.	रनवे का 9000 फुट तक विस्तार एवं वर्तमान रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं संबंधित कार्य
3.	नये एप्रन और टैक्सी वे का निर्माण
	पठानकोट
1.	सिविल एंक्लेव सहित आवासीय क्वार्टरों का भूमि सहित विकास
	श्रीनगर
2.	टर्मिनल भवन कंप्लेक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण
	उदयपुर
1.	टर्मिनल भवन कंप्लेक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण
2.	रनवे एवं संबंधित कार्यों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार
3.	कंट्रोल टॉवर एवं तकनीकी ब्लॉक का निर्माण
	वाराणसी
1.	रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं शोल्डरों का प्रावधान
2.	एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और रनवे का विस्तार
3.	एयरोब्रिज सहित नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण
	पूर्वी क्षेत्र
	भुवनेश्वर
1.	रनवे का विस्तार
2.	एप्रन का विस्तार, मौजूदा एप्रन और टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त टैक्सी वे का निर्माण एवं संबंधित कार्य
	गया
1.	नये टर्मिनल भवन एवं संबंधित ढांचे का निर्माण
	कूच बिहार
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण
	रायपुर
1.	एप्रन का विस्तार, एवं सुदृढ़ीकरण

1	2
	रांची
1.	एप्रन का निर्माण एवं लिए टैक्सी वे का निर्माण
	पोर्टब्लेयर
1.	एप्रन का विस्तार एवं अतिरिक्त टैक्सी वे
	पूर्वोत्तर क्षेत्र
	अगरतला
1.	टर्मिनल परिसर का विस्तार एवं संपूर्ण टर्मिनल परिसर के लिए ए.सी.
2.	एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण
3.	मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण
4.	नये टर्मिनल भवन-सह-कंट्रोल टॉवर का निर्माण
	बारापानी (शिलांग)
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण और एप्रन का विस्तार
	बागडोगरा
1.	एप्रन का विस्तार
	डिब्रूगढ़
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण
	दीमापुर
1.	रनवे का पुन:सतहीकरण
	गुवाहाटी
1.	रनवे का विस्तार और लिंक टैक्सी वे सहित नये एप्रन का निर्माण
2.	आइसोलेशन एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड का निर्माण
3.	रनवे के विस्तार और नये एप्रन के निर्माण के लिए नयी अधिगृहीत भूमि का चारदीवारी का निर्माण
4.	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन (चरण 3) के लिए नए अधिकृत क्षेत्र को भरना।
	इम्फाल
1.	रनवे का पुन:सतहीकरण, आइसोलेशन बे का निर्माण, एप्रन तथा लिंक टैक्सी वे का विस्तार
	लीलाबाड़ी
1.	नए टर्मिनल भवन का निर्माण
	सिल्चर
1.	रनवे का विस्तार, भूमि का अधिग्रहण और चारदीवारी का निर्माण
	पश्चिमी क्षेत्र
	अहमदाबाद
1.	नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन चरण-I एवं II तथा एप्रन का निर्माण
2.	सीए अहमदाबाद पर घरेलू टर्मिनल भवन के नये प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण
3.	एस.वी.पी. अहमदाबाद हवाईअड्डे पर आइसोलेशन बे और समानांतर टैक्सी ट्रैक सहित रेपिड एग्जिट टैक्सी वे का निर्माण
4.	नये आगमन ब्लॉक का निर्माण
5.	नये एप्रन का निर्माण
	औरंगाबाद
1.	नये एप्रन और संबंधित कार्यों का निर्माण
2.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण
3.	रनवे का विस्तार
	भोपाल
1.	रनवे 12 के लिए भूमि अधिग्रहण और रनवे का विस्तार आरंभ
2.	नये एप्रन एवं संबंधित कार्यों का निर्माण

1	2
	गोंदिया
1.	यात्री लाउंज, कंट्रोल टॉवर, फायर स्टेशन, चारदीवारी, आवासीय क्वाटर्स एवं संबद्ध कार्य
2.	रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण
3.	समानांतर टैक्सी वे का निर्माण
	इन्दौर
1.	रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और आइसोलेशन बे तथा टैक्सी का निर्माण
	नागपुर
1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार
	पोरबंदर
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य
	पुणे
1.	टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार
	दक्षिण क्षेत्र
	कालीकट
1.	रनवे का पुन:सतहीकरण और संबद्ध कार्य
2.	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार तथा विद्युत पैकेज
	कोयम्बटूर
1.	रनवे का विस्तार
2.	आंशिक समानांतर टैक्सी वे का निर्माण और एप्रन का विस्तार
	कुडप्पा
1.	रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन का निर्माण
	मदुरै
1.	टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य
2.	रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार तथा संबद्ध कार्य
	मंगलौर
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण
2.	एप्रन का निर्माण
	मैसूर
1.	मैसूर हवाईअड्डे का विकास, पेवमेंट कार्य
2.	मैसूर हवाईअड्डे के भवन कार्य का विकास
	पुदुचेरी
1.	पुदुचेरी हवाईअड्डे का विकास तथा रनवे का निर्माण
	तिरुपति
1.	रनवे का पुन:सतहीकरण और सुदृढ़ीकरण, टैक्सी ट्रैक, एप्रन, आइसोलेशन बे आदि
	त्रिची
1.	एप्रन का विस्तार, नये एप्रन और टैक्सी ट्रैक का निर्माण
2.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण
3.	रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार
	विजाग
1.	नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण
	विजयवाड़ा
1.	रनवे का विस्तार
	मैट्रो हवाईअड्डे
	उत्तरी क्षेत्र
	अमृतसर
1.	टर्मिनल भवन का मोड्यूलर विस्तार (चरण-2)

1	2
	दक्षिण क्षेत्र
	त्रिवेन्द्रम
1.	चकई साइड पर रनवे के पार नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण क. एनआईटीबी का निर्माण और अन्य सेवाएं

1	2
	पश्चिमी क्षेत्र
	सूरत
1.	एटीआर 72 श्रेणी के विमनों के लिए सूरत हवाईअड्डे का विकास

विवरण-II

ऐसे कार्यों की स्थिति जो प्रगति पर है

क्र. सं.	योजना का नाम	31.10.2010 तक स्थिति	कार्य पूरा होने की संभावित तिथि
1	2	3	4
	उत्तर क्षेत्र		
	चंडीगढ़		
1.	नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	87%	फरवरी, 2011
	लखनऊ		
1.	नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	79%	मार्च, 2011
	श्रीनगर		
1.	एप्रन चरण-2 का विस्तार	94%	दिसंबर, 2011
	उदयपुर		
1.	लिंक टैक्सी वे (चरण-दो) सहित एप्रन का निर्माण	65%	मार्च, 2011
	खजुराहो		
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	15%	मार्च, 2011
	पूर्वी क्षेत्र		
	पटना		
1.	जेपीएनआई हवाईअड्डे, पटना पर रनवे का पुन:सतहीकरण, टैक्सी वे एवं एप्रन और संबद्ध कार्य	12%	मार्च, 2011

1	2	3	4
	रांची		
1.	नये एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	51%	मार्च, 2011
2.	रनवे का पुन:सतहीकरण	99.60%	दिसंबर, 2010
	भुवनेश्वर		
1.	नये एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	12%	अगस्त, 2011
	रायपुर		
1.	नये विस्तारयोग्य मोड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	64%	मार्च, 2011
	झारसुगुड़ा		
1.	झारसुगुड़ा हवाईअड्डे पर एमएसएसआर भवन की स्थापना	25%	मार्च, 2011
	पूर्वोत्तर क्षेत्र		
	डिब्रूगढ़		
1.	मौजूदा रनवे और टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण	73%	मार्च, 2011
	दीमापुर		
1.	एप्रन का विस्तार और लिंक टैक्सी वे का निर्माण	83%	फरवरी, 2011
	इम्फाल		
1.	नये एप्रन का निर्माण	30%	मार्च, 2011
2.	टर्मिनल भवन का आशोधन	41%	मार्च, 2011
	पेक्योंग		
1	पेक्योंग, सिक्किम में नये एयरपोर्ट का निर्माण (एसएच:)	31%	जून, 2012
	पश्चिमी क्षेत्र		
	भोपाल		
1.	राजा भोज विमानपत्तन, भोपाल पर नये विस्तारयोग्य मोड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	85%	दिसंबर, 2011

1	2	3	4
	गोंदिया		
1.	दो अतिरिक्त हैंगरों का निर्माण	98%	दिसंबर, 2010
	गोवा		
1.	नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, कार पार्क, एप्रन का विस्तार एवं संबद्ध कार्य	7.3%	मई, 2012
	इंदौर		
1.	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	81%	फरवरी, 2011
	दक्षिण क्षेत्र		
	कोयम्बटूर		
1.	टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आधुनिकीकरण	84%	फरवरी, 2011
	राजामुंद्री		
1.	कार पार्किंग सहित टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आधुनिकीकरण	76%	मार्च, 2011
	मैट्रो		
	पूर्वी क्षेत्र		
	कोलकाता		
1.	एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास एवं संबद्ध कार्य	46%	अगस्त, 2011
	दक्षिण क्षेत्र		
	चेन्नई		
1.	कामराज घरेलू टर्मिनल भवन (चरण-II) का विकास एवं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार एवं फेस लिफ्टिंग	61%	अगस्त, 2011

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमिततायें

***433. श्री यशवीर सिंह :**
श्री नीरज शेखर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रेल निगम लिमिटेड (आईओसी) की डीलर चयन समितियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग

श्रेणी के अंतर्गत पेट्रोल पंपों/खुदरा बिक्री केन्द्रों के चयन में अनियमितताये बरते जाने के संबंध में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित ऐसे स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां इस आधार पर भूमि के लिए अंक नहीं दिये गये थे कि प्रस्तावित भूमि विज्ञापित स्थान से बाहर पड़ती है;

(ग) यह निर्णय करने का आधार क्या है प्रस्तावित भूमि विज्ञापित स्थान से बाहर पड़ती हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संबंधित राज्यस्व अधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि उत्तर प्रदेश में भूमि विज्ञापित स्थान के दायरे में आती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि बिहार राज्य में, गत दो वर्षों और अप्रैल-सितम्बर, 2010 के दौरान पीएच श्रेणी के अंतर्गत खुदर बिक्री केन्द्रों (केएसके सहित) के चयन में हुई अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य में, गत दो वर्षों और अप्रैल-सितम्बर, 2010 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) श्रेणी के अंतर्गत आईओसी की डीलर चयन समिति द्वारा पेट्रोल पंप खुदरा बिक्री केन्द्रों के चयन में हुई अनियमितताओं के संबंध में आईओसी को 17 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो इस प्रकार हैं:–

वर्ष	जिला	क्या शिकायत सिद्ध हुई या नहीं (हां/नहीं)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2008-09	अम्बेडकर नगर	हां*	उम्मीदवारी रद्द
	गोरखपुर	नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
	कानपुर	नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
	महोबा	नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
	फैजाबाद	नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
	पीलीभीत	नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
2009-10	प्रतापगढ़	हां*	उम्मीदवारी रद्द
	जालौन	हां	पुन: साक्षात्कार का आदेश दिया (प्रक्रिया संबंधी त्रुटी के कारण शिकायत सिद्ध हो गई क्योंकि साक्षात्कार के लिए 15 दिन का नोटिस नहीं दिया गया था)
	बुलन्दशहर	नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
	जेपी नगर	नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
		नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया

1	2	3	4
		नहीं	शिकायत को फाइल कर निपटान कर दिया गया
2010-11	अम्बेडकर नगर	हां*	उम्मेदवारी रद्द
	वाराणसी	हां*	उम्मेदवारी रद्द
	फैजाबाद	हां*	उम्मेदवारी रद्द
	जेपी नगर	जांच के अधीन	लागू नहीं
	जेपी नगर	जांच के अधीन	लागू नहीं

[(*) – उम्मीदवारों के विरुद्ध शिकायत सिद्ध हो गई थी। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण/तथ्य झूठे पाए गए।]

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में, 'पीएच श्रेणी' के अंतर्गत तीन स्थलों जहां, जेपी नगर जिला में प्रस्तुत भूमि विज्ञापित स्थल से बाहर आती थी इसलिए भूमि को कोई अंक नहीं दिये गये, के ब्यौरे इस प्रकार है:–

क्र. सं.	उम्मीदवार का नाम जिन्होंने भूमि की पेशकश की थी	शून्य अंक देने के कारण
1.	श्री सोमपाल सिंह	श्री सोमपाल सिंह द्वारा प्रस्तावित भूमि के पट्टे में भूमि में खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था अत: भूमि की पहचान नहीं की जा सकी। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि मंसूर गांव में स्थित है (विज्ञापित ग्राम से बाहर)
2.	श्री मोहम्मद इन्तेजार	श्री मोहम्मद इन्तेजार द्वारा प्रस्तुत भूमि मंसूरपुर ग्राम में स्थित है जो कि विज्ञापित स्थल से बाहर है। इसके अलावा आवेदक द्वारा प्रस्तावित पट्टे में भूमि का खसरा संख्या नहीं थी।
3.	श्री पवन कुमार	श्री पवन कुमार द्वारा भूमि का पट्टा भूमि के सहस्वामियों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि मंसूरपुर में स्थित है जो कि विज्ञापित स्थल से बाहर है।

(ग) प्रस्तावित भूमि विज्ञापन में दिए गए ब्यौरों के अनुसार उक्त स्थल के अंदर होनी चाहिए। प्रस्तावित भूमि जो विज्ञापित स्थल से बाहर हो अथवा राजस्व गांव में स्थित न हो और राजमार्ग/सड़कों पर मील पत्थर पर, विचार नहीं किया जाता।

(घ) और (ङ) आईओसी ने सूचित किया है कि राजस्व प्राधिकारी ने इस आशय की पुष्टि नहीं की कि ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित भूमि विज्ञापित स्थल में नहीं आती। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि विज्ञापित ग्राम से बाहर किसी गांव के अंतर्गत आती है।

[अनुवाद]

इथेनॉल के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करना

***434. श्री एम.आई. शानवास :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथेनॉल के मूल्य छह महीने के लिये निर्धारित किए गये हैं जबकि उत्पादकों ने कम से कम तीन वर्षों की गारंटी का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इथेनॉल के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इथेनॉल के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने से किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) सरकार के दिनांक 16.8.2010 के निर्णय के अनुसार, इथेनॉल का मूल्य 27/- रुपये प्रति लीटर उस समय तक तद्र्थ आधार पर निर्धारित किया गया है, जब तक इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुशंसित सूत्र/सिद्धान्तों पर आधारित अंतिम मूल्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। 27/- रुपये प्रति लीटर का मूल्य विशुद्ध रूप से अन्तरिम स्वरूप का होगा और पक्के मूल्य के संबंध में समायोजन हो सकता है। इस प्रकार ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल के मूल्य पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी सहयोग

***435. श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु अन्य देशों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जर्मनी के साथ सहयोग का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रस्तावित सहयोग की मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) इसके फलस्वरूप होने वाले रोजगार सृजन एवं अन्य प्रत्याशित लाभों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान में सहयोग, तकनीकी सहायता/सहयोग के माध्यम से देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु विदेशों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अंतरण, संयुक्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं क्षमता निर्माण आदि को सुगम बनाने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जर्मनी के साथ सहयोग करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहसयोग हेतु 15.11.2010 को नई दिल्ली में खाद्य, कृषि एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जर्मनी संघ के साथ एक बैठक की गई थी।

(घ) दिनांक 15.11.2010 को नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा खाद्य, कृषि एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जर्मन संघ के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, दोनों मंत्रियों ने अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की।

(ङ) दोनों देशों के बीच 15.11.2010 को एक संयुक्त वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर कि गए जिसका उद्देश्य निम्नलिखित को हासिल करना है:–

(i) भारत में जहां पर मेगा खाद्य पार्क और आधुनिक बूचड़खाने स्थापित किए जा रहे हैं, वहां जर्मन फर्मों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के अंतरण की संभावनाएं।

(ii) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों की संभावनाएं।

(iii) बीटूबी परस्पर क्रिया, निवेश का अंतर्प्रवाह तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को सुगम बनाने के लिए जर्मनी तथा भारत में महत्वपूर्ण खाद्य मेलों में भागीदारी।

(च) रोजगार सृजन का ब्यौरा तथा इसमें प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित अन्य लाभों का तत्काल प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के परिणाम का काफी लम्बे अरसे बाद पता चलता है। जानकारी में आते हैं। फिर भी, अनेक लाभों में विदेशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग से रोजगार में वृद्धि हुई है और प्रसंस्कृत खाद्य मदों में मूल्यवृद्धि पैदा करने वाली प्रौद्योगिकी के अंतरण के माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य मदों का निर्यात बढ़ा है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह में भी वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

वस्त्र क्षेत्र में निवेश

***434. श्री महेश्वर हजारी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में प्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में सरकार द्वारा इसका क्या मूल्यांकन किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना और मेगा समूह योजना सहित विभिन्न योजनाएं शुरू की है।

विवरण

टीयूएफएस के तहत स्वीकृत राज्य-वार परियोजना लागत

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (28.06.10 तक) (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	768	4055	981	0
2.	चंडीगढ़ (सं.शा.क्षे.)	0	522	26	0
3.	दादरा और नगर हवेली (सं.शा.क्षे.)	0	12	15	0
4.	दमन और दीव (सं.शा.क्षे.)	4	0	0	0
5.	दिल्ली (सं.शा.क्षे.)	193	1292	268	30
6.	गुजरात	960	4402	2028	0
7.	हरियाणा	427	549	205	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	143	11	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	110	71	0
10.	कर्नाटक	91	1169	1774	0
11.	केरल	34	345	148	13
12.	मध्य प्रदेश	118	654	801	0
13.	महाराष्ट्र	3590	15102	9250	95
14.	उड़ीसा	0	4	0	0
15.	पुदुचेरी (सं.शा.क्षे.)	16	0	0	6
16.	पंजाब	2902	9854	2909	0
17.	राजस्थान	4964	7644	4233	0
18.	तमिलनाडु	5834	8308	2738	165
19.	उत्तर प्रदेश	0	991	1240	38
20.	उत्तराखंड	9	70	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	6	481	912	50
	कुल	19917	55707	27611	397

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा भूमि का अर्जन

***437. डॉ. चरण दास महन्त :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में भूमि का अर्जन एवं नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के संबंध में पेश आ रही समस्याओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रमुख इस्पात कंपनियों को पेश आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत बड़ी एकीकृत इस्पात परियोजनाओं में अधिक संसाधनों की खपत होती है जिसमें भूमि अधिग्रहण समेत कई पहलू निहित होते हैं। इन मामलों का निपटान संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा संबंधित अधिनियमों, नियमों और नीतियों के अनुसार किया जाता हैं देश में इस्पात क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है। तथापि, इस्पात मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) गठित है जिसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ प्रमुख इस्पात निवेशों से संबंधित मामलों को सतत् आधार पर मानीटर एवं समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों, सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संबंध में भूमि अधिग्रहण का कोई मामला लम्बित नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

***438. श्री जयराम पांगी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक रुग्णता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम गत तीन वर्षों से घाटे में चलने के बावजूद रुग्ण घोषित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख (क) और (ख) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के अनुसार किसी केंद्रीय सरकारी उद्यम को तभी रुग्ण समझा जाता है जब उसने किसी वित्तीय वर्ष में उसी वित्तीय वर्ष से पिछले 4 वर्षों में अपनी औसतन निवल परिसंपत्ति से 5% या इससे अधिक का घाटा उठाया हो और/या कोई उद्यम एसआईसीए की परिभाषा के अनुसार रुग्ण हो। लोक उद्यम सर्वेक्षण (2008-09) और इस परिभाषा के अनुसार 2006-07 में 83 रुग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यम, 2007-08 में 78 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम और 2008-09 में 73 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे। इस प्रकार केंद्रीय सरकारी उद्यमों में औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि की तुलना में ह्रास हुआ है।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान निरंतर घाटा उठाने वाले 38 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में से 4 केंद्रीय सरकारी उद्यमों नामत: भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लि., फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजिज लि., हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हेंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को रुग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया गया क्योंकि उनका संचित घाटा किसी वित्तीय वर्ष में वित्त वर्ष 2008-09 से तुरन्त पिछले 4 वर्षों के दौरान उनकी औसतन निवल परिसंपत्ति से कम है।

(ङ) इन घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों को लाभार्जनकारी उद्यम में परिवर्तित करने के लिए किए गए उपाय निम्नवत् हैं:-

(i) वित्तीय पुनर्गठन, जैसे-ऋण का इक्विटी में परिवर्तन, ऋण व ब्याज में छूट, ऋण प्राप्त करने के लिए सरकारी गारंटी, ब्याज/ऋण की वापसी का स्थगन।

(ii) व्यापारिक पुनर्गठन, जैसे नए संयुक्त उद्यमों का गठन, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ विलयन, आधुनिकीकरण एवं विपणन की बेहतर रणनीतियां।

(iii) श्रमशक्ति आदि को तर्कसंगत बनाना।

(iv) केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार तथा पुनर्गठन के बारे में परामर्श देने के लिए सरकार ने दिसंबर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की थी। बीआरपीएसई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने अब तक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 40 उद्यमों के पुनरुद्धार का अनुमोदन

कर दिया है, जिसमें 23,591 करोड़ रुपये की कुल सहायता (कोष प्रवाह के रूप में 3,276 करोड़ रुपये की नकद सहायता तथा ऋण आदि में छूट/बट्टे खाते डालने आदि के माध्यम से 20,315 करोड़ रुपये की गैर-नकद सहायता) अन्तर्विष्ट है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा डीलर नेटवर्क का विस्तार

***439. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार कर रहा है ताकि अत्यधिक खपत वाली वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकें;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) देश में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा नियुक्त डीलरों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार करके कार्य निष्पादन में सुधार हेतु कितना उपयोगी रहेगा?

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) अपने इस्पात उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से अपने डीलर नेटवर्क का व्यापक रूप में विस्तार कर रहा है। 01 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार सेल के डीलरशिप नेटवर्क के अंतर्गत 2582 डीलर शामिल हैं जो 630 जिलों में फैले हुए हैं। सेल की डीलरशिप पॉलिसी के अनुसार डीलरों को आम व्यक्ति की आवश्यकता वाले थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बार्स, गेलवनाईज्ड प्लेन/गेलवनाईज्ड कारूगेटेड (जीपी/जीसी) शीटों और अन्य मदों का भंडार करना अपेक्षित होता है और सेल द्वारा निर्धारित कीमतों पर ग्राहकों को बेचना होता है। विभिन्न जिलों/ब्लॉकों में डीलरों की नियुक्ति का उद्देश्य अत्यधिक खपत वाली इस्पात मदों को दूरदराज क्षेत्रों में खपत वाले स्थानों के समीप प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर उपलब्ध कराना है।

(ख) और (ग) सेल की डीलरशिप सकीम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। 1.12.2010 की स्थिति के अनुसार सेल द्वारा स्कीम के तहत नियुक्त किए गए डीलरों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) घरेलू इस्पात बाजार में अधिकाधिक पैंठ बनाने, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने, सेल के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और सेल की ब्रांड इमेज में सुधार करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह डीलरशिप स्कीम सेल की विपणन रणनीति का मुख्य साधन है।

विवरण-I

सेल की डीलरशिप स्कीम की मुख्य विशेषताएं

1. **शामिल उत्पाद:** थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी), गेलवनाईज्ड प्लेन/गेलवनाईज्ड कारूगेटेड (जीपी/जीसी) और लाइट स्ट्रक्चुरल्स

2. **परिकल्पित मात्रा:** सभी उत्पादों के लिए प्रति माह 400 एमटी तक संचयी

3. **कीमत:** सेल हर माह में प्रत्येक राज्य और उत्पाद के लिए अधिकतम अनुशंसित खुदरा कीमत (एमआरआरपी) निर्धारित करता है।

4. **नियुक्ति:** स्कीम के अंतर्गत डीलरों की नियुक्ति ओपन पेपर/ सेल की वेबसाइट में विज्ञापन के जरिए की जाती है। एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। डीलरों द्वारा 500 रुपए/एमटी और 1 लाख रुपए तक की सुरक्षा जमा प्रदान किया जाता है। तथापि, एससी/एमटी और ओबीसी श्रेणी के डीलरों से कोई जमा रशि नहीं ली जाती है।

5. **लाभ:**

   (i) सेल द्वारा सामग्रियों की सुपुर्दगी डीलर के परिसर में नि:शुल्क की जाती है।

   (ii) टीएमटी और लाईट स्ट्रक्चुरल्स के लिए 1000/- रुपए पीएमटी तथा जीपी/जीसी के लिए 1500/- रुपए का डीलरशिप मार्जिन प्रदान किया जाता है। डीलर द्वारा ग्राहक के परिसरां में सामग्रियों की सुपुदर्गी हेतु 200/- रुपए एमटी अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं।

   (iii) अपने कार्यानिष्पादन पैरामीटरों को पूरा करने के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र से शीर्ष 15 डीलरों का चयन वार्षिक पुरस्कार के लिए किया जाता है।

6. कार्यकाल:

कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि का होता है। तथापि, कार्यनिष्पादन की समीक्षा दो वर्षों बाद और उसके बाद वार्षिक आधार पर की जाएगी। कार्यनिष्पादन अच्छा न होने और शर्त एवं निबंधनों को पूरा न करने पर डीलरशिप निरस्त/समाप्त हो जाएगी।

7. डीलर के दायित्व:

(क) सौंपे गए कार्यक्षेत्र के भीतर उपभोक्ताओं की छोटी-छोटी मांगों को पूरा करना

(ख) सेल के उत्पादों का स्टॉक बनाए रखना ताकि वे ''आफ-दि-शेल्फ'' उपलब्ध हो सके

(ग) सेल की सलाह के अनुसार सेल के उत्पादों का सेल प्रोमोशन (होर्डिंग, वाल पेंटिंग, विज्ञापन इत्यादि के जरिए) करना

(घ) अपने परिसरों में सेल का लोगों, बेक-लिट-बोर्ड, प्रोमोशन वो मदों का प्रदर्शित करना

(ङ) कार्य निष्पादन पर मासिक रिपोर्ट भेजना

(च) अपने परिसरों पर एमआरआरपी बोर्ड प्रमुख रूप से लगाना

(छ) अपने ग्राहकों से एमआरआरपी के अंतर्गत कीमतें वसूलना और

(ज) स्कीम की सभी शर्त एवं निबंधनों का अनुपालन करना।

विवरण-II

1.12.2010 की स्थिति के अनुसार स्कीम के तहत सेल द्वारा नियुक्त डीलरों की राज्य-वार सूची

क्षेत्र	राज्य	डीलरों की संख्या
1	2	3
पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	36
	असम	64
	बिहार	141
	झारखंड	64
	मणिपुर	14
	मेघालय	17
	मिजोरम	11
	नागालैंड	17
	उड़ीसा	111
	सिक्किम	5
	त्रिपुरा	12
	पश्चिम बंगाल	130
उत्तरी क्षेत्र	चंडीगढ़	19
	दिल्ली	46
	हरियाणा	164
	हिमाचल प्रदेश	88
	जम्मू और कश्मीर	32
	पंजाब	89
	उत्तर प्रदेश	336
	उत्तराखंड	38
पश्चिमी क्षेत्र	चंडीगढ़	69
	दादरा और नगर हवेली	2
	दमन और दीव	4
	गोवा	9
	गुजरात	94
	मध्य प्रदेश	111

1	2	3
	महाराष्ट्र	262
	राजस्थान	128
दक्षिण क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
	आंध्र प्रदेश	145
	कर्नाटक	71
	केरल	60
	लक्षद्वीप	1
	पुदुचेरी	10
	तमिलनाडु	180
	डीलरों की कुल संख्या	2582

तेल विपणन कंपनियों द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

***440. श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड देश में सौर ऊर्जा संयंत्रो की स्थापना करने संबंधी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ इन कंपनियों द्वारा राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) उन सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के नाम क्या है जो देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पहले ही कर चुकी है;

(घ) इन संयंत्रों द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है; और

(ङ) सरकार ने देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिये सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसी) देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की छानबीन कर रही हैं। आईओसी ने एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनवीवीएन) द्वारा आमंत्रित बोली के प्रत्युत्तर में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। एचपीसी ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के चरण-1 के तहत कोटा, राजस्थान में 5 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की थी, किन्तु कार्पोरेशन का चयन नहीं किया गया है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसी) ने अपने एलपीजी भरण संयंत्र, लालडू, गांव आलमगीर, डाकघर तिवाना, जिला-मोहाली, पंजाब में फोटोवोल्टइक सेलों पर 1 मेगावाट सौर फार्म आधारित संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया हैं तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अभी तक सौर विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं। ओएमसीज अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर सौर विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने पर निर्णय लेती हैं।

बोइंग विमान के परिदान में विलंब

4831. श्री एल. राजगोपाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोइंग विमान के परिदान में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या एयर इंडिया ने प्रतिदाय के रूप में 240 मिलियन अमरीकी डॉलर मांगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) बोइंग द्वारा अनुसूची के अनुसार 20 बी777 विमानों की डिलीवरी की जा चुकी है तथापि, बी787 विमान की सुपुर्दगी में देरी के लिए बोइंग द्वारा दिए गए कारण हैं– (i) पहले विमान को तैयार करने में आने वाली चुनौतियां; (ii) पहले बनाई गई योजना के प्रतिकूल धीमी उत्पाद दर; (iii) मैकेनिक हड़ताल तथा तीव्र संस्थापन कार्य; (iv) विमान के आकार खंड की ओर वाले क्षेत्र में रीइंफोर्सिंग की आवश्यकता के कारण, जिसे जून, 2009 में खोज लिया गया था तथा कुछ अन्य मुद्दे जिनका पता उड़ान परीक्षण कार्यक्रम के दौरान चला था।

(ख) और (ग) क्षतिपूर्ति के मुद्दे के संबंध में एयर इंडिया बोइंग से विचार-विमर्श कर रही है।

[हिन्दी]

रेलवे में ठेका प्रणाली

4832. श्री राकेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में यात्री सुविधाओं तथा परिचालन से संबंधित पदों को समाप्त करके इनके स्थान पर ठेका श्रम प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्री सुविधाओं और ठेका आधार पर परिचालन संबंधी आवश्यक कार्यों को देने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरनौत रेल कोच फैक्ट्री में नौकरियां

4833. श्री रामकिशुन :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **रेल मंत्री** 4 मार्च, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संबंधित सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है। सूचना शीघ्रता से प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सऊदी अरब के साथ करार

4834. श्री एस. सेम्मलई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सऊदी अरब के साथ इस मरुस्थली राज्य में प्रमुख खनिज रेलवे लाइनों के परिचालन के लिए कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने स्वामित्व वालों राइट्स कंपनी द्वारा विभिन्न देशों में निर्माण की जा रही रेल लाइनों से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की लागत कितनी है एवं कितनी लम्बी रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स राइटस लिमिटेड और सऊदी रेलवे कंपनी (एसएआर) ने किंगडम आफ सऊदी अरब के उत्तरी-दक्षिणी रेल नेटवर्क की खनिज लाइनों के परिचालन और अनुरक्षण, संग्रहण संबंधी सेवाओं के संबंध में परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधी संविदा की है।

(ग) जी, नहीं। राइटस लि. फिलहाल अन्य देशों में रेल लाइनों का निर्माण नहीं कर रही है।

मीटर गेज पर लग्जरी ट्रेन

4835. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज पर लग्जरी ट्रेन चलाने की अवधारणा सही नहीं थी और ये वित्तीय घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन ट्रेनों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क)

जी, नहीं। वर्तमान में, भारतीय रेल पर कोई मीटर आमान की लक्ज़री पर्यटन गाड़ी नहीं चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दवाइयों का पेटेंट

4836. श्री महेन्द्र कुमार राय : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दवाइयों पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए पेटेंट की अवधि समाप्त हो चुकी दवाइयों में थोड़ा परिवर्तन करके उन्हीं दवाइयों का पेटेंट करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) समय-समय पर यथासंशाधित भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार पेटेंट मंजूर किए जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 3(घ) के अनुसार निम्नलिखित अविष्कार नहीं है:—

''ज्ञात पदार्थ के केवल नए रूप की खोज जिसके परिणामत: उस पदार्थ की ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि नहीं होती हो अथवा ज्ञात पदार्थ की केवल नयी विशेषता अथवा उसके नए उपयोग की खोज अथवा किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन अथवा उपस्कर के नए उपयोग की खोज जबतक ऐसी प्रक्रिया के परिणामत: किसी नए उत्पाद की उत्पति नहीं होती हो अथवा उससे कम-से-कम एक नया अभिकारक नियोजित नहीं होता है।

स्पष्टीकरण: — इस खंड के प्रयोजनार्थ ज्ञात पदार्थ के साल्ट, इस्टर, इथर, पोलीमॉर्क, मेटाबेलाइट, शुद्ध रूप, पार्टिकल साइज, आइसोमर के संमिश्रण, संश्लेषण, संयोजन तथा अन्य व्युत्पन्न तबतक वही पदार्थ समझे जाएंगे जबतक वे प्रभावकारिता के संदर्भ में विशेषताओं में पर्याप्त रूप से भिन्न न हों।''

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण उपकरण संस्थापित करना

4837. श्री ब्रदीराम जाखड़ : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड (सेल) के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण संस्थापित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी, नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विभिन्न संयंत्रों में अनेकों दुकानों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर प्रदान कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईको ट्रेन सफारी

4838. श्री पी. बलराम :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईको ट्रेन सफारी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषत: दक्षिण मध्य रेल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्द्धन परिषदें

4838. श्री रमेश बैस : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोजनार्थ कितने प्रकार के जनसूचना प्राधिकारी आते हैं;

(ख) मंत्रालय के अंतर्गत कितनी निर्यात संवर्द्धन परिषदें काम कर रही हैं;

(ग) क्या ये निर्यात संवर्द्धन परिषदें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना का अधिकार संबंधी मानदंडों का पालन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक निर्यात संवर्द्धन परिषद के जनसूचना अधिकारियों (पीआईओ) तथा अपील प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय में कार्यरत सभी निदेशक/उप सचिव उन्हें आबंटित कार्य के लिए सीपीआईओ के रूप में पदनामित है। इसी प्रकार, संयुक्त सचिव उन्हें आबंटित कार्यों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित हैं।

(ख) वस्त्र क्षेत्र में दस (10) निर्यात संवर्द्धन परिषद नामत: अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद, सिंथेटिक एवं रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद, हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद, ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, ऊन उद्योग निर्यात संवर्द्धन संगठन, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्द्धन परिषद तथा कालीन निर्यात संवर्द्धन परिषद हैं।

(ग) से (ङ) निर्यात संवर्द्धन परिषदें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों के संबंध में सूचना प्रदान कर रही हैं। तथापि, एक वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद ने सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और मामला न्यायाधीन है।

संपत्ति में समान अधिकार

4840. श्रीमती जे. शान्ता : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में पत्नियों को उनके पतियों की चल और अचल संपत्तियों में समान विधिक अधिकार प्राप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में ईसाई

4841. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या **अल्पसंख्यक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है;

(ख) राज्य के ईसाई समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम तथा केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत दिए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य के कितने अल्पसंख्यकों को केन्द्र सरकार के विभागों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी दी गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार दिनांक 23.10.1993 की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पांच समुदायों यथा – मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा इसके गठन से लेकर 30 अक्तूबर, 2010 तक अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी – उड़ीसा राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 424 ईसाई लाभार्थियों को 77 लाख रु. का ऋण और लघु ऋण संवितरित किया गया। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में ईसाई समुदाय के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या इस प्रकार है:–

योजना/वर्ष	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति
1	2	3	4
2007-08	योजना वर्ष 2008-09 से शुरू हुई	13	9

1	2	3	4
2008-09	1900	13	36
2009-10	5448	120	52
2010-11 (30.11.2010 तक)	0*	0*	48

*प्रस्ताव प्राप्त नहीं।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत ईसाई समुदाय के लिए तीन अध्येतावृत्तियां निर्धारित हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान उड़ीसा में ईसाई समुदाय द्वारा काई भी अध्येतावृत्ति नहीं प्राप्त की गई।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 से भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों की समुदाय-वार और राज्य-वार संख्या का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, अल्पसंख्यक समुदाय की भर्ती से संबंधित कुल संख्या नीचे की सारणी में दर्शायी गई है:–

संगठन का नाम	2006-07 (70 मंत्रालयों/विभागों + 138 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)	2007-08 (61 मंत्रालयों/विभागों + 126 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)	2008-09 (71 मंत्रालयों/विभागों + 161 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)	2009-10 (62 मंत्रालयों/विभागों + 159 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)
	भर्ती अल्पसंख्यक (भर्ती अल्पसंख्यकों का %)	भर्ती अल्पसंख्यक (भर्ती अल्पसंख्यकों का %)	भर्ती अल्पसंख्यक (भर्ती अल्पसंख्यकों का %)	भर्ती अल्पसंख्यक (भर्ती अल्पसंख्यकों का %)
अन्य मंत्रालय/विभाग तथा अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय	5485 (8.37%)	1620 (8.71%)	2593 (12.75%)	3947 (8.2%)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान	702 (6.93%)	1615 (10.20%)	4263 (8.87%)	2930 (7.18%)
अर्धसैनिक बल	2700 (9.49%)	4914 (9.90%)	3068 (10.2%)	उपलब्ध नहीं कराया गया
डाक	386 (7.60%)	517 (9.65%)	176 (6.36%)	617 (8.06%)
रेलवे	1456 (2.67%)	2295 (6.31%)	2739 (8.32%)	1705 (68.56%)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1453 (11.88%) (सार्वजनिक क्षेत्र के 138 उपक्रमों के लिए)	1234 (5.52%) (सार्वजनिक क्षेत्र के 126 उपक्रमों के लिए)	2107 (7.8%) (सार्वजनिक क्षेत्र के 161 उपक्रमों के लिए)	1298 (5.9%) (सार्वजनिक क्षेत्र के 159 उपक्रमों के लिए)
योग	12182 (6.93%)	12195 (8.23%)	14946 (9.09%)	10497 (8.6%)

कोंकण रेलवे के लिए भर्ती बोर्ड

4842. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कोंकण रेलवे के लिए पृथक रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोंकण रेलवे में कोंकण क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगार युवाओं की भर्ती के बारे में कोई सूचना नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के पास भर्ती की अपनी प्रणाली है। नीति के तौर पर कोंकण रेलवे भूमि खोने वालों और उनके आश्रितों जिनकी भूमि कोंकण रेल परियोजना के निर्माण के लिए अधिगृहित की गई हैं, को वरीयता देती है। अभी तक भूमि खोने वाले 1917 उम्मीदवारों को कोंकण रेल निगम लिमिटेड में रोजगार दिया गया है।

[हिन्दी]

रेल कर्मचारियों की शिकायतें

4843. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत संयुक्त मोर्चा, डब्ल्यूसीआरएमएस और डब्ल्यूसीआरईयू सहित रेलवे के विभिन्न श्रम संगठनों से प्राप्त और अब तक लम्बित शिकायतों/मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लम्बित शिकायतों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[अनुवाद]

एनएमडीसी की उत्पादन क्षमता

4844. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) जी, हां। एनएमडीसी लिमिटेड ने वर्ष 2014-15 के अंत तक अपनी लौह अयस्क की लाइसेंसयुक्त उत्पादन क्षमता को 34 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वर्तमान क्षमता से 50 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की योजना बनाई है।

(ग) इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार जब भी आवश्यकता होती है तब संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने में एनएमडीसी को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

सिंथेटिक बैगों का उपयोग

4845. श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हे कि चीनी कारखानों द्वारा जूट पैकेजिंग मेटीरियल एक्ट के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए पैकेजिंग के लिए सिंथेटिक बैगों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप जूट की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी उद्योग के जेपीएम एक्ट

के अंतर्गत सिंथेटिक बैगों के स्थान पर जूट के बैगों का उपयोग करने का अनुरोध करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में जूट की खेती में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय पटसन मिल संघ ने सूचित किया है कि चीनी कारखाने चीनी पैकिंग के लिए सिंथेटिक बैगों का प्रयोग कर रहे हैं जो मौजूदा आदेश का उल्लंघन है। पटसन सलाहकार बोर्ड के अनुमानों के अनुसार 2010-11 में कच्ची पटसन का उत्पादन 2009-10 मौसम के लिए अनुमानित 90 लाख गांठों से बढ़कर 107.0 लाख गांठ होने की आशा है।

(ख) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत एस.ओ. सं. 204(ई), दिनांक 27.8.2010 आदेश जारी किया है जिसमें 2010-11 (जुलाई-जून) के दौरान, खाद्यान्न और चीनी की शत-प्रतिशत पैकिंग पटसन बैगों में करने की शर्त लगाई गयी है। चीनी क्षेत्र में इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत जारी दिनांक 27.8.2010 के आदेश के प्रति संलग्न करते हुए सभी चीनी मिलों को दिनांक 18.10.2010 को एक पत्र जारी किया है जिसमें उपयुक्त आदेश में निहित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं।

(ग) देश में पटसन खेती में सुधार करने के लिए कार्यवाही योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) 11वीं योजना अवधि के दौरान 355 करोड़ रु. के परिव्यय से पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) कार्यान्वित किया जा रहा है। जेटीएम के अधीन लघु मिशन-I, II और III के तहत अनेक योजनाएं प्रचालन में है जो पटसन उत्पादकों के लिए लाभकारी हैं और उन्हें पटसन का उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती हैं। लघु मिशन-II का उद्देश्य पटसन क्षेत्र में उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कृषि अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करना है। लघु मिशन-II का उद्देश्य उत्पादन एवं पश्च कटाई चरण में संशोधित उन्नत प्रौद्योगिकी और एग्रोनोमिक कार्यों का हस्तांतरण करना है। लघु मिशन-III के तहत सभी पटसन उत्पाद राज्यों में कच्ची-पटसन के लिए बाजार संपर्क उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) किसानों को पटसन का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते प्रति वर्ष कच्ची पटसन और मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(iii) उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को भारतीय पटसन निगम द्वारा प्रमाणित बाजों का वितरण किया जा रहा है जिसके लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

(iv) पटसन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पटसन में खाद्यान्न और चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग के लिए नीति को जारी रखा है।

नवरत्न कंपनियों को प्रचालनात्मक स्वायत्तता देना

4846. श्री यशवंत लागुरी :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम जिसे नवरत्न कंपनी के रूप में प्रचालनात्मक स्वायत्तता प्राप्त है, वह अपने कारपोरेट कार्यालय और अपने क्षेत्राधिकार कार्यालयों में किसी भी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी की सीधी भर्ती कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपबंध निर्धारित किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को ई-6 स्तर तक के पदों के सृजन और निदेशक मंडल के नीचे के स्तर के पदों को समाप्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं सभी नियुक्तियां भी निदेशक मंडलों की शक्तियों के अंतर्गत होगी और इसमें, इसके साथ-साथ, आंतरिक स्थानांतरण और पदों के पुनः पदनाम की शक्तियां भी शामिल होंगी।

रेलवे स्टेशनों पर बूथ

4847. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल :
श्रीमती प्रिया दत्त :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर नए पीसीओ बूथों का आवंटन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या संपूर्ण देश के रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर पीसीओ बूथों की संख्या बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा और अधिक बूथ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या रेलवे राजधानी ट्रेनों की तर्ज पर अन्य ट्रेनों में पीसीओ बूथों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(च) क्या राजधानी एक्सप्रेस के पीसीओ बूथ से की जानी वाली कॉल की लागत बहुत अधिक है; और

(छ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। किसी भी राजधानी एक्सप्रेस में कोई पीसीओ बूथ नहीं लगा हुआ है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एलपीजी एजेंसी खोलना

4848. श्री दिलीप सिंह जुदेव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ के जासपुर नगर क्षेत्र में गैस एजेंसी आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में एलपीजी एजेंसी की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने रिपोर्ट दी है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किया जा चुका है।

जनवरी, 2011 तक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

शेट्टी आयोग की रिपोर्ट

4849. श्री नारनभाई कछड़िया : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों, राज्य उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के लिए नए वेतन तथा वेतन ढांचे संबंधी शेट्टी आयोग रिपोर्ट को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात जिला न्यायालयों को अब तक नए वेतन तथा वेतन ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन लाभों के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हेलीकाप्टर सेवा

4850. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप के बीच हेलीकॉप्टर सेवा प्रभार अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्षद्वीप में उच्च प्रभारों के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड (पीएचएचएल) द्वारा लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार प्रशासन को पट्टे पर हेलीकॉप्टर दिए गए हैं, जिनके द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन और टिकटों की बुकिंग तथा यात्रियों की हैंडलिंग आदि की जा रही है। लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा अंडमान द्वीपसमूह दोनों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रभार का निर्धारण संबंधित प्रशासन द्वारा किया जाता है। जिसका नियंत्रण नागर विमानन मंत्रालय/पीएचएचएल द्वारा नहीं किया जाता है।

बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा

64. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष हथकरघा उद्योग के बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवर्ष प्रति परिवार 15000 रुपये की राशि बहुत कम है तथा इस धनराशि का दावा करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और कई बार यह बहुत ही अपमानजनक हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बीमा कवर में और वृद्धि करके इसे और अधिक बुनकर हितैषी बनाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) भारत सरकार बुनकरों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 2007-08 से लेकर 11वीं योजना के अंत तक एक स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया करा रही है।

(ख) वार्षिक कवर प्रति परिवार 15,000/- रुपये है जिसमें से 7,500/- रुपये का बड़ा प्रावधान बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए रखा गया है। दावों को दाखिल करने की प्रक्रिया साधारण है। बीमा कम्पनी के क्लस्टर समन्वयक अथवा बीमा कम्पनी कार्यालय के प्रतिनिधि अथवा टीपीए के पास दावे दाखिल किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) प्रति परिवार 15,000/- रुपये के वार्षिक कवर में से 75000/- रुपये का बड़ा प्रावधान ओपीडी के लिए रखा गया है, जिसे समूची 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन 12वीं योजना से पूर्व व्यवहार्य नहीं होगा।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की चोरी

4852. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई हाई-पानीपत रिफायनरी पाइपलाइन से कितने रुपए मूल्य के कच्चे तेल की चोरी की गई;

(ख) क्या उक्त चोरी में किसी भी रूप में कोई सरकारी कर्मचारी/कंपनी का कोई अधिकारी संलिप्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त घटनाओं को रोकने के लिए निर्धारित मानदंडों का सख्ती से अनुपालन किए जाने में किसी लापरवाही की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन घटनाओं में कुल कितने रुपए मूल्य के कच्चे तेल की चोरी की गई; और

(च) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) आईओसीएल की मुंबई हाई से पानीपत रिफाइनरी तक कच्चे तेल की कोई पाइपलाइन नहीं है। पानीपत रिफाइनरी को मुख्यत: दो पाइपलाइनों मुन्द्रा-पानीपत पाइपलाइन और सलाया मथुरा पाइपलाइन के चाक्सू-पानीपत खंड के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। पिछले 3 वर्षों में इन पाइपलाइनों से चुराए गए कच्चे तेल की कुल लागत 1.55 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं में कुल 1.55 करोड़ रुपए के कच्चे तेल की चोरी हुई।

(च) चोरी के सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। स्थानीय पुलिस जांच करती रही है और पश्चिमी क्षेत्र में जब तक 33 व्यक्ति एवं 3 टैंकर उत्तरी क्षेत्र में 97 व्यक्ति एवं 2 टैंकर पकड़े गए हैं। सभी मामलों पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

हाल ही में दिनांक 19.11.2010 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। एक टैंकर लॉरी भी पुलिस द्वारा जब्त की गई है। दोषी व्यक्तियों को मामले में आगे अन्वेषण के लिए हरियाणा पुलिस को सौंपा गया। अब तक कोई दोष सिद्ध होने की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

नया अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र

4853. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न देशों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए स्थल की पहचान करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे देश से विमान कंपनियों द्वारा अपेक्षित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एअर इंडिया द्वारा 31 अक्तूबर, 2010 तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए यूरोपियन हब के रूप में फ्रैंकफर्ट का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली में एक एकीकृत टर्मिनल की स्थापना तथा दिल्ली से एक हब एण्ड स्पोक व्यवस्था की योजना और नवम्बर, 2010 में अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए दिल्ली से सीधी उड़ानों के प्रचालन के साथ फ्रैंकफर्ट हब के साथ प्रचालन जारी रखना अपेक्षित नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों को कम्प्यूटर शिक्षा

4854. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **अल्पसंख्यक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बेहतर रोजगार खोजने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के लिए नियत ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की सूची क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा उपलब्ध कराए जाने संबंधी योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं शुरू की गई है। तथापि, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी कोचिंग/प्रशिक्षण देने के लिए संस्थानों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत चयनित कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त छात्रों को वृत्तिका भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना का विवरण मंत्रालय की वेबसाईट *www.minorityaffairs.gov.in* पर भी उपलब्ध है।

(ग) संस्थानों को धनराशि सीधे जारी की जाती है, न कि राज्यों के माध्यम से। कोई एक संस्थान एक से अधिक राज्यों के अभ्यर्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटर

और सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा के लिए संस्थान की स्थान-स्थिति के आधार पर जारी राज्य-वार धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) योजना के तहत शैक्षिक संस्थानों के निर्धारण की कोई प्रणाली नहीं है। दिशा-निर्देशों मे किए गए प्रावधानों के अनुसार पात्र संस्थानों का चयन किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	कोचिंग संस्थानों के नाम और पते	कोचिंग के लिए स्वीकृत छात्रों की संख्या	कोचिंग के प्रकार	जारी धनराशि	जारी करने का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली	इंटेलिजेंट कम्युनीकेशन सिस्टम इंडिया लि. डीएसआईडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रथम तल ''सी'' ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र	75	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एडवांस्ड डिप्लोमा	997500	2007-08
2.	उड़ीसा	अभिनव उड़ीसा, एफ-573, सेक्टर-6, सीडीए, कटक-14 (उड़ीसा)	100	ओ एंड ए लेवल परीक्षा और बीपीओ के लिए कोचिंग	1841000	2007-08
3.	मिजोरम	डोएक सोसाएटी, ऐजवाल सेंटर, इंडस्ट्रीयल स्टेट, जुआंगटूई, आइजोल	200	ओ एंड ए लेवल परीक्षा, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग	4674250	2007-08
4.	उत्तर प्रदेश	आंचल वूमेन, वेल्फेयर सोसायटी, न्यू हॉरीजेन केरियर, एकेडमी, 2/262, ब्लॉक-2, विवेक खंड, गोमती नगर लखनऊ	50	ओ एंड ए लेवल एंड केट/ यूपीटीयू परीक्षा	836500	2007-08
5.	उत्तर प्रदेश	चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी, पीरनगर, गाजीपुर	15	मेडिकल/इंजीनियरिंग/एमसीए की प्रवेश परीक्षा	188125	2007-08
6.	आंध्र प्रदेश	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, दाचीबोली, हैदराबाद	500	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग	2426250	2008-09
7.	उत्तर प्रदेश (फैजाबाद)	नेचुरल रिसोर्स केयर सोसायटी, गांव उनीयार, पोस्ट लालपुर, जिला फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश	40	मेडिकल/इंजीनियरिंग/एमसीए की प्रवेश परीक्षा	512500	2008-09

1	2	3	4	5	6	7
8.	केरल	डोएक केन्द्र, पोस्ट एनआईटी कैम्पस, कालीकट	100	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग	834550	2008-09
9.	चंडीगढ़	डोएक सोसायटी चंडीगढ़ केन्द्र, एससीओ 114-116 सेक्टर-17बी, चंडीगढ़	50	हार्डवेयर और नेटवर्किंग, सीसीएनए, वेब एप्लीकेशन, जावा टेक्नोलॉजी, लैम्प के लिए कोचिंग	680000	2008-09
10.	मिजोरम	डोएक सोसायटी, ऐजवाल सेंटर, इंडस्ट्रीयल स्टेट, जुआंगटूई, आइजोल	180	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग	2947500	2008-09
11.	छत्तीसगढ़	अर्सील शिक्षण प्रशिक्षण एवं कल्याण सोसायटी, नूरानी चौक, राजा तलब, जिला रायपुर	50	विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण	402750	2009-10
12.	दिल्ली	इंटेलिजेंट कम्युनीकेशन सिस्टम इंडिया लि. डीएसआईडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रथम तल ''सी'' ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र	400	एडीसीए/इंजीनियरिंग/ऑफिस ऑटोमेशन	3287643	2009-10
13.	कर्नाटक	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., 20/1, लिमेंस काम्प्लेक्स लि., 2 तल, कर्लीगम रोड, बैंगलूरू, 560052	500	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी (एडीएसटी) और पीसी हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग (डीपीसीएचएन)	7848500	2009-10
14.	मणिपुर	नूपी खूनैइ, ओइनाम बाजार, पोस्ट नामबोल-795134	60	आईटी, आईटीई, बीपीओ में निजी क्षेत्र में रोजगार	450000	2009-10
15.	उड़ीसा	अभिनव उड़ीसा, कनिका चौक, कटक	100	जो लेवल 'ए' लेवल और बीपीओ	1315000	2009-10
16.	पश्चिम बंगाल	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., जी-15, दक्षिणापन शॉपिंग काम्प्लेक्स लि., ठकूरिया, कोलकाता - 700068	2000	सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग में एडवास डिप्लोमा	36434000	2009-10

1	2	3	4	5	6	7
17.	असम	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि., जी-15, दक्षिणापन शॉपिंग, काम्प्लेक्स, ढकूरिया, कोलकता-700068 (असम के लिए)	500	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी (एडीएसटी) और पीसी हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग (डीपीसीएचएन) में एडवांस डिप्लोमा	9374000	2010-11
18.	बिहार	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि., जी-15, दक्षिणापन शॉपिंग, काम्प्लेक्स, ढकूरिया, कोलकता-700068 (बिहार के लिए)	500	एडीएसटी एंड डीपीसीएचएन	8469500	2010-11
19.	हरियाणा	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीइटी) जी.टी. रोड, सीवाह, पानीपत	100	एमएस ऑफिस एंड टैली, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर, इन्जेक्शन मोल्डिग मशीन ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर, मशीन कोर्स, ऑटोकार्ड के इस्तेमाल से सीएडी, प्रो-ई/सीएटीआईए	1159000	2010-11
20.	झारखंड	इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., जी-15, दक्षिणापन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ढकूरिया, कोलकता-700068 (झारखंड के लिए)	200	एडीएसटी एंड डीपीसीएचएन	3350000	2010-11
21.	केरल	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी, चीतरंजली हिल्स, तिरूवलम पोस्ट, तिरूवनन्तपुरम	500	डीआईएम, डीडब्ल्यूटी और सीडब्ल्यूटी	2944250	2010-11
22.	महाराष्ट्र	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग एनएसजी आईटी पार्क, शॉप नं. 127/2बी/2ए, सार्जा हॉटल लेन ओंध, पूना	2200 शामिल राज्य-14 1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. बिहार 4. गोवा 5. गुजरात	डीपीएम, डीबीसी, डीईपी, डीजेपी, डीएमएस:एनईटी एंड डीएसक्यूए	29099750	2010-11

1	2	3	4	5	6	7
			6. जम्मू और कश्मीर 7. कर्नाटक 8. केरल 9. मध्य प्रदेश 10. महाराष्ट्र 11. नई दिल्ली 12. तमिलनाडु 13. उत्तर प्रदेश 14. पश्चिम बंगाल			
23.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली रिजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेनर्स पार्क-नं. 6, वेस्ट गोविंदन रोड, पश्चिम मामबलाम, चेन्नई-600033	100	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड सटीफिकेट कोर्स इन मॉर्डन फ्रंट	432750	2010-11
24.	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार) (सीआईपीइटी) बी-27, अमौसी इंड्रस्ट्रीयल एरिया लखनऊ-226008	120	प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर, प्लास्टिक मोल्डिंग ऑपरेटर, इंडस्ट्रीयल सॉफ्टवेयर सहित सीएडी में एडवांस प्रशिक्षण, मोर्ड मेनूफेक्यरिंग के लिए सीएनसी मशीनिंग में ऑपरेशन और प्रोग्राम	1560000	2010-11
	कुल		6440		1220625318	

निजी पेट्रोल/डीजल रिटेलरों को लाभ

4855. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी पेट्रोल तथा डीजल रिटेलरों को विनियमन समाप्त किए जाने के बाद बिक्री पर मुनाफा होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) निजी तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों, बाजार परिस्थितियों और वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर अपने मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार उनके लाभ/हानि की निगरानी नहीं करती।

एनआईएफटी केंद्र

4856. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री रामकिशुन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न नगरों/शहरों में स्थान-वार कितने नए राष्ट्रीय

फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) केंद्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने 1986 से 2006 के बीच एनआईएफटी से डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए एक ब्रिज पाठ्यक्रम शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में एनआईएफटी के विभिन्न केन्द्रों में ओबीसी कोटा के अंतर्गत केंद्र-वार तथा पाठ्यक्रम-वार कितने छात्रों का नामांकन हुआ;

(च) क्या ओबीसी कोटा में कोई बैकलॉग है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्र-वार तथा पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) दो नए केन्द्र (1) बड़गाम (जम्मू और कश्मीर) में निफ्ट केन्द्र तथा (2) कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में निफ्ट विशेषता केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी, हां। निफ्ट के पूर्व छात्रों के लिए उनके डिप्लोमा को डिग्री तक बढ़ाने के लिए वर्ष 2009 से पूरक प्रोग्राम के रूप में एक ब्रिज प्रोगाम शुरू किया गया है। ब्रिज प्रोग्राम की अवधारा मुख्यतया पूर्व छात्रों द्वारा स्नात्कोत्तर प्रोग्राम यथा-जीएमटी/पीजी टैक/एएमएम/एएमएमएम/एलडी/टीडी/केडी/एफसी एवं स्नातक पूर्व प्रोग्राम एडी/एफडी इत्यादि करने के लिए की गई है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज प्रोग्राम की अवधि 6 माह है तथा स्नातक पूर्व डिप्लोमा धारकों के लिए यह 1 वर्ष है।

वर्ष 2009 में दो केन्द्रों यथा निफ्ट दिल्ली (एमएफटी एवं पीजी डिजायन) तथा गांधीनगर (एमएफटी) में ब्रिज प्रोगाम की शुरूआत की गई थी। इस प्रोग्राम के तहत वर्ष 2009 में कुल 56 छात्रों ने अपने डिप्लोमा को डिग्री तक बढ़ाया।

वर्ष 2010 में दिल्ली, बैंगलूरू, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुम्बई में ब्रिज प्रोग्राम कार्यान्वित किया गया एवं स्नात्कोत्तर डिप्लोमा प्रोग्राम के 100 से अधिक स्नातकों एवं स्नातक पूर्व कार्यक्रम के 70 छात्रों का वर्तमान में पंजीकरण हो चुका है एवं अपने-अपने केन्द्रों पर प्रोग्राम में अध्ययन कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निफ्ट के विभिन्न केंद्रों में पिछले तीन वर्षों में ओबीसी कोटा में तहत दाखिल छात्रों की केंद्रवार एवं पाठ्यक्रमवार संख्या इस प्रकार है:-

पाठ्यक्रम-वार

पाठ्यक्रम का नाम	2008	2009	2010	कुल
डिजाइन में स्नात	162	317	349	828
फैशन प्रौद्योगिकी में स्नातक	30	45	87	162
डिजाइन में स्नातकोत्तर	16	15	16	47
फैशन प्रबंधन में स्नातकोत्तर	24	27	87	138
फैशन प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर	6	13	25	44
कुल	238	417	564	1219

केन्द्र-वार

क्र. सं.	केन्द्र	2008	2009	2010	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	बैंगलौर	27	50	67	144
2.	भोपाल	12	18	16	46
3.	चेन्नई	24	37	49	110
4.	गांधीनगर	21	31	50	102
5.	हैदराबाद	19	44	58	121

1	2	3	4	5	6
6.	कन्नूर	10	13	18	41
7.	कोलकाता	23	37	48	108
8.	मुंबई	27	45	58	130
9.	नई दिल्ली	43	68	82	193
10.	पटना	9	10	16	35
11.	रायबरेली	10	15	16	41
12.	शिलांग	13	14	12	39
13.	कांगडा		35	39	74
14.	जोधपुर			18	18
15.	भुवनेश्वर			17	17
	कुल	238	417	564	1219

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान कंपनियों द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

4857. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में यह पता चला कि देश में कुछ विमान कंपनियां सरकार के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उन्होंने सरकार को उत्तर दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित एयरलाइनों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं:–

1. मै. पैरामाउंट एयरवेज ने अपने बेड़े में विमानों की न्यूनतम संख्या से संबधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया।
2. मै. स्पाइसजेट को विमान को ओवर लोडिंग के लिए।
3. मै. इंटरग्लोब एविएशन प्रा.लि. को मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए।

(ग) और (घ) जी, हां। उनके उत्तर डीजीसीए में प्राप्त हो चुके हैं। जहां मै. पैरामाउंट का मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लम्बित हैं, वहीं स्पाईसजेट और इंटरग्लोब के उत्तरों पर डीजीसीए द्वारा विचार किया गया है और विधि अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

4858. श्री शेर सिंह घुबाया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में समूह-'ग' में अनुकम्पा के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई;

(ख) अनुकम्पा के आधार पर ऐसी नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) अनुकम्पा के आधार पर आरक्षित श्रेणी के कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में अनुकंपा के आधार पर समूह 'ग' में कुल 442 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

(ख) समूह 'ग' या 'घ' में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति रेल कर्मचारियों के परिवार के एक योग्य आश्रित सदस्य को दिए जाने पर विचार किया जाता है जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या चिकित्सा के आधार पर कोटि निरसन के कारण समय से पूर्व सेवानिवृत्ति हो जाते हैं बशर्ते जिस पद पर नियुक्ति दी जा रही है उसके लिए निर्धारित अर्हक योग्यताएं पूरी करता हो।

(ग) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में समूह 'ग' और 'घ' में 331 व्यक्तियों (255 अनुसूचित जाति, 08 अनुसूचित जनजाति और 68 अन्य पिछड़ा वर्ग) की नियुक्ति की गई है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र में आरक्षण

4859. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करने हेतु उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार स्थानीय समुदाय तथा/अथवा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को नियुक्त करने वाली कम्पनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का उद्देश्य कम्पनी अधिनियम, 1956 को लागू करना है जिसमें कम्पनियों के निगमन, प्रबंधन एवं समापन के प्रावधान हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है।

आर.ओ.बी.

4860. श्री एस.आर. जेयदरुई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में रेलवे द्वारा निर्मित विभिन्न सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) में डिजाइन संबंधी गंभीर खामियों का पता लगा है;

(ख) क्या देश में कुल सड़क उपरि पुलों की ऊंचाई में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार देशभर में कुछ आर.ओ.बी. की ऊंचाई में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र

4861. श्री के.आर.जी. रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश के कुछ राज्यों में कमांडो प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके वित्तीय परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों के उद्देश्य तथा लाभ क्या हैं; और

(घ) इसके कार्यान्वियन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) कैनिंग (पूर्व रेलवे)/पश्चिम बंगाल में 26.70 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर रेल सुरक्षा बल के लिए एक कंमाडो प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

(ग) रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर रक्षा और सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशष बल के कार्मिकों को विशिष्ट कंमाडो प्रशिक्षण दिए जाने के लिए उक्त प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। यह रेल सुरक्षा बल के लिए इन-हाउस कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और इससे कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के लिए रेल सुरक्षा बल या अन्य बलों की निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

(घ) इस कार्य को 2010-11 में अनुमोदित किया गया है। उच्च प्राथमिकता पर अपेक्षित अवसंरचना को विकसित किए जाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

टी.टी.ई. द्वारा कदाचार

4862. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विशेषकर बहार संपर्क क्रांति (2566/2565) तथा नई दिल्ली/दिल्ली, दरभंगा, गोरखपुर एवं मुजफ्फरपुर जैसे कुछ स्टेशनों में टी.टी.ई. द्वारा अतिरिक्त राशि वसूल करने के बदले आरक्षित बर्थ की पेशकश किए जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे कार्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) बिहार संपर्क क्रांति गाड़ी में और दिल्ली/नई दिल्ली, दरभंगा, गोरखपुर तथा मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर चल टिकट परीक्षक द्वारा अतिरिक्त पैसा वसूल करके आरक्षित बर्थ मुहैया कराने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कदाचार पर काबू पाने के लिए विभिन्न विशेष दलों के साथ-साथ सतर्कता विभाग द्वारा भी नियमित निवारक जांचें आयोजित की जाती हैं। रेलवे को देय राशि प्रभारित किए बिना यात्रियों को यात्रा कराने अथवा ड्यूटी आरंभ करते समय घोषित राशि से अधिक धनराशि अपने पास रखने जैसी अनियमितताएं पाई जाने पर चल टिकट परीक्षक के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

डोंगरगढ़ से यात्री रेलगाड़ी

4863. श्री मधुसूदन यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को दुर्ग के बजाय डोंगरगढ़ से यात्री रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार डोंगरगढ़ में यात्री रेलगाड़ियों के रखरखाव के लिए सुविधाओं का सृजन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। दुर्ग के बदले डोंगरगढ़ से लोकल ट्रेनों की शुरूआत के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) चालू यातायात योजना और आवश्यकताओं के आधार पर डोंगरगढ़ पर पैसेंजर गाड़ियों के लिए कोचिंग अनुरक्षण सुविधाओं की फिलहाल परिचालनिक रूप से आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

वैकल्पिक रेल मार्ग

4864. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकसित किए गए/विकास किए जाने हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय रेल नेटवर्क देश की संपूर्ण लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है और परिणामस्वरूप अधिकांश गंतव्य स्थानों के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं, नए मार्गों का विकास मांग, परिचालनिक व्यवहार्यता और मुख्य मार्गों से भीड़ को कम करने की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

रेलवे में दुर्घटनाएं

4865. श्री एन. पीताम्बर कुरुप : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में लाभ दिखाने के लिए सुरक्षा हेतु आबंटित निधियों का विपथन अन्य शीर्षों में किया जाना रेलवे में दुर्घटनाओं की बढ़ती दर के कारणों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विगत अवधि में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की मात्रा निरंतर कम की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वार्षिक योजना में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित कार्यों वाले विाान्न योजनाशीर्षों को धनराशि का आबंटन किया जाता है। जिसमें विभिन्न प्रणालियों का आधुनिकीकरण भी शामिल होता है। आधुनिकीकरण के लिए धनराशि अलग से चिह्नित नहीं की जाती है क्योंकि उनका विशिट बजट संबंधी अथवा लेखा संबंधी शीर्ष नहीं होता, योजना परिव्यय की बजट व्यवस्था में वर्षों से बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति बनाए रखी गई है, जैसाकि नीचे देखा जा सकता है:–

	योजना परिव्यय (करोड़ रुपये)
2007-08	32165
2008-09	37500
2009-10	40745
2010-11	41426

इस्पात क्षेत्र का पुनरुद्धार

4866. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ इस्पात संयंत्र रुग्ण हैं तथा इनका तत्काल पुनद्धार किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों में भी कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों के पुनरुद्धार तथा इस्पात क्षेत्र में रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा बाद में इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) और (ग) इस्पात में रोजगार के अवसरों की कमी की रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय को नहीं मिली है। इसके अलावा देश में इस्पात क्षेत्र पिछले 5 वर्षों से लगातार इस्पात के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि के साथ विकास कर रहा है। अप्रैल-नवम्बर, 2010-11 की अवधि के दौरान देश में क्रूड इस्पात के उत्पादन में भी 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आशा की जाती है कि देश में इस्पात के उत्पादन की क्षमता 72.76 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 120 मिलियन टन हो जाएगी। इसलिए देश में रोजगार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का भंडारण

4867. श्री अधीर चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों के भंडारण में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो भारत सरकार के आंशिक संचलन, वितरण और सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है। कृषि में प्रत्यक्ष प्रयोग के लिए इसका आयात सरकार की ओर से राज्य विपणन उद्यमों (एसटीई) अर्थात् एमएमटीसी, एसटीसी और आईपीएल के जरिए किया जाता है ताकि आकलित आवयकता औ यूरिया के स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को पूरा किया जा सके। डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसे अन्य सभी उर्वरकों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन किया जाता है। कंपनियों इन उर्वरकों का आयात कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकता के अनुसार करती हैं। सरकार पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत इन उर्वरकों पर राजसहायता दे रही है।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बहार जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गैर-मौसम के दौरान यूरिया की खपत वाले प्रमुख राज्यों में 6.25 लाख मी.टन का बफर स्टॉक रखा जाता है। चूंकि यह रब मौसम की अत्यधिक खपत वाली अवधि है

अत: बफर स्टॉक फरवरी और मार्च, जो गैर-मौसम के महीने हैं, में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा

4868. श्री पी. विश्वनाथन :
श्री के. सुगुमार :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात तथा तेल उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया गया है तथा कुछ अन्य पीएसयूज का उनयन का नवरत्न दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सभी मिनीरत्न, महारत्न तथा नवरत्न कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैसे पीएसयूज को कोई छूट दिए गए जाने का प्रस्ताव है जिनके निष्पादन में सुधार हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) चार केंद्रीय सरकारी उद्यम नामत: (i) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (ii) एनटीपीसी लि. (iii) तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लि. और (iv) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. को मई, 2010 में महारत्न दर्जा प्रदान किया गया हैं। ऑयल इंडिया लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. को क्रमश: अप्रैल, 2010 और नवंबर, 2010 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है।

(ख) महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों में सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों और अन्य लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को पूंजी व्यय, संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यमों में निवेश, मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में अधिक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

विवरण

महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

(उपलब्ध सूचना के अनुसार)

महारत्न केंद्रीय सरकारी उद्यम

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
2. एनटीपीसी लि.
3. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
4. स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.

नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यम

1. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.
2. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि.
3. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
4. कोल इंडिया लि.
5. गेल (इंडिया) लि.
6. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
7. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
8. महानगर टेलिफोन निगम लि.
9. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.
10. एनएमडीसी लि.
11. ऑयल इंडिया लि.
12. पॉवर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि.
13. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
14. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

15. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लि.

16. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

मिनीरत्न श्रेणी-I केन्द्रीय सरकारी उद्यम

1. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया

2. बामर लारी एंड कंपनी लि.

3. भारत डायनामिक्स लि.

4. बीईएमएल लि.

5. भारत संचार निगम लि.

6. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.

7. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन

8. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.

9. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

10. कोचीन शिपयार्ड लि.

11. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

12. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

13. इंजीनियर्स इंडिया लि.

14. एन्नौर पोर्ट्स लि.

15. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.

16. गोवा शिपयार्ड लि.

17. हिन्दुस्तान कॉपर लि.

18. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.

19. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.

20. हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि.

21. आवास एवं शहरी विकास निगम लि.

22. इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.

23. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि.

24. इरकॉन इंटरनेशनल लि.

25. कुद्रेमुख ऑयरन ओर कंपनी लि.

26. मझगांव डॉक्स लि.

27. महानदी कोलफील्ड्स लि.

28. मेंगनीज ओर इंडिया लि.

29. मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.

30. मिश्र धातु निगम लि.

31. एमएमटीसी लि.

32. एमएसटीसी लि.

33. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.

34. राष्ट्रीय बीज निगम लि.

35. नेवेली लिग्नाइट लि.

36. एनएचपीसी लि.

37. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.

38. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.

39. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.

40. राइट्स लि.

41. सतलुज जल विद्युत निगम लि.

42. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

43. साउथ इंस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

44. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

45. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.

46. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सेटेंट्स (इंडिया) लि.

47. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

48. वाटर एंड पॉवर कन्सलटेंसी (इंडिया) लि.

मिनीरत्न श्रेणी-II केंद्रीय सरकारी उद्यम

49. भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लि.

50. ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (I) लि.

51. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्ट्टियूट लि.

52. एजुकेशनल कन्सलटेंट्स (I) लि.

53. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (I) लि.

54. फेरो स्क्रेप निगम लि.

55. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.

56. एचएससीसी (इंडिया) लि.

57. इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन

58. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.

59. मेकॉन लि.

60. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

61. पीईसी लि.

62. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि.

कोच्चि-मंगलौर गैस पाइपलाइन परियोजना

4869. श्री के.पी. धनपालन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोच्चि-मंगलौर गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोच्चि-कूट्टानाड-बैंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन बिछाने के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड को प्राधिकृत किया है।

(ख) कोच्चि-कूट्टानाड-बंगलोर-मंगलोर पाइपलाइन विभिन्न स्थलों पर 30"/24"/18"/12"/8"/4" व्यास के साथ 11.56 कि.मी. की लम्बाई प्रस्तावित है। यह पाइपलाइन कोच्चि में मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के एलएनजी टर्मिनल में पुन:-गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) को खाली कराएगी और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में विभिन्न उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करेगी। पाइपलाइन का निष्पादन दो चरणों में किया जा रहा है। चरण-I (30" × 16 कि.मी., 18" × 16 कि.मी., 12" × 3 कि.मी., 8" × 7 कि.मी., 4" × 2 कि.मी.) का प्रारंभ पीएलएल के एलएनजी टर्मिनल से कोच्चि शहर के आस-पास के विभिन्न उपभोक्ताओं तक। चरण-II का प्रारंभ कोच्च में कूट्टानाड (केरल) – (30" × 91 कि.मी.), केट्टानाड से बैंगलौर (30" × 462 कि.मी.), कूट्टानाड से मंगलोर (24" × 347 कि.मी.) तथा 12/8" × 212 कि.मी. उपभोक्ता स्पर-लाइन्स।

(ग) आज की तारीख में गेल ने 254 करोड़ रुपए की राशि की वचनबद्धता की है और 7.67 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्रों को शेयरों की बिक्री

4870. श्री शत्रुघ्न सिन्हा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने शेयरों की बिक्री निजी क्षेत्र को कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पीएसयू-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने 2009-10 और 2010-11 के दौरान क्रमश: ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) नामक दो तेल पीएसयूज में प्रदत्त पूंजी के 10% के बराबर पण का विनिवेश किया था। इसके अलावा मंत्रालय

ने सरकार की शेयरधारिता में से ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 5% और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की प्रदत्त पूंजी के 10% का विनिवेश करने की सहमति प्रदान की है।

रेलगाड़ियों का ठहराव

4871. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेवाड़ी-डेगाना यात्री रेल-गाड़ी का ठहराव बीकानेर तथा जोधपुर मंडल के कंधारन, बेवाड, भोजान, गुगलवा-किरतन तथा कुशलपुरा हाल्ट स्टेशनों पर तथा जोधुपर-हिसार यात्री रेलगाड़ी का ठहराव लोहा हाल्ट स्टेशन पर देने के लिए जनप्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त स्टेशनों पर यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 209/210 रेवाड़ी-डेगाना पैसेंजर को कंधारन हाल्ट, बेवाड़ भोजान हाल्ट, गुगलवा किरतन हाल्ट और कुशलपुरा हाल्ट पर और 0211/0212 जोधपुर-हिसार हॉलीडे स्पेशल गाड़ी को लोहा स्टेशन पर ठहराव देने के मामले की जांच की गई है लेकिन इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ में नैला स्टेशन

4872. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ में नैला स्टेशन का नाम बदलकर नैला-जॉजगिर करने तथा इस रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों के स्टॉपेज उपलब्ध कराने की मांग उठायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) छत्तीसगढ़ में नैला रेलवे स्टेशन का नाम नैला जांजगीर रेलवे स्टेशन रखे जाने के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा एक मांग प्राप्त हुई थी।

जहां तक नैला में अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव देने का संबंध है, इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें माननीय संसद सदस्य से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल है।

(ग) भारतीय रेलों में रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए केवल गृह मंत्रालय, भारत सरकार ही सक्षम है।

जहां तक नैला स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव देने का संबंध है, इस मामले की जांच की गई परंतु फिलहाल इसे वाणिज्यिक रूप के साथ-साथ परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

पीएसयू के रिक्त आरक्षित पद

4873. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत उपक्रमों/निगमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में कितने रिक्त पद पड़े हुए हैं साथ ही ऐसी रिक्तियां कितने वर्षों से पड़ी हुई है; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उपक्रमों/निगमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की रिक्तियों को भरने के मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	उपक्रमों का नाम	वर्ष जब से पहली रिक्त विद्यमान है	बैकलाग रिक्तियां				कब तक भरे जाने की (वर्ष)
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा जाति	योग	
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	1999	3	8	32	43	भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है।
2.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	2010	14	28	38	80	जुलाई, 2011 तक
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	2010	22	38	51	111	सितम्बर, 2011 तक
4.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया	1998	8	12	67	87	2011 और 2012 में भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान।
5.	ऑयल इंडिया लि.	2010	43			43	जून, 2011 तक
6.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन	2004	75	100	122	297	2011 तक
7.	नुमलीगढ़ रिफाइनरी लि.	2010	.	3	8	11	यथा शीघ्र भरने के लए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
8.	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.						लागू नहीं।
9.	मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	2007	21	11	22	54	2012 तक
10.	बीको लारी लि.	2010	5	11	14	30	भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने की आशा है।
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2010	13	57	128	198	मार्च, 2011 तक

[अनुवाद]

एनटीसी का पुनरुद्धार

4874. श्री मनोहर तिरकी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) का नए ब्रांड का विकास कर तथा मौजूदा ब्रांड का पुनरुद्धार कर इसके खुदरा विपणन को नया रूप देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) लि. ने अपने खुदरा विपणन के सुदृढ़ीकरण के लिए बेड लिनन तथा बाथ लिनन क्षेत्र में 'रासा' नाम एक नया ब्रांड शुरू किया है। एनटीसी अपने मौजूदा ब्रांडों नामत: 'एनटैस' तथा 'फिनले' का संवर्धन/पुररुद्धार भी कर रहा है।

विनियामक निकाय

4875. श्री मिलिंद देवरा : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अपनी सूचना में ऐसे वृहद आंकड़ा आधार की स्थापना करने की कोई योजना है जिस तक प्रत्येक विनियामक निकाय की पहुंच हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त पहल के पीछे क्या उद्देश्य हैं तथा मौजूदा पद्धति की तुलना में इससे क्या लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य है; और

(घ) इसकी स्थापना हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) मंत्रालय ने एमसीए21 ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत पब्लिक डोमेन में 'कम्पनी मास्टर डिटेल्स' उपलब्ध करा दिया है। मास्टर डिटेल्स जिसमें 17 महत्वपूर्ण कम्पनियों की सूचना जैसे, निगमन की तारीख, पंजीकृत कार्यालय का पता, कम्पनी का वर्ग, प्राधिकृत पूंजी, प्रदत्त पूंजी आदि नि:शुल्क उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनियों द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेजों जैसे, निगमन संबंधी दस्तावेज, प्रभार दस्तावेज, तुलन-पत्र, वार्षिक विवरणी तथा कम्पनियों द्वारा दर्ज अन्य दस्तावेजों संबंधी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे टोकन शुल्क प्रदान करके देखा जा सकता है। विनियामकों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑनलाइन नि:शुल्क उपलब्ध है।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

4876. श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) का मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ओएनजीसी द्वारा किन राज्यों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की आने वाली पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान राज्य में योजनाबद्ध की गई है।

विमानपत्तनों का निजीकरण

4877. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के कुछ विमानपत्तनों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग नीति

4878. श्री के. सुगुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) को ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) से प्रतिस्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एनईएलपी-दसवीं को रोकने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) राष्ट्रीय आंकड़ा भंडार (एनडीआर) स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जो मुक्त रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) तैयार करने के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बोली दौरों को समाप्त करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

वर्धा-गढ़चिरौली रेल लाइन

4879. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल का गढ़चिरौली को वर्धा-रेल लाइन के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) वाडसा से गढ़चिरोली तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 2008-09 में पूरा किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना की 50% लागत वहन करने की सहमति दे दी है। योजना आयोग ने इस परियोजना को 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमति प्रदान कर दी है। परियोजना की लागत को अद्यतन कर लिया गया है और इस प्रस्ताव की आवश्यक अनुमोदनों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बीसीएएस के अंतर्गत अकादमी की स्थापना

4880. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 में अंतर-मंत्रालयी समूह ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के तहत एक अकादमी की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996 में उक्त अकादमी के लिए 16.87 लाख रुपये की धनराशि भी आवंटित की गई थी परंतु आज तक उक्त अकादमी की स्थापना हेतु स्थल का चयन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या अब तक हमारे देश में विमान अपहरण की पांच घटनाएं हो चुकी हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। इस अकादमी की स्थापना करने हेतु नौवीं योजना (1997-2002) के वर्ष 1996 में बीसीएएस की योजना के लिए 16.87 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान का अनुमोदन किया था। सरकार ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एवं स्थापित करने का निर्णय लिया था। यथानुसार, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च सोसायटी के संरक्षण में भारतीय विमानन अकादमी की स्थापना की गई।

(घ) से (च) जी, हां। अब तक भारतीय विमान वाहकों से संबद्ध पांच विमान अपहरण हो चुके हैं। सरकार ने पंजीकृत सामान की सुरक्षा तथा हवाईअड्डे पर सामान के साथ छेड़छाड़ और दुर्घटनाओं एवं विमान चूक से बचने के लिए कार्मिकों की तैनाती के लिए एवीएसईसी आदेश 05/2009 जारी यिका है। सरकार ने सीसीटीवी लगाये जाने तथा सीआईएसएफ एवं एयरलाइनों द्वारा इन सीसीटीवी की मॉनीटरिंग के लिए भी परिपत्र सं. 33/2003 जारी किया हैं संदेहास्पद यात्रियों और कार्मिकों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए सादी वर्दी में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। विमान अपहरण की घटनाओं में निपटने के लिए चुनिंदा हवाईअड्डों पर क्विक रिएक्शन टीम भी तैनात की गई है। हवाईअड्डा परिधि में अनधिकृत प्रवेश जांच व्यवस्था, यात्री सामान की जांच की आधुनिक व्यवस्था, सीसीटीवी इत्यादि के अतिरिक्त उपरोक्त उपाय भी किये गये हैं।

महाराष्ट्र के जलगांव में रेल परियोजनाएं

4881. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जलगांव में रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परियोजनाएं समय-सारणी के अनुसार चल रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जलगांव-उधना (सूरत) (306.9 कि.मी.) का दोहरीकरण वर्ष 2008-09 में स्वीकृत किया गया है। 2010-11 में इसमें से 25 कि.मी. को पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एचएमटी की हानि में चलने वाली इकाइयां

4882. श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु मंत्रालय हानि से चलने वाली हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) को बेंगलूर इकाई तथा हिन्दुस्तान एरोनाटीकल्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच भागीदारी स्थापित करने पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किस मॉडल पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें एचएएल के हाल के बड़े टिकट के विमानपत्तन क्रयादेय के लिए कुछ पुर्जों सहित हॉक एडवांस ट्रेनर तथा ध्रूव हेलीकाप्टरों का निर्माण एचएमटी द्वारा किया जाना शामिल है;

(ग) क्या एचएल के साथ चर्चा चल रही है कि एचएमटी इसके लिए किस प्रकार के पुर्जों का निर्माण कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय यह देखने का भी प्रयास कर रहा है कि क्या इस प्रकार की प्रणाली कार्य कर सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार निवारण हेतु विधान

4883. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में भ्रष्टाचार के निवारण हेतु कोई विधान तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधान को कब तक तैयार कर प्रवर्तन में लाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम

4884. श्री संजय निरुपम : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों को आशोधित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कौन-से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जहां उपदान की सीमा को बढ़ाया नहीं गया है तथा इसके कारण क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग ने आदेश जारी किए

हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 30% की सीमा में पेंशन योजना का प्रावधान है। पेंशन स्कीम केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा तैयार और प्रचालित की जाती है।

(ग) लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के संबंध में उपदान को 10 लाख रुपये तक करने के आदेश जारी किए हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी उद्यम-वार यह सूचना एक जगह पर उपलब्ध नहीं है।

विकास शुल्क को प्रभारित करना

4885. श्री रमेश राठौड़ :
श्री खगेन दास :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लि. (डायल) के बीच राज्य समर्थन समझौता और प्रचालन प्रबंधन तथा विकास समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'डायल' को किस आधार पर यात्रियों से विकास शुल्क उद्ग्रहण करने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या 'डायल' यात्रियों से विकास शुल्क के रूप में उद्ग्रहित राजस्व को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ साझा नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकास शुल्क (डीएफ) का अनुमोदन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अंतर्गत, दिनांक 1.3.2009 से 36 महीने की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर, किया गया है। यह शुल्क प्रत्येक प्रस्थान कर्त्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए रुपये 1300/- और प्रत्येक प्रस्थानकर्त्ता घरेलू यात्री के लिए रुपये 200/- है। डीएफ का उद्देश्य 1827 करोड़ रुपये के वित्त पोषण संबंधी अंतर को समाप्त करना है। इस उगाही से एकत्रित निधियों का इस्तेमाल केवल ऐसी वैमानिकी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है जिन्हें डॉयल द्वारा रिलीज अवधि समाप्त होने पर प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) विकास शुल्क परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक वित्त पोषण पूर्व उपाय है और यह इस संबंध में प्रचालन, प्रबंध और विकास करार में यथा निर्धारित ऋण तथा इक्विटी अंशदनों की तरह है। चूंकि ऋण और इक्विटी को राजस्व का हिस्सा नहीं माना जाता, इसी प्रकार विकास शुल्क भी राजस्व का हिस्सा नहीं है। बहरहाल, डॉयल द्वारा अर्जित कुछ राजस्व का 45.99% भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिल रहा है।

[हिन्दी]

सीएनजी स्टेशनों को खोला जाना

4886. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 25 (एन.एच. 25) पर सीएनजी स्टेशन खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीएनजी स्टेशन को कब तक खोजे जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006'' अधिनियमित किया है जिसमें पीएनजीआरबी को अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों को नगर गेस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के प्रचालन के प्राधिकार के लिए भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सीजीडी नेटवर्क परिवहन क्षेत्र के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के साथ-साथ घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति करता है। पीएनजीआरबी ने अगले पांच वर्षों में देश के 300 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क विकास रोल हाउट करने की योजना की परिकल्पना की है। तथापि, वर्तमान में उक्त रोल आउट योजना में बुन्देलखंड शामिल नहीं किया गया है।

इसके अलावा सीजीडी नेटवर्क हेतु प्राधिकृत करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है जो कि पारेषण पाइपलाइन सम्बद्धता, आर्थिक व्यवहार्यता और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

ग्लोबल इंटीग्रटी रिपोर्ट

4887. श्री हर्ष वर्धन :
श्री जगदीश शर्मा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इंटीग्रटी रिपोर्ट-2009 की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट में भारतीय न्यायिक प्रणाली पर कोई टिप्पणी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जी, हां। ग्लोबल इंटीग्रटी रिपोर्ट, 2009 न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यों के प्रति जवाबदेही और आस्ति प्रकटन अभिलेखों तक पहुंच के संबंध में भारत में उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों के बारे में लोकप्रिय अवबोधन के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

(घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(3) और अनुच्छेद 217(2) के अधीन की जाती है।

उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय और उसकी सलाहकारी राय तारीख 28 अक्तूबर, 1998 के पश्चात् उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों की दशा में, प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया जाता है और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों की दशा में, प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा आरंभ किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ''न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010'' नामक एक व्यापक विधेयक, जो उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध परिवादों में जांच करने के लिए एक तंत्र समाविष्ट करता है, न्यायिक मानकों को अधिकथित करता है और न्यायाधीशों से उनकी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने की अपेक्षा करता है, लोक सभा में 01.12.2010 को पुर:स्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

4888. श्री तथागत सत्पथी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मुकदमा रहित पंचायत

4889. श्री एम.के. राघवन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि केरल में चेरियानाडु पंचायत को मुकदमा सहित पंचायत घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस पंचायत न्यायालय मॉडल को संपूर्ण देश के गांवों में लागू करने का प्रस्ताव है ताकि मुकदमे बाजी को कम किया जा सके; और

(घ) इस पंचायत में मौजूदा प्रणाली का अध्ययन करने तथा इसे मुख्य धारा की न्यायिक प्रणाली लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मोजाम्बिक के साथ रेल परिवहन

4890. श्री प्रदीप माझी :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में मोजाम्बिक के साथ रेल परिवहन के क्षेत्र में द्विपक्षीय चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) मोजाम्बिक में रेलवे तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आरंभ की गई चालू रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे को मोजाम्बिक से कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) द्वीपक्षीय चर्चा के दौरान, सेना लाइन, मचीपण्डा लाइन के पुनर्स्थापन और इन लाइनों पर वाणिज्यिक माल सेवाएं शुरू करने से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी।

(ग) 2004 में, मोजाम्बिक के सेन्ट्रल रेलवे की प्रणाली को पुनर्स्थापित करने के लिए और इसे 25 वर्षों तक रियायत पर चलाने के लिए मोजाम्बिक सरकार के पारास्टाटल कंपनी सीएफएम (मोजाम्बिक पोर्ट और रेलवे) के साथ राइट्स लिमिटेड तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की भागीदारी थी। कंपनियां डोस कमीन्होस डी फेरो डा बैरा (सीसीएफबी) नाम से एक रियायतकर्ता कंपनी को रेल मंत्रालय के अनुमोदन से मोजाम्बिक में निगमित किया गया था।

शेयरधारिता: मोजाम्बिकन पोर्ट और रेलवे कंपनी (सीएफएस) – 49% राइट्स लिमिटेड 26% और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 25%

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आईपीएफटी के प्रचालनों को सरल बनाना

4891. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निधियों के उचित उपयोग, बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा अधिकाधिक बोलीदाताओं का पता लगाने के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी के प्रचालनों को सरल बनाने के लिए गठित औचित्य साधन और विनिर्दिष्टता समिति द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उक्त समिति की स्थापना से लेकर अब तक कितनी बोलियां प्राप्त हुई हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) भारत सरकार द्वारा निधियों का औचित्यपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आईपीएफटी के लिए परिकल्पित और उपलब्ध उपकरणों वर्तमान एवं भविष्य की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए औचित्य निर्धारण समिति द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी में पूंजीगत परिसंपत्ति का विश्लेषण किया गया था। उनको और अधिक तथ्यपूर्ण बनाने और वैश्विक निविदाओं से उत्तर प्राप्त करने के लिए विनिर्देशन (स्पेसिफिकेशन) समिति द्वारा विशिष्टताओं के साथ पूंजीगत परिसपंत्तियों की अनुमोदित सूची का विश्लेषण किया गया और ऐसी परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति की बेहतर प्रतिस्पर्धा आमंत्रित की गई।

(ख) 13 उपकरणों के लिए जारी निविदाओं के उत्तर में 39 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस

4892. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान अधिनियम तथा विमान नियमों के अनुसार निजी पायलट लाइसेंस तथा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए उड़ान का अनुभव किसके पर्यवेक्षण में लेना होता है;

(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशक के परिपत्र ने पर्यवेक्षक के विशेषाधिकार को फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से हटाकर मुख्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर/पायलट इंस्ट्रक्टर प्रभारी को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन में किस नियम के तहत बदलाव दिया गया था;

(घ) भारतीय विमान अधिनियम तथा नियमों के अनुसार फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के क्या विशेषाधिकार हैं;

(ङ) क्या वर्ष 1997 के परिपत्र सं. 12 के अनुसार इस विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को स्थायी अनुमोदन प्राप्त करना होता है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) पायलट होल्डिग उड़ान अनुदेशक रेटिंग के पर्यवेक्षण के तहत उड़ान प्रशिक्षण कौशल का अर्जन किया जाता है। बहरहाल, पायलट अनुदेशक की उच्च कुशलता के स्तर को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से नागर विमानन अपेक्षाओं के खंड-7, सीरिज-I भाग-V में मुख्य उड़ान अनुदेशक/उड़ान अनुदेशक प्रभारी की अतिरिक्त आवश्यकता का निर्धारण किया गया है।

(घ) उड़ान अनुदेशक के विशेषाधिकार विमान नियमावली, 1937 की अनुसूची-II के अनुच्छेद आर में निरुपित किये गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां, स्वीकृत अनुदेशक प्रभारी/मुख्य उड़ान अनुदेशक की अनुपस्थिति के दौरान उड़ान क्लब में उड़ान गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए एक उड़ान अनुदेशक को प्राधिकृत करने की व्यवस्था हेतु परिपत्र 1977 के 12 में दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

चीनी मिलों की बोली प्रक्रिया में आईपीएल की भागीदारी

4893. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने उत्तर प्रदेश में कतिपय चीनी मिलों की बोली प्रक्रिया में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी द्वारा हासिल की गई बोलियों की कंपनियों के निवल लाभ तथा मूल्य कम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कतिपय बेहतर मिलों के मामले में भारतीय पोटाश लि. द्वारा अधिकतम बोली लगाए जाने के बावजूद बोली अन्य बोलीदाताओं को अवार्ड कर दी गई; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कंपनी ने सूचित किया है कि मिलों के पास विस्तार और वृद्धि की क्षमता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवाईअड्डों पर वर्षा जल संचयन

4894. डॉ. शशी थरूर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे परिचित है कि देश भर में विभिन्न हवाईअड्डों के रनवे से वर्षा जल के अधिक प्रवाह के संचयन की काफी संभावना है जिसका उपयोग हवाईअड्डों पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी जल संचयन तकनीक का देश के सभी हवाईअड्डों पर अनिवार्य करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जयपुर, मदुरै, मंगलौर, त्रिची, गोंदिया, लखनऊ, नागपुर, औरंगाबाद तथा वाराणसी हवाईअड्डों पर वर्षा जल संचयन को लागू किया है। चेन्नई, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एनएससीबीआई) हवाईअड्डों तथा जलगांव हवाईअड्डों पर रनवे से वर्षा जल के अधिक प्रवाह के संचयन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। धीरे-धीरे अन्य हवाईअड्डों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

गोदामों में कार्यरत मजदूर

4895. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के गोदामों तथा शेडों में बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत हैं तथा रेलवे द्वारा उन्हें कोई सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार रेलवे कर्मचारियों की तरह उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रेल गोदामों/माल शेड़ों में लदान/उतराई संबंधी कार्य करने के लिए माल शेडों में कार्य करने वाली अभी श्रमिकों की व्यवस्था परेषकों/परेषितियों अथवा उनका कार्य संभालने वाले ठेकेदारों द्वारा की जाती है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सामान्य कल्याण के रूप में आधारभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, विश्राम सुविधाएं मुहैया करायी जाती है।

[अनुवाद]

वायु घनत्व का कम होना

4896. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि मंगलोर वायु दुर्घटना के केवल दो दिन बाद 112 यात्रियों को दुबई से पुणे ला रहा एयर इंडिया वायुयान 15000 फीट नीचे चला गया जिससे वायुयान में सवार सभी यात्रियों को घबराहट के क्षणों का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस गलती हेतु जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की है जो एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाती यदि पायलट द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई होती;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन बार-बार की घटनाओं को देखने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है जिसने इस संगठन को बदनाम किया है तथा लोग धीरे-धीरे यह सोचने लगे हैं कि एयर इंडिया से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) 26 मई, 2010 को इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से पुणे की फ्लाईट IX-212 एक एयर पॉकेट से टकरा गई। वायुयान नियमावली 1937 के नियम 77 ग के अंतर्गत इस घटना की जांच एक जांच अधिकारी द्वारा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह घटना सह-पायलट द्वारा पूर्णत: स्वचालित मोड में कंट्रोल सिस्टम की अनजाने में हुई हैंडलिंग की वजह से हुई। सह पायलट के साथ समन्वय के बिना मुख्य पायलट द्वारा अनुवर्ती रिकवरी कार्रवाई भी इसका एक कारण रही।

(ग) और (घ) दोनों पायलटों तथा केबिन कर्मीदल प्रभारी (सीसीआईसी) को अपने लाइसेंस का विशेषाधिकार प्रयोग करने से रोक दिया गया।

(ङ) और (च) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एक 1.6.2010 को 2010 का एक हवाई सुरक्षा परिपत्र 03 जारी किया गया है। सभी घटनाओं की विधिवत जांच निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। जांचों से प्राप्त होने वाली सिफारिशों पर संबंधित एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक सके। एयर इंडिया की संरक्षा में वृद्धि करने के लिए और अधिक सर्विलांस किया गया।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों का निर्माण

4897. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संबंधित मामलों की एक समिति ने शिरडी में एक हवाईअड्डा सहित देश में हवाईअड्डों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में देश के कई स्थान हवाई अड्डों से वंचित हैं या ये स्थान इसके लिए निर्धारित सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जो सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं होने के बावजूद अन्य स्थानों को स्थानांतरित नहीं किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों पर गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न हवाईअड्डों पर टर्मिनलों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया हैं ये हवाईअड्डे हैं चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, खजुराहो, उदयपुर, वाराणसी, मैसूर, मदुरै, मंगलौर, विशाखापत्तनम, पेक्योंग (सिक्किम), डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इंदौर, भोपाल, गोवा, जैसलमेर, जलगांव तथा ईंटानगर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित शिरडी के ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केवल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

रेलवे परियोजना समिति

4898. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की बड़ी रेलवे परियोजनाओं की निगरानी हेतु संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन समितियों में संबद्ध सदस्य सदस्यों को शामिल करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन

4899. श्री के. सुधाकरण : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दल-बदल विरोधी कानून, 1985 में संशोधन करके इसे और प्रजातांत्रिक तथा पारदर्शी बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) सरकार ने, निर्वाचन सुधारों पर, अप्रैल, 2011 में होने वाले प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर के परामर्शों में चर्चा के लिए मुख्य मुद्दों में से एक दल-परिवर्तन विरोधी विधि की पहचान की है। ऐसे प्राप्त विभिन्न सुझावों की समीक्षा करने के पश्चात् सरकार, इस विषय पर आवश्यक विधायी परिवर्तनों के ब्यौरे तैयार करेगी।

[हिन्दी]

कोंकण रेल निगम

4900. श्री धनंजय सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल निगम 'रो-रो' (रॉल ऑन, रॉल-ऑफ) नामक एक योजना चला रही है जिसमें रेलवे तथा सड़क परिवहन वाली माल ढुलाई का बेहतर समेकित मॉडल है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में रेलवे का अब तक का क्या अनुभव है; और

(ग) देश के अन्य भागों में उक्त योजना के विस्तार के संबंध में रेलवे की क्या योजना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना को वर्ष 1999 में शुरू की गई थी और कोंकण रेलवे मार्ग पर सफलतापूर्वक चल रही है।

(ग) बाजार की मांग पर निर्भर करते हुए रेल मंत्रालय इसे विस्तारित कर सकता है।

सीएनजी सुविधा

4901. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा के रोहतक, झज्झर तथा सोनीपत क्षेत्रों में सीएनजी बिक्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सीएनजी बिक्री केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006'' अधिनियमित किया है जिसमें पीएनजीआरबी को अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों को नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के प्रचालन के प्राधिकार के लिए भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सीजीडी नेटवर्क परिवहन क्षेत्र के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के साथ-साथ घरेलू, औद्योगिकी और वाणिज्यिक ग्राहकों के पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति करता है। पीएनजीआरबी ने हरियाणा राज्य में सोनीपत के भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क के लिए मै. गेल गैस लि. को प्राधिकार प्रदान किया है। पीएनजीआरबी ने अगले पांच वर्षों में रोहतक सहित देश के 300 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क विकास रोल हाउट करने की योजना की परिकल्पना की हैं तथापि, वर्तमान में उक्त रोल आउट योजना में झज्जर को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सीजीडी नेटवर्क हेतु प्राधिकृत करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है जो कि पारेषण पाइपलाइन सम्बद्धता, आर्थिक व्यवहार्यता और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

रॉलिंग स्टॉक पट्टा नीति

4902. श्रीमती दीपा दासमुंशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एक रेलवे रॉलिंग स्टॉक पट्टा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे में रेल माल डिब्बों को पट्टे पर दिए जाने की अवधारणा को शुरू किए जाने के लिए रेलवे द्वारा माल डिब्बों को पट्टे पर दिए जाने की योजना (डब्ल्यूएलएस) शुरू की गयी है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- भारतीय रेलों में रेल माल डिब्बों को पट्टे पर दिए जाने की अवधारणा शुरू किए जाने की योजना उसी प्रकार शुरू की गयी है जिस प्रकार हवाई जहाज, पानी के जहाज और सड़क पर ट्रक पट्टे पर दिए जाते हैं।

- अंतिम उपयोगकर्त्ताओं के लिए उच्च क्षमता वाले माल डिब्बों (एचसीडब्ल्यू) और विशेष प्रयोजन माल डिब्बों (एसपीडब्ल्यू) और ऑपरेटरों (भारतीय रेल में कंटेनर रेलगाड़ियों को चलाए जाने के लिए रियायत के अंतर्गत शामिल) के लिए कंटेनर संचलन हेतु माल डिब्बों को पट्टे पर देने के लिए अनुमति दी जाती है।

- माल डिब्बों को अंतिम उपयोगकर्त्ताओं (एचसीडब्ल्यू और एसपीडब्ल्यू) या ऑपरेटरों (केवल रियायत के अंतर्गत अनुमति दिए गए माल डिब्बों के लिए) को पट्टे पर दिया जा सकता है।

- रेकों को माल डिब्बा विनिर्माताओं या आयात के माध्यम से खरीदा जा सकता है बशर्ते कि वे भारतीय रेलवे द्वारा मानक संरक्षा और गुणवत्ता निरीक्षणों की पालन हों।

- माल डिब्बा लीजिंग कंपनी और पट्टाकर्त्ता के बीच द्विपक्षीय संविदा।

- पट्टाकर्त्ता के प्रतिस्थापन के लिए माल डिब्बा लीजिंग कंपनी को पूरे अधिकार।

- पट्टाकर्त्ता को उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना (एलडब्ल्यूआईएस) के अंतर्गत माल भाड़ा रियायत दी जायेगी।

(ग) इस नीति को 15.04.2008 को जारी किया गया है।

रेलवे में भ्रष्टाचार

4903. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रेलवे को भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों तथा अन्य को दंडित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 2007, 2008 और 2009 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में 5843, 5994 और 6330 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) रेलों ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और प्रणाली में सुधार के जरिये कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2007, 2008 और 2009 में सर्तकता मामलों में क्रमशः 8252, 7860 और 7700 अधिकारियों के विरुद्ध और चालू वर्ष में अभी तक 5243 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

माल ढुलाई विपणन में निजी कंपनियां

4904. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री के. सुगुमार :
श्री के.सी. वेणुगोपाल
श्री संजय निरुपम :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री प्रदीप माझी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास संसाधनों की अत्यधिक कमी है जिससे इसके महत्वाकांक्षी विस्तार योजना में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे माल ढुलाई विपणन में निवेश करने हेतु निजी कंपनियों की सेवा लेने की इच्छुक है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इसे और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए मालढुलाई विपणन नीति में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) धनराशियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। यह सच है कि रेलों द्वारा अपेक्षित अवसंरचना संवर्धन और आधुनिकीकरण के अनुपात और परिमाण की तुलना में बजटीय, अतिरिक्त बजटीय और आंतरिक रूप से सृजित संसाधन अपर्याप्त हैं।

(ख) से (घ) मालभाड़ा विपणन नीतियों का निरुपण एक चालू और सतत् प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य रेलों की संवर्धित परिवहन क्षमता और लदान में निजी निवेश को आकर्षित करना है। रेलों के फ्रेट व्यावसाय में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्नांकित नीतियां अधिसूचित की गई हैं।

(i) मालडिब्बा लीजिंग योजना (डब्ल्यूएलएस)

(ii) उदारीकृत मालडिब्बा निवेश योजना (एलडब्ल्यूआईएस)

(iii) विशेष माल रेलगाड़ी ऑपरेटर (एसएफटीओ) योजना

(iv) प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) योजना

(v) ऑटोमोबाइल और सहायक हब का विकास

(vi) ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (एएफटीओ) योजना

(ङ) निवेश के लिए वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल में की गई पहलकदमियों में बजटीय सहायता में बढ़ोत्तरी के अलावा, पीपीपी के जरिये आंतरिक और बजटेतर संसाधनों को अधिक मात्रा में जुटाना और भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) के माध्यम से ऋण हासिल करना आदि शामिल है।

प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु पूंजीगत लागत

4905. डॉ. अनूप कुमार साहा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स आरआईएल/नीको द्वारा केजी बेसिन में गैस के उत्पादन हेतु हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक द्वारा कुल कितनी पूंजीगत लागत अनुमोदित की गई;

(ख) डॉलर/एमएमवीटीयू में उत्पादन की उपर्युक्त पूंजी पर आधारित वास्तविक लागत तथा रेटेड प्रतिदिन उत्पादन कितनी है; और

(ग) केजी डी6 बेसिन में गैस उत्पादन हेतु अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह द्वारा निर्धारित 4.2 डॉलर/एमएमवीटीयू में अवयवों, यथा, निर्धारित तथा चल लागत में कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) प्रबंधन समिति (एमसी) ने उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) की शर्तों और निबंधनों के अनुसार केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 की क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) को अनुमोदित कर दिया है।

उक्त ब्लॉक के डी1 और डी3 खोजों के अनुमोदित एफडीपी के अनुसार अनुमानित निवेश लगभग 8.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

(ख) अनुमोदित एफडीपी के अनुसार डी1 एवं डी3 क्षेत्रों से परिकल्पित अधिकतम गैस उत्पादन 80 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन तक है। यह क्षेत्र विकास स्तर पर होने से इसका उत्पादन शीर्ष उत्पादन स्तर तक नहीं पहुंचा है। क्षेत्र के शीर्ष उत्पादन स्तर पर आने के बाद ही उत्पादन की वास्तविक लागत की पुष्टि की जा सकती है।

(ग) मंत्रियों के शक्ति प्रदत्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 12.9.2007 को हुई अपनी बैठक में केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 के तहत उत्पादित गैस के लिए आपूर्ति शुरू होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए एक मूल्य सिद्धांत अनुमोदित किया है। सिद्धान्त का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

एसपी (यूएसडी/एमएमबीटीयू) = 2.5 + (सीपी-25)^0.15

जहां एसपी = बिक्री मूल्य
सीपी = कच्चे तेल का मूल्य

सिद्धांत में सीपी का कैप 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर स्थित किया गया है। आधार/सिद्धांत से प्राप्त किया गया मूल्य, प्रति बैरल कच्चे तेल के 60 अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक मूल्य के लिए, 4.2 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू बैठता है।

उर्वरकों की सड़क मार्ग से ढुलाई

4906. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार उर्वरकों की सड़क ढुलाई 500 किलोमीटर तक सीमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजकोट जिले को छूट देने का कोई प्रावधान है जो कृभको हजीरा संयंत्र से 500.44 किलोमीटर दूर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) सड़क द्वारा उर्वरकों के संचलन के लिए परिवहन मालभाड़ा प्रतिपूर्ति की अनुमति 500 कि.मी. तक है परन्तु इसे 1.1.2011 से संशोधित करके 700 कि.मी. तक कर दिया गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों के खिलाफ शिकायत

4907. श्री सज्जन वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर तथा इन्दौर क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियों के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एजेंसियों को रसोई गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी में शामिल पाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन एजेंसियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ङ) जब कभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) शिकायत प्राप्त करती हैं, इनकी जांच की जाती है। यदि शिकायत सिद्ध होती है। तो चूककर्त्ता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की विभिन्न अनियमितताओं के लिए सिद्ध शिकायतों के आधार पर अप्रैल से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान इंदौन में 4 मामलों में और देवास में 2 मामलों में एमडीजी/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

तथापि, ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध किसी सिद्ध मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

[अनुवाद]

मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली

4908. श्री उदय सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली के उन्नयन की ओर दिलाया गया है जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया;

(ख) रिपोर्ट से कितनी सिफारिशें स्वीकृत तथा क्रियान्वित की गईं;

(ग) क्या रेलवे ने जोनल स्तर पर रेक आवंटन को कंप्यूटरीकृत करने की योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित पांच सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(ग) और (घ) किसी विशिष्ट पण्य के लिए रेक आवंटन के कम्प्यूटरीकरण के लिए सॉफ्टवेयर के विकास एवं परीक्षण हेतु एक पायलट परियोजना केवल मंडल स्तर पर शुरू की गयी है।

इस्पात संयंत्र हेतु कोयले का आयात

4909. श्री संजय भोई : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इस्पात बनाने के लिए कोयले को बेहतर किस्म के आयात पर निर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु आयातित कोयले का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी, हां। देश में इस्पात संयंत्र कोकिंग कोल की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल का आयात कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोकिंग कोल का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(मात्रा: मिलियन टन)

वर्ष	आयातित कोकिंग कोल की मात्रा
2007-08	22.03
2008-09	21.08
2009-10	23.47

(स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

[हिन्दी]

खाद्यान्न से शराब

4910. श्री शिवराज भैया : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोरधम तथा अन्य खाद्यान्नों का उपयोग मध्य प्रदेश सहित के विभिन्न राज्यों में शराब बनाने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार शराब बनाने के लिए राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) अल्कोहल राज्य का विषय हैं विनिर्माण एवं मानीटरिंग के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। वाइन बनाने के लिए मध्य प्रदेश समेत राज्यों द्वारा सोरघम तथा अन्य खाद्यान्नों के उपयोग के बारे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास कोई भी सूचना नहीं।

(ग) जी, हां। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्य वाइन अंगूर से बनाई जा रही वाइन के लिए प्रोत्साहन/राजसहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

(घ) महाराष्ट्र जैसा राज्य अंगूर से निर्मित वाइन की बिक्री पर पात्र इकाई द्वारा 20% की दर से अदा किए गए कुल एमवीएटी के आधार पर 16% वेट वापस कर रहा है। कर्नाटक में राज्य सरकार ने कर्नाटक अंगूर प्रसंस्करण और वाइन नीति-2007 लागू की है। यह भी बागवानी फसल प्रसंस्करण और मूल्यवृद्धि उद्योगों जिनमें अंगूर वाइन का उत्पादन भी शामिल है, की स्थापना के लिए 25% अधिकतम 50.00 लाख रुपए तक की राजसहायता उपलब्ध करा रहा है और वाइन उद्योग को भी ''बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग'' के रूप में घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने शराब कारखानों को लाइसेंस और परमिट जारी करने के नियमों को सरल बनाया है और देय लाइसेंस शुल्क में भी कमी की है।

(ङ) मंत्रालय का अधिदेश मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में फल व सब्जी और अनाजों समेत विभिन्न कृषि, बागवानी, मांस और डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना है जिससे बरबादी न्यूनतम होगी। यह ऐसी कच्ची सामग्री की भी मांग को बढ़ाता है जिससे उत्पादकों/ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी।

मतदाता सूची

4911. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा, विधान सभा, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम हेतु विभिन्न मतदाता सूचियों में विसंगतियों के चलते कई मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लोक सभा, विधान सभा, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम के चुनावों हेतु एक समान मतदाता सूची का उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 324(1) द्वारा लोक सभा और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उसका पुनरीक्षण कराने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संबंधी कृत्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। तथापि संविधान के अनुच्छेद 243ट और अनुच्छेद 243यक के अधीन, पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण, राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15 यह उपबंध करती है कि प्रत्येक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचक नामावली होगी जो उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 13घ(1) यह उपबंध करती है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में मिलकर गठित होगा जितने उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में समाविष्ट है।

पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना और उनका पुनरीक्षण करना, राज्य विधि द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अधिकतम राज्य विधियां यह उपबंध करती है कि संसदीय और सभा निर्वाचनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई

निर्वाचन नामावलियों के आधार पर, स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए नामावलियों को तैयार और उनका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। जबकि कुछ राज्यों में, यह और उपबंध किया गया है कि संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र नामावलियां, स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए पूर्णत: अंगीकृत की जाएंगी, किन्तु कतिपय अन्य राज्यों में, संसदीय और सभी निर्वाचन क्षेत्र स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में केवल प्रारूप नामावलियों के रूप में अंगीकृत की जाती है और वे उनमें जोड़े जाने और लोप किए जाने के माध्यम से अतिरिक्त उपांतरणों के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के लिए है कि वे विधि द्वारा, पंचायतों और नागरपालिकाओं के निर्वाचनों के लिए संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को अंगीकृत करें।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

4912. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यवतमाल रेलवे स्टेशन भूमि का अप्राधिकृत वासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिन्होंने इस भूमि पर झुग्गी बसा ली हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या रेलवे की पार्क विकसित करने के लिए 7.9 हेक्टेयर रिक्त भूमि का उपयोग करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो पार्क विकसित करने के लिए अनुमानित कितना समय लगेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) वर्तमान में यवतमाल स्टेशन पर रेलवे की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यवतमाल स्टेशन के निकट रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण था और उसे स्थानीय पुलिस की सहायता से दिसंबर, 2006 में हटा दिया गया था। भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने रेलवे की भूमि पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण तथा उसकी घेराबंदी शुरू की है। फिलहाल इस भूमि पर पार्क का विकास करने का विचार नहीं है।

पीड़ितों हेतु विशेष न्यायालय

4913. श्री अम्बिका बनर्जी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बलात्कार, आपराधिक चोट तथा तेजाब से जलने वाले पीड़ितों के पुनर्वास हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे

4914. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र :
श्री गणेश सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों के उचित रख-रखाव हेतु राजा भोज हवाई अड्डे पर अतिरिक्त भूमि हस्तांतरित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने खंडवा तथा सतना हवाई पट्टियों के हस्तांतरण की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस मांग पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सतना से वायु सेवा शुरू करने के लिए कोई विज्ञापन जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। राजा भोज हवाई अड्डे पर 4.23 एकड़

अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही राज्य सरकार को 5.87 एकड़ भूमि आबंटित कर दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागर विमानन प्रयोजन से विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु 30 वर्षों की अवधि के लिए सतना तथा खंडवा एयरोड्रम को राज्य सरकार को पट्टे पर हस्तांरित किए जाने का निर्णय लिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संविधान में संशोधन

4915. श्री जोस के. मणि : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षणिक उद्देश्य और सरकारी नौकरियों के लिए जाति की अनदेखी करते हुए आर्थिक करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने हेतु संविधान में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन कब तक लाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन

4916. श्री प्रबोध पांडा : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान उपबंध दोषी पाए गए सूचना अधिकारियों का अभियोजन करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त विधान लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एस.सी./एस.टी. को खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

4917. श्री रतन सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.सी./एस.टी. वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) के आबंटन के लिए बड़ी संख्या में आशय पत्र कई वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये कितनी अवधि से लंबित है;

(ग) एस.सी./एस.टी. वर्ग के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन आवेदकों को पेट्रोल पंपों के लिए भूमि आबंटन करने में किसी तेल कंपनी के विफल रहने की स्थिति में क्या वर्तमान नीति उन्हें उस राज्य के भीतर किसी अन्य तेल कंपनी द्वारा भूमि आबंटन की अनुमति देती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एस.सी. समुदाय का व्यक्ति पेट्रोल पंप के संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आशय पत्र अंतरित कर सकता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के उम्मीदवारों को खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपों के लिए 1112 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए हैं, जो अभी चालू किए जाने हैं।

विद्यमान नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए चुने गए उम्मीदवार संग्रह निधि सुविधा के लिए पात्र है। इस योजना के तहत, ओएमसी को विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त स्थलों की खरीद करनी है और उसे अपनी लागत पर सभी मूलभूत सुविधाओं सहित आरओज को तैयार करना है।

तथापि, उस समय आरओज शुरू करने में विलंब होता है जब इन डीलरशिपों के लिए या तो भूमि उपलब्ध नहीं होती है या निगम के भूमि संबंधी सार्वजनिक विज्ञापन से भूमि के लिए कोई समुचित प्रस्ताव नहीं मिलता है।

लंबित एलओआई धारकों की समस्या को कम करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने अपने दिनांक 6.9.2006 के पत्र के माध्यम से ओएमसज को सलाह दी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत लंबित एलओआई धारकों को अस्थायी कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोकोज) के प्रस्ताव दिये जाएं और उन्हें सुपुर्द किया जाए।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) जी, नहीं।

स्वचालित दरवाजे बंद होना

4918. श्री बलीराम जाधव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती रेलगाड़ियों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मेट्रो रेलों की तर्ज पर सभी रेलगाड़ियों में दरवाजा बंद करने की स्वचालित प्रणाली लगाने के किसी प्रस्ताव पर रेलवे विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके वित्तीय परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रणाली कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है।

वैध डीपीएसएल करार के बिना चल रहे खुदरा बिक्री केन्द्र

4919. डॉ. बलीराम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), भारतीय तेल निगम (आईओसी) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के खुदा बिक्री-केन्द्रों की संख्या कितनी है जो बगैर वैध डीपीएसएल करार के चल रहे हैं;

(ख) क्या उसके लिए कुछ प्राधिकृत अधिकार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीपीसीएल का खुदरा बिक्री-केन्द्र मैसर्स एयरपोर्ट सर्विस स्टेशन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली पिछले 10 वर्षों से किसी वैध डीपीएसएल करार के बिना संचालित हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस खुदरा बिक्री केन्द्र के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (छ) दिल्ली प्रदेश में हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की सभी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें वैध डीलरशिप करार के साथ प्रचालन कर रही हैं। दिल्ली प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) का एक खुदरा बिक्री केन्द्र भूमि पट्टा करार निष्पादित न हो पाने के कारण, डीलरशिप करार के बिना ही प्रचालन कर रहा है। भूमि पट्टा करार के निष्पादन का मामला लंबित है, क्योंकि भूमि प्रयोग के परिवर्तन को मंजूरी प्रदान करने का मामला न्यायाधीन है। दिल्ली प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के खुदरा बिक्री केन्द्रों के ऐसे कुछ मामले हैं जहां सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न कर पाने के कारण नया डीपीएसएल करार नहीं किया जा सका। तथापि, जब तक सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर लिया जाता इन खुदरा बिक्री केन्द्रों को अस्थायी आधार पर चलाया जा रहा है। बीपीसीएल का ऐसा ही एक खुदरा बिक्री केन्द्र मैसर्स एयरपोर्ट सर्विस स्टेशन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली है। मैसर्स एयरपोर्ट सर्विस स्टेशन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली के प्रचालन के विरुद्ध मंत्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई है और बीपीसीएल को उचित प्रकार से लंबित आवश्यक औपचारिकताओं को एक चरणबद्ध ढंग से पूरा करने की सलाह दी गई है। खुदरा बिक्री

केन्द्र डीलरशिप के पुनर्गठन के लिए/डीलरशिप करार पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रभागीय खुदरा बिक्री प्रबंधक/क्षेत्रीय महाप्रबंधक को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

[हिन्दी]

अप्राधिकृत कनेक्शन

4920. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एलपीजी के 20 प्रतिशत कनेक्शन अप्राधिकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के मद्देनजर उक्त कनेक्शनों को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं, जो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत नहीं हैं, द्वारा घरेलू एलपीजी कनेक्शनों के लिए प्रयुक्त एलपीजी उपकरण, अप्राधिकृत एलपीजी कनेक्शन माने जाते हैं। देश में ऐसे अप्राधिकृत घरेलू एलपीजी कनेक्शन का ओएमसीज के पास कोई अनुमान नहीं है। तथापि, ऐसे अप्राधिकृत एलपीजी कनेक्शन को नियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

प्राकृतिक गैस के उत्पादन का मूल्य

4921. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गुजरात राज्य में विशेषकर वडोदरा बेसिन पर दाहेज में प्राकृतिक गैस की निष्कर्षण लागत तथा उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीपीएल धारकों की भर्ती

4922. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारकों की विगत में विमान यातायात नियंत्रक (एटीसी) के रूप में भर्ती की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलटों की बेरोजगारी दूर करने, सुरक्षा एवं दक्षता के हित में सीपीएल धारकों के लिए इंटर्नशिप योजना प्रारंभ करने का कोई विचार है जैसाकि चिकित्सकों के मामले में किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के किस तिथि तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जेईटी (एटीसी) की भर्ती की है जिसके लिए कतिपय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने वाले वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (सीपीएल) धारक भी इस पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। बहरहाल, विगत हाल में केवल सीपीएल की पात्रता वाले किसी व्यक्ति को जेईटी (एटीसी) के रूप में भर्ती नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) पर उत्तर के दृष्टिगत लागू नहीं।

नि:शक्तों के लिए सुविधाएं

4923. श्रीमती प्रिया दत्त :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की कोई योजना मुंबई उप-नगरीय रेलमार्गों हेतु विशेष नि:शक्त अनुकूल यात्री डिब्बों के निर्माण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गयी समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या नि:शक्त यात्रियों के लिए आरक्षित यात्री डिब्बे रेलगाड़ियों में अपर्याप्त हैं;

(घ) इस सुविधा युक्त रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुंबई उप-नगरीय रेलमार्गों सहित देश में प्लेटफार्म नि:शक्तों के अनुकूल हैं;

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) रेलवे द्वारा विभिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए टिकट आरक्षण सुविधा प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ज) ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए शैचालय तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(झ) सभी रेलवे स्टेशनों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) भारतीय रेलों ने लगभग 2100 ऐसे सवारी डिब्बों का पहले ही विनिर्माण कर लिया है जिनमें व्हील चेयर वालों/विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के अनुकूल डिजायन किए गए कंपार्टमेंट और शौचालय बनाए गए हैं। प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस में कम से कम एक ऐसा सवारी डिब्बा लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्णतया वातानुकूलित गरीब रथ गाड़ियों की पॉवर कारों में विकलांगों के अनुकूल वातानुकूलित कंपार्टमेंट मुहैया कराया गया है। इसी प्रकार, उपनगरीय गाड़ियों में, ईएमयू डिब्बों में व्हील चयेर वाली/विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रवेश और निकास हेतु द्वारा मार्ग पर्याप्त चौड़े बनाए गए हैं। चुनिंदा उपनगरीय गाड़ियों में जिनमें मुम्बई की उपनगरीय गाडियां भी शामिल हैं, विकलांगों के लिए विनिर्धारित कंपार्टमेंट भी मौजूद हैं।

(ङ) और (च) निशक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुसरण में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्टेशनों को अधिक अनुकूल बनाने के लिए जरूरी सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से एक कार्ययोजना के जरिये उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इन चिन्हित सुविधाओं में मानक रैंप, पार्किंग लॉट, फिसलनरहित पैदलमार्ग, संकेत चिन्ह, शौचालय, पानी के नल, 'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं' बूथ और व्हील चेयर शामिल हैं। रेलों ने विकलांग व्यक्तियों विशेषकर व्हील चेयर वालों के लिए प्लेटफार्मों के अंत में मुहैया कराए गए मार्ग का इस्तेमाल करके एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने की सुविधा मुहैया कराने की योजना बनाई है। विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किए गए प्रमुख और महत्वपूर्ण स्टेशनों में लिफ्टों/एस्केलेटरों की व्यवस्था करके अवरोधरहित पहुंच मुहैया कराने की भी योजना बनाई गई है।

(छ) अक्षम व्यक्तियों के लिए शयनयान श्रेणी की दो बर्थों के कोटे को आरक्षित करने के अलावा प्रमुख आरक्षण केन्द्रों पर उनके लिए पृथक टिकट काउंटर आरक्षित किया गया है।

(ज) और (झ) भारतीय रेलों पर 'ए-I' और 'ए' श्रेणी के 342 स्टेशनों में से 322 स्टेशनों में निशक्त व्यक्तियों के अनुकूल शौचालय के रूप में जन सुविधाएं और पानी के बूथ मुहैया करा दिए गए हैं। 338 स्टेशनों पर स्टेशनों तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए स्टैंडर्ड रैंप मुहैया कराए गए हैं ताकि इनकी सहायता से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंचा जा सके। ऐसे 64 स्टेशनों के ऊपरी पैदल पुलों पर भी रैंप मुहैया कराए गए हैं।

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

4924. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय निजी क्षेत्र की कंपनियों को देश के कुछेक विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों से प्राप्त राजस्व का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डा।

(ग) दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डे की पुन:सर्रचना एवं आधुनिकीकरण की सेवा शर्तें प्रचालन प्रबंधन विकास करार के द्वारा शासित होती है, जो कि दिनांक 4.4.2006 से कतिपय कार्यों की अनुमति देता है।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) तथा मुंबई इंटरनेशनल लिमिटेड (मायल) से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2006-07 से प्राप्त किए जाने वाले राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए)

कंपनी	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
डायल	276.98	407.72	445.63	544.29
मायल	232.16	337.73	374.62	396.68
कुल	509.14	745.45	820.25	940.97

आंग्ल-भारतीय समुदाय

4925. श्री चार्ल्स डिएस : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंग्ल-भारतीय समुदाय हेतु कल्याणकारी उपाय प्रारंभ करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि इनमें से कई आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से कमजोर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे शहरों में विशेषरूप से, जो आंग्ल-भारतीय बहुल हैं, आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए 'कल्याण केन्द्र' की स्थापना करने तथा 'स्व-रोजगार योजनाएं' प्रारंभ करने के लिए उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आंग्ल-भारतीयों के लिए 'कल्याण केन्द्रों' की स्थापना करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंग्ल-भारतीय समुदाय से उन्हें 'जातीय और भाषाई अल्पसंख्यक' के रूप में वर्गीकृत करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 366(2) के अंतर्गत जातीय अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) यद्यपि ''आंग्ल-भारतीय समुदाय'' के लिए विशेष रूप से कोई कल्याणकारी उपाय किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत घोषित धार्मिक अल्पसंख्यकों यथा मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, सिक्ख और पारसी समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए इस मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति की कई योजनाएं शुरू की गई हैं, यथा– नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आदि। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वार इसकी अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र सदस्यों को सावधि ऋण और लघु ऋण प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त धार्मिक समुदायों के तहत आने वाले आंग्ल-भारतीय भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में किसी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ''कल्याण केन्द्र'' स्थापित किए जाने संबंधी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 366(2) में आंग्ल-भारतीय की परिभाषा का उल्लेख है। संविधान के अंतर्गत धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय का प्रावधान है। ये रक्षोपाय धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ-साथ आंग्ल-भारतीयों के पात्र वर्ग के लिए भी हैं।

रेलवे भूमि पर पवन चक्की

4926. श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार चेन्नै में ताम्बरम रेलवे स्टेशन को प्रमुख टर्मिनल में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने पवन ऊर्जा के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए पवन ऊर्जा चक्कियों की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी अनुमानित क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या इसकी क्षमता के विस्तार करने तथा आगामी वर्षों में और ऐसी चक्कियों की स्थापना करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। 2008-09 में कोचिंग टर्मिनल के रूप में तांबरम को विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गयी थी। योजनागत सुविधाओं में 2 पिट लाइनें, 1 स्टेबलिंग लाइन, एक शंटिक नैक और एकीकृत अनुरक्षण सुविधाएं शामिल हैं। इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय रेल ने सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ), पैराम्बूर की बिजली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में तिरूनेलवेली जिले के कस्तूरीरंगापुरम और उरूमंगलगम गांवों में 10.5 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की क्षमता वाली पवन चक्की, जिसमें 7 इकाइयां शामिल हैं, प्रत्येक की क्षमता 1.5 मेगावाट है, स्थापित की हैं।

(ङ) से (छ) फिलहाल आईसीएफ के पवन चक्की संयंत्र की क्षमता में विस्तार किए जाने का कोई स्वीकृत कार्य नहीं है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एक दक्षिण रेलवे में तथा दूसरा उत्तर पश्चिम रेलवे में, प्रत्येक 10.5 मेगावाट क्षमता के दो पवन चक्की संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

4927. श्री महाबल मिश्रा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आमतौर पर अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक रेल विशेष सूचना/सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वरिष्ठ नागरिकों, अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं तथा अन्य श्रेणी के ऐसे यात्रियों जो स्टेशन/गंतव्य स्टेशन पर आने-जाने के लिए अपने रिश्तेदारों/मित्रों पर निर्भर रहते हैं, की समस्याओं को दूर करने तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे ने देश में सबसे लाभप्रद यात्री मार्गों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) अकेले यात्रा कर रहे यात्रियों सहित सभी तरह के यात्रियों के लिए रेल विनिर्दिष्ट सुविधाओं का आवर्धन एक जारी और सतत् प्रक्रिया है।

(ख) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए विभिन्न स्टेशनों पर बैटरी परिचालित कार्टों को शुरू किया गया है।

(ii) रैंप और कम ऊंचाई के पीने के पानी के बूथों का प्रावधान।

(iii) रेल बजट 2010-11 में वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को उनके सामान सहित चढ़ाने और उतारने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण शहरों में वर्दीधारकों अटैंडटों द्वारा संभाली जाने वाली आधुनिक लगैज ट्रालियों के प्रस्ताव की घोषणा की गई है।

(iv) इसके अतिरिक्त, आरक्षित स्थानों वाली सभी गाड़ियों में अकेले यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर, वातानुकूलित 3-टीयर (3 एसी) और वातानुकूलित 2-टीयर (2 एसी) के प्रत्येक सवारी डिब्बों में दो लोअर बर्थ का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) मार्गवार लाभदायिकता का आकलन नहीं किया जाता है। बहरहाल, गाडियों और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का आवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है जो संभाले जा रहे यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है।

व्यय निगरानी प्रभाग

4928. श्री जगदीश शर्मा :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत व्यय निगरानी प्रभाग की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रभाग के उद्देश्य एवं कार्यकरण क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचन व्यय निगरानी प्रभाग की अध्यक्षता, महानिदेशक द्वारा की जाती है, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का ज्येष्ठ अधिकारी होती है। वर्तमान में महानिदेशक की, भारत निर्वाचन आयोग के सचिव, एक अवर सचिव और अनेक सहायक कर्मचारिवृंद द्वारा सहायता की जाती है।

(ग) निर्वाचन व्यय निगरानी प्रभाग के उद्देश्य और कृत्य, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा व्यय की निगरानी में, निर्वाचनों में धन शक्ति के नियंत्रण में और विधि के अधीन समुचित कार्रवाई करने में सहायता करने के लिए है।

[अनुवाद]

विशाखापट्टनम से काकीनाड़ा तक पेट्रो-गलियारा

4929. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में विशाखपट्टनम से काकीनाड़ा तक पेट्रो गालियारे कर कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बुने वस्त्र उद्योग

4930. श्री प्रेमदास :
श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बुने हुए वस्त्रों के उद्योग का चालू वर्ष में बिक्री क्रयादेशों के बढ़ने के कारण पुनरुद्धार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बुने हुए वस्त्र के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए या जा रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऊन का प्रतिवर्ष राज्य-वार उत्पादन कितना रहा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-मई, 2010 के दौरान निटवियर उत्पादों का निर्यात अप्रैल-मई, 2009 में 714.32 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 744.40 मिलियन अमरीकी डॉलर का था जो चालू वर्ष में अमरीकी डॉलर के रूप में 4.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) सरकार ने निटवियर क्षेत्र में क्षमताओं और विशेषज्ञता में वृद्धि करने के लिए अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् (एईपीसी) द्वारा तिरुपुर में स्थापित किए गए निटवियर प्रौद्योगिकी मिशन (केटीएम) को सहायता दी है। इस परियोजना से उद्योग को ज्ञान सेवा, परीक्षण एवं प्रमाणन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, डिजाइन सेवाएं और निवेशक सुविधा सेवाएं जैसे प्रौद्योगिकी चयन आदि सहित विभिन्न सहायता सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा निटवियर उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(घ) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए ऊन के राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2005-06 से 2007-08 में ऊन का राज्य-वार अनुमानित उत्पादन

(000 कि.ग्रा.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3978	4230	4407
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	14	12
3.	बिहार	220	231	241
4.	छत्तीसगढ़	244	245	245
5.	गुजरात	3123	2962	2996
6.	हरियाणा	1136	1121	1121
7.	हिमाचल प्रदेश	1603*	1605	1607*
8.	जम्मू और कश्मीर	7400	7400	7100
9.	झारखंड	150	146	147
10.	कर्नाटक	5598	5599	5631
11.	मध्य प्रदेश	431	428	401
12.	महाराष्ट्र	1640	1667	1677
13.	पंजाब	712$	513	435$
14.	राजस्थान	15405	15685	15451
15.	सिक्किम	2	1	1
16.	तमिलनाडु	750	750	25
17.	उत्तर प्रदेश	1459	1461	1481
18.	उत्तराखंड	353	355	360
19.	पश्चिम बंगाल	666	673	680
	कुल	44884	45085	44021

*फार्म उत्पादन शामिल।

$बूचर खाने का ऊन उत्पादन शामिल।

स्रोत: राज्य पशुपालन विभाग।

डीजल की मांग

4931. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अर्जुन राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खपत हेतु डीजल की मांग अधिकतम हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या डीजल की खपत ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अतिरिक्त कृषि, रेल, विद्युत उत्पादन उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में भी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो देश में उपर्युक्त सभी उल्लिखित क्षेत्रों में इसकी खपत की औसत वार्षिक प्रतिशत कितना है; और

(ङ) वर्ष 2008-09 से ही प्रत्येक क्षेत्र में अब तक डीजल खपत की मात्रा में दर्ज की गयी वृद्धि कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2009-10 के दौरान डीजल देश में सबसे अधिक बिकने वाला पेट्रोलियम उत्पाद है। डीजल के उपभोग का प्रतिशत देश में पेट्रोलियम उत्पादों के कुल उपभोग का 40.8% (अनन्तिम) है।

(ग) और (घ) जी, हां। डीजल का उपभोग कृषि, रेलवे, अन्य परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। वर्ष 2008-09

के दौरान डीजल के उपभोग का क्षेत्र-वार अनुमानित प्रतिशत नीचे दिया गया है:–

क्षेत्र	वर्ष 2008-09 के दौरान उपभोग का अनुमानित %
कृषि	11.6
रेलवे	4.2
अन्य परिवहन	61.1
ऊर्जा उत्पादन	8.4
उद्योग	10.2
अन्य	4.2
कुल	100

(ङ) वर्ष 2008-09 से 2009-10 की अवधि के दौरान डीजल के उपभोग में क्षेत्रवार अनुमानित वृद्धि नीचे दी गई है:–

क्षेत्र	उपभोग की गई अनुमानित मात्रा (000 एमटी)		वृद्धि % में
	2008-09	2009-10 (अनन्तिम)	
कृषि	6153	6829	10.98
रेलवे	2166	2261	4.38
अन्य परिवहन	31564	34414	9.02
ऊर्जा उत्पादन	4316	4686	8.57
उद्योग	5289	6002	13.48
अन्य	2160	1956	(9.44)
कुल	51648*	56148*	

*मात्रा में सीधे निजी आयातों के माध्यम से उपभोग शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

रेल सेवाओं का प्रारंभ

4932. श्री सुरेश अंगड़ी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास नयी रेल सेवा प्रारंभ करने संबंधी कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने भी इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं प्रदान की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्य में नयी रेल सेवा प्रारंभ करने के लिए रेलवे द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) नई गाड़ियों की शुरूआत के लिए राज्य सरकारों, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, आम जनता सहित विभिन्न क्षेत्रों से रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अर्थात् रेलवे स्टेशन, मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालयों और रेल मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन निवेदनों को जांचा जाता है और व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इन पर कार्रवाई की जाती हैं। कर्नाटक सरकार सहित विभिन्न भागों से प्राप्त अनुरोधों को जांचा गया है और प्रतिस्पर्धात्मक मांगों, अवसंरचनात्मक उपलब्धता, परिचालनिक व्यवहार्यता आदि को देखते हुए उनपर कार्रवाई की गई है।

(च) भारतीय रेलों पर नई यात्री गाड़ियों को चलाना एक सतत् प्रक्रिया है। गाड़ियों को शुरू करने का निर्णय सामान्यत: वार्षिक आधार पर, वर्ष-दर-वर्ष, निम्नलिखित कारकों के आधार पर लिया जाता हैं:–

(क) किसी विशेष क्षेत्र में यात्रा के लिए लोकप्रियता/मांग।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता – इंजनों और सवारी डिब्बों सहित चल स्टॉक।

(ग) पिट लाइनों, स्टेबलिंग लाइनों और प्लेटफार्म लाइनों जैसी टर्मिनल अवसंरचना की उपलब्धता।

(घ) गाड़ियों के अनुरक्षण और सुरक्षित परिचालन हेतु मानव शक्ति की उपलब्धता।

(ङ) स्पेयर लाइन क्षमता की उपलब्धता ताकि गाड़ियों के रास्ते और समय-सूची को निश्चित किया जा सके।

शेल गैस अन्वेषण संबंधी नीति

4933. श्री मनीष तिवारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास शेल गैस अन्वेषण संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के पास शेल गैस का कोई आर्थिक रूप से व्यवहार्य भंडार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई भारतीय या विदेशी कंपनी भारत में शेल-गैस के कुएं की खुदाई करने में समर्थ रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) तेल/एलएनजी आदि जैसे अन्य हाइड्रोकार्बनों की तुलना में शेल गैस के अन्वेषण की लागत कितनी है;

(ज) विकसित देशों तथा बीआरआईसी देशों जैसे प्रमुख विकासशील देशों की मिश्रित ऊर्जा का कितना प्रतिशत शेल गैस है;

(झ) पंप पर दिए जाने वाले अन्य हाइड्रोकार्बनों की तुलना में शेल गैस का व्यावसायिक उत्पादन वित्तीय संदर्भों में कितना है; और

(ञ) अपने ऊर्जा मिश्र को व्यापक स्वरूप देने के लिए सरकार किन अन्य अपारंपरिक हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) सरकार ने शेल गैस के महत्व और क्षमता पर विचार करते हुए शेल गैस पर एक नीति बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। देश में शेल गैस संसाधनों के संभावित बेसिनों/क्षेत्रों और अनुमानों का पता लगाने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) अनुसंधान एवं विकास परियोजना के एक भाग के रूप में ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा रानीगंज बेसिन में एक शेल गैस कूप (आरएनएसजी-I) की खुदाई की गई है। चूंकि शेल गैस का अन्वेषण, आर एंड डी स्तर पर है, अत: दूसरे हाइड्रोकार्बनों से अन्वेषण के लागत की तुलना नहीं की जा सकती है।

(ज) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और कनाडा दो प्रमुख देश हैं जहां शेल गैस संसाधनों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया गया है। यूएसए में कुल गैस उत्पादन में शेल गैस का लगभग 17% भाग है।

(झ) भारत में शेल गैस अन्वेषण अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) स्तर पर है और इसने वाणिज्यिक स्तर में प्रवेश नहीं किया है।

(ञ) गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन स्रोतों में कोल बेड मीथेन का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया जा रहा है। तथापि, गैस हाइड्रेट और ऑयल शेल जैसे अन्य गैर-पारंपरिक स्रोत आर एंड डी स्तर पर हैं।

घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए उपयोग नीति

4934. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन धं. बाबर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस विपणन कंपनियों के विनियामक ने घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए उपयोग नीति का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के सभी भागों में प्राकृतिक गैस की अबाधित तथा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रतिस्पर्द्धी बाजारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने सुझाव दिया है कि शहर गैस वितरण क्षेत्र के वाणिज्यिक और औद्योगिक खंडों को परिवहन एवं घरेलू खंडों के लिए दी गई प्राथमिकता की भांति ही प्राथमिकता दी जाए।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित के साथ-साथ देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बहुमखी कार्यनीति अपनायी है।

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (नेल्प) दौरों के माध्यम से घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एंड पी) कार्यकलापों को तेज करना।

कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

भूमिगत कोयला गैसीकरण

गैस हाइड्रोट्स

विभिन्न देशों में एलएनजी का आयात; और

राष्ट्रपारीय पाइपलाइनें नामत: तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन और ईरान-पाकिस्तान-भारत (आईपीआई) पाइपलाइन। आगे, भारत सरकार ने ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006'' अधिनियमित किया है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करता है ताकि उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट कार्यकलापों से जुड़ी कंपनियों के हितों की रक्षा की जा सके और देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो तथा प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों और उससे जुड़े या वहां के प्रासंगिक सभी मामलों को प्रोत्साहित किया जा सके।

[हिन्दी]

रेलवे मार्ग पर विस्फोट

4935. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर खंड पर 'सिंधोली' रेलवे स्टेशन के समीप हाल में कोई बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इसकी जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) 14.09.2010 को लगभग 02.35 बजे समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर खंड पर सिहो-धोली खंड के पास रेलपथ पर संदिग्ध विंग उग्रवादियों ने एक बम विस्फोट किया। विस्फोट के कारण एक कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गया और लगभग 1 मीटर रेलपथ हल्का-सा मुड़ गया। इस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु/घायल होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। राजकीय रेलवे पुलिस, मुजफ्फरपुर में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 427/120बी भारतीय दंड संहिता 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 25 (1बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम, 17 क्रिमिनल लॉ एक्ट और 150/151 रेल अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 14.09.2010 को अपराध सं. 61/2010 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

(ङ) रेल परिसर के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है, जिसका निर्वहन वह संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस की सहायता से करती हैं। इस प्रकार रेलों पर अपराध के मामलों की रिपोर्ट, उन्हें दर्ज किया जाना और उनकी जांच राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाती है।

बहरहाल, इन घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का प्रभावी रूप से संपूरित करने के लिए रेल सुरक्षा बल को तैनात किया जाता है।

रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) भेद्य खंडों/क्षेत्रों पर नामित गाड़ियों का राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा मार्गरक्षण किया जाता है।

(ii) गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने रेल अवसंरचना पर हमलों को रोकने और ऐसी किसी आपदा से बचने के लिए सिविल पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस और केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं।

(iii) महाप्रबंधकों और मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर और मंडल रेल प्रबंधकों और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल द्वारा मंडल स्तर पर क्रमश: राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाती है।

(iv) भेद्य रेलवे स्टेशनों पर सर्वेलांस मैकेनिजम सुदृढ़ किए जाने हेतु एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को अनुमोदित कर दिया गया है। पहले चरण में इसे ऐसे 202 रेलवे स्टेशनों पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड

4936. श्री एम.बी. राजेश : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्ट्रूमेन्टेशन लि. की पालक्कड़ इकाई ही कंपनी की पांच इकाइयों में से लाभ अर्जित करने वाली अकेली इकाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने पालक्कड़ इकाई का एक राज्य पीएसयू के रूप में या केंद्र सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में अधिग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान इंस्ट्रूमेन्टेशन लि. की इकाइयों की लाभप्रदता नीचे दर्शाई गई है:–

क्र. सं.	यूनिट	2007-08	2008-09	2009-10*
1.	कोटा यूनिट	(-)1501.74	(-)2395.94	(-)3253.52
2.	पी-डीडीसी यूनिट	82.36	(-)1259.05	(-)891.07
3.	विपणन यूनिट	(-)145.96	(-)498.29	(-)568.49
4.	पालक्कड़ यूनिट	2091.41	2171.55	2259.95
5.	कॉर्पोरेट मुख्यालय	(-)3862.26	(-)4906.22	35815.40
6.	कंपनी का निवल लाभ और हानि	(-)3336.19	(-)6887.95	33362.27

*वित्तीय पुनर्गठन के प्रभाव के कारण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल के ढांचे में प्रशासनिक परिवर्तन

4937. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेल के अंतर्गत प्रबंध निदेशक के पद को समाप्त करने सहित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ढांचे में प्रशासनिक परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) सरकार ने दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई और इस्को स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के इस्पात संयंत्रों के प्रबंध निदेशकों के पदों को समाप्त करने और सेल बोर्ड द्वारा बोर्ड स्तर के नीचे की नियुक्तियों के समान संयंत्र के प्रबंध निदेशकों के चयन एवं नियुक्तियां करने का सेल बोर्ड से प्राप्त एक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। समाप्ति के पश्चात् प्रबंध निदेशकों के पदों को विद्यमान वेतनमानों में संबंधित संयंत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में पुन: पदनामित किया जाएगा जो निदेशक बोर्ड में विशेष स्थायी आमंत्रित के रूप में बने रहने के परंतुक के साथ बोर्ड में निदेशकों के वेतनमान के समकक्ष होंगे।

लाभांश की घोषणा

4938. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कम्पनियों सहित जिनमें सरकार या व्यापक हित है सहित अन्य कम्पनियों द्वारा प्रति शेयर आय के स्तर से बहुत कम लाभांश की घोषणा करने की आम प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जिससे शेयरधारकों के हित प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या पर ध्यान देने के लिए कम्पनी कानून में समुचित परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी (निक्षेप में लाभ का अंतरण) नियम, 1975 के प्रावधानों के तहत कोई कम्पनी मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था करने एवं निक्षेप में लाभ का अंतरण करने के पश्चात् लाभ से लाभांश की घोषणा कर सकती है। ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के मद्देनजर कम्पनी के निदेशक मंडल की सिफारिश पर कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में लाभांश की घोषणा की जाती है।

(ग) से (ङ) कम्पनी विधेयक, 2009 जिसका उद्देश्य मौजूदा कम्पनी अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित करना है, अगस्त, 2009 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और जांच एवं रिपोर्ट भेजने हेतु वित्त संबंधी माननीय संसदीय समिति को भेजा गया। उक्त समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त, 2010 को सौंप दी थी। सरकार वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों तथा विभिन्न पणधारकों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर विधेयक के प्रावधानों की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का बंद होना

4939. श्री उदय प्राप्त सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) के उत्पादन में लगे लघु उद्योगों को बंद करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो लघु उद्योगों पर न्यूनतम 40,000 टन एसएसपी का उत्पादन करने की शर्त थोपने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या 40,000 टन से अधिक एसएसपी का उत्पादन करने वाले उद्योग ही देश में प्रचालन कर पाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उर्वरक विभाग ने 1.10.2009 से 30.4.2010 तक सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के लिए और 1.5.2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता के लिए तदर्थ रियायत हेतु संशोधित नीति लागू की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केवल वही एसएसपी इकाइयां उर्वरक विभाग से राजसहायता का दावा करने की पात्र होंगी, जो अपनी वार्षिक स्थापित क्षमता का 50% या 40000 मी.टन प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का उत्पादन कर सकती हैं। यह शर्त सभी एसएसपी उत्पादक इकाइयों पर लागू होगी चाहे वे किसी भी आकार की हों। चूंकि, एसएसपी फास्फेट और सल्फर का स्रोत है और डीएपी का एक विकल्प है। वर्तमान में, देश में 80 लाख मी.टन एसएसपी की वार्षिक स्थापित क्षमता के केवल 35% का ही उपयोग किया जा रहा है। देश में एसएसपी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादकों से वार्षिक स्थापित क्षमता का 50% या 40,000 मी.टन प्रति वर्ष, जो भी कम हो, का उत्पादन करने के लिए कहा गया है इससे देश में एसएसपी के उत्पादन तथा उसकी उपलब्धता को प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

दक्षिणी राज्यों में रेल परियोजनाएं

4940. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में रेल विभाग द्वारा पूरे किए गए विभिन्न परियोजनाओं के सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेल बजट 2009-10 में घोषित परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और रेल बजट 2010-11 में घोषित परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी निधियों का आवंटन किया गया है; और

(घ) सरकार ने उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत 24 नई लाइनों और 7 दोहरीकरण कार्यों का सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। रेल बजट 2009-10 में 7 नए सर्वेक्षण घोषित किए गए थे, जिनमें से 3 सर्वेक्षणों को पूरा कर लिया गया है। रेल बजट 2010-11 में 28 नए सर्वेक्षण घोषित किए गए थे, जिनमें से 3 सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

लंबी दूरी वाले प्रस्तावों के सर्वेक्षण के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु अधिक समय की आवश्यकता होती है। 2010-11 के दौरान सर्वेक्षणों के लिए 85.65 लाख रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(घ) चालू सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए विभागीय सर्वेक्षण दलों को तैनात किया जाता है। जहां कहीं आवश्यकता है। विभागीय सर्वेक्षण दलों को सहायता करने के लिए ठेके दिए जा रहे हैं।

अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा

4941. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन लोगों और समुदायों की क्षतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है जिन्होंने तेल और गैस परियोजनाओं हेतु अपनी भूमि को खो दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय में तेल और गैस परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि खो चुके व्यक्तियों और समुदायों को मुआवजा देने संबंधी किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

बार-बार यात्रा करने वालों के लिए योजना (एसओएफटी)

4942. श्री समीर भुजबल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बार-बार यात्रा करने वालों के लिए योजना (एफओएफटी) का विस्तार वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के लिए भी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वातानुकूलित 3 टियर (3 एसी) तथा स्लीपर श्रेणी में योजना का विस्तार वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

औषधि विनिर्माण कंपनियां

4943. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कार्य करने वाले विनियामक प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में बिक्री हेतु 500 से अधिक औषधियां हैं और 50,000 कंपनियां बाजार में कार्य कर रही हैं जिससे भेषज क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं पैदा हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) औषधियों के मूल्य निर्धारण का कार्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से औषध विभाग, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है जबकि औषधियों के उत्पादन लाइसेंस तथा गुणवत्ता से संबंधित मामलों पर कार्यवाही केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है।

(ख) 'भारत में भेषज विनिर्माण इकाइयों की डायरेक्टरी, 2007' से उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 10,563 भेषज विनिर्माता हैं जिनमें से 8174 भेषज विनिर्माता 'फार्मूलेशन' औषधियों का तथा शेष 2389 भेषज विनिर्माता बल्क औषधियों का निर्माण करते है।। भेषज उद्योग की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और समस्याओं के स्वरूप तथा संबंधित विभाग के क्षेत्राधिकार के आधार पर संबंधित सरकारी विनियामक प्राधिकरण इनपर ध्यान देते हैं।

(ग) से (ङ) प्रारूप राष्ट्रीय औषधि नीति, 2006 सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके तैयार की गई थी जिसमें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अधीन इस समय मूल्य नियंत्रण के अधीनआने वाली 74 औषधियों के अलावा राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), 2003 में उल्लिखित आवश्यक औषधियों को (कतिपय शर्तों तथा छूटों के अधीन रहते हुए) मूल्य नियंत्रण के अधीन लाने का प्रस्ताव है। इस समय यह प्रस्ताव मंत्रियों के समूह (जीओएम) के विचाराधीन है।

उर्वरकों का विपथन

4944. श्री अब्दुल रहमान : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में किसानों के मतलब के उर्वरकों के अवैध विपथन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उत्तरदायी पाई गई कंपनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) भारत से पड़ोसी देशों में उर्वरकों की तस्करी की रिपोर्टें मिली हैं। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा उनकी पुष्टि नहीं की गई है। राज्यों में मुख्य सचिवों और सीमा रक्षक प्राधिकारियों जैसे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), तट रक्षकों और सीमा-शुल्क प्राधिकारियों आदि को उर्वरक विभाग, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी गतिविधियों, जिनसे उर्वरकों का अवैध निर्यात/तस्करी होती है, पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधान के अंतर्गत ऐसे कदाचारों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के पैरा 3 में निहित प्रावधान उर्वरकों के अवैध निर्यात/तस्करी पर रोक लगाते हैं। साधारण नमक और सोझा एश के ब्रांड में पैक करके म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी) और डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) का गुजरात से अवैध निर्यात किए जाने का मामला सामने आया है। यह माल कांडला बंदरगाह पर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ा गया है।

इसी प्रकार, महाराष्ट्र सरकार ने भी सूचित किया है कि सोडा एश, साल्ट आदि के नाम से उर्वरक का अवैध रूप से निर्यात किया जा रहा है। यह शिकायत जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक द्वारा 27 जनवरी, 2010 को मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड फर्टिकैम प्रा.लि., रोहा, जिला रायगढ़ के गोदाम का निरीक्षण करते समय 50 किलोग्राम के लगभग 4000 बैग (जिसमें प्रत्येक पर सोडा एश छपा हुआ था, किन्तु जांच रिपोर्ट के अनुसार डीएपी था) जब्त किए जाने के आधार पर की गई थी। इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाहियां संबंधित जिला प्राधिकारियों के सामने लम्बित पड़ी हैं। इसी प्रकार, कर्नाटक, बंगलौर में सीमा-शुल्क ने छह व्यापारियों से 1156 मी. टन एमओपी जब्त किया है और कानूनी कार्यवाही शुरू की गई हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारें कानूनी प्रावधान के अनुसार दोषियां के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करेंगी।

हाल ही में, उर्वरक विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे केन्द्रीय/राज्य प्रवर्तन अभिकरणों की सहायता से उर्वरकों की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

ग्रीनफील्ड और विस्तार परियोजनाएं

4945. श्री नरहरि महतो : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंतर्गत अब तक देश में आरंभ की गई ग्रीनफील्ड और विस्तार परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनके कार्यान्वयन के लिए लौह अयस्कों की मांग की गई है और उनमें से उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान रक्षित लौह अयस्क खानें प्रदान की गई हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता की है। जहां तक इस्पात निवेशकों की स्थापना का संबंध है, इस्पात की क्षमता विस्तार परियोजनाओं के आकार और प्रकार का निर्णय अलग-अलग निवेशकों द्वारा प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में कई बड़ी इस्पात निवेश परियोजनाएं ग्रीनफील्ड (नई परियोजनाएं) और ब्राउनफील्ड (विद्यमान संयंत्रों का क्षमता विस्तार) दोनों क्षेत्रों में प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अलग-अलग कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता का सम्भावित परिदृश्य इस्पात मंत्रालय में तैयार किया गया है (संलग्न विवरण-I में दिया गया है)।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात यूनिटों का ब्यौरा निम्नवत् है:–

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल): सेल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 9 कैप्टिव लौह अयस्क खानों का प्रचालन करता है। सेल को ये खाने चार दशक से अधिक समय पूर्व आबंटित की गई है। लौह अयस्क की बढ़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यमान खानों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। और चिरिया एवं रावघाट में नई खानों का विकास किए जाने को प्रस्तावित किया गया है, बशर्ते कि चिरिया हेतु वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति उपलब्ध हो जाए। दालि-राजहरा खानें जो भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति करती हैं, में घटते लौह अयस्क भंडार को दृष्टिगत रखते हुए सेल को भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में वर्ष 2009 में रावघाट डिपॉजिट हेतु खनन पट्टा (एमएल) प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड: आरआईएनएल ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में 18 खनन पट्टों (एमएल)/पूर्वेक्षणी पट्टों (पीएल) के लिए आवेदन किया है। कंपनी को कोई खनन पट्टा आबंटित नहीं किया गया है।

एनएमडीसी लिमिटेड: एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए बैलाडिला में डिपोजिट-4 के खनन लीज (एमएल) हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के पास आवेदन किया है।

इस्पात मंत्रालय में निजी क्षेत्र के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार लौह अयस्क की आवश्यकता (समझौता ज्ञापन के अनुसार) तथा प्रमुख इस्पात कंपनियों के संबंध में लौह अयस्क के अनुमोदित खनन पट्टों और क्रियान्वित किए जाने वाले पट्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण–I

दिसंबर, 2012 तक इस्पात उत्पादन की संभावित क्षमता

निवेशक	वर्तमान क्षमता	ब्राउनफील्ड विस्तार	ग्रीनफील्ड	2012 तक कुल संभावित क्षमता
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	12.84	8.66	—	21.40
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	2.90	3.40	—	6.30
टाटा स्टील लि.	6.80	3.20	3.0*	13.00*
एस्सार स्टील लि.	4.60	3.9	6.0*	14.5*
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	6.60	4.40	—	11.00
जिंदल स्टील एंड पॉवर लि.	2.40	4.80	3.25	10.45
इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	3.60	0.60	—	4.20
पोस्को इंडिया लि.	—	—	—	—
अर्सलर-मित्तल	—	—	—	—
एनएमडीसी लि.	—	—	—	—
भूषण पॉवर एंड स्टील लि.	1.2	1.60	—	2.80
भूषण स्टील लि.	0.80	2.20	—	3.00
अन्य एवं गौण	31.00	3.2	—	34.2
योग	72.76	35.86	12.25	120.87

*टाटा स्टील (कलिंग नगर-उड़ीसा) और एस्सार स्टील (पारादीप-उड़ीसा) ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के 2012 के आगे तक विलंब होने की संभावना है।

विवरण–II

क. लौह अयस्क की आवश्यकता (समझौता ज्ञापन के अनुसार)

क्र.सं.	कंपनी के स्थानों के नाम		लौह अयस्क की आवश्यकता
1	2		3
1.	एस्सार स्टील लि.	झारखंड	79.00 लाख टन प्रति वर्ष

1	2		3
		छत्तीसगढ़	51.20 लाख टन प्रति वर्ष
		उड़ीसा	एनए
2.	मै. जिंदल स्टील एंड पॉवर लि.	झारखंड	91.25 लाख टन प्रति वर्ष
		छत्तीसगढ़	19.60 लाख टन प्रति वर्ष
		छत्तीसगढ़ (विस्तार)	51.20 लाख टन प्रति वर्ष
		उड़ीसा	एनए
3.	मै. भूषण पॉवर एंड स्टील लि.	झारखंड	41.95 लाख टन प्रति वर्ष
		छत्तीसगढ़	19.20 लाख टन प्रति वर्ष
		उड़ीसा	1.92 मिलियन टन प्रति वर्ष
4.	मै. टाटा स्टील लि.	(ग्रीनफील्ड परियोजना) झारखंड	36.40 मिलियन टन प्रति वर्ष
		छत्तीसगढ़	80.00 लाख टन प्रति वर्ष
		उड़ीसा	4.8 मिलियन टन प्रति वर्ष
5.	मै. टाटा स्टील लि. (विस्तार)	झारखंड	एनए
6.	मैसर्स अर्सलर मित्तल	झारखंड	एनए
		उड़ीसा	9.6 मिलियन टन प्रति वर्ष
7.	मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	झारखंड	2.60 मिलियन टन प्रति वर्ष
		पश्चिम बंगाल	16.00 मिलियन टन प्रति वर्ष
8.	मैं. पोस्को इंडिया लि.	उड़ीसा	एनए
	इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	झारखंड	60.00 लाख टन प्रति वर्ष
9.	भूषण स्टील लि.	पश्चिम बंगाल	4.00 मिलियन टन प्रति वर्ष
		उड़ीसा	एनए

(*स्रोत:* संबंधित राज्य सरकार)

ख. प्रमुख लोहा एवं इस्पात कंपनियों के संबंध में अनुमोदित और क्रियान्वित किए जाने वाले पट्टे (वर्ष 2008-2010)

क्र. सं.	पट्टे तथा राज्य का नाम	खनिज	पट्टे का स्थान तथा जिला	क्षेत्र (हैक्टेयर)	अनुमोदन की तिथि
1.	मै. जिंदल स्टील एंड पॉवर लि., (पीएल) छत्तीसगढ़	लौह अयस्क	बेलाडिला फोरेस्ट रेंज, दांतेवाड़ा	1162	01.10.09
2.	मै. टाटा स्टील लि. (पीएल), महाराष्ट्र	लौह अयस्क,	मासेली, गढ़चिरौली	131.1	22.12.08
3.	मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि. (पीएल), महाराष्ट्र	लौह अयस्क	भेमरागढ़ रेंज, गढ़चिरौली	463	25.09.09
4.	मै. एस्सार स्टील लि., (पीएल) महाराष्ट्र	लौह अयस्क	पुरहुरमिता, गढ़चिरौली	400	25.09.09
5.	मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि. (एमएल), झारखंड	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क	लाटुआ आर.एफ./रायका सिंहभूम (पश्चिम)	520	08.07.08
6.	मै. अर्सलर मित्तल इंडिया लि. (एमएल), झारखंड	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क	मेघाहाताबुरू, सिंहभूम (पश्चिम)	500 एकड़	05.06.08
7.	मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लि. (एमएल), झारखंड	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क	अंकुआ रिजव्ड फोरेस्ट, सिंहभूम (पश्चिम)	999.9	05.09.08
8.	मै. टाटा स्टील लि. (पीएल), झारखंड	लौह अयस्क	अंकुआ (आर.एफ.), सिंहभूम (पश्चिम)	1808	16.04.08
9.	मै. अर्सलर मित्तल इंडिया	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क	करामपदा, सिंहभूम (पश्चिम)	662.95	06.04.10

(स्रोत: खनन मंत्रालय की वेबसाइट)

[हिन्दी]

पट्टे पर रेल भूमि

4946. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश के विभिन्न भागों में अपनी उत्कृष्ट भूमि को पट्टे पर देने अथवा बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक चिन्हित स्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है; और

(ग) रेलवे ने अपनी खाली भूमि के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) खाली पड़ी रेल भूमि से रेलवे का भूमि बैंक बनता है। खाली पड़ी रेल भूमि के उपयोग के संबंध में प्रथम प्राथमिकता का प्रथम प्रभार रेलवे के अपने विकासात्मक कार्यों जैसे दोहरीकरण, आमान

परिवर्तन, यार्ड पुनः संरचना और यातायात सुविधा कार्यों, मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ रेल पथ और अन्य अवसंरचनाओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं संभव हो रेल सवारी डिब्बों और कलपुर्जा फैक्टरियों, इंजन कलपुर्जा फैक्टरियों, माल डिब्बा फैक्टरियों, सवारी डिब्बा पुनर्स्थापन और माल डिब्बा मरम्मत कारखानों, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों, आटो हबों, शीत भंडारों एवं नश्यवान कार्गो सेंटरों, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर फैक्टरी आदि की स्थापना के लिए रेलवे अपने भूमि बैंक की उपयोग के लिए योजना बनाती है।

केवल वह खाली पड़ी रेल भूमि/एयर-स्पेस जिसकी रेलवे को निकट भविष्य में अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित नहीं हैं, को वाणिज्यिक विकास के लिए जहां संभव हो रेलवे के लिए राजस्व सृजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस संबंध में, वाणिज्यिक विकास करने के लिए रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा एक संवैधानिक निकाय रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

एक उचित और पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर को नियुक्त किया जाता है। लीज की अवधि के दौरान भूमि का स्वामित्व रेलवे के पास बना रहता है।

विस्तृत बाजार विश्लेषण, राज्य सरकार/स्थानीय नियम और प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल के आधार पर प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं द्वारा प्रत्येक स्थान के लिए एक विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् उनके द्वारा संभावित राजस्व को निर्धारित किया जाता है। अभी तक 135 स्थानों को चिन्हित किया गया हैं। राज्य-वार विवरण नहीं रखे जाते हैं, बहरहाल, इन स्थानों की रेलवे-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	स्थानों की संख्या	स्टेशन (मंडल)	स्थान का विवरण
1	2	3	4	5
1.	मध्य	1	ठाणे (मुंबई)	ठाणे स्टेशन
2.	पूर्व-मध्य	2	गया (मुगल सराय)	गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट
3.			रक्सौल (समस्तीपुर)	स्टेशन के पहुंच मार्ग पर
4.	पूर्व तट	2	विशाखापट्टनम (वाल्टेयर)	डाबा गार्डन (अम्बेडकर सर्कल)
5.			विशाखापट्टनम (वाल्टेयर)	तयातिपलेम (रारा-5)
6.	पूर्व	6	बेलगरिया (सियालदह)	ट्रैक डिपो के पास
7.			हलीशहर (सियालदह)	कबाड़ यार्ड क्षेत्र में 2 हेक्टेयर एवं 7 हेक्टेयर की माप वाले 2 प्लाट
8.			बल्लीघाट (सियालदह)	जीटी रोड पर कन्या विद्यालय के पास
9.			कांचरापाड़ा (सियालदह)	स्टेशन क्षेत्र के नजदीक चार प्लाट
10.			विधान नगर-दमदम (सियालदह)	खंड में
11.			बजबज (सियालदह)	रेलवे स्टेशन के नजदीक

1	2	3	4	5
12.	कोलकाता मैट्रो	18	टालीगंज स्टेशन	स्टेशन के ऊपर का एयर स्पेस
13.			चांदनी चौक स्टेशन	डिस्पर्सल भवन
14.			बांसद्रोनी स्टेशन	बांसद्रोनी स्टेशन भवन के समीप
15.			नाकताला स्टेशन	नाकताला स्टेशन (उषा फैक्ट्री के पास)
16.			न्यू गरिया स्टेशन	न्यू गरिया स्टेशन के ऊपर का एयर स्पेस
17.			श्यामबाजार और सोवबाजार के बीच	बीबी एवेन्य और जेएम एवेन्यू की क्रासिंग पर – श्याम बाजार
18.			सेंट्रल स्टेशन और एम.जी. रोड के बीच	ईडन हास्पिटल-2 पर सेंट्रल स्टेशन पर एयर स्पेस
19.			टालीगंज स्टेशन एवं रबिंद्रा सरोबर के बीच	120 डीपीएस रोड
20.			श्यामबाजार (03 स्थान)	128, बीबी एवेन्यू, 44 पर एयर स्पेस, बीबी एवेन्यू और 70ए और एन, बीबी एवेन्यू पर एयर स्पेस
21.	कोलकाता मैट्रो		सेंट्रल स्टेशन (07 स्थान)	एयर स्पेस सेंट्रल स्टेशन, एयर डिस्पर्सल बिल्डिंग, सेंट्रल स्टेशन पर भूमि तल पर भूतल स्थान
22.	पूर्वोत्तर	4	शहमतंज (इज्जतनगर)	शहमतगंज
23.			क्लट्टरबकगंज (इज्जतनगर)	क्लट्टरबकगंज
24.			बरेली सिटी (इज्जतनगर)	बरेली सिटी
25.			ग्वालटोली/कानपुर (इज्जतनगर)	ग्वालटोली/कानपुर
26.	उत्तर पश्चिम	3	अजमेर (अजमेर)	फालना/अजमेर
27.			अजमेर (अजमेर)	अजमेर
28.			जोधपुर (जोधपुर)	फलोदी/जोधपुर
29.	उत्तर मध्य	3	ग्वालियर (झांसी)	कम्पू कोठी
30.			ग्वालियर (झांसी)	गोला का मंदिर (बंद मीला स्टेशन)
31.			कानपुर (इलाहाबाद)	निराला नगर
32.	पूर्वोत्तर सीमा	27	सिलीगुड़ी (कटिहार)	महानंदा कालोनी, सिलीगुड़ी

1	2	3	4	5
33.			सिलीगुड़ी (कटिहार)	दार्जिलिंग मोड़ की साइड की ओर, सिलीगुड़ी
34.			सिलीगुड़ी (कटिहार)	डीजल शेड रोड, सिलीगुड़ी
35.			सिलीगुड़ी (कटिहार)	पंचननै नदी एवं ट्रांजिट होस्टल, सिलीगुड़ी
36.			करीमगंज (लमडिंग)	रेलवे कालोनी में
37.			न्यू कूच-बिहार (अलीपुरद्वार)	रेलवे कालोनी में
38.			न्यू अलीपुरद्वार (अलीपुरद्वार)	रेलवे कालोनी में
39.			न्यू जलपाईगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी (कटिहार)	ऊपरी सड़क पुल एवं जोरपानी
40.			न्यू जलपाईगुड़ी (कटिहार)	न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के सामने
41.			न्यू जलपाईगुड़ी (कटिहार)	न्यू जलपाईगुड़ी के पावर हाउस के सामने
42.			न्यू जलपाईगुड़ी (कटिहार)	न्यू जलपाईगुड़ी के नजदीक तीन बत्ती मोड़
43.			न्यू जलपाईगुड़ी (कटिहार)	न्यू जलपाईगुड़ी के परिपथन क्षेत्र के नजदीक
44.			सिलीगुड़ी (कटिहार)	हॉकर कार्नर
45.			सिलीगुड़ी (कटिहार)	बर्दवां रोड
46.	पूर्वोत्तर सीमा		गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-हाजो गुवाहाटी रोड
47.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-हाजो गुवाहाटी रोड
48.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-रांगिया रोड
49.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-रांगिया रोड
50.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-आर.जी. स्टेडियम के नजदीक
51.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-आईआईटी रोड की तरफ
52.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-कॉनकोर कॉम्प्लेक्स के नजदीक
53.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अमीनगांव-हाजो गुवाहाटी रोड की साइड की ओर
54.			गुवाहाटी (लमडिंग)	पाण्डु न्यू कॉलोनी-जयमति नगर रोड
55.			गुवाहाटी (लमडिंग)	पाण्डु न्यू कॉलोनी-जयमति नगर रोड

1	2	3	4	5
56.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अदाबाड़ी-पांडु रोड पर पांडु
57.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अदाबाड़ी-पांडु रोड पर पांडु
58.			गुवाहाटी (लमडिंग)	अदाबाड़ी-पांडु रोड पर पांडु
59.	उत्तर	14	दिल्ली (दिल्ली)	पुराना भाप इंजन शेड सराय रोहिल्ला
60.			लखनऊ (लखनऊ)	लखनऊ इंड. एरिया साइडिंग, ऐश बाग, लखनऊ
61.			लखनऊ (लखनऊ)	आलमबागा-डीजल शेड के पीछे भूमि का प्लाट, लखनऊ
62.			नई दिल्ली (दिल्ली)	अशोक विहार
63.			किशनगंज (दिल्ली)	पुराना टीए कार्यालय
64.			बुधलदा (दिल्ली)	दिल्ली-भटिंडा खंड
65.			बादली (दिल्ली)	बादली स्टेशन के नजदीक
66.			लखनऊ (लखनऊ)	रेलवे इंस्टीट्यूट, विधान सभा मार्ग
67.			अमृतसर (फिरोजपुर)	मेन जीटी रोड पर रेलवे कालोनी सं. 2 के पास
68.			अमृतसर (फिरोजपुर)	छावनी क्षेत्र के पास जुडिशियल क्वार्टरों के सामने ए ब्लॉक रेलवे कलोनी
69.			चंडीगढ़ (अंबाला)	प्लाट संख्या 14
70.			चंडीगढ़ (अंबाला)	प्लाट संख्या 15
71.	उत्तर		कटरा (फिरोजपुर)	कटरा
72.			बराड़ स्केयर (दिल्ली)	नई दिल्ली
73.	दक्षिण मध्य	18	हैदराबाद (हैदराबाद)	पीआरएस के ऊपर एयर स्पेस, हैदराबाद
74.			हैदराबाद (हैदराबाद)	निजामाबाद रेलवे स्टेशन
75.			सिकंदराबाद (हैदराबाद)	मौला-अली फ्लाईओवर के पास
76.			सिकंदराबाद (हैदराबाद)	मौला-अली पर जेडटीएस की ओर सड़क पर
77.			विजयवाड़ा (विजयवाड़ा)	रेलवे अस्पताल के पास

1	2	3	4	5
78.			औरंगाबाद (नांदेड़)	पुराने आईटीडीसी होटल का भाग
79.			सिकंदराबाद (सिकंदराबाद)	हफीजपेट
80.			अदिलाबाद (नांदेड़)	रा.रा. 7 पर रेलवे स्टेशन के नजदीक
81.			हैदराबाद (सिकंदराबाद)	विसएवंमुलेधि कार्यालय के नजदीक पुराना रेलवे स्टेशन
82.			गुंतकल (गुंतकल)	रेलवे कालोनी में
83.			गुंतकल (गुंतकल)	रेलवे कालोनी में
84.			हिंगोली (नांदेड़)	स्टेशन क्षेत्र
85.			वशीम (नांदेड़)	स्टेशन क्षेत्र
86.			मुदखेड़ (नांदेड़)	रेलवे कालोनी में
87.			बोरबंदा (सिकंदराबाद)	बोरबंदा और भरतनगर स्टेशन के बीच
88.			सिकंदराबाद (हैदराबाद)	टीए कैंप क्वार्टर के सामने, मौला-अली
89.			सिकंदराबाद (हैदराबाद)	जेडआरटीआई मौला-अली के पास
90.			सिकंदराबाद (हैदराबाद)	उप्पल बस स्टैंड के पास
91.	दक्षिण पूर्व मध्य	5	रायपुर (रायपुर)	जोन-III/बीएमवाई के सामने राजमार्ग पर
92.			रायपुर (रायपुर)	उरकुरा-माल डिब्बा मरम्मत कारखाना
93.			भिलाई एम. यार्ड (रायपुर)	जोन-II/बीएमवाई
94.			भिलाई एम. यार्ड (रायपुर)	जोन-II एवं III बीएमवाई
95.			भिलाई एम. यार्ड (रायपुर)	पीपी यार्ड/बीएमवाई
96.	दक्षिण पूर्व	3	बोकारो (आद्रा)	रेलवे स्टेशन के पास
97.			बोकारो (आद्रा)	रेलवे स्टेशन के पास
98.			टाटानगर (चक्रधरपुर)	मुख्य लाइन के साथ 2 स्टिपस
99.	दक्षिण	6	चेन्नै (चेन्नै)	कक्कपलम, पदी, आईसीएफ से 5 किमी.
100.			म.प.प. (चेन्नै)	मैट्रो स्टेशनों पर बिल्ट अप/एयर स्पेस

1	2	3	4	5
101.			सलेम (सलेम)	सलेम मार्केट स्टेशन पर 2 प्लाट
102.			नागपटिनम (तिरूचिरापल्ली)	स्टेशन पर 1 प्लाट
103.			पट्टुकोटी (तिरूचिरापल्ली)	स्टेशन पर 3 प्लाट
104.			विषुपुरम (तिरूचिरापल्ली)	स्टेशन पर 3 प्लाट
105.	दक्षिण पश्चिम	2	बेंगलुरू सिटी (बेंगलूरू)	प्लेटफार्म रोड पर
106.			बेंगलुरू कैंट	बेंगलुरू
107.	पश्चिम	21	मणिनगर (अहमदाबाद)	रेलपथ के पश्चिमी सिरे पर
108.			मणिनगर (अहमदाबाद)	रेलपथ के पूर्वी सिरे पर
109.			राजकोट (राजकोट)	मोरबी-घंटाइल खंड
110.			राजकोट (राजकोट)	थान-चोटिला खंड
111.			राजकोट (राजकोट)	जरावर नगर से सयाला खंड
112.			राजकोट (राजकोट)	पुराना सुरेंद्र नगर स्टेशन
113.			राजकोट (राजकोट)	हदमतिया-जोडिया खंड
114.			राजकोट (राजकोट)	राजकोट-लखजीनगर खंड
115.			राजकोट (राजकोट)	खमबोलिया-सयह खंड
116.			राजकोट (राजकोट)	ओल्ड जामनगर-हापा
117.			राजकोट (राजकोट)	मोरबी-कारखाना
118.			राजकोट (राजकोट)	मोरबी-स्टोर
119.			मुबंई (मुबंई)	बांद्रा (ईस्ट)
120.			भावनगर' (भावनगर) (07 स्थान)	मनेकवाडी, तख्तेश्वर एवं पुराने छोला सरेखण पर साथ-साथ की स्ट्रिपस के साथ कृष्णनगर स्टेशन क्षेत्र
121.			जामनगर (राजकोट)	पुराना स्टेशन क्षेत्र
	जोड़	135		

भेषज कंपनियों को लाभ/हानि

4947. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की भेषज कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उनके लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित भेषज कंपनियां इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं:–

1. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., (एचएल), पिंपरी, पुणे
2. बंगाल केमिकल्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लि., (बीसीपीएल), कोलकाता
3. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., (आईडीपीएल), गुडगांव
4. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., (केएपीएल), बैंगलुरू
5. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., (आरडीपीएल), जयपुर
6. बंगाल इम्यूनिटी लि., (बीआईएल), कोलकाता
7. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि., (एसएसपीएल), कोलकाता

(ख) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान लाभ/हानि का विवरण इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपए)

सार्वजनिक उपक्रम का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11* (अक्तूबर, 2010 तक)
केएपीएल	05.19	06.00	11.50	0.57
आरडीपीएल	03.84	00.23	01.19	01.57
आईडीपीएल	(438.88)	(481.40)	(470.75)*	(320.00)
बीसीपीएल	(9.80)	(5.35)*	(5.33)*	(12.97)
एचएएल	(20.71)	(22.09)	(41.72)*	(19.23)

*अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें हानि के आंकड़े हैं।

क्रम संख्या 6 और 7 पर उल्लिखित कंपनियां बंद हो चुकी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देहरादून में हवाईअड्डा

4948. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देहरादून में जोली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु कोई भूमि अधिगृहीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ङ) अधिगृहीत भूम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार का उक्त हवाई अड्डे के और विस्तार का भी प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई भूमि, का आगामी वर्षों में अधिग्रहण किस प्रकार करेगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इस हवाईअड्डे को निम्नलिखित कार्यों से ए320 के विमान प्रचालनों के लिए विकसित किया गया है:–

1. रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार (1157 मीटर से 2140 मीटर), 2 एबी320 विमान खड़ करने के लिए एप्रन का निर्माण लिंक टैक्सीवे का निर्माण आदि।
2. भूप्रकाशन सुविधाओं का प्रावधान।
3. एक बार में 150 (75 आने वाले तथा 75 जाने वाले) यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन, कार पार्किंग आदि का निर्माण।
4. एटीआरओ के लिए लिंक टैक्सी र्टक का निर्माण तथा राज्य सरकार के लिए एप्रन और लिंक टैक्सी र्टक का निर्माण कार्य पूरा किया गया।
5. तकनीकी ब्लॉक-सह-कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन तथा आपात चिकित्सा केन्द्र का निर्माण
6. डीवीओआर तथा डीएमई के संस्थापना।

(ग) से (ङ) जी, हां। हवाईअड्डे के प्रथम चरण के विकास के लिए लगभग 173 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके इस्तेमाल किया जा चुका है।

(च) और (छ) जी, हां। लगभग 141 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

(ज) हवाईअड्डे के द्वितीय चरण के विकास के लिए राज्य सरकार से चिह्नित भूमि का अधिग्रहण करके इसे नि:शुल्क और सभी ऋण भारो से मुक्त करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे भर्ती बोर्ड

4949. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भर्ती संबंधी नीति और रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु कोई कार्यवाही आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भर्ती प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए रेल भर्ती बोर्डों की कार्य प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने हेतु अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। नई कार्यप्रणाली के अंतर्गत किसी पद विशेष के लिए परीक्षा सभी रेल भर्ती बोर्डों द्वारा एक ही दिन आयोजित की जाएगी और प्रश्न पत्र हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के अलावा, उक्त रेलवे भर्ती बोर्डों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध स्थानीय भाषाओं में भी तैयार किए जाएंगे।

[अनुवाद]

शटल ट्रेनों में शौचालय

4950. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शटल ट्रेनों में शौचालय प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय द्वारा विनिश्चय किया गया है कि दो घंटे से अधिक यात्रा समय वाले डीजल इलैक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट (डेमू) और मेनलाइन इलैक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट (मेमू) सवारी डिब्बों में शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। मेमू/डेमू के सभी नव-निर्मित ट्रेलर सवारी डिब्बों में अब शौचालय सुविधाएं मौजूद हैं। इनकी संख्या में वृद्धि होने पर निर्धारित गाड़ी सेवाओं में उत्तरोत्तर इन सवारी डिब्बों का इस्तेमाल किया जायेगा।

यात्रियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम

4951. श्री पी.आर नटराजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा हेतु रेलवे का कोई अधिनियम मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे का ऐसा कोई अधिनियम पुर: स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) जी, हां। रेल सुरक्षा बल को सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से रेल सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन किए जाने हेतु एक प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड

4952. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत हेवल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007 में अपनी एक सहायक कंपनी के रूप में भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) का अधिग्रहण किए जाने के बाजवूद अव्यवस्था होने के कारण यह सरकारी उद्यम आज भी घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या बीएचपीवी, बीएचईएल की एक सहायक कंपनी बनाने के बाद से इससे पर्याप्त और बड़े आदेश प्राप्त नहीं कर पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद आज तक बीएचपीवी और बीएचईएल का पूर्ण विलय नहीं हो पाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बीएचपीवी और बीएचईएल का विलय कब तक होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा मई, 2008 में इसकी शत-प्रतिशत सहायक कंपनी के रूप में भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) का अधिग्रहण किया गया। यद्यपि बीएचपीवी हानि उठा रहा है फिर भी यह मुख्य रूप से आदेशों के कमी के कारण नहीं है।

(ख) जी, नहीं। बीएचईएल ने बीएचपीवी के सहायक कंपनी बनने के बाद अभी तक 465 करोड़ रुपए का आदेश दिया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस विभाग द्वारा बीएचईएल और बीएचपीवी के विलय के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

एयरलाइंस द्वारा सृजित राजस्व

4953. श्री एंटो एंटोनी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और निजी एयरलाइंस द्वारा सृजित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व सृजन में कोई वृद्धि/कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) 2008-09 के दौरान एयरलाइनों का वित्तीय स्तर निम्न प्रकार रहा है:-

(मिलियन रुपए)

एयरलाइन	प्रचालन राजस्व	प्रचालन व्यय	प्रचालन परिणाम
1	2	3	4
राष्ट्रीय वाहन			
नैसिल	134793.8	188964.5	.54170.7
एयर इंडिया एक्सप्रैस	14164.0	15787.0	.1623.0
एलाइंस एयर	2886.6	3699.9	.813.3
कुल	151844.4	208451.4	.56607.0

1	2	3	4
निजी अनुसूचित एयरलाइनें			
जेट एयरवेज	126914.4	125817.7	1095.7
जेटलाईट	16009.2	20512.5	.4503.0
किंगफ्रिशर एयरलाइन	52691.7	73297.4	.20605.7
स्पाइसजेट	16894.5	21200.3	.4305.8
गो एअर	3627.7	5821.4	.2193.7
पैरामाउंट एयरवेज़	3736.7	3452.7	284.0
इंडिगो	18763.6	18582.6	181.0

कच्चे तेल की खोज

4954. श्री पी. कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कोविल कलप्पल क्षेत्र के उत्तर में कावेरी बेसिन में भूमि ब्लॉक में तेल की खोज की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोविल कलप्पल कावेरी बेसिन के उत्तर में एल-II पीईल ब्लॉक में कुएं से प्रतिदिन 300 बैरल तेल का बहाव हुआ और उसमें अब उत्पादन हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कोविल कलप्पल क्षेत्र के उत्तर, कावेरी बेसिन में भूमि ब्लॉक में ''कूप उत्तर कोविल कलप्पल-I'' में तेल की खाजे की है। कूप का वेधन 2416 मीटर की गहराई तक किया गया।

(ग) और (घ) ''कूप उत्तर कोविल कलप्पल-I'' से प्रारंभिक परीक्षण के दौरान लगभग 251 बैरल की दर से तेल निकला और 07.10.2010 से इससे उत्पादन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में इस कूप से इसी दर पर उत्पादन हो रहा है।

[हिन्दी]

उर्वरकों की मांग

4955. डॉ. चिन्ता मोहन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से देश में रासायनिक उर्वरकों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत दशक के दौरान ऐसी मांग में वार्षिक औसत वृद्धि कितनी रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) देश में मुख्य उर्वरकों नामत: यूरिया, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की मांग में वर्ष 2004-05 में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है और वर्तमान वर्ष 2010-11 के दौरान यह वृद्धि सबसे अधिक रही है। वर्ष 2000-01 से 2010-11 के दौरान उर्वरकों की तुलनात्मक आवश्यकता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	यूरिया	% अंतर	डीएपी	% अंतर	एमओपी	% अंतर	मिश्रित उर्वरक	% अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-01	215.24		74.97		23.83			
2001-02	213.05	-1.02	74.93	-0.05	23.73	-0.4		
2002-03	213.67	0.29	72.88	-2.74	23.71	-0.1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003-04	211.58	-0.98	71.88	-1.37	23.72	0.0		
2004-05	214.07	1.18	70.59	-1.79	23.20	-2.2		
2005-06	234.25	9.43	78.02	10.53	28.88	24.50		
2006-07	249.46	6.49	81.29	4.19	33.23	15.1	82.90	
2007-08	271.70	8.92	89.21	9.74	36.13	8.7	87.40	5.4
2008-09	281.33	3.54	94.82	6.29	37.85	4.8	92.31	5.6
2009-10	281.89	0.20	106.98	12.82	43.85	15.9	87.73	-5.0
2010-11	290.79	3.16	120.92	13.03	47.80	9.0	92.00	4.9

[अनुवाद]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण

4956. डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अधिक राजस्व अर्जित करने वाले तेक्काली स्टेशन पर कोई कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तेक्काली स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आमान परिवर्तन कार्य के पूरा होने पर स्टेशन खोलने के बाद ही आरक्षण केन्द्र के खोलने पर विचार किया जायेगा।

आरक्षण कोटा

4957. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कर्नाटक राज्य को जाने वाली ट्रेनों सहित देश में विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण कोटे में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बंगलौर सिटी, कंकानाड़ी (मंगलौर) और हुबली सहित नई दिल्ली/निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कर्नाटक राज्य को जाने वाली ट्रेनों में विभिन्न कोटा के अंतर्गत श्रेणीवार कितनी बर्थें आरक्षित हैं;

(घ) क्या रेलवे का दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से यशवंतपुर के बीच नई साप्ताहिक दुरंतो ट्रेन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा आरक्षण कोटे का वितरण मांग के स्वरूप और स्थान की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। आरक्षण कोटे की उपयोगिता के आधार पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) वर्तमान में, दिल्ली क्षेत्र से शुरू होने वाली कर्नाटक राज्य में बेंगलूरू, यशवंतपुर, हुबली, कंकनाडी (मेंगलौर), रायचूर, कारवार

और उडुपी को सेवित करने वाली गाड़ियों के लिए लगभग 5308 बर्थों को चिह्नित किया गया है। श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:–

1ए	–	64
2ए	–	648
3ए	–	1333
स्लीपर	–	3263
जोड़	–	5308

(घ) से (च) जी, हां। रेल बजट 2010-11 में घोषित 22313/2214 दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर एसी (साप्ताहिक) को इस वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 में शुरू किया जाएगा।

रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल

4958. श्री पी. लिंगम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर विभिन्न प्रकार की चीजों की बिक्री के लिए वेंडर आवंटित/प्राधिकृत करती है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर विक्रेता द्वारा बिक्री योग्य अनुमत्य विभिन्न प्रकार की चीजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर केमिस्ट स्टॉल पर बिक्री योग्य अनुमत्य चीजों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) रेलवे मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, नीति संबंधी दिशा-निर्देशों और संविदागत प्रावधानों पर आधारित वचनबद्धताओं के अध्यधीन, खाद्य पदार्थों को छोड़कर विविध मदों, जो यात्रियों के लिए अनिवार्य एवं आनुषंगिक हैं, की बिक्री के लिए स्टॉल/ट्रालियां आबंटित करती है।

(ग) ओटीसी (ओवर द काउंटर) दवाइयों हेतु यात्रारत यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैमिस्ट शॉप/कैमिस्ट कार्नर मुहैया कराए जाते हैं। ओटीसी के इतर दवा केवल पंजीकृत मेडिकल चिकित्सक के नूसखे पर दी जाती है। इसके अलावा, कैमिस्ट शॉप/कार्नर रेल प्रशासन के साथ किए गए समझौते में यथा उल्लिखित मदों की बिक्री करते हैं।

हवाई किराये में वृद्धि

4959. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान ईंधन के मूल्यों में तेज वृद्धि के कारण बजट विमान कंपनियों के किराये में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप देश के मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा हवाई यात्रा में बड़े पैमाने पर कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी बार विमान ईंधन में वृद्धि की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) त्यौहारों के मौसम में और नवम्बर के मध्य से अत्यधिक मांग की वजह से, उच्च मांग के कारण घरेलू सेक्टर के विमान किराये बढ़े हुए थे। सामान्यत: विमानन ईंधन की कीमत में परिवर्तन से हवाई किराए प्रभावित होते हैं, चूंकि यह लागत घटकों में से एक है।

(ग) जनवरी, 2008 से 1 दिसम्बर, 2010 तक चार शहरों में विमान ईंधन की दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा निम्नानुसार उपाय किए गए हैं:–

(1) राज्य सरकारों को एटीएफ पर बिक्री कर को कम करने के लिए कहा गया हैं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राजस्थान सरकार द्वारा एटीएफ पर बिक्री कर को 4% तक कम किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी पुणे तथा मुम्बई के अलावा अन्य हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों के लिए एटीएफ पर बिक्री कर को 2.5% से 4% तक कम किया गया है।

(2) तेल कंपनियों द्वारा मासिक आधार पर एटीएफ कीमतों की घोषणा करने के बजाय पाक्षिक आधार पर एटीएफ कीमतों की घोषणा करनी आरंभ की गई है, जिससे एयरलाइनों को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का समय जानने में मदद मिल रही है।

विवरण

घरेलू प्रचालनों के लिए विमान टर्बाइन ईंधन

कुल (रु./किलो मीटर)

महीना	चेन्नई	मुंबई	दिल्ली	कोलकाता
1	2	3	4	5
जनवरी, 08	49373	47045	45496	51383
फरवरी, 08	48549	46233	44716	50611
मार्च, 08	51090	48655	47049	53087
अप्रैल, 08	57822	55192	53309	59610
मई, 08	63228	60468	58388	64825
1 जून, 08	75603	71752	69227	76626
5 जून, 08	72363	68626	66227	73474
जुलाई, 08	75505	71630	69097	78642
अगस्त, 08	**77661**	**73674**	**71028**	**80763**
सितम्बर, 08	65499	61835	59650	69006
अक्तूबर, 08	62051	58479	56448	65678
1 नवम्बर, 08	51894	48657	47018	55828
4 नवम्बर, 08	49674	45519	44966	53664
16 नवंबर, 08	43642	40687	39381	47805
1 दिसम्बर, 08	40989	38103	36900	45248
16 दिसम्बर, 08	36437	33719	32691	40824
1 जनवरी, 09	34007	31379	30457	38469
16 जनवरी, 09	35096	32448	31496	39511
1 फरवरी, 09	33781	31176	30288	38234
16 फरवरी, 09	32524	29985	29158	36989
1 मार्च, 09	**30317**	**27861**	**27106**	**34847**
16 मार्च, 09	30471	28023	27275	34996
1 अप्रैल, 09	35307	30785	29926	37744
16 अप्रैल, 09	35443	32855	31926	39801
1 मई, 09	35094	32530	31615	39513
16 मई, 09	35724	33139	32199	40122
1 जून, 09	35821	33261	32303	40230
16 जून, 09	38734	36117	35052	43039
1 जुलाई, 09	42524	39789	38559	46711
16 जुलाई, 09	40164	37475	36338	44411
1 अगस्त, 09	40789	38098	36923	45105
16 अगस्त, 09	42605	39830	38585	46819
1 सितम्बर, 09	43191	40384	39118	47401
16 सितम्बर, 09	41851	39099	37897	46102
1 अक्तूबर 09	40957	38247	37085	45236
16 अक्तूबर, 09	38676	36050	34988	42998
1 नवम्बर, 09	43493	40723	39474	47680
16 नवम्बर, 09	44526	41710	40423	48681
1 दिसम्बर, 09	42748	39987	38768	46971
16 दिसम्बर, 09	42064	39310	38133	46308
1 जनवरी, 10	41393	38661	37497	45659

1	2	3	4	5
16 जनवरी, 10	44088	41286	40016	48284
1 फरवरी, 10	41659	38931	37756	45916
16 फरवरी, 10	40611	37917	36782	44915
1 मार्च, 10	42036	39297	38107	46281
16 मार्च, 10	43111	40311	39068	47337
1 अप्रैल, 10	43862	40909	39641	48044
16 अप्रैल, 10	45258	42290	40979	49384
1 मई, 10	45585	42574	41252	49665
16 मई, 10	**45683**	**42682**	**41356**	**49760**
1 जून, 10	39706	39502	38304	47406
16 जून, 10	40460	40219	38992	48137
1 जुलाई, 10	41843	41559	40289	49490
16 जुलाई, 10	40335	40111	38899	48023
1 अगस्त, 10	41543	41234	39977	49147
16 अगस्त, 10	42256	41938	40653	49824
1 सितम्बर, 10	40398	40138	38938	48024
16 सितम्बर, 10	41125	40842	39600	48728
1 अक्तूबर, 10	41013	40734	39529	48620
16 अक्तूबर 10	42297	41992	40736	49864
1 नवंबर, 10	42627	42303	41076	50215
16 नवंबर, 10	43814	43467	42842	51365
1 दिसम्बर, 10	44498	44130	43479	52015

[हिन्दी]

जैविक कपास

4960. श्री दत्ता मेघे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में उत्पादित जैविक कपास की मांग यूरोपीय देशों में बंद रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) महाराष्ट्र से यूरोप को वर्ष 2008-09 में 128.14 मिलियन टन और वर्ष 2009-10 में 149.85 मिलियन टन जैविक कपास का निर्यात किया गया।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 2010 में जैविक उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) शुरू किया जो उत्पादन बढ़ाने तथा यूरोपियन कमीशन और स्विटजरलैंड द्वारा उनके देश के मानदंडों के समतुल्य मान्य प्रत्यायन प्रमाणन प्रणाली पर लक्षित है।

महिला लोक अभियोजक

4961. श्री सी.आर. पाटिल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला लोक अभियोजकों और पब्लिक नोटेरी की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन लोक अभियोजकों और पब्लिक नोटेरी को नियुक्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) सरकार ने पर्याप्त संख्या में महिला लोक अभियोजकों और पब्लिक नोटेरी की नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) लोक अभियोजकों को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है। विभाग, ऐसी नियुक्ति से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गईं राज्य-वार महिला नोटेरियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) लोक अभियोजक नियुक्त करने की प्रक्रिया का

पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। नोटरियों की नियुक्ति पूर्णत:, नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के अनुसार की जाती है। नोटरी नियम 1956 में, महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं है, तथापि नियम 3(कख) नोटेरी के रूप में महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए विधि व्यवसाय के तीन वर्ष की छूट का उपबंध करता है।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन	नियुक्त की गई महिला नोटेरियों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
आंध्र प्रदेश	8
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	1
बिहार	—
चंडीगढ़	13
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	73
दादरा और नगर हवेली	—
दमन और दीव	—
गोवा	3
गुजरात	82
हिमाचल प्रदेश	1
हरियाणा	47
झारखंड	1
जम्मू और कश्मीर	—
केरल	46
कर्नाटक	67
लक्षद्वीप	—
मेघालय	—
महाराष्ट्र	222
मणिपुर	—
मिजोरम	—
मध्य प्रदेश	7
नागालैंड	—
उड़ीसा	1
पंजाब	61
पुदुचेरी	3
राजस्थान	26
सिक्किम	—
तमिलनाडु	35
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	45
उत्तराखंड	—
पश्चिमी बंगाल	13

दुर्घटना रोकने के लिए नए उपकरण

4962. श्री भूदेव चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वीडन की कंपनी से नए उपकरण खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या वित्तीय निहितार्थ है;

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या रेलवे ने ऐसे उपकरणों के लिए परीक्षण आरंभ कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव का राज्य द्वारा वित्तपोषण

4963. श्री कैलाश जोशी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण हेतु सरकार द्वारा किसी आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक आयोग की कितनी बैठकें की गईं;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक प्रस्तुत किया गया था; और

(ङ) आयोग द्वारा कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने, तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में 22 मई, 1998 को हुई विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसरण में श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद् सदस्य की अध्यक्षता के अधीन एक समिति गठित की थी। आरंभ में, समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य (सभी संसद सदस्य) सम्मिलित थे। बाद में, 6 अगस्त, 1998 को एक और संसद सदस्य, अर्थात् प्रो. राम गोपाल यादव को सम्मिलित करके समिति का विस्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्री एस.के. मेन्दीरत्ता, भूतपूर्व निदेशक (विधि) और प्रधान सचिव, निर्वाचन आयोग की सेवाएं उसके सचिव के रूप में समिति की सहायता करने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। समिति ने, उसके गठन के पश्चात् कुल आठ औपचारिक बैठकें की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 1998 में प्रस्तुत की थी।

समिति ने, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार से 600 करोड़ रुपए के अभिदाय और सभी राज्य सरकारों से अभिदाय के रूप में शेष 600 करोड़ रुपए के रूप में 1200 करोड़ रुपए की 'निर्वाचन निधि' के सृजन की सिफारिश की है जिसके अंतर्गत कुछ अन्य सिफारिशों भी हैं। अत:, समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में पूर्ण निधि को वहन करे और इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं। तथापि, सरकार ने समिति की सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों की टीका-टिप्पणियां/विचार आमंत्रित किए थे और राज्य सरकारों के बहुमत का यह विचार था कि वित्तीय दबाव के कारण राज्य सरकारें अपने भाग का अभिदाय करने में समर्थ नहीं होंगी और इसलिए संपूर्ण रकम का अभिदाय केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति की मुख्य सिफारिश, जिस पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उसने समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशें मांगी थी। निर्वाचन आयोग ने मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों ओर उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को राज्य के खर्च पर वस्तु पर में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दलों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् अनेक सिफारिशें कीं थी, उदाहरण के लिए, जैसे **[(क) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों के लिए:]** मुख्यालयों के लिए वास-सुविधा; किसी अभिदाता को अनुज्ञात नि:शुल्क कालों, यदि कोई हों, से अधिक प्रत्येक पास राष्ट्रीय दल मुख्यालयों के लिए 3,000 टेलीफोन कालें और किसी राज्य दल मुख्यालय के लिए 1,000 कालें; इंटरनेट कनेक्शन सहित एक कम्प्यूटर; सरकार की नियंत्रणाधीन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर पर्याप्त प्रसारण समय (पहले से दिया जा रहा है); **[(ख) मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के लिए:]** प्रत्येक विधानसभा भाग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में 300 लीटर पेट्रोल या 450 लीटर डीजल, तथापि, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 1500 लीटर पेट्रोल या 2250 लीटर डीजल के अधीन रहते हुए; निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार मतदाता स्लिपों के मुद्रण, आदि के लिए कागज की विनिर्दिष्ट मात्रा; निर्वाचन क्षेत्र में प्रति निर्वाचक एक संसूचना (10 ग्राम से अनधिक भार) उकी दर पर डाक शुल्क, आदि; प्रत्येक विधान सभा भाग के लिए माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर का एक सेट, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम दस सेटों के अधीन रहते हुए; प्रत्येक विधान सभा भाग के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में लैंडलाइन टेलीफोन प्रतिष्ठापित करने के बजाए 1,500 रुपए (अर्थात् 100/- रुपए प्रति

दिन के मोबाइल पूर्व-संदत्त कार्ड का उपबंध, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 7,500 रुपए के अधीन रहते हुए; प्रत्येक मतदान केंद्र में (200 मीटर की दूरी से परे) दो कुर्सियों और एक टेबल सहित अभ्यर्थियों के कैंप; मतगणना हालों के भीतर मतगणना अभिकर्त्ताओं के लिए (निष्पक्ष अभ्यर्थियों के लिए भी) अल्पाहार और खाद्य पैकेट; आदि।

ऊपर (क) में उल्लिखित मदों की बाबत निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि उन्हें सरकार द्वारा राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराया जा सकेगा, जबकि ऊपर (ख) में उल्लिखित सामग्रियों/सुविधाओं को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सीधे अभ्यर्थियों को दिया जा सकेगा। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि ऊपर (ख) के अधीन मदों संबंधी वित्तपोषण मद्दे व्यय की किसी अभ्यर्थी के व्यय की अधिकतम सीमा से उपयुक्त रूप से कटौती की जानी चाहिए।

रेलवे में घोटाला

4964. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
डॉ. भोला सिंह :
डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल में उनके विभाग में प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रुपए के घोटाले की बात की;

(ख) क्या रेलवे के सामान के खरीद में काफी भ्रष्टाचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आपूर्तिकर्त्ता रेलवे को बाजार मूल्य के उच्चतर मूल्य पर सामान बेचते हैं;

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा कितने आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ ठेका किया गया तथा इससे इसको कितनी हानि हुई; और

(च) इस पर रेलवे द्वारा कया कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। रेलवे विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर सूचनाएं प्राप्त करती रहती है। 2003 से 2008 की अवधि के दौरान लिए गए निर्णयों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर रेलवे ने सतर्कता जांच पहले ही आरंभ कर दी है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(ख) जी, नहीं। निर्धारित खरीद प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करती है ताकि गुणवत्ता का त्याग किए बिना पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं, खरीद व्यवस्था दर औचित्य को सुनिश्चित करती है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

4965. श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है;

(ग) किसी विमानपत्तन के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिए जाने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(घ) कितने विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा प्रदान किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) देश में 17 अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे हैं जिनमें से 11 हवाईअड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हैं जिनमें से 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में है।

(ख) अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं में सामान्यत: शामिल हैं, सीमा-शुल्क, अप्रवासन, पौध संगरोध, अंतरराष्ट्रीय कार्गो सुविधा, सभी मौसमों में दिन/रात्रि के प्रचालनों के लिए एयरसाइड सुविधा, पर्याप्त टर्मिनल सुविधायें तथा मैचिंग सिटीसाइड अवसंरचना।

(ग) हवाईअड्डों का अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में स्तरोन्नयन

एयरलाइनों/राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से मांगों, भूमि की उपलब्धता, संसाधनों, वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर किया जाता है।

(घ) वर्तमान में तिरूपति हवाईअड्डे का अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में स्तरोन्नयन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

एफपीआई हेतु सहायता अनुदान

4966. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसजीएच) और किसानों को वरीयता देने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत अनुदान हेतु प्राथमिकता प्रदान करने के लिए पहचान किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में पीएसयू बैंकों द्वारा किसानों, महिलाओं और एसजीएच को वित्तीय सहायता प्रदान करने से मना करने के कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना स्कीम के संबंध में मंत्रालय के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्कीम के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए मंजूरी में वरीयता दी जानी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया है कि स्कीम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों और कृषक संघों/संगठनों को भी वरीयता दी जानी चाहिए।

(ख) भारतीय सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता से जोड़ते हुए उन्हें प्रोत्साहित करें।

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आयोजित सभी निवेशक बैठकों बैंकर बैठकों तथा राज्य नोडल एजेंसियों की समीक्षा बैठकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्यऐग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए स्व-सहायता समूहों, महिलाओं और कृषक समूहों/संगठनों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रायल्टी का निर्धारण

4967. श्री हरीश चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 के अनुसार रायल्टी के निर्धारण के लिए कोई अवधि विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एक प्रतिस्पर्धी तेलशोधन केन्द्र के रूप में भारत

4968. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रतिस्पर्धी तेलशोधन केंद्र के रूप में भारत को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात से आय प्राप्त होना शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने के परिणामस्वरूप किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा, उसकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, भारत में किसी भी स्थान पर रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातक के यप में उभरने वाली भारत की स्थिति और ग्यारहवीं योजना के अंत तक 238 एमएमटीपीए की परिकल्पित परिशोधन क्षमता, जो कि घरेलू मांग से बहुत अधिक है, को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक प्रतिस्पधत्मिक गंतव्य के रूप में उभर कर आने की समर्थ्य रखती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से हुए अर्जन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (एमएमटी)	अर्जन (मिलियन अमरीकी डॉलर)
2007-08	40.78	27555
2008-09	38.90	27224
2009-10	50.97	30526
2010-11 (अप्रैल-सितम्बर)	22.63	14640

रेल लाइन का दोहरीकरण

4969. श्री तूफानी सरोज :
श्री नीरज शेखर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का इलाहाबाद-वाराणसी-बलिया-छपरा रेल लाइन को दोहरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या रेलवे की इस खंड पर कुछ नई ट्रेन सेवाएं और अन्य रेल परियोजनाएं शुरू करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त प्रस्ताव को कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मौजूदा खंडीय क्षमता और भावी यातायात के अनुमान को ध्यान में रखते हुए दोहरीकरण परियोजनाएं आरंभ की जाती हैं। इस मार्ग पर खंडीय क्षमता में सुधार करने के लिए यातायात सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं।

(घ) इस खंड पर नई गाड़ी चलाने की कोई योजना नहीं है और इस मार्ग पर कोई दोहरीकरण परियोजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

स्वायत्त एटीसी संगठन

4970. श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया, अमरीका, यू.के., फ्रांस और स्पेन में स्वायत्त एटीसी संगठन मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चरखी दादरी में विमान की भिडंत के फलस्वरूप न्यायमूर्ति लोहाटी समिति की एक स्वायत्त एटीसी संगठन के संबंध में सिफारिशों को सरकार ने अभी कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त देशों में 65-70 प्रतिशत कार्यबल की तुलना में भारत में विमानन क्षेत्र में विमान यातायात नियंत्रकों का कार्यबल मात्र 7 प्रतिशत है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस क्षेत्र में विमान यात्रा सेवा निगम को किस हद तक सहायता उपलब्ध कराने की संभावना है; और

(छ) समिति क अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। अमरीका में एक स्वतंत्र हवाई यातायात संगठन अभी भी एफएए का एक हिस्सा है। चरखी-दादरी में आकाश में विमानों के टकराव के बाद, जांच न्यायालय ने 15 सिफारिशें की थीं जिनमें से 3 हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) से संबंधित थीं। सरकार ने एक सरकारी निकाय के रूप में एएनएस को दो चरणों में अलग किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। पहले चरण मं समस्त एएनएस गतिविधियों को एक पृथक सदस्य (एएनएस) के तहत समेकित किया जाना चाहिए। बाद में एनएस सेवाओं को अलग कर दिया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) भारत में 1962 हवाई यातायात नियंत्रक उपलब्ध हैं। तुलना के लिए विमानन सेक्टर में अन्य संगठनों के कार्यबल के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) हवाई दिक्चालन सेवाओं के निर्णयकरण बौर बेहतर प्रबंधन से निम्न बातें हो सकेंगी:-

(i) हवाई दिक्चालन सेवाओं पर केन्द्रित फोकस, इकाओं की ग्लोबल प्लान की पहलों के अनुसार प्रावधान।

(ii) इकाओ द्वारा यथा अनुमोदित नई प्रौद्योगिकी और क्रियाविधियों का समयबद्ध तथा तीव्र नियोजन और क्रियान्वयन।

(iii) मानव संसाधन और प्रशिक्षण नियोजन।

(iv) इकाओ की वैश्विक और क्षेत्रीय हवाई दिक्चालन योजनाओं के अनुसार अन्य वैश्विक पहलों के साथ सौहार्दीकरण।

(v) हवाई क्षेत्र का इष्टतम उपयोग और उन्न एटीसी क्रियाविधियां।

(vi) भारत में अगली पीढ़ी की हवाई दिक्चालन प्रणाली का विकास।

(छ) (i) दिल्ली और मुम्बई में एटीसी प्रणाली का आधुनिकीकरण पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है।

(i) दिल्ली टर्मिनल कंट्रोल (एरिया में एक आयामी एटीसी मार्ग क्रियान्वित किया जा चुका है।

(iii) एएआई में सदस्य (एएनएस) का पद भरा जा चुका है।

(ii) नियंत्रण के कार्यभार को घटाने और स्थिति की बेहतर जानकारी व इवाई यातायात के बेहतर सर्विलांस के उद्देश्य से आईजीआई हवाईअड्डे पर एरिया कंट्रोल संटर में तीन सेक्टर प्रचालनरत हैं और एप्रोच कंट्रोल में दो सेक्टर प्रचालनरत हैं।

अतिरिक्त कोच

4971. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री नीरज शेखर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ट्रेन में आरक्षित तथा अनारक्षित सीटों की औसत संख्या के साथ-साथ उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन में उपलब्ध/सीटों/कोचों की संख्या बेहद अपर्याप्त हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार विशेषरूप से अनारक्षित श्रेणी/गरीब यात्रियों के लिए सीटों/कोचों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) प्रति गाड़ी आरक्षित सीटों/बर्थों की औसत संख्या और प्रति गाड़ी यात्रियों की औसत संख्या क्रमशः लगभग 703 और 744 है।

अनारक्षित टिकटें गाड़ी विशेष के लिए नहीं होती हैं। बहरहाल, अनारक्षित यात्रियों की दैनिक संख्या लगभग 20.34 मिलियन है।

(ख) यात्री यातायात की संख्या वर्ष भर एक ही समान नहीं रहती है और यह गाड़ी दर गाड़ी और अति व्यस्तता तथा खाली अवधि के दौरान घटती-बढ़ती रहती है।

(ग) और (घ) रेलगाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बों सहित सवारी डिब्बों का जोड़ा जाना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि वाणिज्यिक औचित्यत्ता हो, परिचालनिक व्यवहार्यता हो और संसाधन उपलब्ध हों। इस वित्त वर्ष के दौरान सितम्बर, 2010 तक नियमित आधार पर विभिन्न रेलगाड़ियों में साधारण श्रेणी के 61 सवारी डिब्बों सहित कुल 275 सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त, यात्री यातायात की अतिरिक्त भीड़ को कम किए जाने हेतु अधिक सीट/बर्थ क्षमता उपलब्ध कराने के लिए नई गाड़ी सेवाएं शुरू की जाती है और विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

एयरलाइनों का ऋण

4972. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर एयरलाइनें बैंकों का ऋण वापस करने में चूक के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तीन बड़ी घरेलू एयरलाइनों पर 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है;

(ग) यदि हां, तो क्या एयरलाइनों को कुछ राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्गठित ऋणों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियां न मानने के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम से नकदी के संकटापन्न एयरलाइनों की कितनी सहायता होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के दीर्घावधि ऋणों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

एयरलाइन	दीर्घावधि ऋण (मिलियन रु.)
1	2
नैसिल	347148.2
जेट एयरवेज	158856.1
जेटलाईट	12086.1
किंगफिशर एयरलाइन	47250.0
स्पाइसजेट	330.0
पैरामाउंट एयरवेज	3265.4*
इंडिगो	3808.8

*पूंजीगत पट्टों के अधीन दीर्घावधि दायित्वों के अधीन बताई गई राशि।

एयरलाइनों द्वारा बैकों को ऋणों का भुगतान, एयरलाइनों तथा बैक के बीच वाणिज्यिक मामला है जिन्हें इनके बीच वाणिज्यिक करार के द्वारा निदेशित किया जाता है। मंत्रालय एयरलाइनों के वाणिज्यिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

मलखागिरि तक रेल लिंक

4973. श्री रूद्रमाधव राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पत्थर-समृद्ध क्षेत्र में सीमेंट आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उड़ीसा में मलखागिरि को रेलवे से जोड़ने की परियोजना अनुमोदित की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरे होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हवाईअड्डों पर भीड़-भाड़

4974. श्री रामसिंह राठवा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर अमेरिकी रक्षा उपकरण कंपनी रेथियोन द्वारा विकसित न्यू सिविलियन एप्लिकेशन सिस्टम लगाने का है जिससे विमानपत्तनों में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद मिल सकेगी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रणाली की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा मैसर्स रेथन कंपनी, यूएसए के सहयोग से जीपीएस एडिड जीओ आगूमेंटेड नेवीगेशन (गगन) प्रणाली विकसित की है जो भारतीय वायु क्षेत्र के विमान टर्मिनल एप्रोच क्षेत्रों के प्रिसाईज एप्रोज नेवीगेशन सहायक होगा।

(ख) गगन क्षेत्रीय सीमाओं में सुगम विमान दिक्चालन सेवाएं उपलब्ध कराएगा जो अन्य देशों जैसे यूएसए, जापान, यूरोप आदि द्वारा अपनाई गई अन्य अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली के अनुकूल होगा।

(ग) गगन का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन चरण (टीडीएस) अगस्त, 2007 में पहले ही पूरा हो गया है। अंतिम प्रचालनिक चरण (एफओपी) जून, 2012 में पूरा होगा और प्रमाणित गगन सेवा जून, 2013 तक उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

पत्रों पर कार्रवाई

4975. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा विधि और न्याय मंत्री को लिखे पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या देश में पब्लिक नोटरियों की भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) जी, नहीं। संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र अभिस्वीकृत किए जा रहे हैं।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित कार्यालय पद्धति मैनुअल में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

(घ) से (च) जी, नहीं। नोटेरियों की नियुक्ति, पूर्णतया नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के अनुसार की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने, नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 द्वारा नोटेरी नियम, 1956 को संशोधित किया है। संशोधित नोटेरी नियम, 2009 के नियम 4(1) के अनुसार, कोई व्यक्ति, जहां वह अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता है, वहां के संबंधित जिला न्यायाधीश या न्यायालय या अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के माध्यम से नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। इसी प्रकार, नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रणाली आरंभ करने के लिए नियम 7क अन्त: स्थापित किया गया है।

अग्निकांड के शिकार लोगों को मुआवजा

4976. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जयपुर स्थित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन डिपों में आग लगने की घटना को एक वर्ष बीत चुका है जिसमें 11 व्यक्ति मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एससी/एसटी कर्मचारियों सहित आईओसी के छह कर्मचारियों को उक्त मुआवजा अब तक नहीं मिला है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (च) दिनांक 29.10.2009 को जयपुर, राजस्थान स्थित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के तेल डिपो में लगी आग में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जिनमें आईओसी के 6 नियमित कर्मचारी शामिल थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित आईओसी के 6 मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को 22.70 लाख रुपये से 11.70 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है जो कि, कॉर्पोरेशन की नीति अर्थात् मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 100 गुणा, के अनुरूप है। उक्त आग के कारण नियमित कर्मचारियों के अलावा मारे गए अन्य व्यक्तियों के प्रत्येक मामले में आईओसी ने 10 लाख रु. अदा किए।

[अनुवाद]

स्काई बस परियोजनाएं

4977. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई एवं दिल्ली में स्काई बस परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हे कि कोंकण रेलवे इस परियोजना में संलग्न है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें अन्तर्ग्रस्त वित्तीय परिणाम क्या हैं;

(ङ) इस परियोजना से यातायात की भीड़-भाड़ के कितना कम होने की संभावना है तथा इसमें कितनी लागत अन्तर्ग्रस्त है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेनों के फेरे

4978. श्रीमती जे. शांता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बजट में घोषणा के बावजूद अनेक ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़ाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनमें फेरे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं। रेल बजट 2010-11 में फेरों में वृद्धि के लिए घोषित गाड़ियों के 12 जोड़ी गाड़ियों में से 5 जोड़ी गाड़ियों के फेरों में वृद्धि पहले ही कार्यान्वित हो चुकी है।

(ख) और (ग) रेल बजट 2010-11 में घोषित गाड़ियों के फेरों में वृद्धि को उसी वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत में भाषाई अल्पसंख्यक

4979. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी हैं;

(ख) वे भाषाई कौन-कौन सी हैं जिनको बोलने वालों को उक्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है;

(ग) इन भाषाओं को बोलने वालों की राज्य-वार जनसंख्या कितनी है; और

(घ) इन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) ''भाषायी अल्पसंख्यक'' राज्य आधारित धारणा है। किसी राज्य में उस राज्य की मुख्य राजभाषा के अतिरिक्त अन्य सभी भाषा-भाषी लोग भाषायी

अल्पसंख्यक कहलाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 20,19,95,866 (बीस करोड़ उन्नीस लाख पंचानबे हजार आठ सौ छियासठ) भाषायी अल्पसंख्यक हैं।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10 हजार या इससे अधिक भाषा-भाषी वाले 22 अनुसूचित और 100 गैर-अनुसूचित भाषाओं अर्थात् कुल 122 अभिनिर्धारित भारतीय भाषाओं के नाम, जिनसे किसी एक अथवा अधिक राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक का निर्माण होता है, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II के कॉलम संख्या 4 में दी गई है।

(घ) संवैधानिक रक्षोपायों के प्रति जागरुकता लाने संबंधी एक नई योजना सक्षम प्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत की गयी थी।

विवरण-I

भाषाओं और मातृ भाषा-भाषियों की संख्या — 2001 : एक उद्धरण

नीचे अखिल भारतीय स्तर पर 10 हजार भाषा एवं मातृ भाषा-भाषियों की संख्या क्रमानुसार प्रत्येक भाषा के तहत वर्गीकृत कर दर्शायी गयी है। कुल 122 भाषाएं और 234 मातृ-भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएं भाग-क में तथा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं से अलग भाषाओं (100 भाषाएं) को भाग-ख में दर्शाया गया है।

भाग-क: संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं (अनुसचित भाषाएं)

प्रत्येक भाषा के तहत वर्गीकृत भाषा एवं मातृ-भाषा के नाम	(प्रत्येक भाषा के तहत वर्गीकृत मातृ-भाषा) बोलने वालों की संख्या, जिन्होंने भाषा को मातृ-भाषा के रूप में अपनाया
1	2
1. असमी	1,31,68,484
1. असमी	1,27,78,735
अन्य	3,89,749
2. बंगाली	8,33,69,769
1. बंगाली	8,24,62,437
2. चकमां	1,76,458
3. हैजंग/हैजंग	63,188
4. राजबंसी	82,570
अन्य	5,85,116
3. बोडो	13,50,478
1. बोडो/बोरो	13,30,775
अन्य	19,703
4. डोगरी	22,82,589
1. डोगरी	22,82,547
अन्य	42
5. गुजराती	4,60,91,617
1. गुजराती	4,57,15,654
2. गुजराव/गुजराव	43,414
3. सौराष्ट्र/सौराष्ट्री	1,85,420
4. अन्य	1,47,129
6. हिन्दी	42,20,48,642
1. अवधी	25,29,308
2. बघेली/बधेल खंडी	28,65,011
3. बागडी राजस्थानी	14,34,123
4. बजांरी	12,59,821
5. भद्रवही	66,918

1		2
6.	भरमौरी/गड्डी	66,246
7.	भोजपुरी	3,30,99,497
8.	बृजभाषा	5,74,245
9.	बुदेंली/बुदेंलखंडी	30,72,147
10.	चंबेली	1,26,589
11.	छत्तीसगढ़ी	1,32,60,186
12.	चुरही	61,199
13.	धुंधरी	18,71,130
14.	गढ़वाली	22,67,314
15.	गोजरी	7,62,332
16.	हरौती	24,62,867
17.	हरियाणवी	79,97,192
18.	हिन्दी	25,79,19,635
19.	जोनसारी	1,14,733
20.	कांगडी	11,22,843
21.	खौरारी	11,937
22.	खडी बोली	47,730
23.	कोरथा/खोटा	47,25,927
24.	कुलवी	1,70,770
25.	कुमायूंनी	20,03,783
26.	कुरमली थार	4,25,920
27.	लबानी	22,162
28.	लंमानी/लंबाडी	27,07,562
29.	लरिया	67,697
30.	लोधी	1,39,321
31.	मगधी/मगही	1,39,78,565
32.	मलवी	55,65,167
33.	मानडेली	6,11,930
34.	मरवाड़ी	79,36,183
35.	मेवारी	50,91,697
36.	मेवाती	6,45,291
37.	नागपूर्या	12,42,586
38.	निमाडी	21,48,146
39.	पहाड़ी	28.32,825
40.	पंच पर्गनिया	1,93,769
41.	पंगवाली	16,285
42.	पवारी/पोवारी	4,25,745
43.	राजस्थानी	1,83,55,613
44.	सदन/सदरी	20,44,776
45.	सिरमौरी	31,144
46.	सोंदवाड़ी	59,221
47.	सुगाली	1,60,736
48.	सूरगुजिया	14,58,533
49.	सुर्जापुरी	12,17,019
	अन्य	1,47,77,266

1		2
7. कानंदा		3,79,24,011
1.	बदगा	1,34,514
2.	कनांदा	3,77,42,232
3.	कुरूबा/कुरूम्बा	14,613
	अन्य	32,652
8. कश्मीरी		55,27,698
1.	कश्मीरी	53,62,349
2.	किश्तवारी	33,429
3.	सिरजी	87,179
	अन्य	44,741
9. कोंकणी		24,89,015
1.	कोंकणी	24,20,140
2.	कुदूबी/कुदूंबी	10,192
3.	मलवानी	46,851
	अन्य	11,832
10. मैथिली		1,21,79,122
1.	मैथिली	1,21,78,673
	अन्य	449
11. मलयालम		3,30,66,392
1.	मलयालम	3,30,15,420
2.	येरावा	19,643
	अन्य	31,329

1		2
12. मणिपुरी[1]		14,66,705
1.	मणिपुरी	14,66,497
	अन्य	208
13. मराठी		7,19,36,894
1.	मराठी	7,17,01,478
	अन्य	2,35,416
14. नेपाली[2]		28,71,749
1.	नेपाली	28,67,922
	अन्य	3,827
15. उडिया		3,30,17,446
1.	भतरी	2,16,940
2.	ओडिया	3,21,10,482
3.	प्रोजा	92,774
4.	रेल्ली	21,965
5.	सामबलपुरी	5,18,803
	अन्य	56,482
16. पंजाबी		2,91,02,477
1.	बगरी	6,46,921
2.	बिलासपुरी/केहलूरी	1,79,511
3.	पंजाबी	2,81,52,794
	अन्य	1,23,251
17. संस्कृत		14,135
1.	संस्कृत	14,099
	अन्य	36

1		2
18. संताली		64,69,600
1.	करमाली	3,68,853
2.	संताली	59,43,679
	अन्य	1,57,068
19. सिंधी		25,35,485
1.	कच्छी	8,23,058
2.	सिंधी	16,94,061
	अन्य	18,366
20. तमिल		6,07,93,814
1.	कैकडी	23,694
2.	तमिल	6,06,55,813
3.	येरूकाला/येरूकुला	69,533
	अन्य	44,774
21. तेलुगू		7,40,02,856
1.	तेलुगू	7,38,17,148
2.	वदारी	1,71,725
	अन्य	13,983
22. उर्दू		5,15,36,111
1.	उर्दू	5,15,33,954
	अन्य	2,157

1. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मणिपुर राज्य के सेनापति जिले के पावमाता, माओमारम और पुरूल उप-प्रभाग के आंकड़े शामिल नहीं है।

   मणिपुरी भाषा में मेथेई भाषा शामिल है।

2. नेपाली भाषा में गोरखाली भाषा शामिल है।

भाग-ख: संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं से अलग भाषाएं (गैर-अनुसूचित भाषाएं)

प्रत्येक भाषा के तहत वर्गीकृत भाषा एवं मातृ-भाषा के नाम		(प्रत्येक भाषा के तहत वर्गीकृत मातृ-भाषा) बोलने वालों की संख्या, जिन्होंने भाषा को मातृ-भाषा के रूप में अपनाया
1		2
1. अदी		1,98,462
1.	अदी	97,012
2.	अदी गाल्लोंग/गालोंग	61,887
3.	अदी मिनियोंग/मिनियोंग	17,274
	अन्य	22,289
2. अफगानी/काबूली/पशतो		11,086
1.	फगानी/काबूली/पशतो	11,086
3 अनाल		23,191
1.	अनाल	21,420
	अन्य	1,771
4. अंगामी		1,32,225
1.	अंगामी	49,685
	अन्य	82,540
5. आव		2,61,387
1.	आव	2,57,404
	अन्य	3,983
6. अरेबिक/अरबी		51,728
1.	अरेबिक/अरबी	51,715
	अन्य	13

1		2
7.	**बलटी**	20,053
1.	बलटी	20,051
	अन्य	2
8.	**भिली/भिलोदी**	95,82,957
1.	बौरी	27,242
2.	बरेल	6,37,751
3.	भैलाली	6,80,689
4.	भिली/भिलोदी	33,13,481
5.	चोधरी	2,09,363
6.	धोदिया	1,69,290
7.	गमती/गवित	2,83,697
8.	गारासिया	51,183
9.	कोकना/कोकनी/कूकना	1,10,602
10.	मावची	99,474
11.	पराधी	49,290
12.	पवरी	1,54,918
13.	राठी	1,01,458
14.	तदावी	99,348
15.	वर्ली	4,75,433
16.	वसावा	4,17,665
17.	वागडी	25,10,811
	अन्य	1,91,262
9.	**भोटिया**	81,012
1.	भोटिया	68,800
2.	जसंकारी	11,443
	अन्य	769
10.	**भूमिज**	47,443
1.	भूमिज	30,719
	अन्य	16,724
11.	**बिष्णुपर्या**	77,545
1.	बिष्णुपूर्या मणिपुरी/ मणिपुरी बिष्णुपूर्या	72,899
	अन्य	4,646
12.	**चखेसंग**	11,415
1.	चखेसंग	11,415
13.	**चकरू**	83,560
1.	चखेसंग	83,560
14.	**चांग**	62,408
1.	चांग	62,408
15.	**कूरगी/कोडगू**	1,66,187
1.	कूरगी/कोडगू	1,66,187
16.	**देवरी**	27,960
1.	देवरी	27,960
17.	**दिमासा**	1,11,961
1.	दिमासा	1,10,671
	अन्य	1,290

1	2
18. अंग्रेजी	2,26,449
1. अंग्रेजी	2,26,449
19. गडबा	26,262
1. गडबा	26,082
अन्य	180
20. गंगटे	14,500
1. गंगटे	14,394
अन्य	106
21. गारो	8,89,479
1. गारो	8,85,522
अन्य	3,957
22. गोंडी	27,13,790
1. दोरली	37,731
2. गोंडी	25,05,247
3. कलारी	26,797
4. मारिया	88,984
5. मूरिया	16,620
अन्य	38,411
23. हलाबी	5,93,443
1. अलाबी	5,92,501
अन्य	942
24. हालम	38,275
1. हालम	14,316
अन्य	23,959

1	2
25. हमार	83,404
1. हमार	83,404
26. हो	10,42,724
1. हो	10,37,987
अन्य	4,737
27. जटपू	39,331
1. जटपू	39,319
अन्य	12
28. जुआंग	23,708
1. जुआंग	23,708
29. कबूई	94,758
1. कबूई	29,175
2. रांगमेई	61,197
अन्य	4,386
30. करबी/मिकीर	4,19,534
1. करबी/मिकीर	4,19,512
अन्य	22
31. खंदेशी	20,75,258
1. अहिरानी	18,65,813
2. दंदगी	1,38,756
3. गुजारी	48,747
4. खादेंशी	17,413
अन्य	4,529

1	2
32. खरिया	2,39,608
1. खरिया	2,37,479
अन्य	2,129
33. खासी	11,28,575
1. भोई खासी	14,882
2. खासी	8,28,545
3. प्नार/साईतेंग	2,43,441
4. वार	25,886
अन्य	15,821
34. खेझा	40,768
1. खेझा	39,436
अन्य	1,332
35. खेमनूगंन	37,755
1. खेमनूगंन	37,755
36. खोंड/खोंढ	1,18,597
1. खोंड/खोंढ	1,15,330
अन्य	3,267
37. किन्नौरी	65,097
1. किन्नौरी	64,817
अन्य	280
38. किसान	1,41,088
1. किसान	1,41,088

1	2
39. कोच	31,119
1. कोच	28,578
अन्य	2,541
40. कोडा/कोरा	43,030
1. कोडा/कोरा	36,528
अन्य	6,502
41. कोलमी 1,21,855	
1. कोलमी	1,21,855
42. कोम	14,673
1. कोम	14,673
43. कोंडा[1]	56,262
1. कोडू	45,428
अन्य	10,834
44. कोंयाक 2,48,109	
1. कोंयाक	2,48,109
45. कोरकू	5,74,481
1. कोरकू	5,41,880
2. मुवासी	29,288
अन्य	3,313
46. कोरवा[2]	34,586
1. कोरकू	27,942
अन्य	6,644

1		2
47. कोया		3,62,070
1.	कोया	3,62,070
48. कूई		9,16,222
1.	कूई	9,15,392
	अन्य	830
49. कूकी		52,873
1.	कुकी	47,856
	अन्य	5,017
50. कूरूख/ओरांव		17,51,489
1.	कूरूख/ओरांव	17,37,044
	अन्य	14,445
51. लद्दाखी		1,04,618
1.	लद्दाखी	1,04,502
	अन्य	116
52. लहौली		22,646
1.	लहौली	20,138
	अन्य	2,508
53. लहदां		92,234
1.	मुलतानी	56,096
2.	बहवालपुरी	11,873
3.	पूंछी	19,871
	अन्य	4,394

1		2
54. लखेर		34,751
1.	लखेर	34,751
55. ललूंग		27,072
1.	ललूंग	27,072
56. लेपचा		50,629
1	लेपचा	50,629
57. लैंगमेई		34,232
1.	लैंगमेई	34,077
	अन्य	155
58. लिम्बू		37,265
1.	लिम्बू	28,127
	अन्य	9,138
59. लोथा		1,70,001
1.	लोथा	1,70,001
60. लूसाई/मिजो		6,74,756
1.	लूसाई/मिजो	6,71,911
	अन्य	2,845
61. माल्टो[4]		2,24,926
1.	पहाड़िया	83,050
	अन्य	1,41,876
62. मराम		37,340
1.	मराम	37,340

1		2
63. मरिंग		22,326
1.	मरिंग	22,326
64. मिरी/मिशिंग		5,51,224
1.	मिरी/मिशिंग	5,51,182
	अन्य	42
65. मिशमी		33,955
1.	मिशमी	17,283
	अन्य	16,672
66. मोघ		30,639
1.	मोघ	30,559
	अन्य	80
67. मोनपा		55,876
1.	मोनपा	51,035
	अन्य	4,841
68. मुंडा		4,69,357
1.	कोल	12,720
2.	मुंडा	4,26,820
	अन्य	29,817
69. मुनदारी		10,61,352
1.	मुनदारी	10,46,951
2.	मुरा	14,204
	अन्य	197
70. निकोबरेसे		28,784
1.	निकोबरेसे	28,784
71. निस्सी/दफला		2,11,485
1.	अपटानी	28,422
2.	बंगनी	18,842
3.	निसी	1,18,111
4.	तगीन	38,244
	अन्य	7,866
72. नोकोते		32,957
1.	नोकते	27,749
	अन्य	5,208
73. पैटे		64,100
1.	पैटे	64,065
	अन्य	35
74. पर्जी		51,216
1.	धूरवा	45,310
	अन्य	5,906
75. पवी		24,965
1.	पवी	24,965
76. पेरसियन		11,688
1.	पेरसियन	11,688
77. फोम		1,22,508
1.	फोम	1,22,508

1		2
78. पोचूरी		16,744
1.	पोचूरी	16,728
	अन्य	16
79. राभा		1,64,770
1.	राभा	1,64,266
	अन्य	504
80. राय		14,378
1.	राय	10,446
	अन्य	3,932
81. रेंगमा		61,345
1.	रेंगमा	61,345
82. संगताम		84,273
1.	संगताम	84,171
	अन्य	102
83. सवारा		2,52,519
1.	सवारा	2,52,487
	अन्य	32
84. सेमा		1,03,529
1.	सेमा	1,03,529
85. शेरपा		18,342
1.	शेरपा	18,342
86. शिना		34,390
1.	शिना	34,251
	अन्य	139
87. सिमते		10,225
1.	सिमते	10,225
88. तमांग		17,494
1.	तमांग	17,494
89. तांगखूल		1,42,035
1.	तांगखूल	1,42,023
	अन्य	12
90. तंगसा		40,086
1.	तंगसा	12,604
	अन्य	27,482
91. थोडो		1,90,595
1.	थोडो	1,86,471
	अन्य	4,124
92. तिबेतान		85,278
1.	तिबेतान	77,305
	अन्य	7,973
93. त्रिपूरी		8,54,023
1	कोकबराक	7,61,964
2	रिंग	76,450
3	त्रिपुरी	15,002
	अन्य	607

1	2
94. तूलू	17,22,768
1. तूलू	17,20,422
अन्य	2,346
95. वैफई	39,673
1. वैफई	39,673
96. वांचो	49,072
1. वांचो	49,072
97. यीमचूंगरे	92,144
1. तिखिर	16,828
2. यीमचूंगरे	72,030
अन्य	3,286
98. जेलैंग	61.547
1. जेलैंग	61,547
99. जेमी	34,110
1. जेमी	34,102
अन्य	8
100. जोउ	20,857
1. जोउ	20,857

1. **कोन्डा:** इस भाषा के तहत कोन्डा सहित कई मातृ-भाषाओं को उनकी भाषायी संबद्धता के आधार पर रखा गया है, किन्तु इनमें से केवल कोडू भाषा ही अखिल भारतीय स्तर पर 10 हजार अथवा इससे अधिक भाषा-भाषियों के मानदंड को पूरा करता है। इसलिए केवल कोडू भाषा को ही मृत-भाषा के रूप में दर्शाया गया है तथा शेष को ''अन्य'' के तहत दर्शाया गया है।

2. **कोरवा:** इस भाषा के तहत कोरवा सहित कई मातृ-भाषाओं को उनकी भाषायी संबद्धता के आधार पर रखा गया है, किन्तु इनमें से केवल कोराकू भाषा ही अखिल भारतीय स्तर पर 10 हजार अथवा इससे अधिक भाषा-भाषियों के मानदंड को पूरा करता है। इसलिए केवल कोराकू भाषा को ही मृत-भाषा के रूप में दर्शाया गया है तथा शेष को ''अन्य'' के तहत दर्शाया गया है।

3. **ल्हांडा:** इस भाषा के तहत ल्हांडा सहित कई मातृ-भाषाओं को उनकी भारतीय भाषा सर्वेक्षण– जी.ए. ग्रीयर्सन वर्गीकरण के आधार पर रखा गया है, किन्तु इनमें से बहावलीपुरी, मुलतानी और पुन्छी भाषाएं ही अखिल भारतीय स्तर 10 हजार अथवा इससे अधिक भाषा-भाषियों के मानदंड को पूरा करते हैं। इसलिए बहावलीपुरी, मुलतानी और पून्छी भाषाओं को ही मातृ-भाषा के रूप में दर्शाया गया है तथा शेष को ''अन्य'' के तहत दर्शाया गया है। ल्हांडा भाषा-भाषी प्रमुख क्षेत्र अब पाकिस्तान में है, इसलिए भारत में ल्हांडा भाषा-भाषियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

4. **मालटो:** मालटो भाषा स्वयं मालटो तथा कई मातृ-भाषाओं को प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से केवल पहाड़िया भाषा ही अखिल भारतीय स्तर पर 10 हजार अथवा इससे अधिक भाषा-भाषियों के मानदंड को पूरा करता है। इसलिए केवल पहाड़िया भाषा को ही मातृ-भाषा के रूप में दर्शाया गया है तथा शेष को ''अन्य'' के तहत दर्शाया गया है। लोगों द्वारा मालटो भाषा का प्रयोग अपनी भाषा को प्रकट करना के लिए किया जाता है तथा यह भाषा स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठापित भाषा बन गई है।

5. **पारजी:** इस भाषा के तहत पारजी सहित कई मातृ-भाषाओं को पारजी भाषा के तहत रखा गया है, किन्तु इनमें से केवल धूरवा भाषा ही अखिल भारतीय स्तर पर 10 हजार हथवा इससे अधिक भाषा-भाषियों के मानदंड को पूरा करता है। इसलिए केवल धूरवा भाषा को ही मातृ-भाषा के रूप में दर्शाया गया है तथा शेष को ''अन्य के तहत दर्शाया गया है।

विवरण-II

भाषाओं और मातृ भाषा-भाषियों की संख्या – 2001 : एक उद्धरण

भाषायी अल्पसंख्यकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र#	कुल आबादी	मुख्य राजभाषा	राजभाषा-भाषी	भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषा	भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
चंडीगढ़#	900,635	हिन्दी/अंग्रेजी	608,218	292,417	32.47
दिल्ली#	13,850,507	हिन्दी/अंग्रेजी	11,210,843	2,639,664	19.06
हरियाणा	21,144,564	हिन्दी	18,460,843	2,683,721	12.69
हिमाचल प्रदेश	6,077,900	हिन्दी/अंग्रेजी	5,409,758	668,142	10.99
जम्मू और कश्मीर	10,143,700	उर्दू	13,251	10,130,449	99.87
पंजाब	24,358,999	पंजाबी	22,334,369	2,024,630	8.31
राजस्थान	56,507,188	हिन्दी	51,407,216	5,099,972	9.03
मध्य क्षेत्र					
बिहार	82,998,509	हिन्दी	60,635,284	22,363,225	26.94
छत्तीसगढ़	20,833,803	हिन्दी	17,210,481	3,623,322	17.39
झारखंड	26,945,829	हिन्दी	15,510,587	11,435,242	42.44
मध्य प्रदेश	60,348,023	हिन्दी	52,658,687	7,689,336	12.74
उत्तराखंड	8,489,349	हिन्दी	7,466,413	1,022,936	12.05
उत्तर प्रदेश	166,197,921	हिन्दी	151,770,131	14,427,790	8.68
पूर्वी क्षेत्र					
अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	अंग्रेजी	0	1,097,968	100.00
असम	26,655,528	असमी	13,010,478	13,645,050	51.19

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	2,293,896	मणिपुरी	1,266,098	1,027,798	44.81
मेघालय	2,318,822	अंग्रेजी	0	2,318,822	100.00
मिजोरम	888,573	अंग्रेजी	0	888,573	100.00
नागालैंड	1,990,036	अंग्रेजी	0	1,990,036	100.00
उड़ीसा	36,804,660	उड़ीसा	30,563,507	6,241,153	16.96
सिक्किम	540,851	अंग्रेजी	0	540,851	100.00
त्रिपुरा	3,199,203	बंगाली	2,147,994	1,051,209	32.86
पश्चिम बंगाल	80,176,197	बंगाली	68,369,255	11,806,942	14.73
पश्चिमी क्षेत्र					
दादरा और नगर हवेली#	220,490	हिन्दी	33,237	187,253	84.93
दमन और दीव#	158,204	गुजराती	107,090	51,114	32.31
गोवा	1,347,668	कोकनी	769,888	577,780	42.87
गुजरात	50,671,017	गुजराती	42,768,386	7,902,631	15.60
कर्नाटक	52,850,562	कन्नड़	34,838,035	18,012,527	34.08
महाराष्ट्र	96,878,627	मराठी	66,643,942	30,234,685	31.21
दक्षिण क्षेत्र					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#	356,152	हिन्दी/अंग्रेजी	64,933	291,219	81.77
आंध्र प्रदेश	76,210,007	तेलूगू	63,904,791	12,305,216	16.15
केरल	31,841,374	मलयालम	30,803,747	1,037,627	3.26
लक्षद्वीप#	60,650	अंग्रेजी	0	60,650	100.00
पुदुचेरी#	974,345	तमिल/तेलगू/मलयालम	955,192	19,153	1.97

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	62,605,679	तमिल	55,798,916	6,606,763	10.59
योग	1,028,737,436			201,995,866	19.64

स्रोत: वर्ष 2001 की जनगणना: भाषायी अल्पसंख्यकों की संख्या भारत के जनसंख्या आयुक्त एवं महापंजीयक द्वारा जारी वर्ष 2001 के भाषा संबंधी आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है।

भाषायी अल्पसंख्यक: भाषायी अल्पसंख्यकों को व्यक्तियों के समूह अथवा वर्ग के रूप में लिया गया है, जो संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मुख्य राजभाषा से अलग भारतीय भाषा बोलते हैं।

[अनुवाद]

गेल की फटी गैस पाइपलाइन

4980. श्री एल. राजगोपाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में पोन्नामांडा-कडाली, मंडल मामिडिकुडुरू के बीच पाइपलाइन फट गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह गैस पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड की है;

(घ) यदि हां, तो इसके फटने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके फलस्वरूप गेल इंडया लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पोन्नामांडा से 2.3 किमी. दूरी पर एक स्थल पर पोन्नामांडा-कडाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में रिसाव था और दिनांक 09.11.2010 को उसमें आग लग गई। यह स्थल नहर के बीच में है और मत्स्य तालाब के निकट है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पृथक्करण वाल्व तत्काल बंद कर दिए गए। पाइपलाइन के प्रभावित भाग का मरम्मत कार्य दिनांक 20.11.2010 को पूरा किया गया ओर तत्पश्चात् नहर को भी पुन: चालू कर दिया गया। पोन्नामांडा-कडाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की इंटेलीजेंट पिगिंग की गई ताकि पाइपलाइन की आगे अक्षतता स्थापित की जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) गैस में मौजूद तत्वों के कारण पाइपलाइन में आंतरिक संक्षारण होना रिसाव का प्रत्यक्ष कारण प्रतीत होता है।

(ङ) गेल ने ध्वस्त खंड के परिशोधन पर लगभग 48 लाख रुपए खर्च किए हैं। गैस की क्षति लगभग 26,000 मानक धन मीटर है।

गुजरात में प्राकृतिक गैस का उत्पादन

4981. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में वार्षिक रूप से कुल कितनी मात्रा में संबद्ध गैस का उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की गैस जल गई;

(ख) ऐसी संबद्ध गैस की उपयोग पद्धति क्या है और कितनी मात्रा में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) अथवा रसोई गैस तथा अन्य पेट्रोरसायन उत्पादों का उत्पादन हुआ;

(ग) बची गैस के उपयोग का घटकवार वर्तमान प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या सरकार की इस राष्ट्रीय परिसंपत्ति के उत्पादक उपयोग की कोई योजना है और इस संबंध में निवेश प्रस्ताव क्या हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जली गैस से वातावरण में कितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) गुजरात में, गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्पादित सम्बद्ध गैस की कुल मात्रा और दहन की गई गैस की मात्रा क्रमश: 6039.84 एमएमएससीएम और 86.9 एमएमएससीएम है। इसी अवधि के दौरान ऐसी दहन की गई गैस का मूल्य 32.64 करोड़ रु. है।

(ख) उत्पादित प्राकृति गैस, आन्तरिक आवश्यकताओं जैसे तेल को कृत्रिम रूप से ऊपर उठाना, विद्युत, गैस इंजन, हीटर ट्रीटर, बाथ हीटर और मूल्य वर्द्धित उत्पादों के उत्पादन, को पूरा करने के पश्चात विभिन्न उपभोक्ताओं को आगे परिवहन और वितरण के लिए मैसर्स (गेल) को सुपुर्द कर दी जाती है। तथापि, निजी संयुक्त उद्यम कंपनियों भी सेरेमिक और ईंट-भट्टों, रसायन कारखानों और अन्य लघु उद्योगों जैसे विभिन्न उद्योगों को ऐसी गैस की बिक्री करती हैं।

(ग) गुजरात में 2009-10 के दौरान गैर दहन की गई सम्बद्ध गैस के उपयोग की प्रतिशतता इस प्रकार है:–

	सम्बद्ध गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	दहन की गई सम्बद्ध गैस (एमएमएससीएम)	आन्तरिक रूप से उपयोग में गई सम्बद्ध गैस	बेची गई सम्बद्ध गैस (एमएमएससीएम)	इस्तेमाल की गई सम्बद्ध गैस
ओएनजीसी	1933	19.33 (1%)	580 (30%)	1331 (69%)	99%
निजी/संयुक्त उद्यम	31.17	15.11 (48.49%)	1.47 (4.72%)	14.58 (46.79%)	51.51%

(घ) और (ङ) पीएससी व्यवस्था के तहत संविदाकार, दहन की जाने वाली गैस के लिए नए क्रेताओं की खोज करके गैस दहन को न्यूनतम करने के लिए सतत् प्रयास कर रहे हैं। तथापि, तकनीकी कारणों से गैस की कुछ मात्रा का फिर भी दहन करना आवश्यक होता है।

(च) दहन की गई गैस द्वारा छोड़े गए कार्बन की मात्रा दहन की गई गैस के कैलोरीफिक मूल्य पर निर्भर करती है। उत्पादन क्षेत्रों के आस-पास की वायु की कोर्ट की निगरानी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यम

4982. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उद्यम स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक यूनिट का लाभ और घाटा कितना है; और

(ग) महाराष्ट्र में घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को क्या सहायता दी गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) संसद में दिनांक 25.02.2010 को प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण (2008-09) में उपलब्ध सूचना के अनुसार 22 ऐसे उद्यम प्रचालित हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उनका 31.03.2009 तक का लाभ एवं घाटा संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र में स्थित घाटा उठाने वाले 03 केंद्रीय सरकारी उद्यमों नामत: हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि., हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. को क्रमश: 405.16 करोड़ रुपये, 250.00 करोड़ रुपये और 31.40 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में पंजीकृत उनके कार्यालयों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यम

(लाख रुपये)

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम	लाभ/घाटा (2008-09)
1	2	3
1.	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	(-) 33960

1	2	3
2.	बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसिस लि.	(-)359
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	73590
4.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	6678
5.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	28339
6.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	(-)2879
7.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	(-)2528
8.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	7498
9.	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(-)1861
10	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	294955
11.	इंडियन रेयर अर्थ्स लि.	5677
12.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रीस्मेल्ट कॉर्पोरेशन लि.	4089
13.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.	66379
14.	मझगांव डॉक लि.	27073
15.	मिलेनियम टेलिकॉम लि.	(-)5
16.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.	124
17.	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.	1763
18.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	(-)1113
19.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	21158
20.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	(-)3030
21.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	94076
22.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	33543

आरक्षण काउंटरों में वृद्धि

4983. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश के विभिन्न स्थलों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के अनुपात में टिकट बुकिंग और आरक्षण काउंटर बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थल-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस प्रयोजनार्थ निजी भागीदारी में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या दिशानिर्देश अपनाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक पाए जाने पर मौजूदा स्थानों पर काउंटरों की संख्या में वृद्धि/कमी की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) अनारक्षित टिकटों की बिक्री के लिए भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर टिकट बुकिंग कार्यालय उपलब्ध हैं। अनारक्षित टिकटों की उपलब्धता सुलभ बनाने के लिए, अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बिक्री के लिए रेलवे द्वारा जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों (जेटीबीएस) की नियुक्ति की गई है।

आरक्षित टिकट सुविधा के विस्तार के लिए, वर्ष 2010-11 के लिए 144 नए स्थलों पर यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था करना स्वीकृत किया गया है। इन स्थलों की राज्य-वार सूची नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) निजी भागीदारी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, रेलवे बुकिंग/आरक्षण काउंटरों के अलावा अन्य स्रोतों से टिकटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:—

(i) डाकघरों और राज्य सरकारों के माध्यम से आरक्षित टिकटों की बिक्री।

(ii) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा नियुक्त वेब एजेंटों और वेब सेवा एजेंटों के माध्यम से आरक्षित ई-टिकटों की बिक्री और

(iii) रेलवे द्वारा नियुक्त जन साधारण टिकट बुकिंग सेवाओं के जरिए अनारक्षित टिकटों की बिक्री।

कम दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति

4984. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ट्रेन सेवाएं बाधित होना

4985. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़, आतंकवाद, नक्सली गतिविधियों के कारण ट्रेनों का संचालन अत्यधिक प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप रद्द/पुनर्निर्धारित की गई ट्रेनों का क्षेत्र-वार और तिथि-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण रेलवे को हुए घाटे का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रेलवे की आर्थिक हानि गाड़ी-वार अथवा गाड़ियों की समयबद्धता के आधार पर आकलित नहीं की जाती है।

(घ) बाढ़ की समस्या के संबंध में रेलवे सदैव सतर्क रहती है और रेलपथ को क्षति से रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ विशेषत: मानसून के दौरान समन्वय करती है।

आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों के संबंध में, 'रेलों पर पुलिस व्यवस्था' एक राज्य सरकार का विषय है और इसलिए अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और रेलवे परिसरों तथा चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसका वे संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के द्वारा निर्वहन करते हैं। बहरहाल, गाड़ियों और यात्री क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए रेलवे पर अपराध नियंत्रण करने में राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरित करने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलों को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2003 में रेसुब अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया है।

विवरण

अप्रैल से नवंबर, 2010 तक की गई बाढ़, आतंकवाद और वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप रद्द/पुन: निर्धारित गाड़ियों का विवरण निम्नानुसार है

रेलवे	बाढ़	वामपंथी उग्रवाद गतिविधियां	आतंकवाद
1	2	3	4
मध्य रेलवे	–	623	–
पूर्व रेलवे	9	–	–
पूर्व मध्य रेलवे	–	581	–
पूर्व तट रेलवे	–	123	–
उत्तर रेलवे	1,653	–	1,230
पूर्वोत्तर रेलवे	48	–	–
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	–	–	68
उत्तर पश्चिम रेलवे	86	–	–

1	2	3	4
दक्षिण रेलवे	14	—	—
दक्षिण पूर्व रेलवे	—	2,840	—
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	2	—	—
पश्चिम रेलवे	192	414	—
जोड़	2,004	4,581	1,298

[अनुवाद]

भेषज उद्योग के लिए साझा आचार संहिता

4986. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भेषज उद्योग के लिए साझा आचार संहिता ईजाद करने के लिए देश में लघु और मध्यम भेषज विनिर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों के दबाव में साझा आचार संहिता का विकल्प चुनने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) दवाइयों की कीमतों को उचित स्तर पर लाने के लिए भेषज उद्योग हेतु साझा आचार संहिता अपनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) औषधि कंपनियों द्वारा किए जाने वाले संवर्धन खर्च के संबंध में हाल ही में समाचार पत्रों में कुछ खबरें छपी थीं। इन खबरों में यह कहा गया है कि कतिपय औषधि कंपनियों द्वारा कुछ अनुचित विपणन परिपाटियां अपनाई जा रही हैं। खबरों में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस विभाग ने उपभोक्ताओं/मरीजों के हित में इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता समझी, क्योंकि डॉक्टरों को दिए जा रहे इस प्रकार के संवर्धन व्यय का दवाइयों के मूल्यों तथा उनकी वहनीयता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फार्मा एसोंसिएशनों/ उद्योग के साथ इन मामलों पर चर्चा करने तथा अनुवर्ती कार्यवाही करने के बाद अधिकतर भेषज एसोंसिएशनों ने समान भेषज विनिर्माण आचार पारिपाटियां (यूसीपीएमपी) अपनायी हैं। अब औषध विभाग ऐसी यूसीपीएमपी तैयार करने की संभावना की जांच कर रहा है जिसे पहले स्वेच्छा से अपनाया जाए।

जैव खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहन देना

4987. श्रीमती अन्नू टंडन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैविक खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाभ प्रदान करके जैविक खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उपलब्ध लाभों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्वीकृत करने के उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) 11वीं योजना स्कीमों के अंतर्गत, जैविक खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं है। तथापि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम नामक एक स्कीम चला रही है जिसके अंतर्गत जैविक खाद्य उत्पादों समेत सभी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दनर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गत क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत 8वीं से 10वीं योजना अवधियों के दौरान, सरकार ने जैविक खाद्य उत्पादों समेत सभी क्षेत्रों से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों विशष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों में 56 खाद्य पार्कों की

स्थापना का अनुमोदन दिया था। स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% अधिकतम 4.00 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 33.3% की दर से परन्तु प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 4.00 करोड़ रुपए की उच्च स्तरीय वित्तीय सहायता देय थी।

11वीं योजना स्कीमों के अंतर्गत, सरकार ने मेगा खाद्य पार्क अवसंरचना विकास स्कीम नाम की एक नई स्कीम अनुमोदित की है जिसका उद्देश्य सुदृढ़ अग्र एवं पश्च लिंकेजों वाले कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ-साथ फार्म गेट से लेकर खुदरा विक्रेता दुकानों तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएं सृजित करना है। इस स्कीम में प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं की केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिटों (सीपीसी) के क्षेत्र के अधिकतम 10% पर बने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मानक फैक्ट्री शैड्स से मिलकर बनी है। क्रियान्वयन के पहले चरण में, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 10 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

[हिन्दी]

गांधीनगर से प्रतीजा के लिए रेल लाइन

4988. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का गांधीनगर से प्रतीजा तक एक रेल लाइन बिछाने पर कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिरिया खानों को पट्टे पर देना

4989. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने चिरिया खान क्षेत्र में 1 बिलियन टन के भंडारों के आबंटन में चिरिया खानों को पट्टे पर देने के मुद्दे का झारखंड सरकार के साथ सफल समाधान निकाल लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में सेल को स्वीकृत पट्टों, सेल के पास उपलब्ध भंडारों की मात्रा, सेल द्वारा आवेदन किए गए पट्टों और सेल के लिए नवीकरण हेतु पट्टों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस्पात मंत्रालय तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) दोनों ही सेल के पक्ष में चिरिया पट्टों के लंबित नवीनीकरण के मामले में झारखंड सरकार के साथ सुलझाने के लिए भारत सरकार में उचित स्तर पर सतत् प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में चिरिया स्थित सेल के 6 पट्टों में से 3 पट्टो के नवीकरण का मामला झारखंड सरकार के साथ विवादग्रस्त है और वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तथा 2 पट्टे मान्य विस्तारित अवधि के अधीन हैं। पट्टों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	पट्टा	प्रदान करने की तिथि	पट्टे के नवीनीकरण की स्थिति
1.	बुधाबुरू	8.12.1945	सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है
2.	अजीताबुरू	7.12.1947	विवादग्रस्त
3.	सुकरी-लातूर	22.3.1949	विवादग्रस्त
4.	धोबिल	8.3.1948	मान्य विस्तारित अवधि के अधीन
5.	तातीबुरू	1.9.1949	विवादग्रस्त
6.	अंकुआ	14.6.1982	मान्य विस्तारित अवधि के अधीन

इस्पात मंत्री तथा सेल के कठोर प्रयासों के परिणामस्वरूप झारखंड सरकार ने 23.10.2009 को लौह अयस्क के लगभग 800 मिलियन टन वाली चिरिया लौह अयस्क खान के बुद्धाबुरू पट्टे (मेकलेलन) के नवीनीकरण हेतु सिद्धांतत: स्वीकृति दे दी है। चिरिया लौह अयस्क खानों के पट्टों में सेल के कुल अनुमानित भंडार लगभग 840 मिलियन टन हैं। लौह अयस्क की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए सेल ने 29.5.2007 को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में घाटकुरी आरक्षित वन में 2580 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए झारखंड सरकार को खनन पट्टे हेतु आवेदन किया है।

[हिन्दी]

बोगियों की जर्जर स्थिति

4990. श्री मधु कोड़ा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के कोचों की जर्जर स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या रेलवे का रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (गोमो के रास्ते) को सप्ताह में तीन दिन चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त ट्रेन को कब तक सप्ताह में तीन दिन चलाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) निर्धारित संरक्षा बैंचमार्कों के अनुरूप अतिरिक्त यात्री सेवाओं के सवारी डिब्बे में कतिपय प्रकार की सुविधाएं और फिटिंगें मुहैया करायी जाती हैं। सवारी डिब्बों का अनुरक्षण और रख-रखाव एक सतत् आवश्यकता है और निर्धारित अनुरक्षण कार्यक्रम के दौरान चालू लाइन में इनका आवधिक अनुरक्षण और कारखानों में आवधिक ओवरहाल किया जाता है। इसके अलावा, सवारी डिब्बों की अच्छी हालत बरकरार रखने के लिए उनका 'मिड-लाइफ' पुनर्वास भी किया जाता है।

(ग) से (ङ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण 2439/2440 रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फेरे बढ़ाकर इसे सप्ताह में 2 दिन के स्थान पर 3 दिन चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

ट्रेनों का ठहराव

4991. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने देश भर में ट्रेनों को ठहराव उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मांगों को स्वीकार करने हेतु क्या नीति अपनाई है;

(ख) क्या लखनऊ के सीतापुर जिले में अटारिया स्टेशन और हरौनी स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव उपलब्ध कराने की मांगें रेलवे के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) ठहरावों की व्यवस्था, मांग, उस स्टेशन पर प्राप्त होने वाले यातायात, परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता, वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता, उस स्टेशन से गाड़ी के गुजरने का समय, शहरों/नगरों की जनसंख्या और उनका महत्व तथा उस स्थान पर होने वाले नए विकास कार्यों आदि पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) अटारिया और हरौनी स्टेशनों पर गाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव देने संबंधी अभ्यावेदनों की जांच की गई और इन्हें फिलहाल वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण और परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

ट्रेनों में हरित शौचालय

4992. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण के अनुकूल ''हरित शौचालयों'' के विकास और संस्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में रेलवे द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का इस संबंध में कोई फील्ड परीक्षण हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने और सभी ट्रेनों में लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पर्यावरण के अनुकूल शौचालय विकसित करने के लिए विभिन्न दिशाओं में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सवारी डिब्बा शौचालय प्रणाली के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डीआरडीई) बायो-डायजेस्टर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रौद्योगिकी के आधार पर अ.अ.मा.सं. तथा डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन विकसित किया गया है और भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों को इस प्रौद्योगिकी के आधार पर दो रेकों का विनिर्माण करने का निर्देश दिया गया है। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से जीरो डिस्चार्ज शौचालय प्रणाली (जेडडीटीएस) विकसित की गई है। शताब्दी गाड़ियों में वैक्यूम रीटेन्शन किस्म के शौचालयों का परीक्षण करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अ.अ.मा. संगठन लखनऊ और आईआईटी/कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित डिजाइन के आधार पर तैयार की गई जीरो डिस्चार्ज शौचालय प्रणाली का एक सवारी डिब्बे में परीक्षण किया गया है। इस प्रौद्योगिकी के आधार पर एक रेक में विस्तारित परीक्षण करने के लिए आरडीएसओ द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) भारतीय रेल की परिचालन स्थितियों में अनुकूल उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकल्प का निर्धारण अभी किया जाना है जिसके लिए रेलवे यथा उल्लिखित विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों पर कार्य कर रही है। सभी गाड़ियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण को अपनाने के संबंध में अगली कार्रवाई विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों के परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

बजट एयरलाइनों के मुख्यालयों का स्थानांतरण

4993. श्री एन. पीताम्बर कुरुप : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट एयरलाइनों के मुख्यालयों को मुंबई से कोच्चि में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और प्रस्तावित स्थानान्तरण को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या बजट एयरलाइनें भारत में अधिक यात्रियों को आकर्षित कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में एयरलाइनों द्वारा अर्जित आय में कितनी वृद्धि हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) मुख्यालय बदले जाने का प्रस्ताव एयरलाइनों के निजी मामले हैं। सरकार एयरलाइनों के निजी प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ग) सरकार किसी भी एयरलाइन को कम कीमत वाले एयरलाइन के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है। तथापि, अक्तूबर, 2010 में घरेलू क्षेत्रों में एयरलाइनों के मार्केट शेयर इस प्रकार हैं:–

एयरलाइन्स	मार्केट शेयर (%)
एयर इंडिया	17.7
इंडिगो	16.8
गो एयर	6.6
स्पाइस जेट	13.6
किंगफिशर	19.0
जेट लाइन	7.4
जेट एयरवेज	18.8

(घ) सरकार निजी एयरलाइनों के आय में बढ़ोत्तरी के ब्यौरे को नहीं रखती है।

आईआईसीपीटी

4994. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावुर स्थित भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) में इसकी शुरूआत से पेश किए गए पाठ्यक्रमों का

ब्यौरा क्या है और इस संस्थान में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया;

(ख) क्या आईआईसीपीटी करने विद्यार्थियों को विदेशी प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए भेज रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त संस्थान की जनशक्ति आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए इसका आगे विस्तार करने और आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) शैक्षणिक वर्ष 2008-09 से पेश किए गए पाठ्यक्रमों तथा भारतीय फसल प्रसंस्करण संस्थान (आईआईसीपीटी) में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पेश किए गए पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों की संख्या
1.	बी.टेक. (खाद्य प्रसंस्करण अभियांत्रिकी)	40
2.	एम.टेक. (खाद्य प्रक्रिया अभियांत्रिकी)	10
3.	पीएचडी	05

चूंकि पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में शुरू हुए हैं, इसलिए अभी तक कोई भी विद्यार्थी स्नातक नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) जी, हां। स्थान ने मानिटोबा, कनाडा सास्केचवन विश्वविद्यालय, कनाडा एवं नेब्रास्का विश्वविद्यालय, अमेरिका के साथ समझौता किया है। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के दौरान, तीन विद्यार्थियों को 6 माह के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु मानिटोबा विश्वविद्यालय, कनाडा भेजा गया था। तीन विद्यार्थियों को 4 महीने के प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु सॉस्केचवन विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि तंजावुर स्थित ''धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र'' (पीपीआरसी) को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। तद्नुसार, डॉ. पीतम चंद्र, सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पीपीआरसी की कार्यप्रणाली की वर्ष 2006 में समीक्षा की गई थी। समिति ने सिफारिश की थी कि समिति को एक निश्चित अधिदेश व जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत किया जाए ताकि प्लेंटेन फसलों, मसालों एवं अन्य महत्वपूर्ण फसलों समेत दलदली एवं तूफानी/चक्रवातीय/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की फसलों के फसलोत्तर प्रसंस्करण एवं मूल्यवृद्धि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तद्नुसार 88.49 करोड़ रुपए की कुल लागत तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 28 अतिरिक्त पदों का सृजन करके पीपीआरसी को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत किया जा रहा है। संस्थान को 18.02.2008 में भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) नाम दिया गया है।

आईआईसीपीटी भवन का फेस-I-ए पूरा हो गया है और 06.03.2010 को इसका केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है।

भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) 18.02.2008 से ही राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एसआरटीईपीसी और पीडीईएक्ससीआईएल

4995. श्री रमेश बैस : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (एसआरटीईपीसी) और विद्युत करघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद् (पीडीईएक्ससीआईएल) की स्थापना करने का प्रयोजन क्या है; और

(ख) उक्त संगठनों की संगठनात्मक स्थापना और संबंधित पदाधिकारियों को सौंपी गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सिंथेटिक एवं रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (एसआरटीईपीसी) की स्थापना का प्रयोजन निर्यातकों के हितों के साथ-साथ सिंथेटिक एवं रेयन वस्त्रों के निर्यातों को और साथ ही साथ मिक्चर सहित सिंथेटिक और/अथवा सेलूलोसिक यार्न और/अथवा फाइबर और/अथवा इन फाइबरों/यार्न के बीच के ब्लैंड से बनी हुई मदों के निर्यातों का संवर्धन

एवं सम्पादन करना, इन्हें बनाए रखना तथा इसमें वृद्धि करना है। जहां तक विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद् (पीडीईएक्ससीआईएल) का संबंध है, उसके उद्देश्यों में विद्युतकरघों को प्रोत्साहन, सहायता, विकास और साथ-ही-साथ विद्युतकरघा फैब्रिक और उससे बने मेड अप्स का निर्यात शामिल है।

(ख) एसआरटीईपीसी और पीडीईएक्ससीआईएल, दोनों, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत निगमित कंपनियां हैं। दोनों परिषदों की अपनी-अपनी प्रशासनिक समितियां (सीओए) हैं जिनमें चुने हुए और नामित सदस्य हैं। संबंधित परिषद् के अध्यक्ष का चयन समिति द्वारा किया जाता है जो परिषद के समुचित कार्यचालन के लिए उत्तरदायी होता है। संबंधित परिषद् के कार्यकारी निदेशक एवं कार्यकारी अध्यक्ष प्रशासनिक समिति के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन में कार्य करते हैं।

रेलवे में सुविधाएं

4996. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार यात्रियों की वृद्धि के अनुपात में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को जानकारी है कि कतिपय निजी विमान कंपनियों के रियायती विमान किराये की तुलना में प्रथम श्रेणी रेल यात्री किराया अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) गाड़ियों और स्टेशनों पर संभाले जाने वाले यात्री यातायात की संख्या के आधार पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। यात्री सुख-सुविधाओं का आवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (ख) रेलवे किरायों की तुलना हवाई यात्रा के किरायों से नहीं की जा सकती है। हवाई किराये परिवर्तनशील होते हैं और गंतव्य, यात्रा की तिथि, फ्लाइट का समय, अग्रिम बुकिंग की तिथि, मौसम आदि पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, हवाई जहाज में रियायती किराए समिति सीटों के लिए उपलब्ध होते हैं और सभी यात्री इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उपर्युक्त प्रत्येक मानदंड विभिन्न एयरलाइनों के लिए अलग-अलग होता है। दूसरी तरफ रेलवे किराए सभी मार्गों पर एक ही श्रेणी के लिए सभी यात्रियों के लिए सामान होते हैं।

यात्री ट्रेन सेवाओं में निजी कंपनियां

4997. श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सुविधाएं बढ़ाने और भारतीय रेल की संपूर्ण सेवाओं और निष्पादन को संवर्धित करने के लिए यात्री ट्रेन सेवाओं में निजी कंपनियों के प्रवेश की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय से रेल यात्री परिवहन प्रणाली में निजी प्रतिस्पर्धा शुरू करने हेतु एक रोड-मैप तैयार करने का भी आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय ने यात्री गाड़ी सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश की सिफारिश नहीं की है। बहरहाल, वित्त अवसंरचना संबंधी परामर्शदात्री समिति के एक सदस्य द्वारा एक सुझाव दिया गया है कि कार्गो सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के पास रहने दिया जाए और यात्री सेवाओं को निजी क्षेत्र द्वारा संभाले जाने की अनुमति दी जाए।

इस सुझाव की जांच की गई है और इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

बीपीएल परिवारों को केरोसीन सब्सिडी

4998. श्री महेश्वरी हजारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीबी रेखा से नीचे कि परिवारों (बीपीएल) को की जा रही आपूर्ति के लिए मुक्त बाजार वितरण प्रणाली हेतु केरोसीन पर राजसहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजना का पहला चरण शुरू करने और तत्पश्चात् इसे शहरी क्षेत्रों में लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं। इस समय गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) को खुला बाजार वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी तेल पर राजसहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा केवल खाना बनाने और रोशनी के लिए पीडीएस के तहत वितरण के लिए तिमाही आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वाले मिट्टी तेल का आबंटन किया जाता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के भीतर अपने पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से आगे का वितरण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हवाई यात्रा किराए में छूट

4999. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया प्रत्यायित पत्रकारों एवं वरिष्ठ नागरिकों को वायुयात्रा किराए में छूट प्रदान करने का कोई प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) विमान द्वारा परिवहन, यात्री तथा विमान कंपनियों के बीच संविदागत मामला है। कतिपय अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों द्वारा कुछ श्रेणियों में रियायती विमान किराये उपलब्ध कराएं जा रहे हैं; जिनके ब्यौरे संबंधित एयरलाइनों की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को परामर्श दिया गया है कि वे यात्रियों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं, चाहे वे नि:शुल्क हो या प्रभारित हो, वे सिटिजन चार्टर में अपने से संबंधित वेबसाइट पर सुस्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करें, ताकि यात्रियों को हवाई टिकट बुक करने से पहले इनके बारे में जानकारी मिल सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में पेट्रोल की चोरी

5000. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम कंपनियों एवं रेलवे के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से यात्रा के दौरान ही ट्रेनों से काफी मात्रा में पेट्रोल/डीजल की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की चोरी की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) इस संबंध में तेल कंपनियों/रेलवे के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में उपर्युक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में गाड़ियों से पेट्रोल/डीजल की चोरी के छः मामले रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें ग्यारह तेल कर्मचारियों को संलिप्त पाया गया। पेट्रोल कंपनियों का कोई कर्मचारी संलिप्त नहीं पाया गया।

(ग) संलिप्त पाए गए सभी रेल कर्मचारियों को रेल परिसंपत्ति (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया है।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(i) प्रारंभिक और गंतव्य स्थान पर रेसुब कार्मिकों द्वारा लदे हुए टैंक माल डिब्बों की सील की जांच की जाती है।

(ii) सक्रिय अपराधियों पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) गाड़ियों से पेट्रोल/डीजल की चोरी को रोकने के लिए यार्ड, ऑयल साइडिंग और रोड साइड स्टेशनों पर रेसुब कार्मिकों को तैनात किया जा रहा है।

(iv) अपराध में शामिल होने वाले संदिग्ध रेल कर्मचारियों पर उचित निगरानी रखी जा रही है।

(v) इस संबंध में रारेपु और सिविल पुलिस के साथ गहन संपर्क किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा ऋण जुटाना

5001. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की योजना 21 नए ए.-320 विमानों के पुनर्वित्तपोषण के लिए 1150 मिलियन का दीर्घावधिक ऋण जुटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया ने आईडीबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह से 1150 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर वर्तमान रुपए को रीफाईनेंस करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

हवाई यात्रा के दौरान सुविधा

5002. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार हवाई सेवा के दौरान विशेष सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त सुविधा के फलस्वरूप प्रति वर्ष भारत की यात्रा पर कितने पर्यटकों के आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2009 में एक ''विजिट इंडिया 2009'' योजना आरंभ की थी जिसे एयरलाइनों, होटलों, दूर प्रचालकों, भारत के लिए यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के सहयोग से किया गया था। स्टेकहोल्डरों द्वारा ऑफर प्रोत्साहन में विदेशों से सभी पर्यटकों को प्रोत्साहन जिसमें मानार्थ विमान टिकटें, होटल कमरे, स्थानीय यात्रा इत्यादि शामिल है। इस समय ये स्कीम नहीं चल रही है। 2009 तथा 2010 (जनवरी-नवम्बर) के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन क्रमश: 5.11 मिलियन (अनंतिम) तथा 4.93 मिलियन (अनंतिम) था।

[अनुवाद]

पट्टे पर विमान

5003. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयरलाइन सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल) द्वारा पट्टे पर कितने एटीआर 42-320 एयरक्राफ्ट लिए गए हैं;

(ख) क्या एएएसएल ने उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई पट्टा करार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 3 एटीआर 42-320 विमान पट्टे पर लिए हैं, जिसके लिए, सितम्बर/दिसम्बर, 2012 तक अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एट्रीयम, एट्रीयम कैपिटल लिमिटेड कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

हवाई क्षेत्र को शेयर करना

5004. श्री एस. सेम्मलई :
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय बढ़ते हवाई परिवहन से निपटने के लिए सैन्य हवाई क्षेत्र को यात्री हवाई सेवाओं के लिए शेयर करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सिविल उड़ानों को रक्षा वायुक्षेत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। विमान यातायात में वृद्धि तथा वायुक्षेत्र की और अधिक व्यस्त होने की दृष्टिगत वास्तविक आवश्यकता आधार पर सभी स्टेकधारकों द्वारा वायुक्षेत्र के ईष्टतम उपयोग की आवश्यकता महसूस की गई हैं इकाओ भी वायुक्षेत्र के लचीले प्रयोग की अवधारणा के तंत्र की सलाह देता है।

वायुक्षेत्र के लचीले प्रयोग के अवधारणा के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुछ मिलिट्री क्षेत्रों कसे होकर एटीसी मार्ग निर्धारित किए हैं और कुछ शर्तयुक्त मार्ग जो रात्रि के दौरान और कतिपय ऊंचाई पर सिविल उड़ानों के लिए प्रचालनिक रूप से उपलब्ध हैं।

(ग) वायुक्षेत्र के लचीले प्रयोग से सभी स्टेकधारकों को लाभ मिलेगा यथा:–

– प्रचालनिक कुशलता तथा छोटे मार्ग

– संवर्धित वायुक्षेत्र क्षमता

– ईंधन में बचत

मूल्य वृद्धि

5005. श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री जयराम पांगी :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीमेंट, स्टील और कागज की कीमतों में वृद्धि की जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सीमेंट उत्पादकों द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार कीमतों पर नियंत्रण रखने, उत्पादन एवं आपूर्ति को सीमित करने एवं कपटपूर्ण तरीके से मूल्य निर्धारण करने आदि आरोपों के संबंध में दो मामलों की सूचना तथा इस्पात उद्योगों एवं कागज व्यापारिक संगठनों से संबंधित एक-एक सूचना प्राप्त हुई है। यह सभी मामले प्रतिस्पर्धा आयोग के पास विचाराधीन है।

तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डा

5006. डॉ. शशी थरूर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के विस्तार के फलस्वरूप कोई रिक्तियां सृजित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से नव सृजित रिक्तियों को भरने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानप त्तन प्राधिकरण उन स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देगा जिनकी जमीन हवाईअड्डा विस्तार के लिए ली गई है;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना एयरपोर्ट के रखरखाव एवं हाउस कीपिंग कार्यों को निजी एजेंसियों से आउट सोर्स कराने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यांत्रिक पर्यावरणिक सहायता सेवा संविदा के अनुरक्षण की आऊटसोर्सिंग के लिए निविदा कार्रवाई आरंभ की है।

फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट

5007. श्री एम.आई. शानवास : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट की योजना फ्लो-मीटरिंग, सॉफ्टवेयर विकास प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एम. फिल. एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम शुरू करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या कार्यविधि और अवसंरचना तैयार की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

एयर इंडिया के पायलट

5008. श्री नीरज शेखर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के दिल्ली में पदस्थापित कई पायलटों की मुंबई में प्रबंधन कार्यों के लिए नियुक्ति की गई है और वे कार्यालय कार्य के नाम पर मुम्बई में फाइव स्टार होटलों में ठहरे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया ने प्रति कर्मचारी प्रति माह 1.4 लाख रुपये का होटल बिल का भुगतान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे समय में संसाधनों को बर्बाद करने के क्या कारण हैं जब एयर इंडिया पर काफी ऋण बकाया है एवं इसके कर्मचारियों को वेतन भी देर से मिलता है;

(च) क्या सरकारी धन के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोई जांच की जाएगी तथा दोषियों को सजा दी जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) मुम्बई में प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त एक्जीक्यूटिव पायलट मुम्बई में पांच तारा होटलों में नहीं ठहरते हैं।

(ख) से (छ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर हवाईअड्डा

5009. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नागपुर के कर्मचारियों ने पिछले दो माह के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप हवाईअड्डे पर कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार ने किसी सीमा तक इन पर ध्यान दिया है एवं इन्हें पूरा किया है;

(घ) क्या स हवाईअड्डे के विस्तार का कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा हवाईअड्डे को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई अनुसूची उपलब्ध नहीं है। तथापि, नागपुर हवाईअड्डे के विकास के लिए इसे पहले ही, संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् मल्टीमॉडल इंटरनेशनल यात्री और कार्गो हब, नागरपुर (एमआईएचएएन) इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया गया है।

सीबीएम नीति के अंतर्गत खानें

5010. श्री बाल कुमार पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मंत्रालय ने कोल बेड मिथेन परियोजनाओं के अंतर्गत चिह्नित खानों को वापस करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, उपर्युक्त मांग के क्या कारण हैं;

(ग) इन खानों के गैस उत्पादन से सरकार किस स्तर तक संतुष्ट है; और

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक तीन कोल कोड बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉकों नामत: ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रानीगंज (दक्षिण और रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के सोहगपुर (पूर्व) तथा सोहागपुर (पश्चिम) को अनुमोदित किया गया है। इनमें से, रानीगंज (दक्षिण) ब्लॉक से वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2007 से प्रारंभ हो गया हैं वर्तमान उत्पादन लगभग 1,00,000 धन मीटर प्रति दिन है। अन्य दो क्षेत्र विकासाधीन हैं।

उपरोक्त तीन ब्लॉकों से वर्तमान गैस उत्पादन, अनुमोदित विकास योजना में परिकल्पित उत्पादन की कम है। इसके कई कारण जैसे, निकटवर्ती क्षेत्र में बाजार की कमी, प्रयोक्ता के अधिकार (आरओयू) मुद्दों के कारण पाइपलाइन बिछाने में विलंब, भूमि अधिग्रहण और कानून और व्यवस्था की समस्याएं आदि हैं। इन मुद्दों का हल किया जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि आगामी दो से तीन वर्षों की अवधि में देश में सीबीएम का कुल उत्पादन बढ़कर 5 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) हो जाने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेल द्वारा आवासीय क्वार्टर का आबंटन

5011. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसिंग नीति/योजना के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा इसकी सहायक इकाइयों, विशेषरूप से बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टर आबंटन किए जाने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष आबंटित आवासीय क्वार्टर का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दैरान तथा चालू वर्ष में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को आबंटित किए गए आवासीय क्वार्टरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

लाइसेंस वाले क्वॉटरों की कुल संख्या	वर्ष				
	2007-08	2008-09	2009-10	चालू वर्ष (2010-11)	योग
सेल में	227	3212	2883	2062	8384
बोकारो स्टील प्लांट में	–	262	1831	1194	3287

[अनुवाद]

पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत लौह अयस्क की ढुलाई

5012. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री संजीव गणेश नाईक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत नयागढ़-क्योंझर क्षेत्रों में स्टेशनों पर माओवादी समस्याओं के कारण पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे रैक आवागमन सर्किट भी ऐसे समय पर प्रभावित हुआ है जबकि रैकों की मांग काफी ज्यादा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुप्रबंधन

5013. श्री यशवंत लागुरी :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक ने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि देश में सरकारी क्षेत्र के मुख्य उपक्रम अपने कुप्रबंधन के कारण घाटा उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि हुई है;

(ग) उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) की-गई-कार्रवाई का क्या परिणाम रहा है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विशेष क्षेत्रों की लेखा-परीक्षा करते हैं। तत्संबंधी परिणामों को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ''अनुपालन लेखा-परीक्षा'' के साथ-साथ ''निष्पादन लेखा-परीक्षा'' पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में शामिल किया जाता है। इन रिपोर्टों में अन्य बातों के अलावा विभिन्न प्रणालीय एवं अनुपालन संबंधी मुद्दों को उजागर किया जाता है। ये लेखा-परीक्षा रिपोर्टें सार्वजनिक हैं तथा *www.cag.gov.in.* वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसद के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) को प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की रिपोर्टों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी, जिसकी समीक्षा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई हो, संबंधित लेखा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने से छह माह के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण-पैरों/कार्य-निष्पादन रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष कोपू द्वारा छानबीन हेतु चयनित भी किया जाता है। उन पैरों/समीक्षाओं की सूची, जिन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है, को प्रत्येक वर्ष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भी शामिल किया जाता है।

मतदान करना

5014. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के 40 प्रतिशत मतदाता वोट नहीं डालते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जाली मतदान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कम भार वाले एलपीजी सिलिंडर

5015. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम भार वाले एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति के मामले में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को उपभोक्ताओं के सामने गैस सिलिंडरों का वजन करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आईओसीएल द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में उपरोक्ताओं को काम भार वाले सिलिंडरों की आपूर्ति रोकने के लिए आईओसीएल द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का यह प्रयास है कि ग्राहकों को शिकायत रहित सेवाएं प्रदान की जाएं। तथापि, 12.20 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को रीफिल आपूर्ति करने की प्रक्रिया में कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि विपथन/आंशिक रूप से प्रयोग एिक गए सिलेंडरों की आपूर्ति/कम वजन के सिलेंडर/उत्पाद की चोरी की सिद्ध शिकायतों के आधार पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करा के प्रावधानों के तहत देश में पिछले तीन वर्षों और अप्रैल और सितंबर, 2010 के बीच चूककर्त्ता एलपीजी वितरकों के खिलाफ 172 मामलों में कार्रवाई की गई है।

(ग) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय उपभोक्ताओं मंच ने आईओसीएल को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं की उपस्थिति में गैस सिलेंडर का वजन करें। अनुपालन शपथ पत्र दिनांक 05.04.2007 को राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उपभोक्ता को कम वजन के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) भरे गए एलपीज सिलेंडरों की एलपीजी भरण संयंत्र पर नियमित वजन जांच की जाती है। कम वजन का पाए जाने पर कोई भी सिलेंडर प्रेषण करने से पहले वजन सही करने के लिए प्रथक किया जाता है, सही कया जाता है और इसकी पुन: जांच की जाती है।

(ii) आईओसी सहित ओएमसीजी के सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को भरण संयंत्र से आपूर्ति की प्रति के समय यादृच्छिक आधार पर 10% सिलेंडरों को तौलने के निर्देश है। कोई भी सिलेंडर कम वजन का पाए जाने पर उसे उसी ट्रक से वापस भरण संयंत्र को भेज दिया जाता है और ऐसी वापसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को आवश्यक क्रेडिट किया जाती है।

(iii) औचक गुणवत्ता नियंत्रण जांच, जिसमें सिलेंडरों का वजन करना शमिल है, डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम में की जाती है और चोरी/किसी कम वजन के सिलेंडर की उपस्थित की जांच करने के लिए क्षेत्र अधिकारी द्वारा भरे हुए सिलेंडरों के वजन की मार्ग में जांच की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सिलेंडरों का वजन करते हुए उनके सही वजन के बारे में ग्राहकों को संतुष्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि सुपुर्दगी के समय सीलों को सतयापित किया गया है और ग्राहकों को दिखा दिया गया है। यदि किसी ग्राहक को कम वजन का सिलेंडर प्राप्त होता है तो ऐसे सिलेंडरों को ओएमसीज द्वारा नि:शुल्क बदल दिया जाता है।

सरकार ने ''तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन), आदेश, 2000'' अधिनियमित किया है और 'विपणन अनुशासन दिशानिर्देश 2001' निरूपित किए हैं जिनमें कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए चूककर्त्ता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त राज्य सरकारों को एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाप और तौल विभाग कम वजन के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ करते हैं।

पैसेंजर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाना

5016. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा-सकरी-जयनगर, निर्मली एवं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों पर चलाई जा रही पैसेंजर ट्रेनों की संख्या क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में कितने डिब्बे लगे हुए हैं;

(ख) क्या अतिरिक्त डिब्बे इंजनों की क्षमता के अनुसार लगाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीतामढ़ी, जयनगर और निर्मली से पटना, दिल्ली और हावड़ा के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी चलाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इस मार्ग पर यात्रियों के लाभ के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) इस समय, दरभंगा-सकरी-जयनगर खंड को 6 जोड़ी एक्सप्रेस और 8 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां, दरभंगा-सीतामढ़ी खंड को 1 जोड़ी एक्सप्रेस और 4 जोड़ी पैसेंजर तथा सकरी-निर्मली खंड को 5 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां सेवित कर रही हैं। प्रत्येक पैसेंजर गाड़ी 10 सवारी डिब्बों के साथ चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किसी पैसेंजर गाड़ी में सवारी डिब्बों की संख्या कर्षण की ढुलाई क्षमता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता, परिचालनिक, व्यावहारिकता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) जयनगर सीधी गाड़ी सेवाओं द्वारा दिल्ली-हावड़ा और पटना से जुड़ा है, सीतामढ़ी सीधी गाड़ी सेवा द्वारा दिल्ली से जुड़ा है, जबकि निर्मली से दिल्ली, हावड़ा और पटना के लिए सीधी गाड़ी सेवाएं आरंभ करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह स्टेशन मीटर लाइन पर स्थित है। रांची-जयनगर एक्सप्रेस, जिसे 2010-11 के रेल बजट में चलाने का प्रस्ताव है, इस मार्ग पर अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराएगी।

[अनुवाद]

हवाई उड़ानों में देरी एवं उनका रद्द किया जाना

5017. **श्री वैयजंत पांडा :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री संजय निरूपम :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
डॉ. संजय सिंह :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री टी.के.एस. इलेंगोवन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न विमान कंपनियों की उड़ानों में देरी/रद्द किए जाने के मामलों में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान तत्संबंधी विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन क्षेत्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उड़ानों में देरी, रद्द होने एवं यात्रा से रोकने जाने से प्रभावित काफी हवाई यात्रियों की किराया वापसी या उड़ान में परिवर्तन के माध्यम से क्षतिपूर्ति की गयी है;

(घ) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान तत्संबंधी उड़ान-वा एवं माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विमान कंपनियों द्वारा अपने नियत समय का पालन किए जाने एवं हवाई यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अनुसूचित एयरलाइनें सामान्यतः यथास्वीकृत उड़ानें प्रचालित करती हैं। बहरहाल, कई बार एटीसी, निगरानी घंटे प्रतिबंधों, मौसम, तकनीकी कारणों और अनिवार्य सुरक्षा जांचों आदि, जो एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण उड़ानें विलंब/रद्द होती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) समय पर निष्पादन के लिए दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर एयरलाइनों, संबंधित हवाईअड्डा प्रचालक, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के प्रतिनिधियों के साथ दो पृथक बैठकों की गई हैं जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:—

(i) सुबह ही उड़ानों में यथा दिल्ली से बाहर पहली उड़ानें, सभी एयरलाइनों अपने गेटों को बंद करेंगी और प्रस्थान के अनुसूचित समय से कम से कम 15 मिनट पहले पुश-बैक लेंगी।

(ii) उन विमानों के लिए जो अन्य गंतव्यों से दिल्ली में पहुंच रही हैं और प्रस्थान के समीप हैं, एटीसी उन्हें उनके प्रस्थान के अनुसूचित समय के समीप का स्लॉट प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगी।

(iii) किसी भी परिस्थिति में गेटों के बंद होने के बिना पुश-बैक नहीं लिया जाएगा।

(iv) एटीसी द्वारा पशु-बैक की अनुमति दिए जाने के पश्चात् यह अनुमति केवल अगले 5 मिनटों के लिए वैध होगी।

यदि विमान को वास्तविक रूप से इस अवधि के भीतर पुश-बैक नहीं किया जाता है तो वह अनुमति स्वत: ही रद्द हो जाएगी और विमान वापस पीछे पंक्ति लग जाएगा और पंक्ति के अनुसार अगले उपलब्ध स्लॉट में पुश-बैक के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा।

(v) यदि विमान जो अन्य गंतव्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं और प्रस्थान के लिए घूम रहे हैं, और वह अपने अनुसूचित प्रस्थान के अनुसार तथा यहां ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें विमान यातायात नियंत्रकों द्वारा अपनाए गए विशिष्ट तंत्र के अनुसार अगले उपलब्ध रिक्त स्लॉट में पुन: अनुसूचित किया जाएगा।

(vi) नागर विमानन महानिदेशालय परिपत्र विमान परिवहन परिपत्र-10/2009 दिनांक 21.10.2009 के अनुसार स्वीकृत समय स्लॉटों का अनुपालन न करने वाली एयरलाइनों अगली अनुसूची में पात्रता खोने के लिए बाध्य होंगी।

समान अवसर आयोग

5018. श्री जोस के. मणि : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समान अवसर आयोग की स्थापना हेतु एक विधेयक पुर:स्थापित करने का है; और

(ख) यह विधेयक कब तक पुरस्थापित किए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) समान अवसर आयोग की कार्यप्रणाली और संरचना के परीक्षण और निर्धारण के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रारुप समान अवसर आयोग विधेयक के साथ प्रस्तुत कर दी है। समान अवसर आयोग स्थापित किए जाने संबंधी प्रारुप विधेयक सहित प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात

5019. श्री प्रबोध पांडा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक उपयोग के लिए बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बनेरहाट स्टेशन पर ठहराव

5020. श्री महेन्द्र कुमार राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इस बात से अवगत है कि सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार खंड का मीटर गेज से बड़ी गेज में परिवर्तन के पश्चात् पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे क्षेत्र के व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशन बनेरहाट स्टेशन पर किसी भी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं किया गया है;

(ख) क्या रेलवे का विचार बनेरहाट रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस समय, बनेरहाट स्टेशन पर दो जोड़ी एक्सप्रेस और दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों से सेवित हैं, जोकि यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं। फिलहाल अतिरिक्त ठहराव दिए जाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विलंब से चलना/जंजीर खींचा जाना

5021. श्री अशोक अर्गल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भींड-ग्वालियर मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियां हमेशा विलंब से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या उक्त मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने के मालमे लगातार हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) जंजीर खींचने की समस्या से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) नवंबर, 2010 के माह के दौरान भिंड-ग्वालियर मार्ग पर 76% रेलगाड़ियां समय पर थीं। इस मार्ग पर रेलगाड़ियों के चलने में विलंब का मुख्य कारण खतरे की जंजीर खींचना है।

(ग) से (च) खतरे की जंजीर खींचे जाने के मामलों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	खतरे की जंजीर खींचे जाने के मामले
2008-09	200
2009-10	203
2010-11 (अक्तूबर तक)	170

रेल सुरक्षा बल की सहायता से विशेष अभियान चलाए जाते हैं और अभियुक्तों के विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधनों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

[अनुवाद]

बी.पी.सी.एल. में खुदरा बिक्री केन्द्र का स्थान बदलना

5022. डॉ. बलीराम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) का हाल ही में उसके दिल्ली के खुदरा बिक्री केन्द्र का स्थान बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बीपीसीएल के पास अन्य खुदरा बिक्री केन्द्रों में भी इस प्रकार के अनुरोध लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीपीसीएल ने अनौचित्यपूर्ण स्थान परिवर्तन को रद्द करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ङ) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के पास दिल्ली में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के पुन: स्थल निर्धारण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य में पुन: स्थल निर्धारण के दो प्रस्ताव तथा पंजाब और हरियाणा राज्य में एक-एक प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुसार विचारार्थ लंबित हैं।

[हिन्दी]

रेल इंजन कारखाना

5023. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल इंजन कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कारखानों की कितनी क्षमता का वास्तविक उपयोग किया गया; और

(ग) उक्त कारखानों की अधिकतम क्षमता के उपयोग के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) भारतीय रेल के पास दो रेल इंजन कारखाने तथा विद्युत इंजन विनिर्माण करने वाला चितरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) और डीजल इंजन विनिर्माण करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी (डीरेका) हैं। प्रत्येक इकाई की वर्तमान संस्थापित क्षमता 200 रेल इंजन प्रति वर्ष हैं। मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी विद्युत रेल इंजनों के उत्पादन की प्रतिपूर्ति करता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल की इकाइयों द्वारा रेल इंजनों की गई उत्पादन निम्नानुसार है:–

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10
चिरेका	200	220	220
डीरेका	222	257	258

उपर्युक्त यह दर्शाता है कि दोनों उत्पादन इकाइयों की क्षमता का संस्थापित क्षमता से भी अधीक का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है।

मुंबई लोकल में अपराध

5024. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई लोकल रेलगाड़ियों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज तक ऐसे कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) मुंबई की लोकल गाड़ियों में रिपोर्ट की गई आपराधिक गतिविधियों के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2009 और चालू वर्ष 2010 (नवंबर, 2010 तक) के दौरान रिपोर्ट किए गए इस प्रकार के मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
2009	934
2010	855

(ग) रेल परिसर के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्यवस्था की बनाए रखना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है, और जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस के माध्यम से करती हैं। रेलों पर अपराध के मामलों की रिपोर्ट, पंजीकरण और जांच का कार्य राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) रारेपु और रेसुब के संयुक्त प्रयासों से मुंबई की लोकल गाड़ियों में आपराधिक गतिविधियां रोकी जाती हैं।

(ii) अपराधियों को पकड़ने के लिए रारेपु और सिटी पुलिस से निकट संपर्क बनाए रखा जा रहा है।

(iii) स्टेशनों पर रारेपु/रेसुब स्टाफ की तैनाती की जा रही है और औचक जांचें आयोजित की जा रही हैं। सिटी पुलिस की आसूचना शाखा से सक्रिय अपराधियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।

(iv) रात्रि के दौरान उपनगरीय लोकल गाड़ियों में महिलाओं के डिब्बों में सशस्त्र रारेपु तैनात की गई है।

(v) अपराधियों के बदलते मोडस-आपरेंडी के बारे में रारेपु और रेसुब के अधिकारियों और कार्मिकों को अवगत कराया जाता है।

[अनुवाद]

यात्रियों को आतंकी खतरा

5025. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इस बात से अवगत है कि देश भर में उग्रवादियों, आतंकवादियों, समाज-विरोधी और अपराधी तत्वों द्वारा अक्सर रेल यात्रियों को लक्ष्य बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है तथा इस संबधं में प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) नेटवर्क का संपूर्ण भारत प्रकृति तथा संभाले गए यातायात की मात्रा के कारण रेलवे आतंकवादियों, उग्रवादियों, असामाजिक तथा आपराधिकतत्वों का आसानी से निशाना बन जाती है। ये ताकतें रेलवे प्रणाली को निशाना बनाती हैं जिसके परिणामस्वरूप बेकसूर यात्री शिकार हो जाते हैं।

(ख) और (ग) रेलवे पर पुलिस व्यवस्था' राज्य का विषय है और इसलिए रेल परिसर में अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है और वे इसका निर्वहन अपने राज्य की राजकीय रेल पुलिस तथा सिविल पुलिस की सहायता से करते हैं। रेलवे राजकीय रेल पुलिस पर खर्च की 50% लागत वहन करती है। इन घटनाओं की स्थिति की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के साथ समन्वय बैठकों के दौरान तथा अन्यथा भी रेलवे द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:–

(i) भेद्य खंडों/क्षेत्रों पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा नामित गाड़ियों में मार्गरक्षण किया जाता है।

(ii) रेलों पर अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के साथ रेल मंत्रालय निकट समन्वय बनाए रखता है।

(iii) राज्यों के गृह सचिवों, गृह मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो और रेलवे के अधिकारियों के साथ रेल भवन, नई दिल्ली में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी मामलों और यात्री सुरक्षा, नक्सल/उग्रवादी आदि लगभग सभी समस्याओं से निपटने के लिए चर्चा की गई थी।

(iv) रेल मंत्रालय द्वारा रेल सुरक्षा बल अधिनियम में एक संशोधन को अनुमोदित कर दिया गया है। उपर्युक्त प्रस्ताव पर विधि एवं न्याय मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो गई है और गृह मंत्रालय की टिप्पणियों के पश्चात् इसे अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित कर दिया जाएगा ताकि यात्री संबंधित अपराधों से अधिक प्रभावी रूप से निपटने में रेल सुरक्षा बल सक्षम हो सके।

(v) संवेदनशील एवं भेद्य रेलवे स्टेशनों पर सर्वेलांस मैकेनिज्म सुदृढ़ कि जाने हेतु 353 करोड़ रुपए की लागत की एक समेकित सुरक्षा प्रणाली को अनुमोदित कर दिया गया है। पहले चरण में इसे 202 संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(vi) रेलों के अनुरोध पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने रेल अवसंरचना पर हमलों को रोकने और ऐसी किसी आपदा से बचने के लिए सिविल पुलिस, जीआरपी और केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन का विस्तार

5026. श्री सज्जन वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास शुजलपुर, शाजापुर और मक्सी रेलवे स्टेशन का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) स्टेशन पर सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए शुजालपुर को चिह्नित किया गया था। यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) कार्यालय के लिए स्टेशन इमारत का विस्तार/परिवर्तन (लागत अनुमानत: 12 लाख रु.) बुकिंग खिड़की और पहुंच सड़क कार्य की व्यवस्था (लागत अनुमानत: 23 लाख रु.) के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इस स्टेशन पर प्लेटफार्म सं. 2 एवं 3 को मध्यम स्तर में उच्च स्तर तक उठाने (लागत अनुमानत: 30 लाख रु.) ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने, पे एंड यूज शौचालय मुहैया कराने और प्लेटफार्म की सतह में सुधार करने (लागत अनुमानत: 50 लाख रु.), परिपथन क्षेत्र, प्रतीक्षा हॉल, बुकिंग कार्यालय आदि का सुधार करने, (लागत अनुमानत: 41 लाख रु.) के कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु शुरू दिए गए हैं।

शाजापुर स्टेशन में अनुमानत: 128 लाख रु. की लागत पर 24/26 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी खड़ी करने के लए प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु शुरू कर दिया गया है।

मकसी स्टेशन एक 'डी' कोटि का स्टेशन है यहां यात्री यातायात के मौजूदा स्तर के अनुरूप निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक यात्री सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

[अनुवाद]

एरनाकुलम आधारित स्टेशनों पर कार्य

5027. श्री चार्ल्स डिएस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एरनाकुलम आधारित स्टेशनों पर पुनरुद्धार कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त कार्य को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) एर्णाकुलम जंक्शन और एर्णाकुलम टाऊन पर नवीकरण/विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यों पर गहन निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

(क) और (ख) एर्णाकुलम जंक्शन और एर्णाकुलम टाऊन के स्टेशनों पर नवीकरण/विकासात्मक कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:–

एर्णाकुलम जंक्शन:

यात्री सुविधाओं के उन्नयन का कार्य, दूसरे प्रवेश के लिए पूर्वी तरफ पर पैदल पार पुल का विस्तार, महिला प्रतीक्षालय का प्रावधान और प्लेटफार्म संख्या 4/5 पर 80 मीटर लंबे शेल्टर के प्रावधान के कार्यों को पूरा किया गया हैं। इसके अतिरिक्त प्लेटफार्म संख्या 2/3 पर फुटपाथ का कार्य, सभी प्लेटफार्मों पर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और प्लेटफार्म संख्या 4/5 को ऊंचा करने के कार्य प्रगति पर हैं।

इनके अतिरिक्त, इस स्टेशन पर निम्नलिखित कार्यों को स्वीकृत किया गया है:–

(i) दो अदद एस्केलटरों का प्रावधान (ii) नए बुकिंग कार्यालय और प्रतीक्षालय का प्रावधान, प्लेटफार्म संख्या 4/5 पर शेल्टर का प्रावधान; और कॉनकोर्स क्षेत्र का सुधार (iii) एल्लेप्पी छोरपर पैदल पार पुल के ऊपर छत, पैदल पार पुल पर बेहतर फर्श और प्लेटफार्म शेल्टरों की ऐसी शीटों को गल्वेल्यूम शीटों से बदलने का प्रावधान और (iv) साउथ रोड़ से प्लेटफार्म और केएसआरटीसी बस स्टैंड से प्लेटफार्म छोर तक वॉक वे का प्रावधान।

एर्णाकुलम टाऊन:

यात्री सुविधाओं के उन्नयन के कार्य और सभी प्लेटफार्मों पर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान के कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, 64 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफार्म शेल्टर के साथ-साथ परिपथन/पार्किंग क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के कार्य स्वीकृत हैं।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

5028. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्य रासायनिक उर्वरकों के बदले यूरिया का अधिक उपयोग होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रसयान और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) देश में हाल ही में समाप्त खरीफ, 2010 के दौरान, यूरिया की बिक्री 131.90 लाख मी.टन दर्ज की गई है जबकि डीएपी, एमओपी और एनपीके की बिक्री क्रमश: 68.71 लाख मी.टन, 19.60 लाख मी.टन और 56.06 लाख मी.टन दर्ज की गई।

[अनुवाद]

भारत पम्पस और कंप्रेशर लिमिटेड

5029. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पम्प्स और कंप्रेसर लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद में गैस सिलेंडरों के निर्माण हेतु आयात की गई हॉट स्पीनिंग मशीन की प्राप्ति तिथि क्या है;

(ख) मशीन की रेटेड क्षमता और इसके स्थापित किए जाने की तिथि से संचयी उत्पादन कितना है;

(ग) क्या मशीन अच्छी स्थिति में चल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्री-डिस्पैच इंसपेक्शन सहित मशीन की खरीद में सभी मानदंडों और शर्तों का पालन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) 21.06.2009.

(ख) मशीन की रेटेड क्षमता निम्नानुसार है:—

पाईप डाईमीटर रेंज	—	232 एमएम से 406 एमएम
पाईप की लंबाई	—	800 एमएम से 2500 एमएम
डोमिंग साईकिल टाईम	—	2 मिनट/सिलेंडर
नेकिंग साईकिल टाईम	—	1.5 मिनट/सिलेंडर

30.11.2010 तक संचयी उत्पादन 7608 डोमिंग ऑपरेशन है।

(ग) जी, हां।

(घ) मशीन सुचारू रूप से चल रही है तथा अपेक्षित उत्पादन कर रही है। नवम्बर, 2010 में सिलेंडर पर कुल 3593 डोमिंग ऑपरेशन पूरा किए गए।

(ङ) और (च) जी, हां। तथापि, विभिन्न आकार के ट्यूबों पर परीक्षण करके मशीनों के सफल प्रूविंग और बीपीसीएल वर्क्स में मैसर्स एमजेसी इंजीनियर्स द्वारा कमीशनिंग के आधार पर प्रेषणपूर्व निरीक्षण नहीं किया गया है।

सूरत और अहमदाबाद विमानपत्तन

5030. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलेंडर वर्ष 2009-10 के दौरान अहमदाबाद विमानपत्तन पर कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आवागमन हुआ;

(ख) कैलेंडर वर्ष 2009-10 के दौरान अहमदाबाद विमानपत्तन पर उतरने और वहां से हवाई यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सूरत हवाईअड्डे का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में करने और सूरत तथा दक्षिणी गुजरात में यात्रियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के प्रचालन के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सूरत विमानपत्तन में उड़ान प्रचालित करने वाी एयरलाइनों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सूरत विमानपत्तन के अनुरक्षण और रख-रखाव की स्थिति संतोषजनक है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय (एसवीपीआई) हवाईअड्डे पर वर्ष 2009-10 के दौरान हैंडल किए गए विमान संचलन (अंतरराष्ट्रीय) की संख्या 7036 थी।

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान एसवीपीआई हवाईअड्डा, अहमदाबाद पर हैंडल किए गए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 8,47,241 थी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बहरहाल, सूरत हवाईअड्डे को पहले ही एबी-321 विमान के प्रचालनों के लिए स्तरोन्नयित किया गया है। वर्तमान में केवल एअर इंडिया सप्ताह में 6 बार दिल्ली-सूरत-दिल्ली सेक्टर पर दैनिक उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

5031. श्री मनीष तिवारी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का संवैधानिक संतुलन बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है जिसे शक्तियां के पृथककरण संबंधी 1993 और 1998 के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड द्वारा अस्थिर कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य सभा में पुर:स्थापित और तत्पश्चात् वापस लिए गए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक की स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बार या न्यायाशीधों या विधिवेत्ताओं या क्योर सोसायटी या इन सभी से कोई परामर्श शुरू किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ, के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तारीख 6 अक्तूबर, 1993 और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी राय तारीख 28 अक्तूबर, 1998 पर आधारित है। प्रक्रिया पर विभिन्न मंचों पर बहस हुई है और उसे बदलने के लिए मांगे की जाती रही हैं। तथापि, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुकित की वर्तमान प्रणाली में काई परिवर्तन करने का कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) 'न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010' नामक एक नया व्यापक विधेयक तारीख 01.12.2010 को लोक सभा में पुर:स्थापित कर दिया गया है।

(च) और (छ) न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति और भारत के विधि आयोग द्वारा चर्चा की गई है। इस मुद्दे पर कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

अफ्रीकी देशों में तेल और गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण

5032. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल और गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने हेतु ओपेक देशों के बदले अफ्रीकी राष्ट्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अफ्रीकी देशों से कोई बातचीत की गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) देश में ऊर्जा सुरक्ष सुरक्षित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) तेल एवं गैस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अफ्रीकी देशों में वाणिज्यिक व्यहार्यता के आधार पर तेल और गैस परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए निवेश करने में रूचि रखते हैं। ये कम्पनियां अंगोला, सूडान, घाना और युगांडा जैसे देशों में अवसर तलाश रहीं है। नाइजीरिया, अंगोला, लीबियाई अरब – जम्हीरिया और अल्जीरिया नामक चार तेल प्रधान अफ्रीकी देश तेल उत्पादक और निर्यातक देशों (ओपीईसी) के सदस्य भी हैं।

(ख) और (ग) पारस्परिक सहयोग के लिए भारत की तेल और गैस कम्पनियों और अफ्रीकी हाइड्रोकार्बन उद्योग को समीप लाने के लिए 2007 और 2009 में द्विवार्षिक भारत-अफ्रीकी हाइड्रोकार्बन सम्मेलन आयोजित किया गया था।

भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी, 2010 में सूडान, नाइजीरिया, अंगोला और युगांडा की यात्रा की, इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी)

में सहयोग के लिए 27 जनवरी, 2010 को अंगोला की राष्ट्रीय तेल कम्पनी, सोननगोल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार, द्विपक्षीय सहयोग के सवर्द्धन के लिए दिनांक 01 नवम्बर, 2010 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं अंगोल के पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

(1) कच्चे तेल की आपूर्ति में वृद्धि और अंगोला से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की सम्भावना की तलाश करना।

(2) अंगोला में अभितट और अपतट ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज एवं उत्पादन में भाग लेना।

(3) अंगोला में वाणिज्यिक सिद्धांतों पर परिशोधन और प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास में सहायता करना।

(4) खोज और उत्पादन एवं परिशोधन क्रियाकलापों में अंगोलाई तकनीकी कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(घ) सरकार वर्धित घरेलू खोज और उत्पादन क्रियाकलापों सहित और इक्विटी तेल प्राप्त करने के लिए विदेशों में अन्वेषण रकबों और उत्पादन परिसम्पत्तियों अर्जन जैसे विभिन्न उपायों द्वारा देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित कर रही है।

[हिन्दी]

इंसुलिन की आपूर्ति

5033. श्री ए.टी. नाना पाटील :
डॉ. भोला सिंह :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मधुमेह मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण इंसुलिन की आपूर्ति में बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इंसुलिन की आपूर्ति के मद्देनजर सरकारी क्षेत्र में नए संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जीवनरक्षक औषधियों की सूची में इंसुलिन को शामिल करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन तथा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में मधुमेह के रोगियों की लगातार बढ़ती संख्या के परिणामत: इंसुलिन की आपूर्ति में बाधा की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन से इंसुलिन, 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' की अनुसूची-1 में उल्लिखित अनुसूचित औषधि है। कुछ इंसुलिन विनिर्मितियों को सीमा-शुल्क से छूट के प्रयोजन हेतु जीवनरक्षक औषधियों की सूची में भी शामिल किया गया है। इंसुलिन विनिर्मितियों (पोरसिन इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और पोरसिन एवं बोविन इंसुलिन) को सीमा-शुल्क अधिसूचना [सूची-4 (क्रम संख्या 83 और 85), सामान्य छूट - संख्या 122] में जीवनरक्षक औषधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन पर कोई सीमा-शुल्क नहीं लगता है।

[अनुवाद]

सामान/पार्सल संबंधी शिकायतें

5034. श्री गजानन ध. बाबर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को दुर्घटनाओं में शामिल मालगाड़ियों द्वारा ढुलाई किए जाने वाले पार्सलों और सामानों के गुम होने की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में निपटने के लिए कोई एक समान प्रक्रिया मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) क्षति और चोरी, उठाईगीरी, टूट-फूट, खराबी, भेजने में विलंब तथा अन्य कारणों, जिनमें दुर्घटनाओं में शामिल गाड़ियां भी हैं, से रेलवे को माल गाड़ियों/पार्सल गाड़ियों द्वारा ढोए गए पार्सलों और मालों की क्षति के लिए दावे से संबंधित आवेदन प्राप्त होते हैं। चालू वर्ष

दौरान, नवंबर, 2010 तक दावों के 3742 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 616.64 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) दावा मामलों का निपटान करने के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 में एक सुपरिभाषित और एकसमान कार्यविधि दी गई है। किसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना मिलने पर दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए जांच की जाती है, ढुलाई हेतु रेलों में बुक किए गए माल/पार्सलों के संबंध में परेषक/परेषिति को सुपुर्दगी न देने या गुम होने/तोड़-फोड़/क्षति/विकृति के लिए जांच रिपोर्ट के आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा प्रकाश

5035. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे सहित देश में रेलवे समपारों पर सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश की व्यवस्था की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगाए गए प्रकाश उपकरणों की गुणवत्ता खराब और घटिया दर्जे की है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इसकी जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। वर्तमान में देश भर में 3273 समपारों को सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था मुहैया करायी गई हैं, जिनमें से 412 पश्चिम मध्य रेलवे में हैं।

(ग) से (ङ) इन समपारों पर सौर प्रकाश व्यवस्था को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों और महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान दर अनुबंध के तहत उपलब्ध स्त्रोतों से प्राप्त किया गया है। इन सौर प्रकाश के निष्पादन को संतोषजनक पाया गया है।

[अनुवाद]

विस्थापितों का पुनर्वास

5036. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने रेलवे को इस आशय का नोटिस जारी किया है कि वह देश के दक्षिण-मध्य रेल क्षेत्रांतर्गत बृहत् सड़क उपरि-पुलों के निर्माण की वजह से विस्थापित हुए एक हजार से अधिक लोगों को तुरन्त राहत व पुनर्वास प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह कहा है कि विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर राहत व पुनर्वास उपलब्ध कराया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) तानुकु टाऊन के पास किमी. 138/6-7 पर समपार सं. 152 को बद किए जाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (विधि विभाग), नई दिल्ली से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस मामले में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर समपार के स्थान पर लागत में हिस्सेदारी के आधार पर एक ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार ने आरओबी के सड़क संरेखण के बारे में निर्णय लिया, व्यवधान मुक्त भूमि उपलब्ध कराई और पहुंच मार्ग के हिस्से का निर्माण किया है। रेलवे भूमि के भीतर पुल के हिस्से का रेलवे द्वारा निर्माण किया गया। इस आरओबी को फरवरी, 2010 से सड़क यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। राज्य सरकार की लिखित सहमति के अनुसार समपार फाटकों को बंद कर दिया गया। इस स्थान पर रेलवे भूमि से किसी को विस्थापित नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई वचनबद्धता के अनुसार पहुंच सड़क के लिए बाधामुक्त भूमि की व्यवस्था और विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास, यदि कोई हो, की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

कोहरे के कारण विलंब

5037. श्री विश्व मोहन कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009-10 के दौरान और आज तक कोहरे और अन्य कारणों के कारण विलंब होने वाली रेलगाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे विलंब के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई है;

(ग) कोहरे के कारण होने वाले विलंब की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या 139 सहित रेलवे पूछताछ सेवा सही जानकारी देने में विफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और पूछताछ सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) रेलवे की आर्थिक हानि की गणना गाड़ी-वार अथवा गाड़ियों के समयपालन के आधार पर नहीं की जाती है।

(ग) कोहरे के कारण गाड़ियों के विलंब से परिचालन को दूर करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) सभी स्तरों अर्थात् मण्डल, जोनल मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर की गाड़ियों की गहन, चौबीसों घंटे निगरानी।

(ii) उपकरण की विफलताओं को कम करने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के मानक में सुधार।

(iii) गाड़ियों का समय पर चालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की काउंसेलिंग करना और उन्हें प्रेरित करना।

(iv) सिग्नलों की दृश्यता में सुधार लाने के साथ-साथ रेलपथ, चल स्टॉक और सिग्नल की तकनीक में उन्नयन।

(v) ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) आधारित कुहरा सुरक्षा उपकरण भी विकसित किया गया है, जो कम दृश्यता स्थितियों के दौरान भी आने वाले संकेतों और अन्य महत्वपूर्ण चिह्नों को दिखाता है।

(घ) जी, नहीं। बहरहाल, सूचना नहीं देने के कुछ मामले सामने आए हैं।

(ङ) और (च) सही सूचना न दिए जाने के मुख्य कारण गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक जैसे, टर्मिनलों की संकुलता, सिग्नल की खराबी, दुर्घटना, अलार्म चेन खींचना इत्यादि हैं, जिनका पूर्व अनुमान से नहीं लगाया जा सकता।

पूछताछ सेवा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) जिसके माध्यम से सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, को प्रत्येक स्टेशन पर गाड़ी के वास्तविक आगमन/प्रस्थान की सूचना जिसे बाद में एनटीईएस में अद्यतन किया जाता है, को प्राप्त करने के लिए सभी मंडलों पर कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है। इस एकीकरण से गाड़ी की स्थिति की लगभग रियल-टाइम के आधार पर सूचना देना व्यावहारिक हो गया है।

विवरण

प्रत्येक जोन में 2009-10 के दौरान नवंबर, 2010 तक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां जो विलंब से टर्मिनेट हुईं, निम्नानुसार हैं:

रेलवे	
मध्य	10,030
पूर्व रेलवे	18,303
पूर्व मध्य रेलवे	27,894
पूर्व तट श्रेलवे	4,654
उत्तर रेलवे	55,427
उत्तर मध्य रेलवे	7,011
उत्तर पश्चिम रेलवे	6,608
पूर्वोत्तर रेलवे	10,671

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	8,852
दक्षिण रेलवे	10,202
दक्षिण मध्य रेलवे	5,004
दक्षिण पूर्व रेलवे	10,745
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	2,174
दक्षिण पश्चिम रेलवे	8,157
पश्चिम रेलवे	7,382
पश्चिम मध्य रेलवे	3,260
कोंकण रेलवे	241
कुल	1,96,615

[अनुवाद]

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड का विनिवेश

5038. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की टाइड वाटर ऑयल कंपनी लिमिटेड में भागीदारी की विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टाईड वाटर आयल कंपनी लिमिटेड (टीडब्ल्यूओएल) में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि. (एवाईसी) के शेयर के विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा एक समिति (सीएबीओडी) का गठन किया गया है। सीएबीओडी ने टीडब्ल्यूओएल में एवाईसीएल के शेयर के विनिवेश के लिए अभी तक 9 बैठकें की हैं। सीएबीओडी ने दिनांक 22.12.2008 को हुई अपनी बैठक में एसबीआई कैपिटल मार्केट का परामर्शदाता के रूप में चयन किया था।

सीएबीओडी की बैठक 30.04.2010 को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एवाईसीएल के निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एवाईसीएल को टीडब्ल्यूओएल में एवाईसीएल के हिस्से के विनिवेश के भारत सरकार के पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजना चाहिए। तद्नुसार, एवाईसीएल ने कंपनी के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए टीडब्ल्यूओएल में इसके शेयर के विनिवेश से छूट देने पर विचार करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस संबंध में एवाईसीएल का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) एवाईसीएल के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं होने के कारण टीडब्ल्यूओएल में एवाईसीएल के शेयर के विनिवेश की प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान

5039. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण रेल पुल, सुरक्षा बांध और अन्य रेल संपत्तियों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अलगया रेल पुल के अपर स्ट्रीम पर बना चौका गाईड बांध, गणेशपुर-स्पर और रेल लाईन वर्ष 2008-09 के दौरान घाघरा नदी में आई बाढ़ के कारण अब तक क्षतिग्रस्त पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर ऐसी कोई दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) पूर्व, पूर्व मध्य, उत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य तथा दक्षिण पूर्व रेलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् 2007-08 से

आगे) देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण रेलवे के 38 रेल पुल और सुरक्षा बांध क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(ख) एल्गिल रेल पुल की अप दिशा की ओर चौका गाइड बंध नाम का कोई भी गाइड बंध रेलवे से संबंधित नहीं है। बहरहाल, एल्गिन रेल पुल के लिए गाइड बंध के लखनऊ दिशा की ओर के मोलहैड की सुरक्षा हेतु इस स्थान पर गणेशपुर स्पर और चौकाघाट स्पर नामक दो स्पर स्थित हैं। 2008-09 के दौरान घाघरा नदी में आई बाढ़ के कारण इन स्परों और रेलपथ को क्षति नहीं पहुंची थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अंडर ब्रिज

5040. श्री राकेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे अंडर ब्रिज पर ट्रैक नीचे से ढके हुए नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो देश मे जोन-वार ऐसे रेलवे अंडर ब्रिज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चलती हुई गाड़ियों से गिरने वाले अपशिष्ट कचरे से पैदल चलने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) निचले सड़क पुलों (आर यू बी) पर सामान्यत: छत की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं पर चलती गाड़ियों से कूड़ा-करकट फेंका जाना रोका जा सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार, बहरहाल, 73 निचले सड़क पुलों पर कवर मुहैया नहीं कराए गए हैं।

(ख) इन निचले सड़क पुलों का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रेलवे	उन निचले सड़क पुलों की संख्या जहां छत की व्यवस्था नहीं की गई है
1	2
मध्य	1
पूर्व तट	17
उत्तर	19
पूर्वोत्तर सीमा	2
दक्षिण मध्य	1
दक्षिण पूर्व	13
दक्षिण पूर्व मध्य	8
पश्चिम मध्य	12
कुल	73

(ग) इनमें से अधिकांश आंशिक रूप से छतदार हैं और इन पर कार्यक्रमबद्ध आधार पर पूर्ण छत की व्यवस्था करने के लिए निर्माण कार्यों की योजना बनाई जा रही है ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं पर चलती गाड़ियों से कूड़ा-करकट फेंका जाना रोका जा सके।

[अनुवाद]

विमानों के रात में नीचे उतरने पर प्रतिबंध

5041. श्री एम.के. राघवन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ान-पथ के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के कारण विमानों के रात में नीचे उतरने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लंबी दूरी की गाड़ियों में चिकित्सा सुविधायें

5042. श्री एंटो एंटोनी :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लंबी दूरी की गाड़ियों में हुई मौत के मामलों का कोई आंकड़ा रखता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का आज की तिथि तक वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में मुआवजा देने की कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है;

(ङ) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि लंबी दूरी की गाड़ियों में मौत की घटनाएं उनमें चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण होती हैं;

(च) क्या रेलवे ने लंबी दूरी की गाड़ियों में चिकित्सक/चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ई-मार्केटिंग

5043. श्री रामकिशुन :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा और हस्तशिल्प के विपणन के क्षेत्र में ई-मार्केटिंग वेब पोर्टल शुरु करने के बाद अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पोर्टल के प्रचालन में सामने आयी कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कमियों, यदि कोई हैं, को दूर करने तथा ई-मार्केटिंग वेब पोर्टल की प्रभावकारिता को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) वस्त्र मंत्रालय के अधीनवर्ती विभिन्न संगठनों द्वारा आरंभ किए गए वेब पोर्टलों पर की गई विजिट और उनसे अर्जित कारोबार में हुई प्रगति इस प्रकार है:-

क्र. सं.	वेब पोर्टल	क्रेताओं/विजिटर्स द्वारा विजिट	अर्जित कारोबार
1.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि. (एचएचईसी)	48,780	35.36 लाख रुपये
2.	सेन्ट्रल कॉटेज, इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली	73,737	1.09 लाख रुपये

उपर्युक्त के अलावा विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा ई-मार्केटिंग वेब पोर्टल भी आरंभ किए गए हैं, जहां क्रेताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्लस्टरों द्वारा विकसित हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को अपलोड किया जाता है।

(ख) और (ग) इन पोर्टलों के प्रचालन में कोई प्रमुख कमियां सामने नहीं आ रही।

एयरलाइनों के पास मौजूद विमान

5044. श्री प्रदीप माझी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रचालन कर रहे नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ

इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट एयरलाइनों के पास मौजूद विमानों की संख्या और प्रकार का ब्यौरा आज की तिथि के अनुसार क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी विमान कंपनी की यात्रियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उसका कारण क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी विमान कंपनी को और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नैसिल तथा निजी अनुसूचित एयरलाइनों के बेड़े में विमानों की संख्या एवं विमानों की किस्म के बारे में ब्यौंरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वित्त वर्ष 2009-10 तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया के यात्री मार्केट शेयर में सुधार हुआ है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस का यात्री शेयर भी 2008-09 में 6% से बढ़कर 2009-10 में 7% तक हो गया। घरेलू मार्केट में पिछले 3 वर्षों में एयर इंडिया के यात्री मार्केट शेयर का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

वित्तीय वर्ष	यात्री मार्केट शेयर (%)
2007-08	17.9
2008-09	16.9
2009-10	17.7
2010-11 (अप्रैल-अक्तूबर, 2010)	17.8

(घ) मार्ग यौक्तीकरण, अधिक कुशलतापूर्वक विमान बेड़े का उपयोग, समय से कार्य निष्पादन तथा यात्री लोड फैक्टर एवं एएसकेएम में बढ़ोत्तरी के माध्यम से राष्ट्रीय विमान कंपनी को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाए किए गए हैं। इन सभी उपायों से सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

विवरण

एयरलाइन	विमान की संख्या	
	प्रकार	संख्या
1	2	3
नैसिल (ए)	बी777	21
	बी747	05
	ए310	08
नैसिल (आई)	ए330	02
	ए320	40
	ए319	24
	ए321	20
एयर इंडिया एक्सप्रेस	बी737	22
एलायंस एयर	बी737	11
	सीआरजे	04
	एटीआर42	07
जेट एयरवेज	बी777	03
	ए330	12
	बी737	55
	एटीआर72	18
जेटलाइट	बी737	16
किंगफिशर एयरलाइंस	ए330	05
	ए320	23
	ए319	03
	ए321	08

1	2	3
	एटीआर72	25
	एटीआर42	02
स्पाइसजेट	बी737	22
गो एयर	ए320	10
इंडिगो	ए320	32
ब्लू डार्ट	बी737	03
	बी757	04
डेक्कन कार्गो	ए310	03
	एटीआर72	03
	एटीआर42	02
कुल		413

ओएनजीसी द्वारा एक्सॉन मोबाइल की अंगोला इकाई में हिस्सेदारी खरीदा जाना

5045. डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का विचार एक्सॉन मोबाइल की अंगोला इकाई में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्यम से देश को होने वाले संभावित लाभ क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने अंगोला के 31 ब्लॉक में 25 प्रतिशत की अपनी पणधारिता बेचने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु एक्सॉन मोबाइल द्वारा किए गए एक प्रस्ताव के लिए आबद्ध बोली प्रस्तुत की है। यह एक अल्ट्राडीप ब्लॉक है, 26.7 प्रतिशत स्टेक के साथ इसका प्रचालक ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) है। बीपी और एक्सॉन मोबाइल के अलावा, ब्लॉक के अन्य भागीदार सोनानंगोल, स्टेटऑयल, मैराथन और टोटल हैं और इनमें इनका भागीदारी हित क्रमश: 20%, 13.3%, 10% और 5% है।

यदि ओवीएल द्वारा प्रस्तुत बोली सफल रहती है, तो इससे ओवील वर्ष 2012 के दौरान प्रारंभ होने वाले संभावित तेल उत्पादन से अपनी स्टेक के अनुसार, उत्पादन के हिस्से के लिए हकदार हो जाएगी। परिसंघ के लिए चरमोत्कर्ष चरण पर प्रति दिन लगभग 1,50,000 बैरल कच्चे तेल का योजनाबद्ध उत्पादन होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

आगजनी के कारण क्षति

5046. श्री प्रेमचंद गुड्डू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ट्रेनें आगजनी और अन्य घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त होकर खड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक क्षतिग्रस्त हुई ट्रेनों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त ट्रेनों में से मरम्मत किये जाने के बाद चल रही ट्रेनों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) आगजनी आदि की कुछ घटनाएं हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप यात्री सवारी डिब्बे सेवा योग्य नहीं रहे। गत 3 वर्ष के दौरान आगजनी और अन्य ऐसी घटनाओं के कारण लगभग 111 सवारी डिब्बे प्रभावित हुए।

63 ऐसे सवारी डिब्बों में से 48 सवारी डिब्बों को छोड़कर, जिन्हें मरम्मत के लिए अलाप्रद घोषित कर दिया गया है, शेष की अपेक्षित मरम्मत करके पुन: सेवा में लगा दिया गया है।

[अनुवाद]

कुवैत के साथ तेल एवं गैस के क्षेत्र में समझौता

5047. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल और गैस के क्षेत्र में कुवैत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में कुवैत के शिष्टमंडल के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर सहयोग के लिए दोनों देशों में सहमति बनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। तेल और गैस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 25 से 28 सितम्बर, 2010 तक भारत में अपनी यात्रा के दौरान महा महिम शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, तेल मंत्री, सूचना मंत्री एवं अध्यक्ष, कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (केपीसी) ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात की।

(ग) और (घ) इन मामलों की चर्चा की गई:– (i) पारस्परिक लाभदायक शर्तों पर कुवैत से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि व्यवस्था (ii) तेल एवं गैस क्षेत्र में कुवैत का निवेश, विशेष रूप से पेट्रोरसायन परिसरों और भारत में कच्चे तेल के भण्डार केन्द्र के निर्माण के लिए (iii) अवसरों के नए क्षेत्रों की खोज करना जैसे कि विमानन सेवाएं, प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं, डाउन स्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आर एण्ड डी जिसमें तेल गाद और तेल छलकाव का जैव-उपचार शामिल है। दोनों पक्षों ने तेल एवं गैस में सहयोग बढ़ाने पर विचार करने पर सहमति प्रकट की।

नयी खानपान नीति, 2010

5048. श्री पी. लिंगम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''नयी खानपान नीति, 2010'' के अंतर्गत किसी लाइसेंस प्राप्त विक्रेता (वेंडर) को हटाया जा सकता है और उसके विरुद्ध पांच शिकायतें दर्ज होने पर बिना किसी जांच के उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी जांच का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रत्येक शिकायत की छानबीन करने का प्रावधान है और यदि सिद्ध हो जाता है तो अपराध की गंभीरता के अनुसार, रेलों द्वारा परामर्श, चेतावनी, आर्थिक दण्ड और ठेका समाप्त करने इत्यादि जैसी समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

ट्रेन संख्या 0467/0468 की सेवाओं को नियमित किया जाना

5049. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को वर्तमान में अस्थायी रूप से दिल्ली से रतनगढ़ के बीच चल रही ट्रेन संख्या 0467/0468 की सेवा को नियमित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संगठनों/एसोसिएशनों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इस अनुरोध की जांच की गई है परंतु फिलहाल इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

बिहार में ट्रेनों में दुर्घटना

5050. श्री भूदेव चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हाल में दंडखोरा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना में अनेक व्यक्ति मारे गये;

(ख) यदि हां, तो जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इसकी कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी;

(ङ) पीड़ितों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 09.10.2010 को जब गाड़ी संख्या 2435 गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सीमा रेलवे के कटिहार मंडल के दंडखोड़ा और कटिहार स्टेशनों के बीच गुजर रही थी उस समय बिना चौकीदार वाले समपार सं. केएम 5 पर गाड़ी के इंजन के आगे एक ऑटो-रिक्शा आकर टकराया जिसके परिणामस्वरूप 08 व्यक्तियों की जानें गईं (ऑटो-रिक्शा में बैठे सभी व्यक्ति) इस घटना में 23,000/- रुपए (लगभग) की रेल संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है।

(ग) और (घ) उक्त घटना में विभागीय जांच की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना सड़क उपयोगकर्त्ता (ऑटो-रिक्शा चालक) की ओर से पर्याप्त सावधानी न बरते जाने के कारण हुई।

(ङ) बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृतकों के निकट परिजनों और घायल सड़क उपयोगकर्त्ताओं के लिए मुआवजा राशि अनुमेय नहीं है। अपवाद के रूप में और मानवता के नाते रेल मंत्रालय ने इस घटना में प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है।

(च) बिना चौकीदार वाले समपारों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) समपारों पर मूलभूत अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जिनमें समपारों पर समतल सड़क, सड़क उपयोगकर्त्ताओं को चेतावनी देने के लिए 'स्टॉप' बोर्ड सहित पहुंच मार्गों पर उचित सड़क चिह्न लगाना, पहुंच मार्गों पर गतिरोधक/रम्बल, स्ट्रिप्स, समपारों पर सड़क वाहन उपयोगकर्त्ताओं के सुरक्षित संचलन के लिए उचित अनुपात सहित समपारों और पहुंच मार्गों पर सीटी बजाने के लिए रेल गाड़ियों के चालकों के लिए सीटीबोर्ड लगाना शामिल है।

(ii) बिना चौकीदार वाले समपारों को पार करते समय सुरक्षित पद्धतियों के अनुपालन के लिए सड़क उपयोगकत्ताओं को शिक्षित किए जाने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से जन जागरूक कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार के अभियान चलाए जाने के लिए अनुरोध किया गया है।

(iii) चूक करने वाले सड़क उपयोगकत्ताओं की जांच के लिए सिविल प्राधिकारियों के सहयोग से संयुक्त जांचें आयोजित की जाती हैं।

(iv) विशेष उपाय के रूप में प्रत्येक मामले में 2.50 करोड़ रु. की लागत वाले ऊपरी सड़क पुलों और निचले सड़क पुलों (सीमित/सामान्य ऊंचाई वाले भूमिगत पैदल पार-पथ) के नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय रेलों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(b) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने के लिए उनकी अर्हक निर्धारित मानदंडों के अनुसार चरणबद्ध आधार पर चौकीदार तैनात करना। बिना चौकीदार वाले समपारों पर और अधिक संख्या में चौकीदार तैनात करने के लिए चौकीदार तैनात किए जाने के मानदंडों को संशोधित किया गया है।

कच्चे तेल का उत्पादन

5051. **श्री शत्रुघ्न सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन देश के कतिपय क्षेत्रों में तेल का उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) रेलवे को इस समझौते से कितना लाभ हुआ है;

(घ) क्या इस समझौते की उपयोगिता को देखते हुए रेलवे का विचार इस समझौता ज्ञापन की अवधि को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं। आज की तारीख में आईओसी तेल का उत्पादन नहीं कर रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर और दुबई के बीच उड़ान

5052. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की जयपुर-दुबई अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में गत दस दिनों के दौरान 7 से 10 घंटें का विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने ऐसे विलंब के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका परिणाम क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) 18 नवम्बर, 2010 से प्रभावी जयपुर-दुबई के बीच कोई उड़ान प्रचालनात्मक नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीन के साथ समझौता ज्ञापन

5053. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने चीनी रेलवे के साथ वर्ष 2008 में कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें शामिल सहयोग के क्षेत्र और उनके वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे को इस समझौते से कितना लाभ हुआ है;

(घ) क्या इस समझौते की उपयोगिता को देखते हुए रेलवे का विचार इस समझौता ज्ञापन की अवधि को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समझौता ज्ञापन पारस्परिक हित के रेल संबंधी कार्यक्रम के विकास, परामर्श सेवाओं, नीतियों, विधि एवं विनियमों से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान, विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम और तकनीकी सहायता के संबंध में है। समझौता ज्ञापन इस समय लागू है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेटेलाइट द्वारा रेलगाड़ियों पर दृष्टि रखना

5054. श्रीमती जे. शांता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल में सेटेलाइट द्वारा रेलगाड़ियों पर दृष्टि बनाए रखने की कोई योजना अनुमोदित की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके वित्तीय निहितार्थ क्या है;

(ग) इससे रेलवे तथा इसके यात्रियों को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। एक याजना तकनीकी रूप से स्वीकृत की गई है।

(ख) प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) से सैटेलाइट आधारित, वास्तविक समय संबंधित आंकड़े इकट्ठे, प्रक्रमित किए जायेंगे और मार्ग में सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एमएमएस, इंटरनेट, टेलीफोन संख्या 139 और प्रदर्शन बोर्डों इत्यादि के माध्यम से जनता को सही और अद्यतन सूचनाएं दी जाायेंगी। इसमें 110 करोड़ रु. का वित्तीय निहितार्थ है।

(ग) रेल परिचालनों के लिए रेलों को गाड़ी सूचनाओं का ऑटोमेट इनपुट देन में सहायता करने और ग्राहकों को अपेक्षित सूचनाएं देने में इस अवधारणा पर विचार किया जा रहा है।

(घ) यह कार्य और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

कोंकण क्षेत्र में सावंतवाड़ी में रेल टर्मिनल

5055. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कोंकण क्षेत्र में सावंतवाड़ी में रेल टर्मिनस बनाने के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है;

(ख) टर्मिनस के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने वालों हेतु मुआवजा प्रस्ताव पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोंकण रेलवे में भर्ती में अनियमिततायें बरते जाने के बारे में लगातार रिपोर्ट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड को केआरसीएल में भर्ती में अनियमितता के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, अंदरूनी जानकारी के आधार पर, निहायत सावधानी बरतने के उद्देश्य से, चयन को रद्द करने और लिखित परीक्षा आयोजित करने की स्थिति से इस प्रक्रिया को नए सिरे से आरंभ किया गया और उन्हीं भूमि गंवाने वाले पात्र उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था।

लूटपाट की घटना

5056. श्री रुद्रमाधव राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मीडिया में ''आम्रपाली एक्सप्रेस'' में यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना की रिपोर्ट आयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 20.07.2010 को गाड़ी सं. 5707 अप (आम्रपाली एक्सप्रेस) के पूर्व मध्य रेलवे के खगड़िया स्टेशन से प्रस्थान होने के कुछ समय बाद ही 5-6 अपराधियों ने यात्रियों से धन, आभूषण और मोबाइल फोन लूट लिए और खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी से उतर गए।

राजकीय रेल पुलिस/खगड़िया में भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत एक मामला अपराध सं. 36/2010 दिनांक 20.07.210 को दर्ज किया गया है। जांच के पश्चात् 6 अभियुक्तों के विरुद्ध राजकीय रेलवे पुलिस/खगड़िया द्वारा न्यायालय में एक चार्ज शीट दाखिल की गई है। मामला न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

सेल में ठेके पर श्रमिक

208. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में संयंत्रवार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सेल कर्मचारियों की कुल संख्या में ठेके पर काम कर रहे श्रमिकों को भी गिना जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ठेके पर काम कर रहे सभी श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्यनिधि योजना के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) 1.11.2010 की स्थिति के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के संयंत्रों में जनशक्ति 103130 है। संयंत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

संयंत्रों/इकाइयों का नाम	जनशक्ति
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	31815
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	13271
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	19134
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	22997
इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	11233
अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी)	1777
सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	1375
विश्वेश्रैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसएल)	1528

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सेल के संयंत्रों में ठेकेदारों के जरिए लगाए गए सभी संविदा मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अधीन है। सेलम इस्पात संयंत्र को छोड़कर सभी संविदा मजदूर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अधीन भी हैं।

सेलम इस्पात संयंत्र ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां ईएसआई एक्ट को लागू नहीं किया गया है। फिर भी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर इंडस्ट्रियल लेबर कॉपरेटिव सर्विस सोसाइटी जो कि सेलम इस्पात संयंत्र के प्रमुख ठेकेदारों में से है ने ईएसआई द्वारा कवर किए क्षेत्र में अपनी पंजीकृत स्थापना के बाद से अपने सदस्यों को ईएसआई कवरेज प्रदान किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात परियोजनायें

5058. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में चल रही इस्पात परियोजनाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका कारण क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन इकाइयों के कार्य करने की परिस्थितियों का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में स्थिति इस्पात परियोजनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। तदनुसार, इस्पात परियोजना के स्थान का निर्णय अलग-अलग निवेशकों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाता है जो पूर्ण रूप से प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों पर आधारित होते हैं। इस्पात परियोजनाओं द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य समस्याएं कच्ची सामग्री की निर्बाध आपूर्ति, कानून व्यवस्था इत्यादि से संबंधित है।

(ग) और (घ) इस्पात संयंत्रों में कार्य की दशाओं की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की यूनिट के संबंध में विशाखापत्तनम में बाह्य एजेंसियों द्वारा 4 सर्वेक्षण किए गए थे। सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई जहां भी अपेक्षित हो, शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में एनजीओ को संवितरण

5059. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के नाम क्या हैं, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा विभिन्न हथकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) प्रत्येक एन जी ओ को प्रस्ताव-वार संस्वीकृत वित्तीय सहातया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के तहत प्रत्येक एन जी ओ द्वारा प्रस्तुत उपयोग रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) हथकरघा योजनाओं (एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, मिल गेट कीमत योजना तथा विविधीकृत हथकरघा विकास योजना) के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से धनराशि जारी की जाती है। हथकरघा क्षेत्र की किसी भी योजना में राजस्थान राज्य में किसी भी गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई। वित्तीय सहायता राज्य सरकार को जारी की जाती है।

तथापि, हस्तशिल्प क्षेत्र में बाबा साहिब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, विपणन सहायता एवं सेवा योजना, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और उसके उपयोग की स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	योजना/प्रयोजन	संगठन का नाम	जारी धनराशि	उपयोग प्रमाण पत्र की स्थिति
1	2	3	4	5
		2007-08		
1.	मार्केटिंग	जयपुर विरासत फाउंडेशन	631401	प्राप्त
2.	डिजाइन	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति	90000	प्राप्त
3.	डिजाइन	ज्योति शिक्षण संस्थान, रथोरीकुवा नागौर	90000	प्राप्त नहीं
4.	प्रदर्शनी	एस.एल. आदर्श विद्यालय प्रबंधक समिति, श्रीगंगा नगर	133839	प्राप्त
5.	डिजाइन	बुनकर एवं दस्तकार विकास समिति	90000	प्राप्त
6.	एएचवीवाई	झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति	270000	प्राप्त
7.	एएचवीवाई	उर्मल सेतु संस्थान, बिकानेर	132655	प्राप्त
8.	प्रदर्शनी	सीमावर्ती महिला कल्याण सोसायटी	138750	प्राप्त
9.	एएचवीवाई	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति	50000	प्राप्त
10.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति, हनुमानगढ़ राजस्थान	277500	प्राप्त
11.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, पीलीबंगन	75000	प्राप्त
12.	डिजाइन	ग्रीनवेल चिलड्रेन सोसायटी	90000	प्राप्त
13.	डिजाइन	नव ज्योति शिक्षा समिति	90000	प्राप्त
14.	एमएसएस	जवाहर कला केन्द्र	637500	प्राप्त

1	2	3	4	5
15.	मार्केटिंग	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	1750000	प्राप्त
16.	मार्केटिंग	जवाहर कला केन्द्र	318750	प्राप्त
17.	एएचवीवाई	एस.के. पब्लिक स्कूल समिति	350000	प्राप्त
18.	मार्केटिंग	ग्रीवेल चिलड्रेन सोसायटी	136148	प्राप्त
19.	डिजाइन	ज्योति शिक्षण संस्थान	90000	प्राप्त नहीं
20.	डिजाइन	इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टैनेबल डवलेपमेंट एनवायमैंट साइंटीफिक	170000	प्राप्त
21.	एचआरडी	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति	152500	प्राप्त
22.	डिजाइन	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति	90000	प्राप्त
23.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति	180000	प्राप्त
24.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति	54000	प्राप्त
25.	डिजाइन	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास समिति	90000	प्राप्त नहीं
26.	एएचवीवाई	सुप्रिंट टेक्सटाइल (जयुपर) प्रा. लि. राजस्थान	1968027	प्राप्त
27.	डिजाइन	बुनकर एवं दस्तकार विकास समिति, हवामहल बाजार, जयपुर	90000	प्राप्त
28.	डिजाइन	महिला कल्याण समिति	90000	प्राप्त नहीं
29.	एएचवीवाई	मै. ग्रीनवेल चिल्ड्रेन सोसायटी, नागौर, राजस्थान	90000	प्राप्त
30.	डिजाइन	मै. राजस्थान हस्तशिल्प संस्थान	90000	प्राप्त नहीं
31.	डिजाइन	मै. महिला कल्याण समिति	90000	प्राप्त
32.	एचआरडी	स्वामी विवेकानंद पब्लिक वेलफेयर सोसायटी, जयपुर	530000	प्राप्त
33.	मार्केटिंग	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	675000	प्राप्त
34.	मार्केटिंग	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	475000	प्राप्त नहीं
35.	एएचवीवाई	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति, बीकानेर	180000	प्राप्त
36.	एएचवीवाई	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति, बीकानेर	181000	प्राप्त
37.	एएचवीवाई	मै. पिपल राइट एंड एजुकेशन नेटवर्क एडवासंमैंट	50000	प्राप्त
38.	एएचवीवाई	डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अप्रिएल डिजाइनिंग, उदयपुर	1732000	प्राप्त

1	2	3	4	5
39.	एएचवीवाई	सेन्टर ऑफ द स्टडी ऑफ येल्यूज, उदयपुर	62500	प्राप्त
40.	एएचवीवाई	बिरला टेकनिकल ट्रेनिंग इंस्ट्टियूट, पिलानी	1612000	प्राप्त नहीं
41.	एएचवीवाई	मै. झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, झुंझनु	180000	प्राप्त
42.	एएचवीवाई	मै. झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, झुंझनु	362000	प्राप्त
43.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	180000	प्राप्त
44.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	90500	प्राप्त
45.	एएचवीवाई	सेल्फ डेवलपमेंट इंस्ट्टियूट	50000	प्राप्त नहीं
46.	एएचवीवाई	श्री बदरी लाल चित्रकार	225000	प्राप्त
47.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति	180000	प्राप्त
48.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति	181000	प्राप्त
49.	एएचवीवाई	जन सेवा खादी ग्रामोद्योग विकास समिति	270000	प्राप्त नहीं
50.	एएचवीवाई	एस.के. पब्लिक स्कूल	180000	प्राप्त नहीं
51.	एएचवीवाई	एस.के. पब्लिक स्कूल	90500	प्राप्त नहीं
52.	एएचवीवाई	सरदार पटेल संस्थान	54000	प्राप्त
53.	एएचवीवाई	सरदार पटेल संस्थान	138750	प्राप्त
54.	एएचवीवाई	कला निधि संस्थान	150000	प्राप्त
55.	एएचवीवाई	हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	50000	प्राप्त नहीं
56.	एएचवीवाई	श्री हरिकिशन एवं शिक्षा एवं सेवा समिति	62500	प्राप्त
57.	एएचवीवाई	शिक्षा एवं जन कल्याण समिति	62500	प्राप्त नहीं
58.	एएचवीवाई	जन सेवा खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, टोंक	243434	प्राप्त
59.	एएचवीवाई	जन सेवा खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, टोंक	89740	प्राप्त
60.	डिजाइन	राजस्थान कार्पोट वूलन एंड प्रोडक्ट डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर	1969173	प्राप्त
61.	मार्केटिंग	एम-12014/81/06-07/एमडी	75910	प्राप्त
62.	एएचवीवाई	निकुंज आर्ट्स	1182268	प्राप्त
		सकल योग	20160845	

1	2	3	4	5
		2008-09		
1.	डिजाइन	राजस्थान कार्पेट वूलन एंड प्रोडक्ट डवलपमेंट सोसयटी, जयपुर	1969173	प्राप्त नहीं
2.	एमएसएस	उद्योग प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर	75910	प्राप्त
3.	एमएसएस	मरूधारा इंडस्ट्री, जोधपुर	738000	प्राप्त
4.	एमएसएस	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	662500	प्राप्त
5.	एमएसएस	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीस कार्पोरेशन लि., जयपुर	231967	प्राप्त
6.	एमएसएस	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	532500	प्राप्त
7.	एएचवीवाई	ज्योति शिक्षण संस्थान, नागौर (राजस्थान)	37500	प्राप्त
8.	एमएसएस	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर	625000	प्राप्त नहीं
9.	डिजाइन	बुनकर एवं दस्तकार विकास समिति, जयपुर	90000	प्राप्त
10.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति, हनुमानगढ़, राजस्थान	271500	प्राप्त
11.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति, हनुमानगढ़, राजस्थान	180000	प्राप्त
12.	एमएसएस	श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास समिति श्री गंगानगर (राजस्थान)	160849	प्राप्त
13.	वेल्फेयर	स्वामी विवेकानंद पब्लिक वेल्फेयर सोसायटी, राजस्थान	530000	प्राप्त
14.	एमएसएस	स्वामी विवेकानंद पब्लिक वेल्फेयर सोसायटी, जयपुर	165000	प्राप्त
15.	एमएसएस	महिला कल्याण समिति, राजस्थान	165000	प्राप्त
16.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	277500	प्राप्त
17.	एमएसएस	बुनकर एवं दस्तकार विकास समिति, जयपुर	131905	प्राप्त
18.	एसएसएस	वेस्ट जोन कल्चर, सेन्टर, उदयपुर	281250	प्राप्त
19.	एएचवीवाई	झांसी डवलपमेंट ऑथोटिरी, झांसी	5250000	प्राप्त
20.	डिजाइन	सेवा मंदिर, उदयपुर (राजस्थान)	84421	प्राप्त
21.	डिजाइन	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिजाइन, जयपुर	1013664	प्राप्त
22.	एएचवीवाई	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति, बीकानेर	138750	प्राप्त
23.	एएचवीवाई	एस.के. सेवा समिति गंगानगर, राजस्थान	90000	प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5
24.	एएचवीवाई	झुंझनू जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	343800	प्राप्त
25.	एएचवीवाई	झुंझनू जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	180000	प्राप्त
26.	एएचवीवाई	झुंझनू जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	90000	प्राप्त
27.	एएचवीवाई	झुंझनू जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	138750	प्राप्त
28.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कुल शिक्षा समिति, राजस्थान	90000	प्राप्त
29.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कुल शिक्षा समिति, राजस्थान	181000	प्राप्त
30.	एएचवीवाई	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति, बीकानेर	90500	प्राप्त
31.	एएचवीवाई	सोना महिला एवं बाल कल्याण समिति, बीकानेर	90000	प्राप्त
32.	डिजाइन	गोपीलाल भानवर लाल बी लहर, उदयपुर, राजस्थान	300000	प्राप्त
33.	एमएसएस	राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर	356250	प्राप्त
34.	डिजाइन	सोसायटी फॉर प्रमोशन एंड प्रगति संस्थान मलपुर, राजस्थान	70700	प्राप्त
35	एएचवीवाई	जन सेवा खादी ग्रामोद्योग समिति	90000	प्राप्त नहीं
36.	एएचवीवाई	जन सेवा खादी ग्रामोद्योग समिति	181000	प्राप्त नहीं
37.	एएचवीवाई	थार हस्त शिल्प संस्थान, जोधपुर	179322	प्राप्त नहीं
38.	एएचवीवाई	जयपुर राइट फाउंडेशन, जयपुर	75000	प्राप्त
39.	एचआरडी	आर्ट एजुकेशनल सोसायटी, जयपुर	1715700	प्राप्त
40.	एमएसएस	रूरल नॉन फोरम डेनोलन एजेंसी, जयपुर	522787	प्राप्त
41.	एचआरडी	राजस्थान कार्पेट वलून एंड प्रोडक्ट डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर	250000	प्राप्त नहीं
42.	एमएसएस	रूपल नॉन फोरम डेनोलन एजेंसी, जयपुर	1257315	प्राप्त
43.	डिजाइन	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्राफ्टस एंड डिजाइन, जयपुर	939336	प्राप्त
44.	डिजाइन	तिलक गितै, जयपुर	240000	प्राप्त
45.	डिजाइन	ग्रीनवेल चिल्ड्रेन सोसायटी, नागौर	90000	प्राप्त
46.	डिजाइन	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्राफ्टस एंड डिजाइन	3000000	प्राप्त नहीं
		सकल योग	24173849	

1	2	3	4	5
		2009-10		
1	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	90500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
2.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	90500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
3.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
4.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
5.	एएचवीवाई	ज्योति शिक्षा संस्थान, राजस्थान	37500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
6.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति, राजस्थान	277500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
7.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति, राजस्थान	181000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
8.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
9.	एएचवीवाई	श्री हरिकिशन एवं शिक्षण सेवा समिति, अलवर	362000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
10.	एएचवीवाई	श्री हरिकिशन एवं शिक्षण सेवा समिति, अलवर	270000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
11.	एएचवीवाई	झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
12.	एएचवीवाई	ज्योति शिक्षा संस्थान, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
13.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	90500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
14.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
15.	एएचवीवाई	श्री हरिकिशन एवं शिक्षण सेवा समिति, अलवर	61360	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
16.	एएचवीवाई	सरदार पटेल संस्थान, राजस्थान	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
17.	एमएसएस	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	675000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
18.	एमएसएस	मरूधारा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राजस्थान	442500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
19.	डिजाइन	ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसायटी, राजस्थान	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
20.	डिजाइन	सरस्वती बाल विद्या मंदिर, समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
21.	एएचवीवाई	झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
22.	एएचवीवाई	झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	362000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं

1	2	3	4	5
23.	डिजाइन	रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसायटी, जयपुर	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
24.	डिजाइन	मोरवीन विकास संस्थान, जयपुर	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
25.	डिजाइन	राजस्थान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जयपुर	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
26.	एएचवीवाई	सेन्टर ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्यूस, उदयपुर	37500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
27.	एएचवीवाई	सेन्टर ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्यूस, उदयपुर	271500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
28.	एमएसएस	फेंडुकेशन ऑफ राजस्थान एच/सी एक्पोर्टर्स वैशाली, जयपुर, राजस्थान	2950000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
29.	एएचवीवाई	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर (राजस्थान)	1750000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
30.	एनआरएएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
31.	एएचवीवाई	झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	68000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
32.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	271500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
33.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
34.	एमएसएस	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	618965	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
35.	एमएसएस	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	122500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
36.	डिजाइन	रूरल नॉन फोरम डवलपमेंट, एजेंसी, जयपुर	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
37.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	277500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
38.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, राजस्थान	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
39.	एएचवीवाई	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	181000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
40.	एएचवीवाई	श्री जरकहन महिला सहकारी समिति लि., जयपुर	50000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
41.	डिजाइन	सोसाइटी टू अपलिफ्ट करल इकोनोमी, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
42.	एएचवीवाई	सेन्टर ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्यूज, उदयपुर	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
43.	एएचवीवाई	सेन्टर ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्यूज, उदयपुर	271500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
44.	एएचवीवाई	सुशील उद्योग, जोधपुर	1800000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं

1	2	3	4	5
45.	एएचवीवाई	ग्रामीण बालिका विकास समिति, राजस्थान	271500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
46.	एएचवीवाई	महिला उद्योग प्रशिक्षण समिति, बरोन, राजस्थान	75000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
47.	एएचवीवाई	पिपल राइट एंड एजुकेशन नेटवर्क एडवासमैट, बाड़मेर	271500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
48.	एएचवीवाई	पिपल राइट एंड एजुकेशन नेटवर्क एडवासमैट, बाड़मेर	45809	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
49.	डिजाइन	बुनकर आवाम दस्तकार समिति, जयपुर	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
50.	एएचवीवाई	महिला मंडल, बाड़मेर	75000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
51.	एचआरडी	कंट्रोलर, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उदयपुर	1731951	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
52.	डिजाइन	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास समिति, राजस्थान	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
53.	एएचवीवाई	जन कल्याण सहायता मंच संस्था, जयपुर	75000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
54.	एमएसएस	मरूधारा इंडस्ट्री एसोसिएशन, राजस्थान	286545	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
55..	एमएसएस	रूरल नॉन टर्म डवलपमेंट एजेंसी, जयपुर, राजस्थान	533606	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
56.	एएचवीवाई	आदर्श ग्राम उद्योग समिति, राजस्थान	270000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
57.	एएचवीवाई	आदर्श ग्राम उद्योग समिति, राजस्थान	180000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
58.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्प संस्थान, जोधपुर	90500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
59.	एएचवीवाई	झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	142250	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
60.	एएचवीवाई	झुंझनु जिला पर्यावरण सुधार समिति, राजस्थान	1137880	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
61.	एएचवीवाई	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनोमी, राजस्थान	90000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
62.	एमएसएस	एस.के. सेवा समिति, राजस्थान	138750	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
63.	एएचवीवाई	क्रॉस कंट्री, राजस्थान	1800000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
64.	एएचवीवाई	थार हस्तशिल्पकार संस्थान, जोधपुर	90500	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
65.	एएचवीवाई	न्यू लाइट अर्ट एक्सपोर्ट, जोधपुर	1650000	उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया नहीं
		सकल कुल	23536116	

[अनुवाद]

एयरलाइनों का प्रचालन

5060. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान कंपनियां और राष्ट्रीय विमान कंपनी भारत और विदेशों में 'ओपन स्काई' पॉलिसी के अंतर्गत एक साथ काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत प्रचालन कर रही विमान कंपनियों के नाम और उन वायु मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने किंगफिशर एयरलाइंस को नई दिल्ली-लंदन, नई दिल्ली-हांगकांग, नई दिल्ली-बैंकाक, मुंबई-कोलंबो, मुंबई-बैंकाक और मुंबई-दुबई सहित सात नए वैश्विक क्षेत्रों में प्रचालन करने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विमान कंपनी के राजस्व अर्जन पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय विमान कंपनियों के प्रचालनात्मक योजनाओं पर विचार करने के बाद मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र भारतीय निजी अनुसूचित विमान कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए यातायात अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत हुई

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01¼ बजे

इस समय श्री नारनभाई कछाड़िया, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री चंद्रकांत खैरे, श्री एस. सेम्मलई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। मद संख्या 2 श्री सलमान खुर्शीद।

...(व्यवधान)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, मैं (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:–

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 3720/15/10]

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3721/15/10]

(2) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3722/15/10]

(3) (एक) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3723/15/10]

(4) (एक) फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3724/15/10]

(5) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3725/15/10]

(6) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3726/15/10]

(7) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3727/15/10]

(8) (एक) प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3728/15/10]

...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3729/15/10]

(2) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3730/15/10]

(3) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3731/15/10]

(4) (एक) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3732/15/10]

...(व्यवधान)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3733/15/10]

(ख) (एक) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3734/15/10]

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

(ग) (एक) जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3735/15/10]

(2) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3736/15/10]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3737/15/10]

(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3738/15/10]

(2) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्ट्रिटयूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3739/15/10]

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं, श्री एस.एस. पलानीमनिकम की ओर से शेयर बाजार घोटाला और उससे संबद्ध मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाही के बारे में 15वें प्रगति प्रतिवेदन दिसम्बर, 2010, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3740/15/10]

...(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3741/15/10]

(2) (एक) बोको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3742/15/10]

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं, श्री अरुण यादव की ओर से मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009- 2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009- 2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3743/15/10]

(2) (एक) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009- 2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3744/15/10]

(3) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3745/15/10]

(4) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3746/15/10]

(5) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3747/15/10]

(6) (एक) भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3748/15/10]

(7) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3749/15/10]

(8) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3750/15/10]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तत करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शरद यादव।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश अग्रवाल।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.1½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

44वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती दीपा दासमुंशी (रायगंज) : मैं संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय (श्री वीरभद्र सिंह) : मैं दिनांक सितंबर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वियन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वोक्त छठे प्रतिवेदन को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 22 अप्रैल, 2010 को राज्य सभा में सभा पटल पर रखा गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 के इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया *देखिए* संख्या एल.टी. 3751/15/10.

समिति ने उक्त प्रतिवेदन में मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में कुल अठारह सिफारिशें (अठारह पैरों में अंतर्विष्ट) की हैं जिनपर सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के विवरण को दिनांक 15 सितंबर, 2010 को कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को विवरण के अनुबंध में दर्शाया गया है जिसे एतद्द्वारा लोक सभा में सभा पटल पर रखा गया है। मैं संलग्न अनुबंध में दी गई पूरी विषय-वस्तु को पढ़कर सुनाने में सभा का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे सभा में पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.01 बजे

(दो) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 212वें और 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जलसंसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं श्री विलासराव देशमुख की ओर से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 212वें और 215वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.2½ बजे

(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : मैं दिनांक सितंबर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II के द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभ के निदेश के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्रामीण विकास विभाग) (2009-2010) (15वीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का नौवां प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है। समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन दिनांक 30 सितंबर, 2010 को समिति को भेजा जाएगा।

उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा 36 सिफारिशें की गई हैं जिसमें सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यत: कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सतर्कता और निगरानी समिति और बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने आदि की योजनाओं के मुद्दों से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की वर्तमान स्थिति विवरण के अनुबंध में दर्शाई गई है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.2½ बजे

(चार) (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में संशोधित विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया *देखिए* संख्या एल.टी. 3752/15/10.

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया *देखिए* संख्या एल.टी. 3753/15/10.

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया *देखिए* संख्या एल.टी. 3754/15/10.

[श्री श्रीकांत जेना]

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में 27 सिफारिशें की थीं। प्रत्येक सिफारिश का विस्तृत उत्तर दिनांक 8.3.2010 को समिति को भेजा जा चुका है। सिफारिशों और दूसरे प्रतिवेदन की 27 सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का सारांश सभा पटल पर रखा गया है।

अपराह्न 12.02¾ बजे

(चार) (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वियन की स्थिति पर विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में 9 सिफारिशें की है। प्रत्येक सिफारिश का विस्तृत उत्तर दिनांक 9.8.2010 को समिति को भेजा गया है। सिफारिशों और छठे प्रतिवेदन की 9 सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति का सारांश सभा पटल पर रखा गया है।

अपराह्न 12.03 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

12वां और 13वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदय, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 12वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 13वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया *देखिए* संख्या एल.टी. 3755/15/10.

अपराह्न 12.03¼ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जायेंगे। माननीय सदस्य परम्परा अनुसार तत्काल सभा पटल पर पर्चियां भेज दें।

(एक) भारत-खाड़ी क्षेत्र से वापस ली गई एयर इंडिया की उड़ानों को फिर से चालू किए जाने तथा दिल्ली-बंगलुरू उड़ान को केरल के कालीकट तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. राघवन (कोझिकोड) : कोझिकोड (कालीकट) में जबसे विमानपत्तन खुला है, वहां से एयर इंडिया के वायुयान चल रहे हैं। इंडो-गल्फ क्षेत्र एक सबसे अधिक लाभ वाला क्षेत्र है। तथापि विगत दो वर्षों में यहां से अनेक प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा, अनेक इन-हाऊस कारणों से भी अंतिम पलों में अन्य उड़ानें रद्द की गई हैं। इनमें प्रमुख हैं आईसी-997/998 कालीकट-दोहा-बहरीन-कालीकट और आईसी 993/994 चेन्नै-कालीकट-कुवैत-कालीकट-चेन्नै। इसी प्रकार, उड़ान संख्या आईसी-537/538 कालीकट-दुबई-कालीकट और आईसी-597/598 कालीकट शारजाह – कालीकट को शीघ्र ही समाप्त किए जाने की संभावना है। सौभाग्यवश, एयर इंडिया द्वारा खाली की गई जगह में गल्फ ऑपरेटरों सहित निजी ऑपरेटर आ गये हैं, जो पूर्ण क्षमता और लाभ के साथ प्रचालन कर रहे हैं।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

इसी प्रकार, घरेलू उड़ान संख्या आईसी-925/926 चेन्नै-कालीकट-चेन्नै और सीडी-993/994 दिल्ली-कालीकट-मंगलौर-दिल्ली जो पूर्ण क्षमता में प्रचालन कर रही थी, को समाप्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, शाम को दिल्ली से कालीकट के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। वर्तमान में, शाम को बंगलौर तक, जाने वाली फ्लाइट को कालीकट तक किया जाना चाहिए।

इन उड़ानों की पुन: बहाली हेतु अनेक निवेदन किए गए और आश्वासन दिए गए थे। तथापि, अभी तक इनमें से किसी भी फ्लाइट की पुन: बहाली नहीं की गई है। यह निवेदन किया जाता है कि इन फ्लाइटों की तत्काल पुन: बहाली हेतु और बंगलौर से फ्लाइट के प्रस्तावित विस्तार हेतु कुछ उपाए किए जाएं।

(दो) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मार्क-II हैंडपंप लगाए जाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से पेयजल के रूप में प्रयुक्त होने वाला भूजल काफी प्रदूषित है। यहां के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है। प्रदूषित पेयजल पीने से यहां के लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। बहराइच के लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए मेरे द्वारा संसदीय क्षेत्र में इंडिया मार्क-2 हैंडपम्प लगवाने का अनुरोध किया गया है, जिस हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक के अनुपालन में अधिशाषी अभियंता निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम, जनपद बहराइच द्वारा 597 इंडिया मार्क-2 हैंडपम्प के लिए 213.42 लाख रुपये का प्राक्कलन भेजा गया है। वर्तमान बहराइच जिले के जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्र) लगभग 30 लाख है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद में प्रदूषित पेयजल की समस्या दूर करने के लिए दिए गए प्राक्कलन के अनुसार 597 इंडिया मार्क-2 हैंडपम्प लगवाने के लिए अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(तीन) आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काजीपेट में रेल वैगन फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल) : मैं सम्मानित सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश में मेरे वारंगल निर्वाचन क्षेत्र में काजीपेट में वैगन फैक्ट्री की स्थापना की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहूंगा।

मैं बताना चाहता हूं कि वैगन फैक्ट्री हेतु काजीपेट में 300 एकड़ से अधिक भूमि की व्यवस्था की जा सकती है और आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में रेल मंत्री को पहले ही पत्र लिख दिया है। यदि सरकार काजीपेट के आसपास एक वैगन फैक्ट्री की स्थापना करती है, तो यह न केवल दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक हब बनेगा बल्कि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा। ऐसी फैक्ट्री की स्थापना के लिए काजीपेट एक आदर्श स्थान है।

इसलिए, मैं माननीया रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शेष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ही मेरे वारंगल निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के लोगों की काफी लम्बे समय से लंबित और वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित कर आंध्र प्रदेश में वारंगल जिले में काजीपेट में एक वैगन फैक्ट्री की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(चार) पेयजल परियोजनाओं के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाए जाने तथा संसद सदस्यों द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर) : देश में अक्सर पेयजल की समस्या के बारे में काफी सुनने, पढ़ने के बाद, टेलीविजन में समाचार के माध्यम से पेयजल की कमी की गंभीरता पर प्रकाश डाला जा रहा है और धीरे-धीरे पेयजल समस्या निश्चित तौर के एक बड़े संकट का संकेत दे रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर की पेयजल की समस्या के बारे में माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भूजल स्तर काफी गिर गया है। यद्यपि समय-समय पर इंडिया मार्क-II हैंडपम्प लगते रहे हैं, परन्तु बढ़ती जनंसख्या को देखते हुए पेयजल की मांग घट नहीं रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सभी सांसदों को पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु सांसदों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि की धनराशि को दो करोड़ से दस करोड़ किया जाना चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश में सभी विधायकों को अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए दो करोड़ रुपए विकास के लिए दिये जाते हैं, उस हिसाब से

[डॉ. संजय सिंह]

एक सांसद पांच से सात विधान सभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस कम राशि के कारण सांसद अपने क्षेत्र में यथोचित विकास कार्य कराने में असमर्थ महसूस करता है। अगर यह भी संभव न हो तो प्रत्येक सांसद को 50 किलोमीटर सड़क बनवाने एवं 500 हैंडपम्प लगाने के अधिकार दिये जायें और यह राशि केन्द्र स्तर पर जारी की जाये।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मौजूदा पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु सांसदों को अधिक अधिकार दिये जायें और उनके प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाये।

(पांच) केरल में मछुआरों के लिए कैरोसिन तेल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : केरल में 17000 से अधिक आउट बोर्ड कैरोसीन चालित पारंपारिक मत्स्यन जलयान प्रयोग में हैं। इन जलयानों हेतु प्रति माह 5786 किलो लीटर कैरोसीन की आवश्यकता होती है। परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वास्तविक आवंटन केवल 2531 किलोलीटर प्रति माह है। पारंपारिक मत्स्यन क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रति माह 3255 किलोलीटर का बड़ा अंतर है। कैरोसीन का वर्तमान आबंटन महीने में केवल 10 दिन के लिए पर्याप्त होता है। शेष दिनों के लिए मछुआरे या तो बेकार बैठे रहते हैं या अधिक कीमत का भुगतान कर खुले बाजार से कैरोसीन खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पारंपारिक मछुआरों के आय स्तरों में काफी कमी आई है यह स्थिति उन्हें भुखमरी के कगार पर पहुंचा सकती है।

पारंपारिक मछुआरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, मैं संघ सरकार से आग्रह करूंगा कि केरल में पारंपारिक मछुआरों हेतु कैरोसीन के कोटे को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(छह) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और बाराबंकी जिलों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद) : उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद तथा बाराबंकी जनपदों, जो कि मेरे लोक सभा क्षेत्र फैजाबाद के अंतर्गत आते हैं, में किसानों को फसल को बुआई के इस मौसम में खाद की घोल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार के जरिये ठोस कदम उठाने की कार्यवाही करें ताकि किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध हो सके।

(सात) झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिले में वन आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा) : झारखंड प्रदेश में विशेषकर गुमला व लोहरदगा जिलों में प्रचुर मात्रा में वनों से अनेक प्रकार के उत्पादन प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों से बनाए जाने वाले वस्तुएं देशभर में प्रचलित एवं उपयोग की जाती हैं। परन्तु, इस क्षेत्र में वन आधारित उद्योग नहीं होने के कारण न तो इन वस्तुओं के उत्पाद में वृद्धि हो रही है और न ही इनकी गुणवत्ता में। इन उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर विकास न होने के कारण यहां के लोगों को प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय संबंधित मंत्री जी से आग्रह है कि इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा वन आधारित उद्योग लगाये जायें, जिससे कि इन उत्पादों से बनने वाली वस्तुओं का संवर्धन व विकास हो सके। साथ-साथ यहां के लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

(आठ) देश में खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश रोके जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : केन्द्र सरकार देश के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने जा रही है। इसके लिए एक परिचर्चा पत्र जारी कर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने राय मांगी है। यदि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुदरा व्यापार में उतरीं तो देश के करीब पांच करोड़ छोटे व्यापारी और लगभग इतने ही ऐसे लोग, जो रिटेल व्यापार से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी के कगार पर पहुंच जायेंगे। इतना ही नहीं इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सीधे खेतों से उत्पाद खरीदकर बेचे जाने की नीति से हमारी कृषि मंडियों का ढांचा ही खत्म हो जायेगा। साथ ही आढ़तियों को कारोबार सिमट जायेगा। ऐसे में महोदय कुछ समय बाद ये कम्पनियां कृषि उत्पादों की सबसे बड़ी खरीददार हो जायेंगी और कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण इनके हाथों में चला जायेगा और हमारे किसान इनके हाथों की कठपुतली बन जायेंगे। खुदर व्यापार में ऐसे विदेशी निवेश

का पहले से ही विरोध हो रहा है। जून, 2009 में वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी इसके विरोध में कड़ी टिप्पणी की गई है। आपसे अपेक्षा है कि एक ओर जहां सरकार द्वारा देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्यौता देकर करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने एवं किसानों को बंधुआ बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है।

(नौ) उत्तर प्रदेश में बलिया जिला स्थित को-ऑपरेटिव सोसायटी से किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री नीरज शेखर (बलिया) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बलिया जनपद के ऋणग्रस्त कृषकों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। किसानों ने वर्ष 1997 से पूर्व साधन सहकारी समिति के माध्यम से बीज एवं उर्वरकों के लिए छोटे-छोटे ऋण लिये थे। बार-बार प्राकृतिक आपदाओं के आने से कृषक ऋण की अदायगी कर पाने में असमर्थ रहा। वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार की ऋण माफी योजना के अंतर्गत भी इनको लाभ नहीं मिला। ये कृषक आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर हैं और ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

अत: सरकार से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि सरकार 2008 की तरह ही इन कृषकों का ऋण भी माफ करें ताकि इन लोगों को भी ऋण मिले एवं इनका नाम ऋणी किसानों की काली सूची से निकाला जाये ताकि ये नये ऋण के लिए पात्र बनें।

(दस) आर्थिक रूप से निर्धन परिवार की लड़कियों को नि:शुल्क उच्चतर और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अश्वमेध देवी (उजियारपुर) : भारत सरकार बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करती है, जिसका सकारात्मक परिणाम आज के समय 10वीं तथा 12वीं के परीक्षा परिणामों में लड़कियों के अव्वल आने से देखा जा सकता है। वहीं उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में कोई अतिरिक्त सुविधा लड़कियों को प्रदान नहीं है, जिसके कारण गरीब परिवार की लड़कियों को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

अत: केन्द्र सरकार से यह मांग करती हूं कि उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में प्रवेश परीक्षा में पास करने वाली गरीब परिवार की लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाये ताकि महिलाओं की भागीदारी समाज में और अधिक बढ़ सके।

(ग्यारह) तमिलनाडु में वर्षा और बाढ़ प्रभावित लोगों के शीघ्र पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : मैं केन्द्रीय सरकार से संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर मानसून के आने के कारण संपूर्ण तमिलनाडु में निरंतर और लगातार हुई वर्षा से लगभग पूरा तलिनाडु बाढ़ द्वारा प्रभावित हुआ है और वहां सामान्य जीवन बाधित हुआ है। कई सौ करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति बरबाद हुई है और आज की तिथि अनुसार, विभिन्न वर्ष संबंधी घटनाओं के कारण 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 3.20 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए हैं और इसके साथ-साथ, 50,000 झोपड़ियां पूर्णत: या अंशत: नष्ट हुई हैं, जिस कारण लाखों लोग बेघर हुए हैं। बाढ़ के कारण 1.5 फीट और 2 फीट तक खेत पानी में डूबे हुए हैं और 15 लाख एकड़ से अधिक खड़ी फसल वर्षा के जल में डूब गई है। बाढ़ में 5000 से अधिक पुशधन लापता हैं। तथापि, तलिनाडु सरकार को इस प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न संकट से बाहर निकालने के लिए मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु सरकार की मांग के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा सहायता निधि से 1607 करोड़ रु. तत्काल उपलब्ध कराए जायें ताकि राज्य सरकार द्वारा युद्ध-स्तर पर किए जा रहे सहायता उपाय किसी प्रकार से प्रभावित न हों।

(बारह) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल किए गए अस्पतालों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधा दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बुदूर) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल पर सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि आपातकालीन मामलों में सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभभोगियों, जोकि वरिष्ठ नागरिक भी हैं, को एडमिट किया जाए और उन्हें क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाए।

मुझे आपको सूचित करना है कि सीजीएचएस पैनल पर लगभग प्रत्येक अस्पताल मंत्रालय के उपरोक्त निर्देश की अनदेखी कर रहा

[श्री टी.आर. बालू]

है और कोई न कोई कारण बताते हुए सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभभोगियों को एडमिट करने से इंकारर कर रहा है, जिस कारण इन वरिष्ठ नागारिकों और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभभोगी जिनकी आय का स्रोत केवल उनकी थोड़ी सी पेंशन है, उन्हें इन अस्पतालों मे आपातकालीन उपचार प्राप्त करने में काफी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अस्पताल बिस्तर न होने का बहाना बनाकर उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करते हैं, आपात स्थिति के कारण, वरिष्ठ नागरिक, रोगी उन्हें यह कहकर समझाते हैं कि चाहे उन्हें क्रेडिट सुविधा न दें परन्तु उन्हें एडमिट कर लें और वे बिलों को सीधे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजेंगे और सीधे दावे का भुगतान प्राप्त कर लेंगे। परन्तु सीजीएचएस डिस्पेंसरियों कोई न कोई कारण बताकर इन सेवानिवृत्त अधिकारियों या वरिष्ठ नागारिकों के खातों में सीधे भुगतान क्रेडिट नहीं करती, जिस कारण इन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि सीजीएचएस पैनल पर सभी अस्पतालों को पुन: निदेशित किया जाए कि आपात स्थिति के मामलों में सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभभोगियों को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाए, अन्यथा इन्हें कालीसूची में डाला जाएगा और इन अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इन अनुदेशों के उचित कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ खोला जाए, ताकि इस संबंध में शिकायतों को समयबद्ध ढंग से निपटाया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सीजीएचएस पैनल पर अस्पतालों के बिलों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा समय निपटाया जाए ताकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

(तेरह) बिहार के सीवान जिले में पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान) : मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान के सीवान जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय शहर सहित सभी बैंकों के एटीएम ग्राहकों के अनुपात में नहीं है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा प्राईवेट जैसे – आईसीआईसीआई, एक्सेज बैंक सहित अन्य बैंकों के एटीएम ग्राहकों के अनुपात में बहुत कम हैं। सीवान उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है तथा सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर राज्य में सबसे अधिक एनआरआई भी रहते हैं तथा भारतवर्ष को अधिकांश विदेशी राजस्व की कमाई देते हैं। इस जिले में अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति की संख्या भी बहुतायत में है, जिनको एटीएम का लाभ नहीं मिल पाता है।

अत: मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि सभी राष्ट्रीयकृत तथा प्राईवेट बैंकों के एटीएम बहुतायत संख्या में जिला सीवान में यथाशीघ्र खोले जायें ताकि बैंक के ग्राहकों को सहूलियत हो सकें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा कल 10 दिसम्बर, 2010 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2010/14 अग्रहायण, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	421
2.	श्री अंजनकुमार एम. यादव श्री असादूद्दीन ओवेसी	422
3.	श्री बाल कुमार पटेल श्री रामसिंह राठवा	423
4.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	424
5.	श्री मधु कोड़ा	425
6.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	426
7.	श्री वैजयंत पांडा श्री रुद्रमाधव राय	427
8.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण श्री मनसुखभाई डी. वसावा	428
9.	डा. किरोड़ी लाल मीणा	429
10.	श्री रमाशंकर राजभर	430
11.	श्री खगेन दास श्री के. सुगुमार	431
12.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	432
13.	श्री यशवीर सिंह श्री नीरज शेखर	433
14.	श्री एम.आई. शानवास	434
15.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री कोडीकुन्नील सुरेश	435
16.	श्री महेश्वर हजारी	436
17.	डॉ. चरण दास महन्त श्री अवतार सिंह भडाना	437
18.	श्री जयराम पांगी	438
19.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	439
20.	श्री गजानन ध. बाबर श्री धर्मेन्द्र यादव	440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसुल, श्री आनंदराव	4904, 4934, 4968, 5032
2.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4946, 5017, 4033
3.	अलागिरी, श्री एस.	4846, 4938
4.	अंगड़ी, श्री सुरेश	4932
5.	एंटोनी, श्री एंटो	4953, 5042

1	2	3
6.	अनुरागी, श्री घनश्याम	4886
7.	अर्गल, श्री अशोक	4892, 5021
8.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	5060
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	4999
10.	बाबर, श्री गजानन ध.	4904, 4934, 4968, 5034
11.	बैस, श्री रमेश	4839, 4995
12.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	4970
13.	बलीराम, डॉ.	4919, 5022
14.	बलराम, श्री पी.	4838
15.	बनर्जी, श्री अम्बिका	4913
16.	बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान	4964
17.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	4906
18.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4989
19.	भैया, श्री शिवराज	4910
20.	भोई, श्री संजय	4909
21.	भुजबल, श्री समीर	4942
22.	बिसवाल, श्री हेमानंद	4841, 5005
23.	चौधरी, श्री हरीश	4967
24.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	4988, 5030
25.	चिन्ता मोहन, डॉ.	4955
26.	चौधरी, श्री भूदेव	4935, 4962, 5050
27.	चौधरी, श्री अधीर	4867

1	2	3
28.	दास, श्री खगेन	4885
29.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	4902
30.	देवरा, श्री मिलिंद	4875, 5004
31.	देवी, श्रीमती रमा	4975, 5013
32.	धनपालन, श्री के.पी.	4869
33.	डिएस, श्री चार्ल्स	4925, 5027
34.	दत्त, श्रीमती प्रिया	4847, 4923
35.	इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.	4845, 4997, 5017
36.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	4943
37.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	4844
38.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4890, 4941, 4948, 5038
39.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	4853
40.	घुबाया, श्री शेर सिंह	4858
41.	गौडा, श्री डी.वी. चन्द्रे	4940, 4970, 5036
42.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	4876, 5046
43.	हजारी, श्री महेश्वर	4998
44.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	4928
45.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	4901
46.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	4923, 4947
47.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	4921, 5024
48.	जाधव, श्री बलीराम	4918
49.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	4950, 5017
50.	जायसवाल, डॉ. संजय	4964

1	2	3
51.	जाखड़, श्री बद्रीराम	4837, 4976, 5059
52.	जावले, श्री हरिभाऊ	4854, 4983
53.	जयाप्रदा, श्रीमती	4971
54.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	4860
55.	जोशी, श्री कैलाश	4963
56.	जोशी, श्री प्रहलाद	4896
57.	जूदेव, श्री दिलीप सिंह	4848, 4979
58.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	4849, 5030
59.	करवारिया, श्री कपिल मुनि	4911, 5029
60.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	5017
61.	कस्वां, श्री राम सिंह	4871, 5049
62.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4982
63.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	4890, 4941
64.	किल्ली, डॉ. क्रुपारानी	4956, 5045
65.	कोड़ा, श्री मधु	4990
66.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	4879
67.	कृष्णास्वामी, श्री एम.	4926
68.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	4833, 4856, 5043
69.	कुमार, श्री वीरेन्द्र	4895
70.	कुमार, श्री विश्व मोहन	4903, 5037
71.	कुमार, श्री पी.	4954
72.	कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	4865, 4993
73.	लागुरी, श्री यशवंत	4846, 5013, 5015

1	2	3
74.	लिंगम, श्री पी.	4958, 5048
75.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4851, 4981, 5057
76.	महतो, श्री नरहरि	4945
77.	महताब, श्री भर्तृहरि	4924, 5025
78.	माझी, श्री प्रदीप	4890, 4904, 4930, 5044, 5047
79.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	4922
80.	मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	4901
81.	मणि, श्री जोस के.	4915, 5018
82.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	4985
83.	मेघे, श्री दत्ता	4960
84.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	4898, 4904, 5052
85.	मिश्रा, श्री महाबल	4927
86.	मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद	4914
87.	मोहन, श्री पी.सी.	5017
88.	मुत्तेमवार, श्री विलास	4880, 5009
89.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	4882, 5012
90.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	4937
91.	नटराजन, श्री पी.आर.	4951
92.	निरूपम, श्री संजय	4884, 4904, 5017
93.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4970, 4972, 5053
94.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	4857, 4986
95.	पाल, श्री जगदम्बिका	4893
96.	पांडा, श्री वैजयंत	4966, 5017

1	2	3
97.	पांडा, श्री प्रबोध	4916, 5019
98.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	4897, 4964, 5011
99.	पांगी, श्री जयराम	5005
100.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	4970
101.	पाटिल, श्री सी.आर.	4961
102.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	4883, 5014
103.	पटेल, श्री बाल कुमार	5010
104.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4890, 4904, 4930, 5047
105.	पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई	4847
106.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	4881, 5033
107.	पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव	4912
108.	पटले, श्रीमती कमला देवी	4872
109.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	4838, 4929
110.	प्रधान, श्री नित्यानंद	4966
111.	प्रेमदास, श्री	4930
112.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	4949, 5039
113.	राघवन, श्री एम.के.	4889, 5041
114.	रहमान, श्री अब्दुल	4903, 4944, 4970
115.	राजगोपाल, श्री एल.	4831, 4980
116.	राजेश, श्री एम.बी.	4936
117.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	4946, 4994
118.	रामकिशुन, श्री	4833, 4856, 5043
119.	राणे, श्री निलेश नारायण	4842, 4977, 5055

1	2	3
120.	राव, श्री नामा नागेश्वर	4952
121.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4835, 5001
122.	राठौड़, श्री रमेश	4885
123.	राठवा, श्री रामसिंह	4974, 5042
124.	राय, श्री अर्जुन	4931
125.	राय, श्री रूद्रमाधव	4973, 5056
126.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	4861
127.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	4897, 4940
128.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	4836, 5020
129.	सेम्मलई, श्री एस.	4834, 5004, 5005
130.	साहा, डॉ. अनूप कुमार	4905
131.	सरोज, श्रीमती सुशीला	4852, 4862, 4991
132.	सरोज, श्री तूफानी	4969
133.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4855, 4984, 5058
134.	सत्पथी, श्री तथागत	4888
135.	सईद, श्री हमदुल्लाह	4850
136.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	4965
137.	शानवास, श्री एम.आई.	5007
138.	शांता, श्रीमती जे.	4840, 4978, 5054
139.	शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार	4853
140.	शर्मा, श्री जगदीश	4887, 4928
141.	शेखर, श्री नीरज	4969, 4971, 5008
142.	शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	5003

1	2	3
143.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	4866, 4996
144.	सिंह, डॉ. भोला	4964, 5033
145.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	4843
146.	सिंह, श्री दुष्यंत	4904
147.	सिंह, श्री गणेश	4914
148.	सिंह, श्री राधा मोहन	4935
149.	सिंह, श्री राकेश	4832, 5040
150.	सिंह, श्री रतन	4917
151.	सिंह, श्री सुशील कुमार	4885
152.	सिंह, श्री उदय	4908
153.	सिंह, श्री धनंजय	4900
154.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4931, 5028
155.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	4938, 4965
156.	सिंह, श्री उदय प्रताप	4939, 5035
157.	सिंह, डॉ. संजय	5017
158.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	4891
159.	सिन्हा, श्री शत्रुघ्न	4870, 5051
160.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	4838
161.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	4920, 5023
162.	सुधाकरण, श्री के.	4899
163.	सुगुमार, श्री के.	4868, 4878, 4904
164.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	4882, 5012
165.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	4904

1	2	3
166.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	4864, 4992
167.	टन्डन, श्रीमती अन्नू	4859, 4987
168.	तिवारी, श्री मनीष	4933, 5031
169.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	4873, 5000, 5017
170.	थरूर, डॉ. शशी	4894, 5006
171.	थॉमस, श्री पी.टी.	5042
172.	तिरकी, श्री मनोहर	44874, 4922
173.	उपाध्याय, श्रीमती सीमा	4852
174.	वर्धन, श्री हर्ष	4887
175.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4967, 4975, 5017
176.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	4904
177.	वर्मा, श्री सज्जन	4907, 5023
178.	विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.	4957
179.	विश्वनाथन, श्री पी.	4868, 4926, 5017
180.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	4877, 5002
181.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	4965, 5015
182.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	4904, 4934, 4968, 5032
183.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	4959
184.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	5016
185.	यादव, श्री मधुसूदन	4863
186.	यास्खी, श्री मधु गौड	4941

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	422, 432
कॉर्पोरेट कार्य	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	425, 430, 435
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	438
विधि और न्याय	:	423
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	421, 424, 428, 433, 434, 440
रेल	:	427, 431
इस्पात	:	429, 437, 439
वस्त्र	:	426, 436

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	4836, 4867, 4891, 4893, 4906, 4939, 4943, 4944, 4947, 4955, 4984, 4986, 5028, 5033
नागर विमानन	:	4831, 4850, 4853, 4857, 4877, 4880, 4885, 4892, 4894, 4896, 4897, 4914, 4922, 4924, 4948, 4953, 4959, 4965, 4970, 4972, 4974, 4993, 4999, 5001, 5002, 5003, 5004, 5006, 5008, 5009, 5017, 5030, 5041, 5044, 5052, 5060
कॉर्पोरेट कार्य	:	4859, 4875, 4938, 5005
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	4910, 4966, 4987, 4994
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	4846, 4868, 4882, 4884, 4936, 4952, 4982, 5007, 5013, 5029, 5038
विधि और न्याय	:	4840, 4849, 4883, 4887, 4888, 4889, 4899, 4911, 4913, 4915, 4916, 4928, 4961, 4963, 4975, 5014, 5031

अल्पसंख्यक मामले	:	4841, 4854, 4925, 4979, 5018
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4848, 4852, 4855, 4869, 4870, 4873, 4876, 4878, 4886, 4901,4905, 4907, 4917, 4919, 4920, 4921, 4929, 4931, 4933, 4934, 4941, 4954, 4967, 4968, 4976, 4980, 4981, 4998, 5010, 5015, 5019, 5022, 5032, 5045, 5047, 5051
रेल	:	4832, 4833, 4834, 4835, 4838, 4842, 4843, 4347, 4858, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4871, 4872, 4879, 4881, 4890, 4895, 4898, 4900, 4902, 4903, 4904, 4908, 4912, 4918, 4923, 4926, 4927, 4932, 4935, 4940, 4942, 4946, 4949, 4950, 4951, 4956, 4957, 4958, 4962, 4964, 4969, 4971, 4973, 4977, 4978, 4983, 4985, 4988, 4990, 4991, 4992, 4996, 4997, 5000, 5012, 5016, 5020, 5021, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5034, 5035, 5036, 5037, 5039, 5040, 5042, 5046, 5048, 5049, 5050, 5053, 5054, 5055, 5056
इस्पात	:	4837, 4844, 4866, 4909, 4937, 4945, 4989, 5011, 5057, 5058
वस्त्र	:	4839, 4845, 4851, 4856, 4874, 4930, 4960, 4995, 5043, 5059.

———————